21 July, 1986

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 58
Date 3/8/87

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

21 जुलाई, 1986/30 आषाढ़, 1908 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 2, पंक्ति 21 और 22 के बीच लो स्ल का लोप करिये ।

पृष्ठ 7, प्रथम पंक्ति, "(हिन्दी)" के स्थान पर "(हिन्दी)" पढ़ि

पृष्ठ 28, पंक्ति 2, "*50. श्री ए0जी0घोलप" के स्थान पर "*5
घोलप" पढ़िये ।

पृष्ठ 159, पंक्ति 4, प्रश्न संख्या "45" के स्थान पर "451" पढ़ि

पृष्ठ 204, पंक्ति 2, प्रश्न संख्या "495" के स्थान पर "454" प

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 18, छठा सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 3, सोमवार, 21 जुलाई, 1986/30 आषाढ़, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—25
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 47	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	25—216
तारांकित प्रश्न संख्या : 48 से 50 और 52 से 60	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 339 से 440, 442 से 497 और 499 से 512	
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	216—224
राज्य सभा तथा लोक सभा सचिवालय के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए संसद की एक समिति की नियुक्ति	216
सभा पटल पर रखे गये पत्र	224—225
मिजोरम सम्बन्धी समझौता-ज्ञापन के बारे में वक्तव्य	225—229

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
कार्य-मंत्रणा समिति	230
24वां प्रतिवेदन	
नियम 377 के अधीन मामले	230—234
(एक) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास तथा विद्यालय की इमारतों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
कुमारी पुष्पा देवी	230
(दो) सातवीं योजनावधि के दौरान उड़ीसा में बालासोर में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता	
श्री अनन्त प्रसाद सेठी	231
(तीन) लद्दाख के कारगिल जिले के कारचा गांव में बाढ़ और बादलों के फटने से पीड़ित लोगों को राहत और सहायता देने के लिये जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को अनुदेश दिये जाने की आवश्यकता	
श्री पी० नामग्याल	231
(चार) बैंकों द्वारा डिमांड ड्राफ्ट सेवा में शुल्कों में हाल में की गई वृद्धि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता	
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	232
(पांच) मध्य प्रदेश के चम्बल डिवीजन में हरिजनों और आदिवासियों को नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता	
श्री कमोदी लाल जाटव	232
(छह) आन्ध्र प्रदेश में वेदायापालेम रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता	
श्री पी० पेंचालैया	233

विषय				पृष्ठ
(सात) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद संबंधी महाजन आयोग की सिफारिशों को सम्मिलित करने के लिए एस० आर० सी० अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता				
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	...	...		233
(आठ) 'कित्तूर एक्सप्रेस" का नाम बदलकर "कित्तूर रानी चानम्मा एक्सप्रेस" रखे जाने की आवश्यकता				
श्री जी० एस० बसवराजु	...	...	...	233
औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक (—जारी)	...	...		234—268
विचार करने के लिए प्रस्ताव (—जारी)				
श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी ...	...	...	...	234
श्री के० एस० राव	...	...	...	236
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	...	...	238
श्री थम्पन थामस ...	...	...	...	240
श्री ए० चार्ल्स ...	...	...	...	243
श्री राम प्यारे पनिका	...	...	...	245
श्री शांति धारीवाल	...	...	...	248
श्री भद्रेश्वर तांती ...	...	...	...	250
डा० ए० कलानिधि	...	...	...	251
श्री वृद्धि चन्द्र जैन		...	...	253
श्री डाल चन्द जैन ...	...	...	...	256
कुमारी ममता बनर्जी	...	...	...	257
श्री मनोरंजन भक्त ...	...	...	...	260
श्री हरीश रावत ...	...	...	...	262
श्री जनार्दन पुजारी (भाषण असमाप्त)	...	...		264

विषय	पृष्ठ
पूर्व रेलवे के गोमोह स्टेशन पर 28 अप गोरखपुर-हटिया एक्सप्रेस तथा एक मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर के बारे में एक वक्तव्य ··· ··· ···	269
राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में वक्तव्य ··· ··· ··· ···	270—271
देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में चर्चा [—असमाप्त] ···	271—304
प्रो० मधु दंडवते ··· ··· ··· ···	273
श्री जी० जी० स्वैल ··· ··· ··· ···	284
श्री एच० ए० डोरा ··· ··· ··· ···	288
श्री हरूभाई मेहता ··· ··· ··· ···	291
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी ··· ···	297
श्री एच० एम० पटेल ··· ··· ···	301
श्री बालकवि बैरागी (चर्चा अपूर्ण) ··· ···	303

लोक सभा

सोमवार, 21 जुलाई, 1986/30 आषाढ़, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उर्वरकों के लिए अपर्याप्त गोदाम व्यवस्था

*41. श्री चिन्तामणि जेना†
श्री मोहनभाई पटेल
: क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपर्याप्त गोदाम व्यवस्था और लदान में विलम्ब होने के कारण प्रतिवर्ष उर्वरकों की कितनी बोरियां नष्ट हो जाती हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष लगभग कितनी हानि हुई है और उर्वरकों से भारी बोरियों को वर्षा से बर्बाद होने से बचाने के लिए शीघ्र लदान और गोदाम व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) गुजरात में हाजिरा संयंत्र द्वारा निर्मित यूरिया की कितनी बोरियां रेल डिब्बों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण खुले मैदान में पड़ी हैं; और

(घ) सरकार ने वर्षा के दौरान यूरिया को नष्ट होने से बचाने हेतु उसका शीघ्र लदान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) देश में अब लगभग 100 स्वदेशी उर्वरक उत्पादक एककों द्वारा लगभग 20 मिलियन टन उर्वरकों का वार्षिक रूप से वितरण किया जाता है और 28 विभिन्न पत्तनों पर आयातित उर्वरक का संचालन किया जाता है। कुछ लघु पत्तन जहां, उर्वरक जलयानों का संचालन किया जाता है, रेलमार्ग से जुड़े नहीं हैं। भारत द्वारा आयात किया जाने वाला लगभग 95 प्रतिशत उर्वरक ढेर में होता है, जिसे भारतीय पत्तनों में बोरियों में भरा जाता है। एक मीट्रिक टन उर्वरक के लिए 20 बोरियां अपेक्षित होती हैं। उर्वरक की कुछ मात्रा की पत्तनों में उतारने, संचालन और भण्डारण, रेलवे टर्मिनलों तक पत्तनों तथा संयंत्रों से परिवहन तथा तत्पश्चात् उपभोग के अंतिम क्षेत्रों तक परिवहन की प्रक्रिया में हानि अपरिहार्य है। अलग-अलग उर्वरक उत्पादक कम्पनियां तथा जो आयातित उर्वरकों के संचालन, वितरण तथा परिवहन में रत हैं वे भी उर्वरकों की स्वामी हैं। उनके लिए न्यूनतम हानि के साथ भण्डारण एवं परिवहन की व्यवस्थाएं करना अपेक्षित होता है। ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है जिससे यह पता चले कि गत तीन वर्षों के दौरान कोई असाधारण हानि हुई हो, केवल इंडियन पोटाश लि० के एक मामले को छोड़कर, जब कोई विशिष्ट एकक भण्डारण और परिवहन की समस्याओं के बारे में सरकार से सम्पर्क स्थापित करता है तो मामले को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ उठाया जाता है।

(ग) गुजरात में कृमकों के हजीरा संयंत्र द्वारा उत्पादित लगभग 7000 मी०टी० यूरिया (बेगों में) इस समय खुले में पड़ा है जिसे तारपुलिन से ढका गया है ऐसा होने का मुख्य कारण यह है कि सीलों का निर्माण केवल आंशिक रूप से पूर्ण हुआ है।

(घ) रेल विभाग से अनुरोध किया गया है कि इस संयंत्र को वैगनों की आपूर्ति में वृद्धि की जाए। संयंत्र प्राधिकारियों ने अपनी फैक्टरी साइडिंग से यूरिया सामग्री के लदान के अलावा सूरत और बड़ौदा रेलवे स्टेशनों पर भी यूरिया सामग्री के लदान की वैकल्पिक व्यवस्थाएं की हैं।

———

श्री चिन्तामणि जेना : मन्त्री महोदय ने विवरण में कहा है कि हजीरा संयंत्र में 7,000 मी० टन यूरिया को तारपुलिन से ढका गया है। मैं जानना चाहता हूं कि अन्य ऐसे कौन-कौन से संयंत्र हैं जहां उर्वरक शेडों में पड़े हैं या तारपुलिन से ढके हुए हैं और प्रत्येक संयंत्र में ऐसे उर्वरकों की मात्रा क्या है ?

श्री के० नटवर सिंह : हमें खुले में काफी मात्रा में पड़े उर्वरकों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। मैंने खुद हजीरा संयंत्र का दौरा किया है। वहां करीब 7,000 टन उर्वरक पड़ा हुआ है। हजीरा की प्रस्तावित क्षमता 90,000 टन है। वहां 'साइलो' के निर्माण में ठेकेदारों की वजह से कुछ देरी हुई है। हम प्रतिवर्ष करीब 4,000 लाख टन उर्वरकों को दूसरे स्थानों पर भेजते हैं। यह शिकायत की गई है कि हमें इन पर घाटा हो रहा है। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि यह घाटा बहुत ही कम है। हम प्रति वर्ष करीब 6,000 करोड़ रु० के उर्वरकों की ढुलाई करते हैं। पिछले तीन वर्षों

के दौरान आई०पी०एल० को 5,86,000 रु० और मंगलौर केमिकल्स को 4,40,000 रु० का घाटा हुआ है। अन्य किसी भी संयंत्र को किसी प्रकार का घाटा नहीं हुआ है।

श्री चिन्तामणि जेना : मन्त्री महोदय ने उत्तर के भाग (घ) में बताया है कि इस संयंत्र क और अधिक रेल वैगनों की सप्लाई करने के लिए रेल विभाग से अनुरोध किया गया है। क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या रेलवे ने विश्व बैंक, जिसने हजीरा संयंत्र के लिए वित्त दिया था, से समझौता किया है और वायदा किया है कि वह इस संयंत्र के सारे उत्पाद की ढुलाई करेगा ? अगर हां, तो उनके मन्त्रालय ने कार्यवाही क्यों नहीं की ? रेलवे को संयंत्र से भेजे जाने वाले उत्पाद की मात्रा की जानकारी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है या कोई समन्वय समिति है जो कृषि मन्त्रालय, आपके मन्त्रालय, रेल मन्त्रालय, परिवहन मन्त्रालय की गतिविधियों में समन्वय रखे, ताकि उर्वरकों के परिवहन में देरी न हो।

श्री के० नटवर सिंह : रेल मंत्रालय से हमें काफी सहयोग मिल रहा है। कुछ समय पूर्व स्थिति कुछ असन्तोषजनक थी। लेकिन अब कोई शिकायत नहीं है। हमें पूर्ण सहयोग मिल रहा है और उर्वरक की ढुलाई हो रही है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि सारी बात मौसमी है तीन माह चलती है। देश के कुछ भागों में मानसून में देरी हो गई है, अतः उर्वरक ढुलाई में कुछ देरी हो जायेगी। लेकिन हमें विश्वास है कि इस संयंत्र से उर्वरकों की ढुलाई में कोई मुश्किल पैदा होगी।

श्री अजय मुशरान : किसानों की यह आम शिकायत है कि उन्हें समय पर और उपयुक्त मात्रा में उर्वरक नहीं मिलता है। क्या माननीय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्वरकों के विपणन को सुनिश्चित बनाने और उनके मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ? संयंत्रों से उर्वरकों की ढुलाई सही ढंग से होनी चाहिए, ताकि किसानों को उचित समय पर सही मात्रा में उर्वरक मिल सकें।

श्री के० नटवर सिंह : जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, उससे यह प्रश्न सीधे सम्बन्ध नहीं रखता। लेकिन मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है। हमारी यह कोशिश रहती है कि उपभोक्ता और किसानों को सही समय पर सही मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हों। गुणवत्ता की सख्त जांच की जाती है। अगर माननीय सदस्य के पास कोई विशिष्ट शिकायत है, तो मैं उसकी सहर्ष जांच करने को तैयार हूं। जहां कहीं पाया जाता है कि कोई गलती हुई है तो सम्बन्धित दोषी व्यक्ति के विरुद्ध सरकारी नियमों के अधीन कार्यवाही की जाती है।

जहां तक उर्वरकों की उपलब्धता का सम्बन्ध है। मुझे भारत के किसी भी भाग से उर्वरक की अनुपलब्धता के बारे में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है। स्थिति सन्तोषजनक है।

श्री सोमनाथ रथ : प्रश्न पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए घाटे के बारे में था। माननीय मन्त्री ने कहा है कि ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं है, जिससे पता चले कि गत तीन वर्षों के दौरान कोई असाधारण हानि हुई हो; केवल इंडियन पोटाश लि० के एक मामले में ऐसा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई भारी घाटा नहीं हुआ है तो इस अवधि के दौरान आम घाटा क्या था।

श्री के० नटवर सिंह : मैं माननीय सदस्य की कुशाग्रता की सराहना करता हूं। हम प्रतिवर्ष 6,000 करोड़ रु० का उर्वरक प्रतिवर्ष वितरित करते हैं, पिछले वर्ष आई०पी०एल० में 5.56 लाख रुपये और मंगलौर फर्टिलाइजर में 4.40 लाख रु० का घाटा हुआ था। यह कोई बुरा रिकार्ड नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय मन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि जहां तक हजीरा संयंत्र का संबंध है, वहां किसी प्रकार की मुश्किल नहीं है। मेरे पास अधिकृत रिपोर्ट है कि रेलवे की मुश्किल के कारण काफी मात्रा में उर्वरक वहां ढुलाई के लिए पड़ा हुआ है। यह रेल वैगन न मिलने के कारण हुआ है। मुझे खुशी होगी अगर माननीय मन्त्री आज क्या स्थिति है, इस बारे में जानकारी दें।

श्री के० नटवर सिंह : नवीनतम स्थिति के अनुसार हजीरा में अभी लगभग 40,000 टन उर्वरक का जमाव है। प्रत्येक संयंत्र आवश्यकता का 30 प्रतिशत साइलो क्षमता के रूप में रखता है। अगर मानसून नहीं आता, तो हमारे पास कुछ सुरक्षित क्षमता भी होनी चाहिए। अत: हमारे सभी संयंत्रों में यह साइलो क्षमता का जमाव है। हजीरा में यह 30 प्रतिशत से कुछ अधिक है। मुझे इसकी जानकारी है। लेकिन हमें विश्वास है कि मानसून के आते ही, इसकी ढुलाई ज्यादा हो जाएगी और हम भण्डार को कम कर सकेंगे, जो कि इस समय कुछ अधिक मात्रा में है।

[हिन्दी]

दिल्ली में कपड़ा श्रमिकों की हड़ताल

*42. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक†**
श्री सुभाष यादव
: क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कपड़ा उद्योग के 30,000 से अधिक श्रमिकों ने अनिश्चित कालीन हड़ताल कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों का ब्योरा क्या है और इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

[अनुवाद]

श्रम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

छह ट्रेड यूनियनों की संघर्ष समिति ने 16 फरवरी, 1986 को दिल्ली की पांच कपड़ा मिलों यानी दिल्ली क्लाथ मिल्स, स्वतंत्र भारत मिल्स, डी०सी०एम० सिल्क मिल्स, बिरला टेक्सटाइल मिल्स और अजुधिया टेक्सटाइल मिल्स के प्रबन्धतंत्रों को एक 11 सूत्री मांग पत्र का नोटिस दिया। इन मांगों में अन्य मांगों के साथ-साथ, मजदूरी में संशोधन होने तक प्रतिमाह 100/- रु० की अन्तरिम सहायता, शत-प्रतिशत दर पर मंहगाई भत्ता निष्प्रभावीकरण, मकान किराया भत्ता, बदली, नैमित्तिक और अस्थाई कर्मकारों को नियमित करना, 1979 के बाद बर्खास्त किए गए/निलम्बित किए गए सभी कर्मकारों को पुनः नौकरी पर बहाल करना और 1979 के बाद जिन कर्मकारों के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए गए, उनको वापस लेने की मांगें शामिल थी। हालांकि संघर्ष समिति ने दावों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया था, फिर भी इस मामले को दिल्ली प्रशासन द्वारा संराधन के लिए लिया गया और संराधन अधिकारियों और दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त द्वारा कपड़ा मिलों के प्रबन्धकों और श्रमिक यूनियनों के साथ अनेक कार्यवाहियां की गई हैं। ये संराधन प्रयास विफल रहे। इसलिए इन दोनों पक्षकारों के साथ समझौता करने के लिए तरीके ढूंढने के वास्ते पहले कार्यकारी पार्षद (स्वास्थ्य) ने, जो श्रम विभाग का कार्य देख रहे हैं, और उसके बाद दिल्ली के उप-राज्यपाल ने कई बैठकें की। इन विचार-विमर्शों के दौरान, ये प्रबन्धतंत्र अन्तरिम सहायता की मांग पर विचार करने के लिए सहमत हो गये बशर्तें कि कर्मकार इसे उत्पादकता से जोड़ने के लिए राजी हों। यह यूनियनों को स्वीकार्य न था और समझौता न हो सका। इन परिस्थितियों में दिल्ली प्रशासनने विशिष्ट व औद्योगिक विवादास्पद प्रकार की मांगों को न्यायनिर्णयन के लिए औद्योगिक अधिकरण, दिल्ली को 25-4-86 को निर्दिष्ट कर दिया। इन मांगों में अन्तरिम सहायता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता देने, कार्यभार कम करने और बदली, नैमित्तिक और अस्थाई कर्मकारों को नियमित करने की मांगें शामिल थीं।

उक्त संघर्ष समिति ने इन प्रबन्धतंत्रों को 12-5-86 को हड़ताल का नोटिस दिया जिसमें उन्होंने 28-5-86 से हड़ताल करने का इरादा जाहिर किया था। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने स्वयं मध्यस्थता की और इस विवाद को तय करने और हड़ताल टालने के प्रयास से कई बैठकें बुलाई। लेकिन पारस्परिक तौर पर स्वीकार्य समझौता न हो सका और लगभग 20,000 कपड़ा श्रमिक 28-5-86 से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर चले गए।

संघर्ष समिति के सदस्य समय-समय पर श्रम मन्त्री से मिले और उन्होंने इस मामले में उनकी मध्यस्थता के लिए अनुरोध किया। तदनुसार, श्रम मन्त्री ने इन पक्षकारों की 19 जून, 1986 को बैठक बुलाई ताकि इन प्रबन्धतत्रों और यूनियनों के बीच उनके मतभेदों को दूर करने और इस मामले को आपस में तय करने की कोशिश की जा सके। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने इस बैठक में भाग लिया। प्रबन्धतत्रों और यूनियनों के बीच निरन्तर चले आ रहे मतभेद अन्तरिम सहायता देने और इसे उत्पादकता से जोड़ने और कर्मकारों के विरुद्ध अनुशासनात्मक मामलों को वापस लेने के बारे में है। श्रम मन्त्री ने दोनों पक्षकारों से गतिरोध दूर करने और आपस में स्वीकार्य समाधान शीघ्र निकालने के वास्ते प्रयास करते रहने के लिए अपील की। ये पक्षकार उनके इस सुझाव से सहमत हो गये कि बात-

चीत फिर शुरू की जाए। सदन को यह जानकारी दी जाती है कि दिल्ली प्रशासन के श्रम आयुक्त और मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय) ने 9-6-86 से 16-7-86 तक प्रबन्धतंत्रों और यूनियनों के साथ संयुक्त रूप से और अलग-अलग कई बार विचार विमर्श किया, जिसमें पक्षकारों द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर और मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) द्वारा सुझाए गए समझौता सूत्रों पर विचार किया गया। यद्यपि इन विचार विमर्शों के फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों पक्षकारों की ओर से नरम रुख अपनाया जा रहा है, लेकिन मतभेद जारी हैं और अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। तथापि समझौता कराने के लिए, दिल्ली प्रशासन को सहायता देने के वास्ते, मुख्य श्रमायुक्त (केंद्रीय) की ओर से मध्यस्थता करने के प्रयास जारी हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने बहुत डिटेल्ड उत्तर दिया है और अन्त में उन्होंने लिखा है कि इन श्रमिकों की हड़ताल का कोई समाधान नहीं निकल पाया और हड़ताल जारी है। उसके लिए उन्होंने मुख्यत: एक बात अपने जवाब में दी है कि मैनेजमेंट अन्तरिम सहायता की मांग पर विचार करने के लिए सहमत तो हो गया बशर्ते कि कर्मकार इसे उत्पादकता से जोड़ने के लिये राजी हों, जो कि यूनियन के वर्कर्स को मंजूर नहीं थी।

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रोडक्शन को उनके काम के साथ जोड़ना उचित बात नहीं है। इसके 2,3 कारण हैं। एक तो यह कि प्रोडक्शन इस बात से भी घट सकती है कि बिजली की सप्लाई ठीक न हो, बिजली बन्द हो जाये या किसी मशीन अथवा टूल की खराबी की वजह से भी प्रोडक्शन कम हो सकती है। यदि बिजली की सप्लाई की वजह से और मशीन की खराबी के कारण वर्कर नौकरी पर न आये तो उसकी नौकरी जाती है और फैक्टरी में आये तो उनको कुछ मिलता नहीं, क्योंकि उनका नाम प्रोडक्शन के साथ जोड़न का सुझाव मैनेजमेंट का था।

मैं जानना चाहूंगा कि इस प्रकार के हालात से निबटने के लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाकर कोई कानूनी व्यवस्था करना चाहती है जिससे वर्कर्स को मैनेजमेंट की गलती की वजह से या इस प्रकार के हालात की वजह से कोई नुकसान न उठाना पड़े, जो कि वर्कर्स के काबू से बाहर है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : कुछ दिन पूर्व सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस विषय पर चर्चा हुई थी। मैंने इस विषय पर सरकार की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी। इस मामले में दिल्ली प्रशासन ही कार्यवाही करने की सही स्थिति में है। अतः केन्द्रीय सरकार दिल्ली प्रशासन को इस मामले में सहायता देने तक ही सीमित है और हमने भरसक कोशिश की है। जैसा कि मैंने कुछ दिन पूर्व सभा को सूचित किया था कि इस समस्या को हल करने के लिए मुख्य श्रम आयुक्त, भारत सरकार ने 90 घन्टे तक प्रयास किये। लेकिन जैसा कि मैंने शुक्रवार को कहा था स्थिति वही है। लेकिन आज बातचीत पुन: आरम्भ हुई है। आज प्रात: मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल से बातचीत की थी और उन्होंने मुझे बताया कि इस विवाद को समाप्त करने के लिए एक बार पुनः प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री धर्मपाल सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की जानकारी है कि दिनांक 18 जुलाई को इस विषय से सम्बन्धित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहुत बहस हुई है, लेकिन उस बहस से कोई नतीजा नहीं निकला और न ही कोई इस प्रकार का सुझाव आया है जिससे कि समस्या का समाधान हो।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की मिलों में भागीदारी सम्बन्धी योजना चलाकर हमेशा के लिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच आने वाले इस प्रकार के टकराव से निपटने के लिए किसी प्रकार का कोई ठोस कदम उठा रही ह या नहीं। यदि हां, तो ऐसी कौन-सी कानूनी व्यवस्था सरकार के विचाराधीन है ?

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : सरकार प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारिता को महत्व देने पर जोर देती रही है। सरकार ने इस संबंध में एक सूत्र प्रस्तुत किया है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध है, प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारिता को हमारी 90 से भी अधिक इकाइयों में शुरू किया गया है। दुर्भाग्य से निजी क्षेत्र में यह योजना शुरू नहीं की गई है। हम उन्हें विश्वास में लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो ठीक है मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं कि हमें इसके लिए कोई अन्य कानूनी उपाय करना होगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, यह आश्चर्य की बात नहीं है कि···

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में पहले ही काफी चर्चा की जा चुकी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं उस समय नहीं था। मुझे इसके लिए खेद है। यदि आप चाहें तो इस मामले में इस प्रश्न को स्वीकृति न दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : हमने कल ही ऐसा किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं मात्र एक विशेष मुद्दे के बारे में पूछना चाहता हूं। वह यह कि हम समझ सकते हैं कि बिरला या डी० सी० एम० के नियोजकों जैसे लोग अन्तरिम राहत को उत्पादकता से जोड़ने को बड़ा तूल दे रहे हैं। "अन्तरिम राहत" से क्या अभिप्राय है। उन्होंने यह भी कहा कि इसे उत्पादकता के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जहां तक उन लोगों का संबंध है, मैं इस बात को समझ सकता हूं। लेकिन इसमें एक सरकारी मिल भी है। यह किसी व्यक्ति की निजी मिल नहीं है, अयोध्या मिल केन्द्रीय सरकार के अधीन चल रही है। यह उन 5 सरकारी क्षेत्र की मिलों में से एक है जिनके 20,000 श्रमिक हड़ताल पर हैं। अतः माननीय श्रम मंत्री जब यह कहते हैं कि वे किसी तरह की मध्यस्थता या बीच-बचाव करने अथवा समझौता करने का प्रयास कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह उठती है कि क्या यह मिल जो प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार के अधीन है, क्या उस मिल के प्रबन्धकों

की ओर से सरकार भी वैसा कर रही है अथवा क्या उन्होंने कम से कम यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें उत्पादकता को अन्तरिम राहत के साथ जोड़ने वाली बात मंजूर नहीं है। सरकारी मिल बिरला बंधुओं या डी० सी० एम० के नियोजकों का अनुसरण क्यों कर रही है। हमें यह बात समझ नहीं आई। सरकार का इस बारे में क्या दृष्टिकोण है ? यदि सरकार मिल मालिकों के इस अनुरोध को मान लेती है तो इसका हर जगह औद्योगिक संबंधों पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, जैसा कि मैंने उत्तर दिया कि श्रमिक संघों में एक संघर्ष समिति बनाई है जिसमें 6 केन्द्रीय श्रमिक संघ हैं तथा इसमें आई० एन० टी० यू० सी० भी शामिल है। संघर्ष समिति ने 11 सूत्री संयुक्त घोषणा पत्र दिया है। इस समय एक मिल को अन्य मिलों से अलग करने का प्रश्न ही नहीं है। सारा एक प्रबन्ध है। यह स्थिति है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ऐसे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, जो मैंने पूछा ही नहीं। मेरा अभिप्राय मिल को पृथक करने से नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इन संधि वार्ताओं में, क्या वेतन को अन्तरिम राहत और उत्पादकता से जोड़ने के इस प्रश्न पर सरकार द्वारा अधिग्रहीत मिल के सम्बन्ध में वही दृष्टिकोण अपनाया गया है जो गैर-सरकारी मिलों के प्रति अपनाया गया है अथवा वे कुछ भेद-भाव बरतने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने कहा कि यह सभी श्रमिक संघों का मांग-पत्र है। उन्होंने मिल कर इसे पेश किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें उत्तर देने दीजिए। आप निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्रमिक संघ मिले हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धक भी मिल गए हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पहले उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप निष्कर्ष पर कैसे पहुंच सकते हैं ?

श्री पी० ए० संगमा : सभी पांच मिलों को, चाहे वे गैर-सरकारी हों या सरकारी, एक ही 11 सूत्री मांग-पत्र दिया गया है, तथा इस सम्बन्ध में बातचीत जारी है और सरकार का त्रिपक्षीय तंत्र भी इसमें है।

अध्यक्ष महोदय : वे जानना चाहते हैं कि क्या इस सरकारी मिल का भी वही दृष्टिकोण है अथवा कुछ फर्क है ? बस इतना ही।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं-नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। मैंने इसकी अनुमति नहीं दी।

श्री पी० ए० संगमा : बातचीत प्रबन्धकों की ओर से चल रही है। पांचों मिलों के अपने

प्रतिनिधि हैं तथा प्रबन्धक भी हैं तथा सभी राजनैतिक दलों में श्रमिक संघ भी एक समूह के रूप में हैं। अत: यह बातचीत करने वाला एक ही समूह है। इसलिए इस समय पृथक्कता का प्रश्न ही नहीं उठता।

अध्यक्ष महोदय : इतना पर्याप्त है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सदन में कल काफी चर्चा हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सभा को अधिकार है कि वह उनके उत्तर से अपने आप निष्कर्ष निकाल ले। सरकारी क्षेत्र के प्रबन्धक इस मामले में बिरला आदि के तरीके से ही काम कर रहे हैं...

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न का उत्तर काफी पहले दिया जा चुका है।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप सब खड़े क्यों हैं ? इसकी अनुमति नहीं है। मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। कुछ नहीं होगा। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है। आप क्या कर रहे हैं। मैं किसी को अनुमति नहीं दूंगा। मैं सबको केवल एक-एक करके बोलने की अनुमति दे सकता हूं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अपनी-अपनी जगह पर बैठिए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्रीमान सामंत जी ठीक ढंग से पेश आइए। नहीं, बैठ जाइए। इसका प्रश्न ही नहीं उठता। इसकी अनुमति नहीं है। कार्यवाही-वृत्तांत में एक भी प्रश्न सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने अनुमति नहीं दी है। ठीक है। बैठ जाइए। यह तरीका ठीक नहीं है।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने श्रमिकों के हितों को हमेशा महत्व दिया है और हमारा यह इरादा नहीं है कि ·· (**व्यवधान**) दत्ता सामंत जी मैंने अपनी बात पूरी नहीं की है। हमने श्रमिकों के हितों को हमेशा महत्व दिया है और हम यही स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। (**व्यवधान**) मैं नहीं समझता कि वे मेरी बात सुनना चाहते हैं। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम में जनता का पैसा लगा है। जब कभी सरकारी क्षेत्र का उद्यम असफल रहता है, धन नष्ट करता है तब जनता का पैसा नष्ट होता है और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। जब हम कोई वार्ता करते हैं तो हमें श्रमिकों के हितों से भी अधिक भारत की

जनता के हितों को अधिक महत्व देना होता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्रीमान वी० एस० कृष्ण अय्यर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। कृपया बैठ जाइए। अन्यथा मैं आपको बाहर जाने के लिए कहूंगा। इसकी अनुमति नहीं है। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान सामंत, मैं आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहूंगा। आप सभी सीमाओं को लांघ रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वार्ताएं हो रही हैं, उनका जिक्र किये बिना मैं कुछ कहना चाहता हूं कि यह सरकार श्रमिक संघ के नेताओं के निजी हितों के कारण देश को हानि नहीं पहुंचने देगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान कृष्ण अय्यर अगला प्रश्न।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं बैठेंगे तो मुझे आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। मैंने अगला प्रश्न पूछने के लिए कहा है। बैठ जाइए। क्या आप सभा को मनमाने ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं ? अपनी सीट पर बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। बैठ जाइए। यह क्या हो रहा है। क्या आप इस सभा को डरा सकते हैं। इसकी अनुमति नहीं है। मैंने किसी भी सदस्य को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दन्डवते : महोदय, मैं प्रश्न काल के दौरान प्रक्रिया का प्रश्न पूछना चाहता हूं। प्रश्न पूछते समय यदि हम कुछ असम्बद्ध बात कहने लगते हैं तो आप हमेशा कहते हैं 'प्रश्न पूछिए।' प्रधान मंत्री जी ने अभी-अभी स्पष्टीकरण दिया है। क्या जो प्रश्न पूछा गया था उसका उससे कुछ संबंध था ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसे अस्वीकृत किया जाता है।

श्री राजीव गांधी : महोदय, मैंने टिप्पणी दी। मेरी टिप्पणी इसलिए आवश्यक थी क्योंकि विपक्ष के किसी सदस्य ने कहा था कि सरकार के दृष्टिकोण का अन्दाजा मंत्री महोदय द्वारा कही गई बात से लगाया जा सकता है। अत: यह आवश्यक था कि मैंने सरकार की राय के बारे में बताया। सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि कुछ श्रमिक संघों के नेता अपने हितों की खातिर देश तथा भारत की जनता के हितों को तथा पैसे को नुकसान पहुंचाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने एक ओर वाद-विवाद कराने की मांग की थी। मैंने आपसे पूछा था। मेरे विचार से आपने कभी नियम नहीं पढ़े हैं।

(व्यवधान)

श्रीमान सामंत, क्या आप सभा से बाहर जाएंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप सभा से बाहर जाएंगे ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको सभा से निष्कासित मानूंगा।

डा० दत्ता सामंत : नहीं, महोदय। मैं सभा से बाहर नहीं जाऊंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सभा को दिक्कत में नहीं डाल सकते।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यक्ति क्या कर रहा है ? मैंने आपको सभा से बाहर जाने के लिए कहा है।

(तत्पश्चात् डा० दत्ता सामंत सभा-भवन से बाहर चले गए)

एक माननीय सदस्य : उन्हें सभा से बाहर क्यों निकाला गया ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल इस तरह की चर्चा की अनुमति दी थी और यदि आप चाहें तो मैं और चर्चा की अनुमति दे सकता हूं, लेकिन इस तरह नहीं। में आपको सभा को दिक्कत में डालने की अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : आप प्रधान मंत्री को टिप्पणी करने की अनुमति दे रहे हैं, जिनका इस प्रश्न से कोई संबंध ही नहीं है। आपने उस पर आपत्ति नहीं की है। लेकिन आपने कुछ अन्य प्रश्नों पर आपत्ति की है। क्या जो प्रश्न पूछा गया था, प्रधान मंत्री की टिप्पणी का उससे कुछ मेल था ? क्या चूंकि वह भारत के प्रधान मंत्री हैं, केवल इसीलिए··· (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

आप एक और चर्चा कराने के लिए कह सकते हैं, में उसकी अनुमति दे सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रो० दंडवते जी की बात से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जो कहा उसका प्रश्न से काफी संबंध था। उनका उत्तर प्रत्यक्ष रूप से गैर-सरकारी क्षेत्र के नियोजकों को भड़काना है कि वे ··(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहें तो मैं दूसरी बार इस पर चर्चा की अनुमति दे सकता हूं। किन्तु इस प्रकार नहीं। मैं सदन की कार्यवाही इस प्रकार नहीं रोक सकता। आप सदन में अपनी मर्जी नहीं चला सकते।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप जिस प्रकार विपक्षी दलों को रोकते हैं, उसी प्रकार सत्तारूढ़ दल को भी क्यों नहीं रोकते ?··· (व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूंगा। यह मेरा विनिर्णय है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि मैं दूसरी बार इस पर चर्चा की अनुमति दे सकता हूं, किन्तु इस प्रकार नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सदन को जैसा चाहें वैसा नहीं चला सकते। मैंने सदन को चलाना है।

(व्यवधान)

मुझे इस प्रकार के व्यवधान पसंद नहीं हैं। अब श्री कृष्ण अय्यर प्रश्न पूछेंगे।

(व्यवधान)

आवास परियोजनाओं के लिए शहरी विकास बैंक

*43. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवासीय और शहरी विकास परियोजनाओं हेतु वित्त व्यवस्था करने के लिए जनता तथा वित्तीय संस्थाओं से संसाधन जुटाने के लिए एक पृथक शहरी विकास बैंक स्थापित करने का केन्द्रीय सरकार का कोई प्रस्ताव है, जिसकी शाखाएं सभी राज्यों की राजधानियों में होंगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (दलबीर सिंह) : (क) और (ख) शायद सन्दर्भ राष्ट्रीय आवास बैंक के बारे में है। बैंक को स्थापित करने के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, मुझ उत्तर सुनाई नहीं दिया। यह प्रश्न पूछने से मेरा मतलब सिर्फ इतना ही नहीं था कि आवास परियोजनाओं के लिए शहरी विकास बैंक के बारे में जानकारी दी जाये बल्कि, यह भी कि सरकार को एक राष्ट्रीय शहरी विकास नीति बनानी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में समस्या केवल आवास ही नहीं है। जल-आपूर्ति, भूमिगत जल निकासी तथा गन्दी बस्तियां हटाना आदि भी अनेक समस्यायें हैं। एक राष्ट्रीय शहरी विकास नीति बनाना भारत सरकार का कर्तव्य है। क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए एक शहरी विकास बैंक स्थापित करेगी ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : सर, अरबन नेशनल हाउसिंह बैंक का एक प्रपोजल हमारे मंत्रालय से फाइनेंस मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन को गया है और उस पर विचार हो रहा है। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, अभी देश में 24.7 मिलियन यूनिट की आवश्यकता है जिनमें से 5.9 मिलियन की शहरों में और 18.8 मिलियन यूनिट ग्रामों में आवश्यकता है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर अरबन हाउसिंग बैंक का प्रपोजल गया है और उस पर विचार हो रहा है।

[अनुवाद]

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : महोदय, मंत्री महोदय मेरा मतलब ठीक से समझ नहीं पाये। आप केवल आवास समस्या का उल्लेख कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों की अन्य समस्याओं का क्या हुआ ? स्थानीय निकाय विशेषकर बड़े शहरों में अपने सीमित स्रोतों की मदद से अपने-अपने शहरों की समस्याओं को नहीं निपटा सकते। इन क्षेत्रों के विकास के लिए केवल कुछ तदर्थ अनुदान देने से, जैसा कि अभी माननीय प्रधान मंत्री द्वारा बम्बई शहर के लिए दिया गया, कुछ लाभ नहीं होने वाला। कोई ऐसी योजना होनी चाहिए जिसमें सभी शहरी क्षेत्र शामिल किए जा सकें। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार शहरी क्षेत्रों की किसी भी प्रकार सहायता नहीं कर रही। उदाहरण के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र बंगलौर को लीजिए। वहां पर 25 प्रतिशत भवन केन्द्र सरकार के हैं, किन्तु उनके द्वारा नगर-निगम निकायों को एक पैसे का भी कर नहीं दिया जाता। कोई सहायता नहीं दी जा रही। अतः आप न केवल बंगलौर, बल्कि पूरे देश के शहरी क्षेत्रों के लिए कोई नीति तैयार करें जिससे सामान्य शहरी विकास में मदद मिल सके।

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न है वह आवास समस्या के बारे में नहीं है बल्कि हाउसिंग बैंक से सम्बन्धित है। लेकिन आपने जो कहा कि आवास समस्या बड़ी विकट समस्या है, इसके बारे में राज्य सरकारों की योजनाएं हैं। आपकी राज्य सरकार अगर कोई योजना हमारे पास भेजेगी तो उस पर उसी अनुसार विचार किया जायेगा।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अरबन हाउसिंग बैंक का जो प्रपोजल है, यह बैंक कितने मकान बनायेगा, कितनी रकम मकान बनाने में लगायेगा, कितनी रकम लोगों को मकान बनाने के लिए देगा, क्या इसके निश्चित विवरण आप देंगे ?

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य ने अरबन हाउसिंग बैंक का जो सवाल है, एच० डी० एफ० सी० जो बैंक है, यह बैंक बहुत ही सीमित लोगों के लिए है और खास कर बड़े लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसी तरह का यह बैंक बनाने का प्रपोजल है जो खास कर छोटे लोगों, छोटे तबके के लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह योजना है। यह योजना केवल एक स्टेट के लिए नहीं है बल्कि सारे राष्ट्रीय स्तर पर जहां आवश्यकता हो, बैंक बनाने की प्लानिंग है। इस पर

हम काम करेंगे। अभी केवल यह प्रपोजल है, यह फाइनेलाइज नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बाल श्रमिकों संबंधी सर्वेक्षण

*44. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति हजार बच्चों में से कितने बच्चे मजदूरी करते हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय बाल श्रम सलाहकार बोर्ड के अधीन बाल श्रम कक्ष को बच्चों के कार्यों के स्वरूप, परिस्थितियों आदि के बारे में पता लगाने हेतु बच्चों के काम करने के स्थानों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार, असम को छोड़कर 5 प्रतिशत सैम्पल आंकड़ों के आधार पर 0-14 वर्ष की आयु ग्रुप में प्रति हजार बच्चों में से बाल श्रमिकों की संख्या 42.4 थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : श्रीमन्, कांस्टीच्युशन का आर्टिकल 24 और 29 है। लेकिन आपने अपनी किताब में क्या लिखा है और आप उत्तर क्या दे रहे हैं। मैं पढ़ कर सुनाता हूं :—

[अनुवाद]

राष्ट्रीय बाल श्रमिक परामर्श मंडल बाल श्रम मंडलों को राज्य-स्तर पर परामर्श और मार्ग-निर्देश देगा। हाल ही में एक बाल श्रमिक सेल बनाया गया था। सातवीं योजना के अन्तर्गत बच्चों के कल्याण एवं विकास के 5 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की गई है···

"बाल-श्रमिक सेल ने शिवकाशी माचिस फैक्टरी तथा औरंगाबाद और अन्य ऐसे स्थानों में जहां श्रमिक अधिक संख्या में हों, कुछ सर्वेक्षण कराये हैं।"

आपने प्रतिवेदन में यह भी कहा है : —

"मद्रास, मदुरै और कोयम्बतूर में बाल-श्रमिकों के संबंध में किए गए एक अध्ययन में

बताया गया है कि 12 प्रतिशत बच्चे 14 से 16 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। शिवकाशी (तमिलनाडु) में 40 से 45 हजार बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हैं। वह बच्चे 11 से 13 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। और उन्हें 50 पैसे से 2 रुपये के बीच प्रतिदिन मजदूरी मिलती है। चाय बागानों तथा अन्य बागों में भी बाल-श्रमिक बहुतायत में हैं।"

यह आपका सर्वेक्षण और इसकी रिपोर्ट हम सब तक पहुंच चुकी है और अब आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया।

[हिन्दी]

अब आप सही कहते है या आपकी यह एनुअल रिपोर्ट सही है, कौन सही है ? श्रीमन् अभी भी हमारे प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि चिल्ड्रन आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स, कल्याणकारी राज्य में, आर्टिकल 24 में···।

अध्यक्ष महोदय : सवाल करिए।

श्री मूल चन्द डागा : मेहरबानी करके उत्तर दीजिए कि क्या यह बात सही है कि शिवकाशी में, मदुरई में आपने सर्वे करवाया है या नहीं करवाया है ?

श्री विलास मुत्तेमवार : अध्यक्ष महोदय, आधा घंटा दे दीजिए इस पर।

अध्यक्ष महोदय : आधा घंटा तो हो गया।

[अनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा : दोनों में से कौन सी बात सही है ? बच्चे देश में सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, प्रश्न यह था कि क्या राष्ट्रीय बाल-श्रमिक परामर्शदाता, मंडल द्वारा बाल-श्रमिकों के बारे में सर्वेक्षण किया गया है, जिसका उत्तर है—'नहीं।' किन्तु हमने इस बारे में कुछ राज्य सरकारों तथा संगठनों से, जिन्होंने सर्वेक्षण किया है, पूछा है और माननीय सदस्य का प्रश्न शिवकाशी के बारे में है। वहां पर तमिलनाडु सरकार द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था, न कि केन्द्रीय सरकार द्वारा, और हमने इसके लिए कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी। किन्तु यह सर्वेक्षण हमने नहीं कराया, यह राज्य सरकार द्वारा कराया गया था।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : देखिए आप कह रहे हैं कि हमने नहीं करवाया है, आपने 5 करोड़ रुपये वालेंट्री आर्गेनाइजेशन को एड दी है।

[अनुवाद]

यह अपनी रिपोर्ट में भी बताया गया है। केन्द्रीय सरकार ने चालू वित्त वर्ष में बाल-श्रमिकों के कार्य में लगे हुए 5 स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता दी···

कृपया अपने वार्षिक प्रतिवेदन में देखें।

[हिन्दी]

अगर आपने योजना बनाकर मदद दी है, जो एनुअल रिपोर्ट है चाइल्ड लेबर की उस एनुअल रिपोर्ट में आपने वर्णन किया है और आज आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया है, तो वालेंट्री आर्गनाइजेशन कौन से हैं और क्या आपने मदद दी है और दी है, तो किस रूप में दी है, ये बताएं। क्या आप यह बताएंगे कि आज आपके जितने चाइल्ड लेबर के कानून हैं वे लागू नहीं होते हैं और शाप्स आदि में लड़के 12-13 घंटे काम करते हैं, जबकि कानून के मुताबिक 7 घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। उनको पूरी तन्ख्वाहें भी नहीं मिलती हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या कर रहे हैं, आई विल नाट अलाउ, आप सवाल कर रहे हैं या लैक्चर कर रहे हैं ?

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 110 मिलियन बच्चों का सवाल है।

श्री पी० ए० संगमा : जैसा कि मैंने कहा है, जनगणना विभाग तथा योजना आयोग द्वारा बाल श्रमिकों के संबंध में एक सर्वेक्षण किया गया है। इसलिए श्रम मंत्रालय द्वारा एक और सर्वेक्षण करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ ऐसे संगठन हैं जो स्वयं सर्वेक्षण करने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु हमने तीन परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया है। पहला, एक सर्वेक्षण ऑपरेशनल रिसर्च ग्रुप, बड़ोदा द्वारा किया गया था। अब यह सर्वेक्षण हमने नहीं कराया। यह सर्वेक्षण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा कराया गया था और इस रिसर्च ग्रुप ने मुख्य रूप से परिवार नियोजन के संबंध में अध्ययन किया था। उन्होंने जो 88 प्रश्न जनता के सामने रखे उनमें से 3 बाल श्रमिकों के बारे में थे। इसलिए वह हमसे वित्तीय सहायता चाहते थे। हमने उन्हें थोड़ी सी वित्तीय सहायता दी है। दो और भी परियोजनाएं हैं जो राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित की गई हैं। एक शिवकाशी में हैं जहां बाल-श्रमिक हैं। यह तमिलनाडु में है और हमने उन्हें कुछ सहायता दी है।

दूसरा सर्वेक्षण भदोही-मिर्जापुर में किया गया था जहां बाल श्रम की अधिकता है और वे कालीन उद्योग में लगे हुए हैं। इन दो विशेष मामलों में हमने वित्तीय सहायता दी है। अन्य मामलों में हमने कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

श्री बसुदेव आचार्य : सर्वेक्षण किया गया है या नहीं, सच तो यह है कि 18 वर्ष की आयु से कम बहुत बच्चे बाल श्रमिकों के रूप में काम कर रहे हैं। क्या सरकार का बाल-श्रम रोकने के लिए

सख्त कदम उठाने का और उनका उचित पुनर्वास करने का विचार है? क्या इसके लिए कोई ठोस प्रस्ताव है?

श्री पी० ए० संगमा : यहां 18 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसा श्री डागा ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 24 में चौदह वर्ष की आयु से कम के बाल श्रम पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। हमारा संबंध 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अति-रिक्त, और भी बहुत से अधिनियम हैं जिनका संबंध बाल श्रमिकों की नियुक्ति से है। यह बहुत ही कठिन प्रश्न है। एक तथ्य तो यह है कि संविधान के अन्तर्गत बाल श्रम पर प्रतिबन्ध है और दूसरा तथ्य यह है कि बाल श्रम अभी हमारे देश में विद्यमान है। यह हमारे लिए एक कठिन स्थिति है। सरकार द्वारा एक विशेष समिति गुरूपदस्वामी समिति इन विशेष पहलुओं की जांच करने के लिए नियुक्त की गई। सरकार ने प्रतिवेदन की जांच की है और हम उन सिफारिशों पर आधारित बाल श्रम से संबंधित एक व्यापक विधेयक बनाने की सोच रहे हैं। जब मैं संसद में इस विधेयक को लाऊंगा तब सदन के पास इस संबंध में विचार विमर्श करने के लिए पर्याप्त समय होगा। किन्तु जैसा कि मैंने कहा कि यह एक बहुत ही कठिन प्रश्न है।

आप कहते हैं कि सम्बद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कड़े उपाय किए जाएं। हां, वैसे यह ठीक लगता है, किन्तु तथ्य तो यह है कि वास्तविक रूप में यह बहुत कठिन है। मुझे यह स्वीकार करना चाहिए। अतः हम संविधान के उपबन्धों की और विभिन्न कानूनों के अन्तर्गत कुछ कल्याण योजनाएं आरम्भ करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा हमने शिवकाशी में किया है। 14 करोड़ की परियोजना आरम्भ की गई है। दूसरी परियोजना हम उत्तर प्रदेश में, भदोही-मिर्जापुर क्षेत्र में आरम्भ करने जा रहे हैं।

श्री दिनेश गोस्वामी : माननीय मंत्री द्वारा बताई जा रही कठिनाई मेरी समझ में नहीं आई है। कृषि क्षेत्र में कानून को लागू करने की कठिनाई कोई समझ सकता है, किन्तु औद्योगिक क्षेत्र में, जहां सुसंगठित उद्योग हैं, जहां बाल श्रम का प्रयोग किया जा रहा है और जो संविधान का उल्लंघन है, वहां कार्यवाही करना इतना कठिन नहीं है। आपको सुसंगठित उद्योगों में संविधान के उपबन्धों को लागू करने में कौन सी कठिनाइयां आ रही हैं? सुसंगठित क्षेत्र में सहज ही प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं।

श्री पी० ए० संगमा : हमने भी यही कहा है। हमने शिवकाशी में पहले ही एक परियोजना आरम्भ की है। ऐसे क्षेत्रों में बाल-श्रम को रोकना बहुत कठिन है जहां बाल-श्रम फैला हुआ है। ऐसे परिवार भी हैं जो बाल-श्रमिकों की नियुक्ति करते हैं; चाय की छोटी दुकानों तथा भोजनालयों में बाल-श्रमिक नियुक्त किए जाते हैं। अतः आरम्भ में हम कानून लागू करना चाहते हैं और ऐसे क्षेत्र में जहां बाल श्रमिकों की अधिकता है वहां कल्याण योजनाएं आरम्भ करेंगे। यह सरकार के लिए आसान है। इसीलिए हमने शिवकाशी में दियासलाई उद्योग, और उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर-भदोही में कालीन उद्योग का चयन किया है। शीशा उद्योग, जरी उद्योग जैसे अन्य क्षेत्र हैं वहां बाल श्रमिकों की संख्या अधिक है वहां सरकार के लिए कानून लागू करना तथा कुछ कल्याण योजनाएं आरम्भ करना आसान हो जाता है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में घाटा

*45. श्री राज कुमार राय : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को अपना घाटा पूरा करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है;

(ख) इस घाटे को किस प्रकार पूरा करने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में हुए घाटे के बारे में कोई अध्ययन करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अप्रैल, 1986 में लगाए गए अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष (1986-87) के दौरान 149.40 करोड़ रुपये के कुल संसाधन अन्तर की सम्भावना है।

(ख) से (घ) अपने स्वयं के संसाधनों के अन्तराल का अनुमान लगाने तथा उस अन्तराल को पूरा करने के लिए अपेक्षित प्रस्ताव बनाने हेतु सम्पूर्ण अध्ययन, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना है न कि सरकार द्वारा। तदनुसार, प्राधिकरण ने ऐसा अध्ययन किया है और जैसा कि ऊपर बताया गया है, उसने 149.40 करोड़ रुपये के कुल संसाधन अन्तराल का अनुमान लगाया है। 150 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी करके इस अन्तराल को पूरा करने का प्राधिकरण का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय: अध्यक्ष जी, डी०डी०ए० आटोनोमस बाडी है ऐसा न हो कि सरकार यह समझकर इससे अपनी जिम्मेदारी से हट जाये और यह जवाब दे कि हम यह करना चाहते हैं, वह करना चाहते हैं। मान्यवर, 150 करोड़ रुपये के ऋण-पत्र डी०डी०ए० ने जारी कर दिए, क्योंकि उसका नुकसान दो अरब रुपये का है। जबकि सरकार की स्वयं की जिम्मेदारी है वह डी०डी०ए० के लिए कानून बनाती है, डी०डी०ए० के लिए पैसा देती है और उसमें सुधार करती है जिससे लोग लाभान्वित हो, इसलिए सरकार ऐसे सुझाव दे जिससे जनता लाभान्वित हो और प्रभावित हो। लाखों लोग इसमें आये और करोड़ों रुपये खाकर चले गये, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, प्रोपर डिस्ट्रीब्यूशन आफ वर्क नहीं हुआ है। क्या सरकार हम जन-प्रतिनिधियों का सुझाव मान लेगी जिसमें दो-तीन अरब रुपया मेकअप हो सकता है। या 150 करोड़ रुपये के बांड इश्यू करेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि वह हमारी बातों को माने और डी०डी०ए० से मनवाये।

श्री दलबीर सिंह : माननीय सदस्य का कहना है कि 150 करोड़ रुपये के बांड जारी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, इसको मीट आउट करने के लिए हम जो एसियाड विलेज में 380 मकान थे,

वह भी सेल करेंगे और जो बांड्स हैं, वह बहुत कम हैं। इसके अतिरिक्त हम एल०आई०सी० और जी०आई०सी० से भी लोन लेंगे, रि-सेटलमेंट से भी लोन लेंगे। यह अहम् सवाल है कि ट्रांजिक्ट कैम्प में कितने लोग आते हैं, यह सरकार का काम है इसमें भी हमारा 20-22 करोड़ रुपया खर्च होता है। हमारे मंत्री जी की अध्यक्षता में दिसम्बर में इस बारे में मीटिंग हुई है और एम०सी०डी० इस काम को देखेगी। 149.40 करोड़ रुपये जो हैं इसको भी हम मीट आउट कर लेंगे। ऐसा नहीं है यह डी०डी०ए० की सेल्फ स्कीम है, सरकार इसको देखती है और घाटे को पूरा करती है।

श्री राजकुमार राय : जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि हम इसको देख रहे हैं, लेकिन हमारे जो सुझाव हैं जिसमें खर्चा कम हो सकता है और लोगों को ज्यादा फायदा हो सकता है क्या उसको आप मान लेंगे।

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : आपका सुझाव अगर इस किस्म का होगा मानेंगे ही नहीं, बल्कि बड़ी खुशी के साथ मानेंगे।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : समाचार-पत्रों से पता चलता है कि एशियाड के लिए लगभग 850 मकान बनाए गये और इन्हें बेचा जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो० मधु दण्डवते : मिनिस्टर साहब ने कहा कि मानेंगे, लेकिन माना है या नहीं इसका जवाब नहीं दिया है।

श्री राजकुमार राय : सुझाव भेज चुके हैं लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

[अनुवाद]

श्री के० एस० राव : क्या मंत्री इन मकानों को बेचने के संबंध में शीघ्र निर्णय लेंगे, जिस से ऋण लेने की बजाय स्वतः ही कमी की समस्या सुलझ जाएगी ?

[हिन्दी]

श्री दलबीर सिंह : आलरेडी निर्णय हो चुका है। जल्दी ही ऑक्शन के लिए निर्णय लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री जयप्रकाश जी बोलेंगे। बोलिये, आप क्या कहते हैं।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विकास प्राधिकरण के क्रिया-कलापों का सबको मालूम है। 50 पैसे गज के हिसाब से किसानों से जमीन अधिग्रहण की जाती है और 50 रुपये

प्रति गज के हिसाब से बेची जाती है, इसके बावजूद भी घाटा है। जो भी इसने नीतियां बनाई हैं वह कभी सफल नहीं हुई। एक साल में एक लाख मकान बनाने का फैसला हुआ, कई बार घोषणा हुई, लेकिन कभी भी 10 हजार से ज्यादा मकान नहीं बनाये एक साल में। जो लोग स्लम कस्बों में रहते हैं उनको जो सहूलियतें पहुंचानी चाहिए, वह भी नहीं पहुंचाते हैं, जो ट्रांजिक्ट कैम्प बनाये हैं, वहां जो अफसर चाहते हैं, जिनसे पैसे लेते हैं उन्हीं को ठहराते हैं। जो जैनुइन लोग हैं उनको नहीं ठहराते। जमीन की जो इतनी कीमत बढ़ गई है उसके बावजूद भी डी० डी०ए० घाटे में क्यों जा रही है, आपको आश्चर्य होगा कि 90 लाख खर्च किए हैं डी० सी० डी०डी०ए० के आफिस को रिनूएट करने के लिए, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। फिर यह कहते हैं कि डी०डी०ए० घाटे में जा रही है। आप कौन से ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं जिससे जनता का जो पैसा लिया है उसको जेनरेट किया जा सके।

श्री दलबीर सिंह : जहां तक माननीय सदस्य का कहना है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप दरख्वास्त तो दो न··· (व्यवधान) ···आप काम करने दीजिए।

श्री दलबीर सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मैंने पहले कहा, मंत्री जी की अध्यक्षता में दिसम्बर माह में हमारे यहां एक मीटिंग हुई थी और डी०डी०ए० के बारे में माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा, वह एक अहम सवाल है, हम उसे नहीं रोक सकते हैं कि आगे आने वाले कितने लोग हैं और कितने कालोनाइजर्स हैं। उसमें हमारे ऊपर बहुत बड़ा बर्डन होता है। उसी कार्यक्रम को देखते हुए आगे से रीसैटलमैंट कालोनियों का कार्य हम एम०सी०डी० को देंगे लेकिन बाकी कार्य डी०डी०ए० से करवाये जाएंगे। हमने कई मुद्दों पर विचार किया है ताकि आगे आने वाले समय में किसी तरह की कठिनाई न रहे। जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि रीसैटलमैंट कालोनियों में पैसा लेकर लोगों को बसाया जा रहा है, शैल्टर दिया जाता है, तो वे मुझे किसी अधिकारी का नाम बतायें, मैं उसकी जांच करूंगा और कार्यवाही करूंगा।

श्री भरत सिंह : अध्यक्ष जी, डी०डी०ए० ने गांव के किसानों की जमीनें सस्ते दामों पर लेकर कई कालोनियां बनाई हैं। आज उन गांवों की हालत बहुत खराब है। उन कालोनियों में सीवर, पानी आदि की व्यवस्था करने और हालत सुधारने के लिए सरकार क्या विचार रखती है। उन कालोनियों में डी०डी०ए० कोई पैसा नहीं लगाती जबकि उसके बराबर वाली कालोनियों में सब इंतजाम करती है। साथ ही उन गांव के लोगों की जमीनों से डी०डी०ए० काफी मुनाफा कमा रही है, 4 या 6 रु० गज जमीनें लेकर दो हजार या तीन हजार रुपये गज के हिसाब से बेचती है। हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, आप वह नीति कब अपनायेंगे। कई पुनर्वास कालोनियों में काम बंद पड़े हैं, उनको कब तक पैसा मंजूर करवा कर पूरा करवायेंगे। कई शहरीकृत कालोनियों में कार्य रुके पड़े हैं।

श्री दलबीर सिंह : सारे आंकड़े तो मैं माननीय सदस्य को अभी नहीं बता पाऊंगा यदि आप मुझे लिखकर देंगे तो मैं सारी जानकारी आपको दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : शायद आपने यह कानून 1984 के आखिर में पास किया था, उसका कार्यान्वयन करने में जरा ध्यान करवाइये क्योंकि जिन लोगों की जमीनें एक्वायर की गई हैं, उनको उचित भाव नहीं मिल रहे हैं।

[अनुवाद]

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को श्रम विवादों के कारण हानि

*46. श्री ए० चार्ल्स : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में वर्ष 1985-86 के दौरान और जून, 1986 तक हड़तालों और श्रम विवादों के परिणामस्वरूप कितने श्रम दिनों की हानि हुई;

(ख) श्रमिक अशांति के कारण किस उद्योग पर सबसे अधिक कुप्रभाव पड़ा;

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को अनुमानतः कितनी हानि हुई; और

(घ) औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर श्रम सम्बन्ध और शांति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

हड़तालों, तालाबंदियों और नष्ट हुए श्रमदिवसों की संख्या से संबंधित सूचना कैलेण्डर वर्ष के अनुसार रखी जाती है, वित्तीय वर्ष के अनुसार नहीं। नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र में नष्ट हुए श्रम दिवसों की संख्या 1985 के दौरान 30.9 लाख और जनवरी से अप्रैल, 1986 तक 3 लाख थी। 1985 के दौरान औद्योगिक विवादों से और उनके कारण नष्ट हुए श्रम दिवसों से अत्याधिक प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कोयला खनन, सूती वस्त्र और इंजीनियरिंग उद्योग थे। हड़तालों और तालाबंदियों के कारण सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन की कुल अनुमानित हानि 1985 के दौरान 27.28 करोड़ रु० थी।

केन्द्र में और राज्यों में भी औद्योगिक संबंध तंत्र निवारक मध्यस्थता, संराधन, माध्यस्थ्य और न्याय निर्णयन के जरिये विवादों को शीघ्रता से तय करने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हुए हैं।

श्री ए० चार्ल्स : माननीय मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि 1985 में 3090 लाख श्रम दिवसों की हानि हुई और देश के उत्पादन में जो कुल हानि हुई वह 27.28 करोड़ रु० के बराबर

है। श्रम क्षेत्र में अशांति का एक मुख्य कारण एक ही काम के लिए मजदूरी में विषमता है। उदाहरणतः एक उद्योग में सफाई कर्मचारी को प्रति मास 200 रुपये मिलते हैं वहीं दूसरे उद्योग में सफाई कर्मचारी को 1000 रुपये प्रति मास मिलते हैं। अतः क्या मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार एक राष्ट्रीय मजदूरी नीति सामने ला रही है जिससे यह विषमता कम से कम हो और सभी उद्योगों के लिए यह नीति लागू करना अनिवार्य हो जाए ?

श्री पी० ए० संगमा : इस समय नहीं।

श्री ए० चार्ल्स : यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है। उत्तर के दूसरे भाग में यह कहा गया है कि विवादों को तय करने के लिए तंत्र निवारक मध्यस्थता, संराधन माध्यास्थम और न्याय निर्णयन को अपनाया जा रहा है। परहेज इलाज से बेहतर है। अतः मैं मन्त्री से निवेदन करता हूं कि स्थिति एक निर्धारित सीमा से आगे बढ़ने न देने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जाए। अतः क्या मैं माननीय मन्त्री से पूछ सकता हूं कि क्या वह कम से कम इस मामले में एक ऐसा कानून सामने लाएंगे जिससे सभी उद्योगों के लिए यह अनिवार्य हो कि वे तीन वर्ष अथवा पांच वर्ष का एक लम्बी अवधि का समझौता करें और सभी उद्योगों के लिए ऐसे समझौते सख्ती से लागू करना अनिवार्य हो जिससे श्रम क्षेत्र में शांति सुनिश्चित की जा सके।

श्री पी० ए० संगमा : वह तो पहले ही है। यहां सभी समझौते तीन वर्ष के लिए होते हैं। यह लागू हैं और चल रहा है।

श्री ए० चार्ल्स : क्या आप इसे अनिवार्य बनाएंगे ?

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सांविधिक उपबन्धों का उल्लंघन

***47. श्री राम धन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर मकान का कब्जा लेने के लिए "सी" तथा "डी" फार्म और "अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी करने सम्बन्धी सांविधिक उपबन्धों का दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कानूनी उपबन्धों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

[अनुवाद]

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसा कोई उल्लंघन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री रामधन : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में आवास की समस्या बहुत जटिल है, चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो। मन्त्री महोदय ने बताया है कि डी०डी०ए० ने सूचित किया है कि इस प्रकार की कोई शिकायतें नहीं है।

महोदय, डी०डी०ए० के बारे में समाचारपत्रों में प्रात:काल ही पढ़ने को मिलता है, हमारे दिल्ली के सांसद श्री अग्रवाल साहब ने बताया कि वहां पोस्टिंग बिकती है। जैसे देहातों में थाने बिकते हैं, वैसे ही दिल्ली मे डी०डी०ए० में नियुक्तियां हजारों और लाखों में बिकती हैं। अगर डी०डी०ए० के खिलाफ कुछ नहीं होता, तो उनके अफसरों की अभी-अभी सी०बी०आई० की जांच हुई और जो मुकदमे चलाए गए, वे नहीं चलाये जाते ?

अध्यक्ष महोदय : रामधन जी, प्रश्न कीजिए। वक्त निकल रहा है।

श्री रामधन : अध्यक्ष महोदय, डी० डी० ए० द्वारा नागरिकों को सी और डी फार्म दिया जाता है जो मकान बनाते हैं। उसके अन्तर्गत जो प्लम्बर डी०डी०ए० से मान्यता प्राप्त होते हैं, वे लाइन बिछाते हैं और यदि कोई मकान मालिक उससे पहले ही मिट्टी डाल देता है तो उस पर दो सौ रुपए जुर्माना होता है और अगर उसकी जांच करानी हो, तो जब तक इंजीनियर को पैसा नहीं दिया जाता है तब तक उसकी जांच नहीं करते हैं तथा बगैर जूनियर इंजीनियर की जांच के नाली नहीं बिछाई जा सकती है। इसी प्रकार से डी फार्म भी हर मकान मालिक को लेने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। यह काम वहां होता है, इस बारे में हमारे दिल्ली के प्रतिनिधि ने अभी साफ तौर से बताया है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए राम धन जी, वक्त सारा का सारा निकल जाएगा। आप यह सब प्रश्न के रूप में पूछिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : नहीं तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो डी०डी०ए० में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उसके लिए सरकार क्या कोई संसदीय समिति बनाने के लिए तैयार है, जो इसकी जांच कर सके ताकि परिणाम सामने आएं ?

श्री दलबीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है इसका मूल प्रश्न से कोई मतलब नहीं है।

श्री राम धन : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से कम्पलीशन रिपोर्ट के लिए मकान मालिकों को तरह-तरह की परेशानी उठानी पड़ती है और कितने ही सरकारी विभागों में ऐसा देखा गया है कि बगैर कम्पलीशन रिपोर्ट के ही आकुपेशन कर लिया, तो जिस तरह से कानून का उल्लंघन डी०डी०ए० कर रही है, उसके बारे में सरकार क्या कोई जांच करने के लिए तैयार है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

अकाल पीड़ित आदिवासी किसानों को सहायता

*48. श्री अमर राय प्रधान : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के आदिवासी किसानों ने वर्तमान भीषण अकाल का सामना करने के लिए न्यूनतम मजदूरी, बीजों और पशुओं के लिए चारे की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख) जनजातीय किसानों से, सूखे से प्रभावित इलाकों में न्यूनतम मजदूरी/बीज तथा पशुओं के लिए चारे की मांग के लिए अभी तक ऐसा कोई अनुरोध नहीं मिला है। राहत पहुंचाने के काम की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है और इसलिए केन्द्रीय सरकार किसानों से सीधा संबंध नहीं बनाती। भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों को केन्द्रीय सहायता देती है। प्राकृतिक आपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के मानदण्डों को संशोधित किया गया है तथा यह पहली जुलाई, 1986 से प्रभावी हैं। ये छोटे और सीमांत किसानों, जिनमें इस वर्ग के जनजातीय किसान भी शामिल हैं, और कृषि मजदूरी पर लागू हैं। इन मानदण्डों में, रोजगार सृजन कार्यक्रम, कृषि आदान, राज-सहायता और पशु संरक्षण के लिए सहायता के अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी के भुगतान की सहायता शामिल है।

केसरी दाल की खेती

*49. श्री मानिक रेड्डी
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केसरी दाल की, जिसके कारण हाथ-पांव में असाध्य पक्षाघात रोग हो जाता है, देश के विभिन्न भागों में अब भी खेती की जा रही है और उसका वितरण देश के अनेक दक्षिणी राज्यों में हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश भर में केसरी दाल की खेती और वितरण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों): (क) और (ख) जी हां। असम, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के राज्यों में केसरी दाल की खेती की जा रही है। खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1955 के अन्तर्गत केसरी दाल की किसी भी रूप में बिक्री करने पर रोक लगाई गई है। 1984-85 के लिए राज्यवार क्षेत्र और उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	राज्य	क्षेत्र (हजार हैक्टेयर में)	उत्पादन (हजार मीटरी टन में)
1.	बिहार	335.3	249.4
2.	मध्य प्रदेश	644.0	171.9
3.	महाराष्ट्र	75.3	20.7
4.	पश्चिम बंगाल	89.3	52.2
	कुल	1143.9	494.2

(ग) केसरी दाल की किसी भी रूप में बिक्री और खेती करने से रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. खाद्य मिलावट निवारण नियम, 1955 (नियम 44ए) के तहत केसरी दाल और अन्य दालों के साथ केसरी दाल से मिश्रित इसके उत्पादों की बिक्री अथवा खाद्य के किसी पदार्थ को तैयार करने में लिए अवयव के रूप के इसका उपयोग करने पर रोक लगाई गई है।

2. राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे केसरी दाल की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाएं। मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को छोड़कर शेष सभी राज्यों के इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है।

3. राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि वे केसरी दाल का उपयोग करने से पूर्व उपलब्ध पद्धतियों द्वारा उसमें से न्यूरोटोक्सिन तत्वों को दूर करने के लिए केसरी दाल के नुक्सानदायक प्रभावों के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को शिक्षित करें।

4. राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे केसरी दाल उगाने वाले इलाकों में केसरी दाल की न्यूरोटोक्सिन की कम मात्रा वाली किस्मों की खेती करें।

5. उत्तर प्रदेश में केसरी दाल की खेती करने पर रोक लगाई गई है। बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राज्यों ने केसरी दाल के स्थान पर अन्य उपयुक्त दलहनों अथवा तिलहनी फसलों की खेती करने के बारे में कदम उठाये हैं।

इन उपायों के परिणामस्वरूप 1975-76 और 1984-85 के दौरान क्षेत्र में 5.76 लाख हैक्टेयर तक और उत्पादन में 3.76 लाख मीटरी टन तक कमी आई है।

केरल में नीलाम्बूर में सोने की विद्यमानता का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण

*50. **श्री टी० बशीर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में नीलाम्बूर में सोने की विद्यमानता का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या नीलाम्बूर में सोने का पता लगाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा केरल खनिज गवेषण विकास प्रोजेक्ट ने केरल के नीलाम्बूर क्षेत्र में प्राथमिक तथा बजरी स्वर्ण निक्षेपों के लिए गवेषण किया है। इन खोजों/सर्वेक्षणों के फलस्वरूप भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 8.5 मि० घन मीटर स्वर्णधारी कंकड़ों के संभावित भण्डारों का अनुमान लगाया है। केरल खनिज गवेषण तथा विकास प्रोजेक्ट ने मारूडा में औसतन 4 ग्राम/टन ग्रेड के 0.5 मि०टन प्राथमिक स्वर्ण भंडारों तथा नीलाम्बूर घाटी के पुनपुझा नदी तल में 1.5 मि० घन मीटर स्वर्णधारी कंकड भंडारों का अनुमान लगाया है, जिनका ग्रेड 0.1 ग्राम/घन मीटर है।

(ग) और (घ) केरल सरकार (के०एम०ई०डी०पी०) ने सातवीं योजना अवधि में खनिज गवेषण निगम लि० के सहयोग से मारूडा में प्राथमिक स्वर्ण निक्षेपों के गवेषणी खनन का प्रस्ताव किया है। इस क्षेत्र से स्वर्ण का विदोहन विस्तृत गवेषणी-खनन कार्य पूरा होने पर निर्भर करेगा।

प्राकृतिक आपदा राहत के लिए सहायता सम्बन्धी मानदंड

*50. श्री ए० जी० घोलप }
श्री गुरुदास कामत } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राहत देने के लिए सहायता देने के मानदंडों में परिवर्तन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन मानदंडों में परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हां, तो पुराने मानदंड क्या थे और उनमें क्या संशोधन किए गए हैं/करने का विचार है?

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) से (ग) विभिन्न पक्षों से अनुरोध/सुझाव मिलने पर भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के मानदंड संशोधित कर दिए हैं। संशोधित मानदंड पहली जुलाई, 1986 से प्रभावी हो गए हैं तथा ये उस तारीख को या उसके बाद आने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर लागू होंगे। पुराने और नये मानदण्डों के मदवार ब्यौरों का एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

प्राकृतिक आपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के पुराने मानदण्डों और नये मानदण्डों को दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	मद	एकक	पुराने मानदण्ड (रुपए)	नये मानदण्ड (रुपए)
1	2	3	4	5
1.	निशुल्क राहत			
	(क) मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रह अदायगी	प्रति मृत व्यक्ति	2000	5000
	(ख) किसी अंग अथवा दोनों आंखों की क्षति के लिए अनुग्रह अदायगी	प्रति व्यक्ति	—	2500
	(ग) घायल व्यक्तियों को अनुग्रह अदायगी	प्रति व्यक्ति	—	—

1	2	3	4	5
	(घ) बूढ़े और दुर्बल और निस्सहाय बच्चे	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	1.5	2.00 प्रति व्यस्क व्यक्ति 1.00 प्रति बच्चा (यह दर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई अधिकतम सीमा के अनुसार होनी चाहिए)
	(ङ) राहत शिविर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	2.00	4.00 जमा अस्थायी आश्रयस्थल की लागत
	(च) उन परिवारों के लिए जिनके घर बह गये हैं, कपड़े और बर्तन	प्रति परिवार	65 जमा 65	100 जमा 100
2.	अनुपूरक पोषाहार			
		प्रति व्यक्ति प्रतिदिन	0.65	आई०सी०डी०एस० के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही प्रति व्यक्ति वास्तविक औसत व्यय की अधिकतम सीमा के अनुसार प्रति व्यक्ति 0.80 रुपये।

1	2	3	4	5
3.	क्षतिग्रस्त उपस्करों की मरम्मत/बदलने के लिए राज सहायता के रूप में दस्तकारी क्षेत्र में कारीगरों को सहायता			
	(1) क्षतिग्रस्त उपकरणों के लिये	प्रति इकाई	100/-	200/-
	(2) कच्ची सामग्री के लिये	प्रति इकाई	150/-	250/-
	हथकरघा बुनकरों के लिए			
	(1) करघा, उपकरणों और सहायक पुर्जों की मरम्मत/बदलना	प्रति करघा	150/-	200/-
	(2) सूत और अन्य सामग्री की खरीद	प्रति करघा	100/-	200/-
4.	लघु किसानों/सीमांत किसानों को निम्न के लिए सहायता : (क) गाद निकालने आदि के लिये	प्रति हैक्टेयर	500/-	स्थानीय एल०डी०बी०/नेबार्ड/किसी सम्बद्ध/राज्य की एजेंसी के मानदंड/पद्धति के आधार पर लघु किसानों और
	(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में मलबे को हटाने के लिये और			सीमान्त किसानों को क्रमश: 25 प्रतिशत और 33$\frac{1}{3}$ प्रतिशत, जो कि अधिकतम

1	2	3	4	5
	(ग) मत्स्य फार्मों की गाद निकालने/बहाली/मरम्मत			1000 प्रति हैक्टेयर होगा।
5.	पशु पालन			
	चारे और पशु चिकित्सा सम्बन्धी देखभाल और सकेंद्रित चारे की व्यवस्था के लिए लघु किसानों/सीमांत किसानों/कृषि श्रमिकों को सहायता	प्रति पशु प्रति दिवस		
		बड़े पशु	2.00	3.00
		छोटे पशु	1.00	1.50
6.	रोजगार सृजन			
		प्रति श्रम दिवस मजदूरी और सामग्री घटक	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी के बराबर धनराशि मजदूरी घटक के रूप में 75 प्रतिशत और सामग्री घटक के रूप में 25 प्रतिशत। राज्य सरकार को मजदूरी घटक का शेष 25 प्रतिशत का योगदान देना होगा।	अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के 100 प्रतिशत पर सहायता प्रति माह 25 दिनों के लिए उपलब्ध कराई जायेगी। राज्य सरकार को अपनी चालू योजना और गैर-योजना स्कीमों से सामग्री घटक उपलब्ध कराना चाहिए।

1	2	3	4	5
7.	कृषकों को सहायता			
	कृषि आदान राजसहायता (कृषि फसलों, बागवानी फसलों और रोपण फसलों के लिए)	प्रति हैक्टेयर	165/-	लघु और सीमान्त किसानों को ही 200 प्रतिशत प्रति हैक्टेयर।
8.	पशु पालन			
	बैल, दुधारू पशुओं और अन्य भारवाही पशुओं को बदलने के लिए राज सहायता (लघु और सीमान्त किसानों/कृषि श्रमिकों के लिए)	बैल अथवा दुधारू पशुओं का जोड़ा	लघु और सीमान्त किसानों/कृषि श्रमिक को राज-सहायता के रूप में 2000 रुपये का क्रमशः 1/4 और 1/3 भाग	आई०आर० डी० पद्धति के अनुसार पूर्णतः सांस्थानिक प्रतिबन्ध और प्रति परिवार राजसहायता पर अधिकतम सीमा के मुताबिक नाबार्ड द्वारा अपनाई गई लागत पर राजसहायता के रूप में 1/4 और 1/3 भाग
9.	भेड़/बकरी/सुअर आदि	प्रति इकाई		

1	2		3	4	5
10.	नावों, जालों और क्षतिग्रस्त हुए अथवा गुम हुए अन्य उपकरणों की मरम्मत/बदलने के लिए मछुओं को सहायता				
	यंत्रीकृत मत्स्यन नौका				
	(1) 14एम लागत	4,00,000 रुपये (5,00,000)	प्रति इकाई	कुल लागत के 25 प्रतिशत तक राज-सहायता	उन यन्त्रीकृत नौकाओं के मामले में कोई सहायता नहीं दी जाएगी जिन्हें प्राकृतिक आपदाअ के लिए बीमाकृत किया जाना चाहिए।
	12एम लागत	2,00,000 रुपये (3,00,000)			
	10एम लागत	1,25,000 रुपये (2,00,000)			
	(2) प्लेंक से बनी अयंत्रीकृत नौका				
	(क) नौका	10,000/- (30,000)	प्रति इकाई	कालम 1 में बताई गई पुरानी दरों का 25 प्रतिशत राजसहायता	(क) 25 प्रतिशत राजसहायता आई०आर०डी०पी० पद्धति के अनुसार प्रति परिवार राजसहायता पर अधिकतम सीमा के अनुसार उपलब्ध कराई जायेगी। नौकाओं की लागत आई०आर०डी० कार्य-क्रम के अन्तर्गत स्वीकृत लागत के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।
	डगआउट-कैनोए (डोंगी)	2,000/- (20,000)			
	कैटामारैन	2,000/- (8,000)			

1	2		3	4	5
	(ख) 14एम नौका के लिए जाल	8,000/- (12,000)			(ख) बोर्ड सहायता सुझाई नहीं गई है, क्योंकि इन मदों का बीमा किया जाना है।
	12-10एम नौकाओं के लिए ट्रालर जालें	5,000/- (,000)			
	गिलनेट (प्रत्येक नग)	500/- (1,200)			
11.	डिम्पोना फार्मों के लिए आदान सम्बन्धी राजसहायता		प्रति हैक्टेयर	...	200 प्रति हैक्टेयर
12	क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत/ पुनरस्थापना के लिए सहायता				
	(क) पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान		प्रति यूनिट	300/-रु०	(क) 1. पुनरस्थापना और निर्माण 1000/- रुपये 2. निर्माण 500/- रुपये
	(ख) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान		प्रति यूनिट	150/-रु०	(ख) मरम्मत 200/- रुपये

प्याज का निर्यात

*53. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ने प्याज के निर्यात के लिए सोवियत संघ के साथ कोई अनुबंध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप देश में प्याज के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) और इसके सह-पोतवणिकों ने रूस को 25,000 मीटरी टन प्याज निर्यात करने के एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जो अप्रैल-मई, 1986 के दौरान जहाज द्वारा भेजे जाने थे।

(ख) प्याज के निर्यात से मुख्य प्याज उत्पादक राज्यों में इसकी भरमार से पैदा हुई स्थिति में सुधार लाने में मदद मिली है। इससे उत्पादकों के लाभ के लिए मूल्य स्थिर करने में सहायता मिली है और आंतरिक उपलब्धता एवं उपभोक्ता मूल्यों पर इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

[हिन्दी]

दूसरे प्रेस आयोग की रिपोर्ट

*54. श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे प्रेस आयोग के प्रतिवेदन में की गई वे कौन-कौन सी सिफारिशें हैं, जिन्हें स्वीकार करने में सरकार को कठिनाइयां अनुभव हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने उन कठिनाइयों को दूर करने हेतु संबंधित लोगों से परामर्श किया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए उपाय किए गए हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) सरकार ने जहां भी आवश्यक हुआ, विस्तार से विचार-विमर्श करने के बाद, आयोग द्वारा की गई 48 सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि या तो मौजूदा कानून पर्याप्त पाए गए थे या सिफारिशों को कार्यान्वित करना व्यावहारिक नहीं होगा।

(ग) आयोग की सिफारिशों पर "की गई कारंवाई की रिपोर्ट" की प्रति 18 जुलाई, 1986 को सभा की मेज पर रख दी गई थी।

[अनुवाद]

अमृता शेर गिल मार्ग (नई दिल्ली) पर अनधिकृत निर्माण

*55. श्री राम भगत पासवान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लोधी गार्डन (नई दिल्ली) के समीप अमृता शेर गिल मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में अनधिकृत निर्माण हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) 32, अमृता शेर गिल मार्ग पर कुछ अनधिकृत निर्माण ध्यान में आए हैं।

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा किए गए निरीक्षण के अनुसार, स्वीकृत नक्शों से निम्नलिखित उल्लंघन ध्यान में आये हैं :—

(i) एक आर० सी० सी० बालकनी का अनधिकृत निर्माण।

(ii) भू-तल पर आगे की ओर ईंट की दीवार का अनधिकृत निर्माण।

(ग) निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) पार्टी को अनधिकृत निर्माण रोकने के लिए नोटिस भेजा गया है।

(ii) भूमि तथा विकास अधिकारी की अनुमति लिए बिना।

(ग) ग्रुप आवास भवन का निर्माण आरम्भ करने के लिए यह सम्पत्ति पुन: प्रविष्ट है। तथापि, पट्टाधारी ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है और यह मामला निर्णयाधीन है।

आस्ट्रेलियाई अनुसंधानकर्ताओं द्वारा नारियल की पौध का अनुसंधान

*56. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आस्ट्रेलियाई अनुसंधानकर्ताओं द्वारा नारियल की पौध के संबंध में किये गये अनुसंधान की जानकारी है;

(ख) क्या उन्होंने रोग का मुकाबला कर सकने योग्य परखनली नारियल पौध तैयार किए हैं;

(ग) क्या उपर्युक्त तरीके के अध्ययन के लिए हमारे अनुसंधानकर्ताओं को नियुक्त करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। आस्ट्रेलियन अनुसंधानकर्ता अभी तक भ्रूण कल्चर के आधार पर प्रौद्योगिकी विकसित करने में लगे हुए हैं।

(ग) तथा (घ) जी नहीं, श्रीमान। कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

समुद्री संसाधनों का दोहन

*57. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गहरे समुद्र से मछलियां पकड़ने वाले यंत्रीकृत पोतों तथा समुद्र से मछली पकड़ने के काम में लगे पारम्परिक पोतों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या अभी तक तट दूर और गहरे समुद्र से क्षमता की केवल 25 प्रतिशत मछली ही पकड़ी जाती हैं;

(ग) क्या यूरोप, अमरीका और कुछ अन्य देशों में हमारी समुद्री मछली की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए इसका उत्पादन बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) अनुमान है कि इस समय लगभग 1,53,500 परम्परागत, 20,050 यंत्रीकृत और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले 87 जलयान देश में समुद्री मात्स्यकी संसाधनों के उपयोग के कार्यों में लगे हुए हैं। इसके अलावा, इस समय किराये पर लिए गए 42 विदेशी मत्स्यन जलयान काम में लगे हुए हैं।

(ख) इस समय तट से दूर और गहरे समुद्र क्षमता का लगभग 30 प्रतिशत उपयोग किया जाता है।

(ग) न केवल निर्यात के लिए, बल्कि घरेलू खपत के लिए भी मछली के उत्पादन में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

(घ) सातवीं योजना के अन्त तक वार्षिक समुद्री मत्स्य उत्पादन को 17.77 लाख टन से बढ़कर 20 लाख टन करने की योजना है। बड़ी और अधिक सक्षम नौकाओं से यंत्रीकृत क्षेत्र का सुधार करने के अलावा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले लगभग 350 जलयानों, तट पर ठहरने वाले 200 जलयानों का उपयोग करके 8000 परम्परागत जलयानों में मोटर लगाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए धारावाहिक कार्यक्रमों के आलेखों का चयन

*58. **श्री मुरलीधर माने** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए धारावाहिक कार्यक्रमों के आलेख के चयन में कदाचार के आरोपों की सरकार को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) ये शिकायतें मुख्य रूप से किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या इन शिकायतों की जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (घ) अब तक ऐसा केवल एक ही पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कदाचार का आरोप लगाया गया था। आरोप यह लगाया गया था कि धन मांगा गया था। जब मामले को शिकायतकर्ता के साथ उठाया गया तो उसने स्टाफ के किसी भी सदस्य का नाम नहीं बताया, किन्तु यह कहा कि एक बाहरी व्यक्ति ने धन मांगा था और उसके पास उस व्यक्ति का पता नहीं है।

अखबारी कागज नियतन सम्बन्धी नीति

*59. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखबारी कागज नियतन संबंधी नीति को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) क्या यह नीति 5 वर्षों के लिए वैध होगी;

(ग) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य बातें क्या हैं और यह अखबारी कागज उद्योग के लिये किस सीमा तक लाभप्रद होगी;

(घ) क्या इसे अखबारी कागज उद्योग के लिये और अधिक स्वीकार्य बनाने हेतु इसमें कुछ और परिवर्तन करने का विचार किया जा रहा है; और

(ङ) यह नीति तैयार करने से पूर्व अखबारी कागज उद्योग से परामर्श न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) क्योंकि नीति को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए इस समय कोई ब्यौरा सम्भव नहीं है।

(ङ) समाचारपत्र उद्योग के प्रतिनिधियों से समय-समय पर परामर्श किया गया है। इस मामले पर अखबारी कागज सलाहकार समिति की 6-3-86 को हुई बैठक में भी मोटे तौर पर विचार-विमर्श किया गया था।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के लिए टेलि-फिल्में बनाने के लिए आलेख

*60. श्री निर्मल खत्री : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के लिए सह-निर्माण के आधार पर बनाई जाने वाली टेलि-फिल्मों सम्बन्धी कितने आवेदन इस समय लम्बित पड़े हैं;

(ख) अब तक कितने आलेखों को औपचारिक स्वीकृति दी गई है और कितने मामले अभी कास्टिंग कमेटी के पास लम्बित पड़े हैं और वे कितने समय से लम्बित पड़े हैं; और

(ग) इन्हें शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) इस समय टेलि-फिल्मों के लिए 17 आवेदन पत्र लम्बित हैं।

(ख) और (ग) अब तक टेलि-फिल्मों के लिए 9 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है तथा उनको धन की मंजूरी के लिए कास्टिंग कमेटी ने पास कर दिया है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संस्थाओं को सरकारी आवासों का आवंटन

339. डा० ए० के० पटेल
श्री सी० जंगा रेड्डी
: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन पंजीकृत समितियों, स्वायत्त संगठनों, गैर-सरकारी संस्थाओं तथा धार्मिक संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में सरकारी आवास/भूमि आवंटित की गई है;

(ख) ये आवंटन किन शर्तों पर किए गए हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में आवंटन की तारीख और अवधि क्या है;

(घ) उन अन्य संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके आवेदन पत्र विचाराधीन हैं अथवा अस्वीकार कर दिए गए हैं;

(ङ) इनमें से कितनों को ऐसी भूमि आवंटित की गई है जो पहले उद्यानों अथवा जन सुविधाओं के लिए निर्धारित थी; और

(च) इन आवंटितियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कलकत्ता में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों द्वारा देय राशियां

340. श्री अमल दत्त
श्री रेणु पद दास
: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता निगम को भुगतान करने हेतु केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों पर किराया और सेवा प्रभार की 1.5 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि देय है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, कार्यालयवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) यद्यपि कलकत्ता स्थित केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों द्वारा देय बकायों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, हमें विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों द्वारा कलकत्ता नगर निगम को बकायों के भुगतान की कतिपय समस्याओं की जानकारी है। सरकार यथाशीघ्र मामले को तय करने की इच्छुक है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम शक्ति के ट्रांसमीटर लगाना

341. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम शक्ति के ट्रांसमीटर लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के राज्यवार नाम क्या हैं जहां योजना के पहले और दूसरे वर्ष में शक्ति के ट्रांसमीटर स्वीकृत किये गये हैं और अधिष्ठापित किये गये हैं;

(ग) क्या इस संबंध में पर्वतीय क्षेत्रों/इलाकों को कोई प्राथमिकता दी जायेगी क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में संचार की स्थायी रूप से आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो उन जिलों, स्थानों अथवा अन्य चुने गये स्थानों के नाम क्या हैं जहां चालू वर्ष में कम शक्ति के ट्रांसमीटर उपलब्ध कराये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) उपयुक्त स्थलों के चयन करने के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। 30 अल्प शक्ति (100 वाट) वाले तथा 17 अति अल्प शक्ति (?×10 वाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों तथा सहायक उपकरणों के लिए पक्के आर्डर दे दिये गये हैं।

(ख) जिन स्थानों पर अल्प शक्ति (100 वाट) वाले या अति अल्प शक्ति (2×10 वाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीमें सातवीं योजना में शामिल हैं, उनके राज्य वार नाम संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं। 1985 86 तथा 1986-87 के दौरान अब तक स्थापित किए अल्प शक्ति (100 वाट) वाले ट्रांसमीटरों से संबंधित राज्य वार सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन ट्रांसमीटरों तथा सहायक उपकरणों के निर्माण में लगभग 18-24 महीने लग जाते हैं। उनकी चरणों में सप्लाई की 1986-87 के अन्त तक शुरू हो जाने की उम्मीद है। इस प्रकार, ट्रांसमीटरों की स्थापना करना सातवीं योजना के दौरान संसाधनों के वर्ष-वार आवंटन, उपकरणों की उपलब्धता तथा समग्र प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा। तथापि, उपलब्ध संसाधनों के

अन्दर पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसमीटर स्थापित करने को समुचित प्राथमिकता दी जायेगी।

विवरण-1

सातवीं योजना में शामिल किये गये अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के राज्य वार स्थान

राज्य	अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर (100 वाट)	अति अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर (2×10 वाट)
1	2	3
असम	कोकराझाड़ जोरहाट दीफू } सातवीं योजना के अन्तर्गत स्वीकृत	
आंध्र प्रदेश	आदिलाबाद	
	ओनगोले	
	श्री काकुलम	
	खम्मम	
	प्रोड्डटुर (सातवीं योजना के अन्तर्गत स्वीकृत)	
बिहार	मधुबनी	
	सासाराम	
	गिरिडीह	
	सिवान	
	गोपालगंज	
	मोती हारी	
	सीतामढ़ी	
	सहरसा	
	सिंहभूम	
	फोरबेसगंज	

1	2	3
गुजरात	वेरावल	
	पालनपुर	
	सुरेन्द्र नगर	
	जूनागढ़	
	अमरेली	
	बलसाड़	
	आहवा	
	गोधरा	
	भुज (सातवीं योजना के अन्तर्गत स्वीकृत)	
हरियाणा	रिवाड़ी	
हिमाचल प्रदेश	मंडी	हमीरपुर
	बिलासपुर	चम्बा
	धर्मशाला	किवलोंग
		कालपा
		ऊना
जम्मू और काश्मीर		ऊधमपुर
		किस्तावर
		भदरवा
		खालाल्से
		कुपवाड़ा
		रामबाण
		पहलगांम
		डोडा
केरल	मालापुरम	
	कलपेटा	
	कसारागोड	
	इदुक्की	

1	2	3
कर्नाटक	बिदार	
	चिकमंगलूर	
	मादीकेरी	
	हसन	
	चित्रादुर्गा	
	करवाड़	
	उड़िप्पी	
मध्य प्रदेश	अम्बिकापुर	
	शहडोल	
	मंदसौर	
	झाबुआ	
	बेतुल	
	छिंदवाड़ा	
	बालाघाट	
	रायगढ़	
	बेलाडिला	
	गुना	
	खरगोंव	
	नरसिम्हापुर	
	पन्ना	
	शिवपुरी	
	राजगढ़	
	सतना	
	छतरपुर	

1	2	3
	टीकमगढ़	
	सिओनी	
	मंडला	
	नीमच	
	दमोह	
	सिधी	
	जगदलपुर (सातवीं योजना के अन्तर्गत स्वीकृत)	
मेघालय	जोवाई	नोंग्साटाइन
महाराष्ट्र	यवतमाल	
	बुलडाना	
	बिर	
	रत्नागिरी	
	उस्मानाबाद	
	गाढ चिरोली	
	पुसाद	
मणिपुर		तमेंगलांग
		सेनापुट्टी
		चंदेल
		चुराचांदपुर
नागालैंड	दीमापुर (सातवीं योजना के अन्तर्गत	
	ट्यूनसांग स्वीकृत)	मोकोकचुंग
		मोन
		जुन्हेबोटो
		वोखा

1	2	3
उड़ीसा	बाड़ीपाड़ा	
	सुंदरगढ़	
	बलेश्वर	
	क्योंझरगढ़	
	बोलंगीर	
	फुलबनी	
	जैपोर	
	छतरपुर	
	भवानी पटना (सातवी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत)	
पंजाब	गुरदासपुर	
राजस्थान	पिलानी	
	नागौर	
	झालावाड	
	डूंगरपुर	
	बांसवाड़ा	
	चित्तौड़ गढ़	
	पाली	
	चूरू	
	सिरोही (अबू)	
	सिकार	
	झुनझुनु	
	सवाई माधोपुर	
सिक्किम		संगन
		नामची
		ग्याल्शिंग

1	2	3
तमिलनाडु	धर्मापुरी	
	नागरकोइल	
	कुडालूर	
उत्तर प्रदेश	हरिद्वार	रानीखेत
	बांदा	उत्तरकाशी
	बलिया	अल्मोड़ा
	लखीमपुर	हलद्वानी
	उरई	गोपेश्वर
	ललितपुर	गंगोत्री
	पूरनपुर	कौसानी
	टनकपुर	
पश्चिमी बंगाल	कलिमपोंग	
	दार्जिलिंग	
	मैदिनीपुर	
	अलीपुरद्वार	
संघ शासित क्षेत्र		
अरुणाचल प्रदेश	तेजू (सातवीं योजना के अन्तर्गत स्वीकृत)	
	पासीघाट	बोमाडिला
		नामसे
		रोइंग
		अलोंग
		छंगलंग
		दपोरिजो
		खोंसा
		तवांग
		जीरो
		सेप्पा
		अनीनी

1	2	3
गोवा, दमन और दीव	दमन	दीव
मिजोरम		लुंगले
		सेहा
पांडिचेरी		माहे
		करइंकल
		यानम
लक्षद्वीप		मिनीकाय
		अमनि
		एंड्रोट
		कवारट्टी
दादरा और नागर हवेली		सिलवासा
चंडीगढ़	चंडीगढ़	

विवरण-2

(क) 1985-86 के दौरान चालू किए गये अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर

राज्य	ट्रांसमीटर
तमिलनाडु	नेयवेली
मध्य प्रदेश	कोरबा
	सिंगरौली
	खंडवा
असम	नजीरा
मणिपुर	उखरूल
बिहार	दरभंगा

(ख) 1989-87 के दौरान चालू किए गए अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर

राज्य	ट्रांसमीटर
महाराष्ट्र	सतारा
बिहार	बेतिया

कर्नाटक को उर्वरकों का आवंटन

342. डा० वी० वेंकटेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान कर्नाटक को विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का कोई आवंटन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मात्रा कितनी थी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) 1984-85 और 1985-86 के दौरान कर्नाटक को आवंटित किए गये उर्वरकों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

(000 मीटरी टन पोषक तत्व)

वर्ष	मौसम	एन	पी	के	योग
1984-85	खरीफ	175	85	65	325
	रबी	132	54	43	229
	योग	307	139	108	554
1985-86	खरीफ	230	135	85	450
	रबी	160	65	45	270
	योग	390	200	130	720

राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन से सहायता

343. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकारी क्षेत्र के राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए पश्चिम जर्मनी और ब्रिटेन से सहायता प्राप्त करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई समझौता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्षा पर निर्भर बारानी खेती का विकास

344. डा० बी० एल० शैलेश : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनियमित रूप से होने वाली बर्षा के पानी का प्रभावी और सक्षम उपयोग कर विकास के प्रयोजन के लिए कृषि की पूरी क्षमता का उपयोग करने के उद्देश्य से देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में वर्षा पर निर्भर बारानी खेती वाले क्षेत्रों में कृषि संबंधी समस्या से निपटने के लिए कोई दीर्घावधि योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य रूपरेखा क्या है; और

(ग) वर्षा पर निर्भर और बारानी खेती का विकास करने के लिए राज्य सरकारों को क्या भूमिका दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) बारानी क्षेत्रों का विकास करने के लिए वर्षा सिंचित कृषि में राष्ट्रीय पनधारा विकास कार्यक्रम की सातवीं योजना की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 1986-87 से शुरू की गई है। इस योजना की मुख्य बातें ये हैं :--

1. बारानी बागवानी, चारा उत्पादन तथा फार्म वानिकी सहित फसल पद्धति शुरू करने के लिए भूमि तथा आर्द्रता का प्रबंध;

2. आकस्मिक बीज भंडारण तथा पौधों तथा घास बीज/कलमों की सप्लाई;

3. प्रशिक्षण;

4. अनुकूली अनुसंधान के कार्य-कलाप;

5. सर्वेक्षण संबंधी उपस्कर की व्यवस्था तथा नये औजारों को तैयार करना और;

6. फील्ड मैन्यूअल तैयार करना आदि।

(ग) क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा दिए गये मार्गदर्शनों के अनुसार कार्यान्वियन के लिए वृहत् पनधारा विकास की योजनाओं को राज्य सरकारें तैयार करती हैं।

बोकारो जनरल अस्पताल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की प्रशिक्षणार्थी नर्सें

345. **श्री साइमन तिग्गा :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात संयंत्र के बोकारो जनरल अस्पताल में उसके आरम्भ से लेकर वर्ष-वार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की प्रशिक्षणार्थी नर्सों की संख्या क्या है;

(ख) उक्त अस्पताल में कुल प्रशिक्षणार्थी नर्सों की तुलना में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की नर्सों की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की कितनी नर्सों की पदोन्नति की गई, और कितने मामले विचाराधीन हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) नर्सों के प्रशिक्षण संस्थान ने वर्ष 1977 से काम करना शुरू किया। अपेक्षित जानकारी निम्नानुसार है :—

वर्ष	नर्स प्रशिक्षणार्थियों की कुल संख्या	अ० जाति/अ०ज० जाति की नर्स प्रशिक्षणार्थियों की संख्या		अ० जाति/अ० ज० जाति नर्स प्रशिक्षणार्थियों की प्रतिशतता	
		अ० जाति	अ०ज० जाति	अ०जाति	अ०ज० जाति
1	2	3	4	5	6
1977	26	—	3	—	11.53
1978	22	—	3	—	13.63

1	2	3	4	5	6
1979	32	2	3	6.25	9.37
1980	25	—	5	—	20.00
1981	31	1	2	3.22	6.45
1982	18	—	1	—	5.55
1983	30	—	—	—	—
1984	शून्य	—	—	—	—
1985	20	1	—	5.00	—
1986 (15-7-86) तक	22	—	—	—	—

(ग) गत तीन वर्षों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति नर्सों की की गई विभागीय पदोन्नतियों की संख्या निम्नानुसार थी :—

वर्ष	की गई पदोन्नतियां	
	अ० जाति	अ०ज० जाति
1983	—	—
1984	—	—
1985	—	1
1986 (15-7-36 तक)	1	33
कुल	1	34

15-7-86 की स्थिति के अनुसार कोई भी अनुसूचित जाति की उम्मीदवार पदोन्नति पाने के योग्य नहीं थी। तथापि नर्सिंग स्टाफ में अनुसूचित जनजाति की 6 उम्मींदवार, जो पदोन्नति पाने योग्य हैं, उनके सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

भारतीय कृषक और उर्वरक निगम लिमिटेड के मजदूरों की मजदूरी

346. श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषक और उर्वरक निगम लिमिटेड कलोल (गुजरात) के मजदूर वर्ष 1984 से अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांग को पूरी न करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या मजदूर राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के नये पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए अनुरोध कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो नये पीठासीन अधिकारी की कब तक नियुक्ति किये जाने की सम्भावना है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) से (घ) इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोओपरेटिव लि० (ईफको) के कर्मकारों के वेतन संशोधन से संबद्ध मामलों को अधि-निर्णय हेतु फरवरी, 1984 में राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायधिकरण कलकत्ता, को निर्दिष्ट किया गया था। इसी दौरान काण्डला एकक एवं दिल्ली कार्यालय के कार्मिकों ने क्रमश: जुलाई, 1985 एवं अगस्त, 1985 में त्रिपक्षीय समझौते किये और उन्हें न्यायाधिकरण ने स्वीकार किया। कालोल एवं फूलफुर एककों के कार्मिकों से संबद्ध मामले अभी भी न्यायाधिकरण के पास हैं और उसका निर्णय प्रतीक्षित है। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय कलकत्ता के पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं क्योंकि पूर्व पदधारी का मार्च, 1986 में निधन हो गया था।

केन्द्रीय सरकार के आसनसोल स्थित कार्यालयों पर बकाया राशि

347. श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय किन-किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कर और सेवा प्रभारों के रूप में इन कार्यालयों ने आसनसोल नगर पालिका को कितनी धनराशि देनी थी और इस अवधि के दौरान वर्षवार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय समाचार पत्र महासंघ की मांग

348. श्री सरफराज अहमद
श्री विलास मुत्तेमवार } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय समाचार पत्र महासंघ ने जून, 1986 में एक मांग पत्र प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने बेसिक मजदूरी के 15 प्रतिशत की दर से बशर्ते कि न्यूनतम राशि 90 रु० प्रतिमाह हो अंतरिम राहत को पहले ही अधिसूचित कर दिया है, जो मजदूरी बोर्डों द्वारा सिफारिश किये गये बेसिक मजदूरी के 7.5 प्रतिशत की दर, बशर्ते कि न्यूनतम राशि 45 रु० प्रतिमाह हो, की तुलना में हैं।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के किसानों को उनके उत्पादों के लिए लाभप्रद कीमत

349. श्री एन० डेनिस : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में सिंचाई, कृषि मजदूरों और कृषि आदानों की अधिक लागत के कारण किसानों को अपने उत्पादों विशेषकर चावल की लाभप्रद कीमत नहीं मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि खेती की लागत कम हो तथा किसानों को अपने उत्पाद से पर्याप्त लाभ प्राप्त हो ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) तथा (ख) सरकार द्वारा चावल सहित महत्वपूर्ण जिंसों के लिए जो अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, उनमें सिर्फ उत्पादन लागत ही नहीं बल्कि उचित सीमांत लाभ की भी व्यवस्था की जाती है। उत्पादन की लागत में सभी चुकाई गई लागत तथा भूमि और परिवार श्रम जैसी निजी परि-सम्पत्तियों की आरोपित लागत शामिल है, जिसके लिए किसान नकद खर्च नहीं करते।

सरकार की नीति नई प्रौद्योगिकी के प्रसार सहित चावल की मिनिकिट की केन्द्रीय क्षेत्र की

योजना के अलावा विकास के कार्यक्रमों पर जोर देना है, जिससे चावल के उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को सहायता

350. श्री कमला प्रसाद रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार खाद्यान्नों का कम उत्पादन करने वाले राज्यों को किसी प्रकार की सहायता देती है ताकि ये कृषि उत्पादन को बढ़ा सकें;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने राज्यों को यह सहायता दी गई है और उनमें से प्रत्येक को इस प्रकार दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई सहायता नहीं दी गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) भले ही किसी राज्य में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो या स्थिति अन्यथा हो, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों विभिन्न ऐसी केन्द्रीय क्षेत्र की तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत धन मुहैया करती है, जिनका उद्देश्य कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाना है। इनमें से कुछेक योजनाएं हैं :—

(1) छह पूर्वी राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के लिए विशेष चावल उत्पादन कार्यक्रम।

(2) समेकित ग्राम विकास खण्डों की सहायता सुलभ कराकर कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सहायता देना।

(3) प्रत्येक राज्य द्वारा चुने गये जल-विभाजकों में बारानी खेती के लिये राष्ट्रीय जल विभाजक विकास कार्यक्रम।

(4) देश में दलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम; और

(5) चावल, गेहूं, कदन्नों और दलहनों के लिए मिनिकिट कार्यक्रम जिसमें नई प्रौद्योगिकी का प्रसार शामिल है।

[अनुवाद]

संथाल परगना, बिहार में इस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड में ठेका प्रणाली

351. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह । क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड की इस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सन्थाल परगना, बिहार की कोयला खानों के निषेध क्षेत्रों में ठेका प्रणाली चला रही है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने उन पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जगजीवन राम के निधन के बारे में दिया गया कथित समाचार

352. **श्री सोडे रामैया** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने 4 जून, 1986 की प्रातः 6 बजे के अपने समाचार बुलेटिन में अनभिज्ञता से यह घोषणा कर दी थी कि श्री जगजीवन राम का निधन हो गया है;

(ख) क्या इस मामले की जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) बाबू जगजीवन राम के निधन का समाचार 4 जुलाई, 1986 को प्रातः 6.00 बजे के हिन्दी के बुलेटिन में फ्लैश के रूप में प्रसारित किया गया था। उसी दिन के प्रातः 6.05 बजे के अंग्रेजी के बुलेटिन में यह पहला समाचार था। उसके शीघ्र बाद आकाशवाणी को यह मालूम हुआ कि बाबू जगजीवन राम के निधन का समाचार सही नहीं था। इसलिए उक्त समाचार का प्रातः 7.00 बजे और प्रातः 8.00 बजे के हिन्दी के बुलेटिनों और प्रातः 8.10 बजे के अंग्रेजी के बुलेटिन में खेद के साथ खण्डन कर दिया गया था।

(ख) से (घ) इस मामले की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

आवास एवं शहरी विकास निगम द्वारा भोपाल नगर निगम को वित्तीय सहायता

353. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास एवं शहरी विकास निगम ने कमजोर वर्गों के लिए विभिन्न आवासीय योजनाओं हेतु भोपाल नगर निगम को गत 5 वर्षों के दौरान योजनावार कितनी वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) वर्ष 1986-87 के लिए निगम को कितनी वित्तीय सहायता देने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हुडको को भोपाल नगर निगम से न तो कोई योजना प्राप्त हुई है और न ही वहां कोई पाइप लाइन है।

(ख) राज्य/संघ राज्य/क्षेत्र के लिए हुडको समग्र रूप से निधियां उद्दिष्ट करता है न कि किसी एजेन्सी विशेष के लिए।

[अनुवाद]

देश में कपास का उत्पादन

354. **नित्यानन्द मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष कपास का उत्पादन अधिक हुआ है जबकि पिछले वर्ष की तुलना में कम भूमि में इस वर्ष इसकी खेती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या कपास उत्पादक देश में कपास की खपत कम हो जाने तथा निर्यात पर पाबंदी होने के कारण उनके पास कपास के फालतू स्टाक जमा हो जाने के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो कपास उत्पादकों की कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1985-86 के कपास के क्षेत्र और उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी तक सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, पहले से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर फिलहाल यह अनुमान लगाया गया है कि 1985-86 के दौरान कपास का क्षेत्र और उत्पादन 1984-85 की तुलना में सीमान्त रूप से अधिक है अर्थात 74.4 लाख हैक्टेयर और प्रत्येक 170 किलोग्राम की 84.7 लाख गांठें।

(ग) और (घ) कपास की देशी खपत में कोई गिरावट नहीं आयी है, जिसमें गत वर्ष की तुलना में सीमान्त रूप से वृद्धि होने की सूचना मिली है। चालू वर्ष के निर्यात के कोटे में भी काफी वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त 27-3-1986 से लम्बे रेशे की कपास के निर्यात के न्यूनतम निर्यात मूल्य पर से निषेध हटा लिया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त सप्लाई के कारण उत्पादकों की कठिनाईयों को कम करने की दृष्टि से भारतीय कपास निगम को कहा गया है कि वह सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कपास की खरीद करे। भारतीय कपास निगम ने 10-7-1986 तक 1 .36 लाख गांठों की खरीद की है जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 6.40 लाख गांठों की ही खरीद की गई थी और गत

वर्ष के समूचे मौसम में कुल 6.69 लाख गांठों की खरीद की गई थी। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ, जो एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना के अन्तर्गत महाराष्ट्र में कपास की खरीद करता है, ने 30 जून, 1986 तक कपास की लगभग 28.43 लाख गांठों की खरीद की है जबकि गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 16.97 लाख गांठों की खरीद की गई थी। सरकार कपास उत्पादकों की किसी कठिनाई को दूर करने के लिए कपास की दीर्घावधि निर्यात नीति पर भी विचार कर रही है।

"हुडको पैटर्न स्कीम 1979" के अन्तर्गत कालका जी में निम्न आय वर्ग फ्लैटों का आवंटन

355. श्री जी० भूपति : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फरवरी, 1983 के दौरान "हुडको न्यू पैटर्न स्कीम 1979" के अन्तर्गत कालका जी एक्सटेंशन में निम्न आय वर्ग के 216 फ्लैटों के आवंटन की घोषणा की थी;

(ख) क्या तीन वर्ष से अधिक समय के अन्तराल के बाद भी कोई विशेष ड्रा नहीं निकाला गया है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कब तक फ्लैटों का अन्तिम आवंटन/कब्जा प्रदान करने का विचार है;

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) फरवरी, 1983 में निकाले गए ड्रा द्वारा कालका जी एक्सटेंशन में नवीन पद्धति योजना 1979 के अन्तर्गत निम्न आय वर्ग श्रेणी के 304 पंजीकृतों को फ्लैटों का आवंटन किया गया था।

(ख) जी, हां। विशिष्ट ड्रा अभी निकाला जाना है।

(ग) सितम्बर, 1986 तक मकानों के पूर्ण हो जाने की संभावना है, जिसके बाद विशिष्ट ड्रा निकाला जाएगा तथा आवंटन पत्र जारी किए जाएंगे।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय बीज निगम के कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए अपनाये जा रहे मानदण्ड

356. श्री हरीश रावत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से कितने प्रतिशत कर्मचारी स्थायी हैं;

(ग) अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए क्या मानदंड अपनाये जाते हैं; और

(घ) क्या सभी कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 31 मई, 1986 को राष्ट्रीय बीज निगम में 1718 कर्मचारी नियमित वेतनमानों में कार्य कर रहे थे। इसके अतिरिक्त, 950 कामगर दैनिक मजदूरी के आधार पर नियुक्त किए गए थे।

(ख) से (घ) यद्यपि राष्ट्रीय बीज निगम में कोई स्थायी पद नहीं है, फिर भी, नियमित वेतनमानों में कार्य कर रहे उन कर्मचारियों को, जो अपनी परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी करते हैं, नियमित कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर (बार्ले) परियोजना समायोजक (जौ) के विरुद्ध ज्ञापन

357. **श्री नारायण चौबे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली के निदेशक को अखिल भारतीय समायोजक (जौ) सुधार परियोजना, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान; क्षेत्रीय केन्द्र, करनाल के कर्मचारियों की ओर से फरवरी, 1986 में प्रोजेक्ट कोआर्डिनेटर (बार्ले) परियोजना समायोजक (जौ) के द्वारा खरीद और धन सम्बन्धी अनियमितताओं, सरकारी अभिलेखों में हेरफेर, सरकारी वाहनों का दुरुपयोग किये जाने आदि के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से आगे की कार्यवाही विचाराधीन है।

राष्ट्रीय आवास योजना का वित्तपोषण

358. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास और शहरी विकास निगम द्वारा वित्तपोषित विभिन्न राष्ट्रीय आवास योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन राष्ट्रीय आवास योजनाओं के लिए एक समान मार्गनिर्देश तैयार करने का है;

(ग) क्या गृह निर्माण के लिए धन की कमी होने तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा धन दिए जाने में विलम्ब होने जैसी समस्याओं की जानकारी सरकार को है; और

(घ) यदि हां, तो इन समस्याओं को सुलझाने तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण दिए जाने की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) निम्नलिखित आवास योजनाएं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मार्ग निर्देशन निर्धारित किए गए हैं, को आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) द्वारा वित्त दिया जा रहा है :—

(I) आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना।

(II) निम्न आय वर्ग के लिए आवास योजना

(III) मध्यम आय वर्ग के लिए आवास योजना

(IV) राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना

(ग) जी, हां।

(घ) आवास की अपर्याप्तता में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनमें से निम्नलिखित कुछ देश में प्रयुक्त हैं :—

(I) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी निवेश का स्तर छठी योजना में 1491 करोड़ रुपये की तुलना में 2458 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया है।

(II) राज्य योजनाओं के एक आवश्यक भाग के रूप में कार्यान्वित किए जा रहे 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में निशुल्क विकसित आवास स्थलों एवं निर्माण सहायता के आवंटन की योजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय वर्ग परिवारों के आवास की योजनाओं के लिए आवास एवं नगर विकास के वित्त कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को सहायता दी जा रही है।

(III) आवास में पूंजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए बहुत से आर्थिक प्रोत्साहन दिए गए हैं।

वर्ष 1985-86 के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन में कमी

359. श्री बृज मोहन महन्ती
श्री यशवंत राव गडाख पाटिल
श्रीमती बसवराजेश्वरी
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1985-86 के खाद्य उत्पादन के लक्ष्य में एक करोड़ मीटरी टन की कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो देश के किस भाग में वास्तविक उत्पादन लक्ष्य से कम रहा है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) आगामी वर्षों में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने और निर्धारित लक्ष्य को पूरा कराने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1985-86 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के अन्तिम अनुमान अभी तक सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अब तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर हाल ही में यह मूल्यांकन किया गया है कि 1985-86 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 1592 लाख मीटरी टन के लक्ष्य की तुलना में 1480 लाख मीटरी टन के आसपास हो सकता है। कई राज्यों में मुख्यत: खरीफ 1985 में मानसून के नहीं आने से उत्पादन में कमी हुई।

(ग) आगामी वर्षों में लक्ष्यों को प्राप्त करने और खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार;

(2) क्वालिटी बीजों के उपयोग में वृद्धि;

(3) उर्वरकों के कुशल और अधिक उपयोग में वृद्धि;

(4) सिंचाई जल का कुशलतापूर्वक उपयोग और सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र में विस्तार;

(5) अधिक बड़े क्षेत्र पर पर्याप्त वनस्पति संरक्षण उपाय;

(6) बारानी खेती प्रौद्योगिकी के जरिए सूखा प्रवण क्षेत्रों में फसल उत्पादन का स्थिरीकरण;

(7) किसानों को उन्नत उत्पादन प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण;

(8) किसानों और विस्तार कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना;

(9) किसानों को लाभप्रद मूल्य और विपणन सहायता उपलब्ध करना।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

360. श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनधिकृत निर्माण को रोकने तथा सार्वजनिक भूमि पर से अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) दिल्ली में चालू वर्ष के दौरान स्थानान्तरित की गई या हटाई गई झुग्गियों की संख्या तथा गिराये गए अनधिकृत निर्माणों की संख्या कितनी है; और

(ग) अनधिकृत निर्माण के लिए कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमणों को रोकने के लिए किए गए उपचारी उपाय संलग्न लगे विवरण में दिए गए हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1-1-86 से 30-6-86 की अवधि के दौरान 9780 अतिक्रमणों (8535 झुग्गियों तथा 1245 विविध संरचनाएं) को हटाया। 6039 बेदखलकारों को वैकल्पिक आवास दिए गए जिनमें 5808 रिहायशी तथा 231 वाणिज्यिक स्थल/कैम्प शामिल हैं।

दिल्ली नगर निगम ने इस वर्ष के दौरान क्रमशः 698 तथा 576 झुग्गियों को हटाया और गिराया है। नई दिल्ली नगर पालिका ने सरकारी तथा पालिका भूमि से 900 झुग्गियों को हटाया तथा चालू वर्ष के दौरान 60 अनधिकृत संरचनाओं को गिराया।

रेलवे विभाग द्वारा 572 झुग्गियां आदि हटाई/गिरायी गई थीं।

दिल्ली छावनी बोर्ड तथा रक्षा मंत्रालय से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) विभिन्न संगठनों द्वारा चलाए गए मुकदमों की संख्या निम्न प्रकार है :—

संगठन का नाम	चलाए गए मुकदमों की संख्या
दिल्ली विकास प्राधिकरण	79 (गत तीन महीनों के दौरान)
दिल्ली नगर निगम	155 (दिल्ली नगर निगम अधिनियम के संशोधित उपबन्धों के अन्तर्गत जून, 1986 तक पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायतें)
नई दिल्ली नगर पालिका	27 (पंजाब पालिका अधिनियम की संशोधित धारा 195-क के अन्तर्गत चलाए गए मुकदमें)

विवरण

निम्नलिखित उपचारी प्रयास किए गए हैं :—

(i) सभी सम्बन्धितों को यह निर्देश जारी किया गया था कि सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण को प्रारम्भ में ही रोका जाना चाहिए तथा इसे स्थाई बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जबकि उन्हें हटाना कठिन हो जाता है।

(ii) अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित करने और सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर दिल्ली में मकान गिराने के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकरण (अपीलेट ट्रिब्यूनल) की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957, पंजाब नगर पालिका अधिनियम 1957, (जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में लागू है) तथा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम 1971 में मई, 1984 में यह संशोधन किया गया था। इनको संज्ञेय अपराध घोषित करने सम्बन्धित प्रावधानों को गत वर्ष लागू किया गया था। अपीलीय अधिकरण के गठन से सम्बन्धित प्रावधानों को भी अब लागू कर दिया गया है (दिल्ली नगर निगम अधिनियम तथा पंजाब नगर पालिका अधिनियम के सम्बन्ध में 10-2-86 से और दिल्ली विकास अधिनियम के सम्बन्ध में 24-2-86 से)

(iii) गृह मंत्री ने 18-6-85 को एक बैठक आयोजित की थी जिसमें अनधिकृत निर्माण की रोकथाम करने के लिए मार्गनिर्देशन निर्धारित किए गए थे तथा सम्बन्धित संगठनों में नितान्त उच्च स्तर पर इस प्रयोजनार्थ उत्तरदायित्व निर्धारित करने का निर्णय लिया था।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र नागालैंड केन्द्र झरनापानी स्थित अनुसंधान काम्पलेक्स में काम करने की स्थिति

361. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान केन्द्र के पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र, (नागालैंड केन्द्र), झरनापानी स्थित अनुसंधान काम्पलेक्स में कितने पद रिक्त पड़े हैं और कब से;

(ख) क्या सरकार को इन समाचारों की जानकारी है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपर्युक्त काम्पलेक्स में काम करने वाले कर्मचारियों को उग्रवादियों से अपने जान व माल का निरंतर खतरा बना रहता है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

कृषि मन्त्रालय और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नार्थ ईस्टर्न हिल रीजन फार नागालैंड सेन्टर आफ द रिसर्च काम्पलेक्स के लिए स्वीकृत कुल पदों की संख्या 125 हैं जिनमें से इस समय 35 पद खाली हैं ये रिक्तियां दो से छः वर्ष तक खाली पड़ी हैं।

(ख) से (घ) नागालैंड केन्द्र में कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं हैं। तथापि, 2 अप्रैल, 1986 को स्थानीय युवा ग्रुप द्वारा केन्द्र के संयुक्त निदेशक पर हमला किया गया था। इस घटना से केन्द्र में अधिकारियों तथा कर्मचारियों की बीच सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई थी। इस सम्बन्ध में नागालैंड के मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक से केन्द्र में अधिकारियों तथा कार्यरत कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया था। इस समय केन्द्र में स्थिति सामान्य है। वास्तव में 10 अप्रैल, 1986 से केन्द्र सामान्य कार्य कर रहा है।

रोग प्रभावित पुराने नारियल वृक्षों के स्थान पर नये नारियल वृक्ष लगाने के लिए धनराशि का आबंटन

362. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान रोग प्रभावित एवं पुराने नारियल के वृक्षों के स्थान पर नये नारियल वृक्ष लगाने और विद्यमान बागानों के नवीनीकरण के लिए कुल कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ख) केरल में इस सम्बन्ध में किये गये कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) नारियल विकास बोर्ड द्वारा सातवीं योजना के प्रस्तावों के लिए प्रस्तावित "भारत में नारियल उद्योग का समेकित विकास" नामक योजना के अन्तर्गत रोगग्रस्त तथा नारियल के पुराने पेड़ों के स्थान पर नये पेड़ लगाने और नारियल के मौजूदा पेड़ों को ठीक-ठाक करने का विचार है। इन योजना तथा इसके अन्तर्गत विभिन्न उप-घटकों के लिए आबंटनों पर विचार किया जा रहा है।

(ख) छठी योजना अवधि तथा 1985-86 के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 2.46 लाख रोगग्रस्त पेड़ों को हटाया गया और 15 लाख पौधों की सप्लाई द्वारा 66,000 लाख पेड़ों को ठीक-ठाक किया गया, जिस पर कुल 210.80 लाख रुपये की लागत आई।

1 जुलाई, 1986 को समाचारपत्र प्रतिष्ठानों का बन्द रहना

363. श्री कृष्ण सिंह
श्री काली प्रसाद पांडेय } : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एंड ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसायटी की कार्यकारिणी समिति द्वारा लिए गए निर्णय के कारण, समाचारपत्र उद्योग से संबंधित कुछ नीति संबंधी निर्णयों के विरोध-स्वरूप, समाचार पत्र प्रतिष्ठान 1 जुलाई, 1986 को बन्द रहे;

(ख) यदि हां, तो वे विशेष मसले क्या हैं जिनके कारण विरोध प्रकट किया गया; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) प्रेस में प्रकाशित इस आशय की रिपोर्ट सरकार के ध्यान में आई है।

(ख) प्रेस रिपोर्टों के अनुसार, इस बन्द का आह्वान समाचार पत्रों के कर्मचारियों को अन्तरिम राहत की ऊंची मात्रा देने के मामले में सरकार को कथित मनमानी नीति, अखबारी कागज के मूल्यों में वृद्धि तथा सरकारी विज्ञापनों के लिए कम दरों, आदि के विरोध-स्वरूप किया गया था।

(ग) सरकार देश में स्वतन्त्र प्रेस के संवर्धन के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है तथा यह देश के संसाधनों की सीमित उपलब्धता के अन्दर इसके समग्र विकास के लिए युक्तियुक्त ढंग से सभी सम्भव कदम उठाती रही है।

[हिन्दी]

सूखे के लिए राज्यों को सहायता

364. श्री दिलीप सिंह भूरिया
श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री कमला प्रसाद रावत } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जून, 1986 तक भीषण सूखे से राज्यवार कितने जिले प्रभावित हुए;

(ख) क्या किसी केन्द्रीय दल ने प्रभावित क्षेत्रों का मौके पर जाकर अध्ययन किया है और यदि हां, तो उक्त अध्ययन किस-किस तारीख को किया गया है;

(ग) केन्द्रीय दल द्वारा राज्यवार कितनी सहायता की सिफारिश की गई है; और

(घ) प्रत्येक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई तथा इन राज्यों द्वारा अपने संसाधन जुटाकर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) 1986-87 (जून, 1986 तक) के दौरान सूखे से प्रभावित राज्यों की संख्या, केन्द्रीय दलों के दौरों की तिथि और अभी तक स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा के संबंध में राज्यवार जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। राज्यों द्वारा अपने संसाधन जुटाकर खर्च की गई धनराशि के बारे में सम्बन्धित राज्यों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	प्रभावित जिलों की संख्या	केन्द्रीय दलों के दौरों की तारीख	1986-87 के उपयोग के लिए स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	19	3-7 मई, 1986	××
2.	गुजरात	16	19-21 मई, 1986	35.00 50.65×
3.	कर्नाटक	18	—	30.05× 7.50 12.45×××
4.	महाराष्ट्र	15	11-14 मई, 1986	×× 21.68×

1	2	3	4	5
5.	राजस्थान	26	2-7 जून, 1986	×× 44.98× 15.00
6.	त्रिपुरा	3	27-5-86 को अन्त: मंत्रालयीय ग्रुप द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया	0.29
7.	मध्य प्रदेश	9	16-19 अप्रैल, 1986	10.70

×. 1986-87 (जून/जुलाई, 86) में उपयोग के लिए 1985-86 में स्वीकृति

××. और सहायता की मंजूरी पर विचार किया जा रहा है।

×××. मंजूरी जारी की जाती है।

[अनुवाद]

आपरेशन फ्लड कार्यक्रम

365. श्रीमती गीता मुखर्जी
कुमारी पुष्पा देवी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड कार्यक्रम का दूसरा चरण हाल ही में समाप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह कब समाप्त हुआ ;

(ग) आपरेशन फ्लड-2 के विभिन्न कार्यक्रमों के लक्ष्य क्या थे और प्रत्येक की वास्तविक लक्ष्य-प्राप्ति क्या रही;

(घ) क्या आपरेशन फ्लड का तीसरा चरण प्रारम्भ कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके निर्धारित लक्ष्यों का ब्योरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) आपरेशन फ्लड-2 31, मार्च, 1985 को समाप्त हुआ था।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजनावधि अर्थात् 1980-81 से 1984-85 के दौरान आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत चुने हुए घटकों के लक्ष्यों और उपलब्धियों को नीचे सारणी में दर्शाया गया है :—

	ब्योरे	1984-85 (संचित)	
		लक्ष्य	उपलब्धि
1.	ग्रामीण डेरी परिसंस्करण क्षमता (एल० एल० पी० डी०)	76.00	87.75
2.	शहरी दुग्ध विपणन (एल० एल० पी० डी०)	43.00	50.11
3.	डेरी सहकारी समितियों की संख्या	29000	34523
4.	कृषक सदस्यों की संख्या (लाख)	34.80	36.31
5.	औसतन दुग्ध अधिप्राप्ति (एल० एल० पी० डी०)	55.30	57.84

एल० एल० पी० डी०—लाख लिटर प्रतिदिन

(घ) आपरेशन फ्लड के तृतीय चरण के लिए परियोजना रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही

है। तथापि, आपरेशन फ्लड के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं।

(ङ) आपरेशन फ्लड, चरण-3 के लिए चुने हुए घटकों के प्रस्तावित लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

	ब्यौरे	संचित
1.	ग्रामीण डेरी परिसंस्करण क्षमता (एल० एल० पी० डी०)	200.00
2.	शहरी दुग्ध विपणन (एल० एल० पी० डी०)	124.2
3.	डेरी सहकारी समितियों की संख्या	50,000
4.	कृषक सदस्यों की संख्या (लाख)	100.2
5.	औसतन दुग्ध अधिप्राप्ति (एल० एल० पी० डी०)	122.20

एल० एल० पी० डी०—लाख लिटर प्रतिदिन

खाद्यान्नों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन

366. डा० डी० एन० रेड्डी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में लगभग 1500 लाख टन तक की वृद्धि हो जाने के बावजूद भारत में प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे कम है; और

(ख) यदि हां, तो देश में प्रति हेक्टेयर उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) यद्यपि भारत में खाद्यान्न का प्रति हैक्टेयर उत्पादन सबसे कम है, गत कुछ वर्षों के दौरान इसमें विशेषकर गेहूं और चावल के मामले में वृद्धि हुई है।

(ख) देश में प्रति हैक्टेयर उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता में अधिक से अधिक वृद्धि करना;

2. प्रौद्योगिकी, बीज, उर्वरक, उपस्कर, पौध संरक्षण, रसायन, ऋण आदि जैसे कृषि आदानों की समय पर सहज और पर्याप्त आपूर्ति करना;

3. सातवीं योजना के अन्त तक अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र में 1984-85 के 560 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 705 लाख हैक्टेयर तक की वृद्धि करना;

4. जल विभाजक प्रबन्ध, बीज एवं उर्वरक ड्रिलों के उपयोग, उर्वरकों और अल्पावधि किस्म के बीजों के उपयोग में वृद्धि और मोटे अनाज और दालों की खेती के जरिए बारानी खेती की ओर अधिक ध्यान देना;

5. विभिन्न श्रेणियों के पर्याप्त बीजों अर्थात् प्रजनक बीज, आधारी बीज और प्रमाणित बीज का उत्पादन करना ताकि अधिक उपज कार्यक्रम के अन्तर्गत लक्षित क्षेत्र को आवृत्त किया जा सके। हर वर्ष 20 प्रतिशत स्वत: परागित किस्मों और 100 प्रतिशत संकर किस्मों के बीजों को बदलने की परिकल्पना है;

6. विभिन्न फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सम्भावित जिलों में क्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाना;

7. समेकित पौध संरक्षण उपाय अपनाना;

8. सूखे के कारण फसल नष्ट होने के जोखिम पर काबू पाने के लिए सस्य प्रणाली शुरू करना;

9. किसानों को विभिन्न खाद्य फसलों के लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करना और बुआई मौसम से पहले उनकी घोषणा करना तथा इन मूल्यों पर जिंसों की खरीद के लिए संगठनात्मक सहायता भी सुनिश्चित कराना;

10. अनुसंधान प्रयासों को तेज करना ताकि अधिक किसानों को नई प्रौद्योगिकी के लाभ दिये जा सकें;

11. समेकित तरीके से उत्पादन, परिसंस्करण, भण्डारण, विपणन और वितरण की आवश्यकताओं पर ध्यान देकर किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करना।

उर्वरकों का उत्पादन तथा उपलब्धता

367. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 जून, 1986 के इक्नामिक्स टाइम्स में फर्टिलाइजर

प्रोडक्शन बिलो इंस्टाल्ड कैपेसिटी शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान सरकारी क्षेत्र में प्रत्येक उर्वरक एकक द्वारा उत्पादित उर्वरक की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या उर्वरक की कमी के कारण, किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक नहीं मिल रहे हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा उठाये गये कदमों से उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने तथा उसे समान मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित ब्यौरे दिये गये हैं।

(ग) जी, नहीं। देश के लगभग सभी भागों में उर्वरकों की उपलब्धता सन्तोषजनक है। सरकार की यह भी नीति है कि किसानों को स्थिर एवं उपयुक्त मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराए जाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार विक्रय मूल्यों पर सांविधिक नियंत्रण रखती है जो सरकारी आर्थिक सहायता द्वारा उचित स्तर पर रखे जाते हैं।

(घ) जी, हां। उर्वरकों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है जिसे सरकार द्वारा पूर्वता उद्योग माना जाता है। छठी योजना के प्रथम वर्ष (1980-81) में 30.05 लाख टन न्यूट्रिएन्ट्स के उत्पादन की तुलना में सातवीं योजना के प्रथम वर्ष (1985-86) के दौरान उर्वरक न्यूट्रिएन्ट्स (नाइट्रोजन एवं फास्फेट्स) के उत्पादन ने 57.56 लाख टन के स्तर को छू लिया।

(ङ) देश में उर्वरकों के उत्पादन को और बढ़ाने के लिए सातवीं योजनावधि में एक बृहत कार्यक्रम चालू किया गया है। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, 15 उर्वरक परियोजनाएं जिनमें विस्तार योजनाएं सम्मिलित हैं, आरम्भ की गई हैं ताकि पहले से संचालनाधीन उर्वरक क्षमता में पर्याप्त वृद्धि की जा सके। वर्तमान उर्वरक संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने तथा कैप्टिव पावर यूनिट उपलब्ध करके उत्पादन को इष्टतम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

उर्वरक नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत सरकार पहले से ही उर्वरकों के लिए समान सांविधिक अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित कर रही है।

विवरण

वर्ष 1985-86 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में उर्वरकों का उत्पादन

एकक का नाम	उत्पादन (000 टनों में)
1	2
क. नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक (नाइट्रोजन)	
सिन्दरी आधुनिकीकरण	74.1
गोरखपुर	78.9
रामागुण्डम	55.3
तालचर	52.9
नंगल-1	60.8
नंगल-2	138.3
भटिण्डा	168.2
पानीपत	141.9
नामरूप-1	17.1
नामरूप-2	58.7
दुर्गापुर	46.2
बरौनी	92.8
उद्योग मण्डल	59.3
कोचीन-1	56.3
कोचीन-2	64.4
ट्राम्बे	81.2
ट्राम्बे-4	51.8
ट्राम्बे-5	136.0
थाल	376.5
मद्रास	131.0

1	2
राउरकेला	34.5
नवेली	59.1
उप उत्पाद	16.3
योग :	2052.5×

(×पारादीप से 400 टन का परीक्षण उत्पादन सम्मिलित है)

एकक का नाम	उत्पादन (टनों में) 1985-86
ख. फास्फेटिक उर्वरक (पी2 ओ5)	
उद्योग मण्डल	31.7
कोचीन-1	70.4
ट्राम्बे	39.8
ट्राम्बे-4	51.8
मद्रास	93.0
खेत्री	6.
एस० एस० पी० यूनिट्स	10.0
योग :	304.0×

(×पारादीप के 900 टन का परीक्षण उत्पादन निम्नलिखित है)

राष्ट्रीय भवन संगठन द्वारा कमजोर वर्गों के लिए मकान के नमूनों का तैयार किया जाना

368. **श्री पी० एम० सईद** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए मकान का कोई डिजाइन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त आवास की अनुमानित लागत क्या है;

(ग) वास्तविक आवास तथा भूखण्ड का क्षेत्रफल कितना है;

(घ) क्या इसके और विस्तार करने की गुंजाइश है; और

(ङ) क्या मध्य आय वर्ग के लोगों के लिए भी कुछ अन्य नमूने तैयार किये गये हैं, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आश्रय गृह लगभग 9,500 रुपये से 15,000 रुपये तक की लागत से चरणों में, पूर्ण किया जा सकता है।

(ग) आवास में एक कमरा, एक बहुद्देशीय कमरा और एक खुला शौचालय शामिल है। भूखंड का क्षेत्रफल 21 वर्गमीटर है और फर्शी क्षेत्रफल, शौचालय को छोड़कर। 7.44 वर्गमीटर है।

(घ) जी, हां। एक और मंजिल का निर्माण किया जा सकता है।

(ङ) जी, हां। राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने 70 वर्गमीटर से 270 वर्गमीटर तक के भिन्न-भिन्न आकार के भू-खण्डों के लिए, मध्यम आय वर्ग के लिए उपयुक्त विशिष्ट प्रकार के 100 मकान डिजाइन तैयार किये हैं। ये डिजाइन स्थानीय भवन-उप-नियमों पर आधारित हैं। दिल्ली के लिए मकानों के डिजाइन स्थान का अधिकतम उपयोग तथा किफायती भारवाही निर्माण दर्शाते हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में सूखा

369. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए कोई ज्ञापन भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार ने सहायता के रूप में कितनी राशि की मांग की है;

(घ) क्या जून, 1986 के पहले सप्ताह में एक अध्ययन दल ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए दौरा किया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या अध्ययन दल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की थी;

(च) सहायता देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(छ) सहायता कब तक और कितनी राशि की उपलब्ध कराई जायेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार ने 21 मई, 1986 को एक ज्ञापन दिया है जिसमें निरन्तर पड़ रहे सूखे का सामना करने हेतु राहत सम्बन्धी निम्न मदों के लिए 151.68 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी गई है :—

	मद	(करोड़ रुपए)
(1)	रोजगार सृजन	87.97
(2)	पीने का पानी	59.51
(3)	पशु-आहार	4.20
		151.68

(घ) जी हां।

(ङ) जी हां।

(च) और (छ) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट पर राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति द्वारा विचार किया गया है और केन्द्रीय सहायता की आवश्यक मंजूरी शीघ्र ही जारी की जायेगी।

[अनुवाद]

केरल तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खाद्य तिलहनों के बागान

3/0. डा० के० जी० अदियोडी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में छठी योजना के दौरान कितने हेक्टेयर क्षेत्र को खाद्य तेल बागान के अन्तर्गत लाया गया है;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में कितने किस्म के पौधे लगाये गये हैं तथा सातवीं योजना अवधि के दौरान खाद्य तिलहनों के उत्पादन का लक्ष्य क्या है;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाम के तेल के पौधे लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और सातवीं योजना के दौरान कितने क्षेत्र में ये पौधे लगाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी योजना के दौरान केरल में 2252 हैक्टेयर क्षेत्र में रेड आयल पाम रोपित किया गया था।

(ख) केरल में रेड आयल पाम की टेनेरा संकर किस्म ही रोपित की गई है। भारत में सातवीं योजनावधि के दौरान खाद्य तेल के बीजों के उत्पादन का लक्ष्य 167.83 लाख टन है।

(ग) और (घ) अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह में 1593 हैक्टेयर क्षेत्र में रेड आयल पाम के पेड़ लगाये गये हैं। अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह में रेड आयल पाम के अन्तर्गत अतिरिक्त 400 हैक्टेयर क्षेत्र में रोपण कार्य करने का प्रस्ताव है।

देश में धान की खेती वाली भूमि

371. **श्री थम्पन थामस :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में राज्यवार कुल कितनी भूमि पर धान की खेती होती है;

(ख) क्या केरल में खाद्यान्न का विशेषकर चावल का उत्पादन बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश में धान की खेती के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 411.6 लाख हैक्टेयर है (1984-85)। धान की खेती के अन्तर्गत राज्यवार क्षेत्र संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी हां। केरल में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया गया है। 1984-85 के दौरान की गई उपलब्धियों की तुलना में 1986-87 के लिए खाद्य उत्पादन के

लक्ष्य नीचे दिये गये हैं : —

(000 मीटरी टन)

फसल	1984-85	1986-87 कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार लक्ष्य
चावल	1232	1400
अन्य कदन्न	3	4
दलहन	22	26
कुल खाद्यान्न	1257	1430

विवरण

1984-85 के दौरान धान की खेती के अन्तर्गत राज्यवार क्षेत्र

राज्य	क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	35.3
असम	23.2
बिहार	51.7
गुजरात	5.7
हरियाणा	5.7
हिमाचल प्रदेश	0.4
जम्मू तथा कश्मीर	2.8
कर्नाटक	11.6
केरल	7.4

1	2
मध्य प्रदेश	48.4
महाराष्ट्र	15.2
मणिपुर	1.7
मेघालय	1.1
नागालैंड	1.2
उड़ीसा	43.7
पंजाब	16.5
राजस्थान	1.7
सिक्किम	0.2
तमिलनाडु	25.2
त्रिपुरा	2.7
उत्तर प्रदेश	55.4
पश्चिम बंगाल	52.0
संघ राज्य क्षेत्र	2.7
अखिल भारत	411.6

लद्दाख में मोटाप्सा लांगजंग टेवला में कम शक्ति के ट्रांसमीटर की स्थापना

372. श्री० पी० नामग्याल : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी बड़े क्षेत्र और पहाड़ी तराई में कम बिजली के कारण लेह और कारगिल में स्थित दूरदर्शन केन्द्र लद्दाख क्षेत्र के काफी हिस्से की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते;

(ख) क्या सरकार का विचार लद्दाख की नुबरा घाटी में मोटाप्स प्लेटऊ अथवा लागजंग

टेवला और लद्दाख के कारगिल जिले में स्पेडम में प्रत्येक में एक और दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।
(ख) जी, नहीं।

(ग) देश के कवर न हुए भागों में दूरदर्शन सेवा का विस्तार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से ही किया जा सकता है।

विदेशों से किराये पर ली गई मछली पकड़ने की विदेशी नावों सम्बन्धी नीति की पुनरीक्षा

373. श्री आर० एस० माने : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों से किराये पर ली गई विदेशी मछली पकड़ने की नावों की गतिविधियों के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की नीतियों को जारी रखने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस नीति की पुनरीक्षा करने पर कोई विचार किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) विदेशी मत्स्यन जलयान किराये पर लेने की नीति के विरुद्ध विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने इन अभ्यावेदनों की जांच की है और इसके उपचार के लिए समुचित उपाय किये गये हैं। किराये पर जहाज लेने की नीति का उद्देश्य चार्टर करने वाले भारतीयों द्वारा अनिवार्य खरीद के माध्यम से गहरे समुद्र में मत्स्यन करने वाले जलयानों के बेड़े में वृद्धि करना; प्रौद्योगिकी का अन्तरण; गैर-परम्परागत मछली के लिए विदेश में मण्डी स्थापित करना और गहरे समुद्र में मत्स्यन की आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करना है। किराये पर लिए गये जलयानों को एक निश्चित समय सीमा के अनुसार चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना है और इन्हें भारतीय कम्पनियों के स्वामित्व वाले जलयानों द्वारा बदला जाना है।

(ग) विदेशी मत्स्यन जलयानों को किराये पर लेने की नीति की पुनरीक्षा संबंधित एजेंसियों के परामर्श से की जा रही है।

आपरेशन फ्लड कार्यक्रम की यूरोपीय आर्थिक समुदाय से प्राप्त सहायता पर निर्भरता

374. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया था;

(ख) कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त डेरी उत्पादों के लिए देश को किस सीमा तक यूरोपीय आर्थिक समुदाय पर निर्भर रहना पड़ रहा है; और

(ग) यूरोपीय आर्थिक समुदाय पर निर्भरता कम करने के लिए देश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) आपरेशन फ्लड-1 कार्यक्रम 1970-71 में शुरू किया गया था। आपरेशन फ्लड-2 अक्तूबर, 1978 में सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। लेकिन, पूर्वापेक्षाएं पूरी करने में विलम्ब होने के कारण आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत नियोजन प्रक्रिया सभी राज्यों में एक साथ शुरू नहीं की गई।

(ख) देश में दूध के उत्पादन में प्रगामी वृद्धि के फलस्वरूप डेयरी उत्पादों के उत्पादन में क्रमिक वृद्धि हुई है। आशा है कि भविष्य में यूरोपीय आर्थिक समुदाय से उपहार में प्राप्त किए जाने वाले डेयरी उत्पादों के आयात में कमी आयेगी।

(ग) सरकार द्वारा वैज्ञानिक आधार पर गोपशु/भैंस विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किये गये हैं ताकि उनके स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार हो सके। अपनाई गई मुख्य नीतियां और कार्यपद्धतियां इस प्रकार हैं :—

(1) राष्ट्रीय तौर पर महत्वपूर्ण गोपशु-नस्लों का उनके स्थानीय इलाकों में चयनात्मक प्रजनन द्वारा आनुवंशिक सुधार और अन्य चुनिन्दा क्षेत्रों में उनकी नस्ल में सुधार करना।

(2) अज्ञात नस्ल के गोपशुओं का विदेशी डेयरी नस्लों के साथ संकर प्रजनन।

(3) भैंस की महत्वपूर्ण नस्लों का चयनात्मक प्रजनन द्वारा प्रगामी आनुवंशिक सुधार और अन्य इलाकों में अज्ञात नस्ल की भैंसों की नस्ल में सुधार ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़ सके।

(4) आहार और चारे के संसाधनों का विकास ताकि पशुधन के लिए पर्याप्त पोषण सुलभ हो सके।

(5) उत्पादन कार्यक्रम की सहायता के लिए प्रभावी पशु स्वास्थ्य सेवाएं संगठित करना।

(6) *आपरेशन फ्लड-2 के अन्तर्गत अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए आदान सुलभ कराने के* वास्ते दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के जरिए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। वर्ष भर उचित मूल्यों पर नियमित भुगतान द्वारा और देहातों में उत्पादित दूध के लिए बाजार तथा अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए किफायती मूल्यों पर आदान सुलभ कराकर डेयरी सहकारी संस्थाओं में ग्रामीण निर्धनों का आर्थिक स्तर ऊंचा उठाया जाता है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में शहरी आवास की कमी

375. **श्री मुरली देवरा :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में कुल कितने शहरी आवास की कमी का अनुमान किया गया है;

(ख) क्या इस कमी को पूरा करने की कोई योजना है;

(ग) क्या राष्ट्रीय आवासीय कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को कोई निर्देश दिए गये हैं; और

(घ) क्या हमारे शहरों के अनियंत्रित विकास को रोकने की दृष्टि से क्या सरकार की कोई ऐसी राष्ट्रीय औद्योगिक अवस्थापन नीति है जिससे वर्तमान शहरी सीमाओं के अन्तर्गत और औद्योगिक विकास को रोका जा सके ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक शहरी आवास की कमी 9.7 मिलियन एकक होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) आवास राज्य का विषय है और सामाजिक आवास योजनाएं राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और प्लान अग्रताओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं। केन्द्रीय वित्तीय सहायता समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों के रूप में, किसी विशेष योजना अथवा विकास के शीर्ष से सहबद्ध किये बिना दी जाती है। राज्य योजनाओं के एक अनिवार्य भाग के रूप में कार्यान्वित किये जा रहे 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्थलों और सेवाओं का आबंटन लागत मूल्य पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न श्रेणियों विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए योजनाओं हेतु आवास और शहरी विकास निगम के वित्तीय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता दी जाती है।

(घ) वर्तमान नीति के अनुसार सामान्यत: (क) दस लाख से अधिक की आबादी वाले किसी शहर की मानक शहरी क्षेत्र सीमाओं के अन्दर और (ख) 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की नगर सीमाओं के अन्दर, जनसंख्या आंकड़ों का निर्धारण नवीनतम जनगणना के आधार पर करके

औद्योगिक एककों (लघु एककों के अलावा अन्य) की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस से छूट नहीं दी जाती।

गुजरात में सूखा

376. श्री छीतूभाई गामित
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने क्षेत्र में कमी (अकाल) की स्थिति है और उससे कितने लोग और पशु प्रभावित हुए हैं;

(ख) राज्य सरकार ने कमी की स्थिति का सामना करने के लिए कितनी धनराशि की मांग की है और केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) उक्त राज्य को जून, 1986 तक कितनी धनराशि दी गई है;

(घ) गुजरात में राहत कार्यों पर 30 जून, 1986 तक कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या मंजूर की गई सारी धनराशि को अनुदान अथवा ऋण के रूप में माना गया है; और

(च) यदि ऋण के रूप में स्वीकार किया गया है तो इस धनराशि को अनुदान न मानकर ऋण के रूप में स्वीकार करने के क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गुजरात सरकार ने सूखे से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के वास्ते अक्तूबर, 1985 में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया। उन्होंने अप्रैल, 1986 में एक पूरक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। अप्रैल, 1986 वाले ज्ञापन के अनुसार गुजरात के 16 जिले सूखे की चपेट में आये जिनका ब्योरा इस प्रकार है :—

(1)	प्रभावित फसल क्षेत्र	10.75 लाख हैक्टेयर
(2)	प्रभावित जनसंख्या	183.28 लाख
(3)	प्रभावित पशुओं की संख्या	94.59 लाख

(ख) गुजरात सरकार द्वारा मांगी गई राशि और केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई

राशि निम्नवत है :—

	मांगी गई राशि	अनुमोदित खर्च की सीमा 1985-86 के लिए	1986-87 के लिए (रुपये करोड़ में)
पहला ज्ञापन	405.30	31.83	50.65
दूसरा ज्ञापन	331.16	विचाराधीन	

इसके अतिरिक्त, पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए राज्य सरकार की मास्टर-प्लान के लिए 35 करोड़ रुपये तक का खर्च अनुमोदित किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1985-86 के लिए 31.83 करोड़ रुपये की व्यय सीमा में से 16,815 करोड़ रुपये की राशि जिसमें मार्जिन धनराशि का केन्द्रीय हिस्सा भी शामिल है और वर्ष 1986-87 के लिए (14-7-86 तक) 69.375 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त कर दी है।

(घ) गुजरात सरकार ने सूचना दी है कि वर्ष 1985-86 में 104.04 करोड़ रुपये और वर्तमान वित्तीय वर्ष में 15-6-86 तक 144.06 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

(ङ) और (च) आठवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धन सुलभ कराने के स्वरूप के अनुसार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा में उपलब्ध मार्जिन धनराशि से राज्य के वार्षिक प्लान परिव्यय के पांच प्रतिशत तक अधिक किया गया खर्च अग्रिम योजना सहायता में से पूरा किया जाता है, जिसमें ऋण और अनुदान घटक वही होते हैं जो राज्य प्लान के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता के लिए होते हैं अर्थात 70 प्रतिशत ऋण और 30 प्रतिशत अनुदान। यह अग्रिम योजना सहायता राज्य योजना के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में से सूखा समाप्त होने के बाद से 5 वर्षों में समंजित की जाएगी। जहां खर्च राज्य के प्लान परिव्यय के पांच प्रतिशत से अधिक हो, वहां इसे ऐसी केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जाता है जिसमें 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण के घटक होते हैं तथा ऐसी सहायता भावी वर्ष में राज्य प्लान के लिए केन्द्रीय सहायता में समायोजित नहीं होगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का किराया-खरीद के आधार पर आवंटन समाप्त करना

377. मोहम्मद महफूज अली खां : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किराया-खरीद के आधार पर फ्लैटों के आवंटन की योजना समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पंजीकृत व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी मध्यम आय वर्ग आबंटनों तथा कुछ निम्न आय वर्ग आबंटनों को नकद खरीद आधार में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को किराया-खरीद आधार पर आबंटन किया जाएगा।

(ख) और (ग) यह निर्णय वर्ष 1986-87 के दौरान राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तराल को पूरा करने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के एक उपाय के रूप में किया गया है। मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत पंजीकृत 60 प्रतिशत व्यक्ति निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत 25 प्रतिशत व्यक्तियों के इस निर्णय से प्रभावित होने की सम्भावना है क्योंकि अब उन्हें नकद खरीद आधार पर भुगतान करना अपेक्षित होगा।

आपरेशन फ्लड-3 के लिए सहायता अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी की सहायता

378. **श्री सी० माधव रेड्डी**
श्री यशवंत राव गडाख पाटिल } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपरेशन फ्लड फेज-3 परियोजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से धन प्राप्त करने की कोई सम्भावना नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की सफलता की क्या संभावनाएं हैं; और

(ग) इस परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) परियोजना के लक्ष्यों की प्राप्ति, भाग लेने वाले राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के सक्रिय सहयोग से प्राप्त होने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

किसानों को सोयाबीन मिनिकिट का वितरण

379. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को अन्य मिनिकिट के साथ सोयाबीन के मिनिकिट भी वितरित किए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) छोटे तथा सीमान्त किसानों की सहायता संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत 1986-87 के दौरान छोटे तथा सीमान्त किसानों को अन्य तिलहन मिनिकिटों के साथ-साथ सोयाबीन के 1.25 लाख मिनिकिट वितरित करने की राज्य सरकारों को सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

सूखा राहत के लिए महाराष्ट्र को सहायता

380. **श्री आर० एम० भोये** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को पता है कि इस वर्ष सूखे से सर्वाधिक प्रभावित अवधि में महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित जिलों में 22 कैम्पों में 6,000 पशुओं को संरक्षण दिया गया;

(ख) क्या किसानों ने चारे के अभाव और अपने पशुओं का भरण-पोषण कठिन हो जाने के कारण दुधारू गायों और पुराने बैलों को बेच डाला है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग). पशु कैम्पों की संख्या और उनमें पशुओं की संख्या के बारे में जानकारी तथा दुधारू गायों और पुराने बैलों की बिक्री के संबंध में राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होते ही उसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा। पशु संरक्षण सहित सूखे से निपटने के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु महाराष्ट्र सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है।

बीड़ी कामगारों के शोषण के विरुद्ध व्यापक कानून

381. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बीड़ी फैक्ट्रियों के मालिकों द्वारा 40 लाख कामगारों का शोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या इन कामगारों के शोषण को रोकने और इन्हें अन्य उद्योगों के कामगारों के समान सभी सुविधाएं देने के लिए सरकार की एक व्यापक कानून तैयार करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं। कारखाना मालिकों द्वारा नियोजित बीड़ी कर्मकारों की संख्या बीड़ी संसाधन उद्योग में नियोजित बीड़ी श्रमिकों की कुल संख्या का एक भाग है।

(ख) और (ग) "बीड़ी और सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966" नामक केन्द्रीय कानून निश्चय ही व्यापक है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन राज्य सरकारों का काम है। किसी अन्य कानूनी उपाय को तैयार करने की योजना नहीं है।

आवास और नगर विकास निगम द्वारा आवास के लिए भूमि बैंक

382. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :** क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और नगर विकास निगम ने शहरी गरीब जनता को आवास स्थान प्रदान करने के लिए भूमि बैंक सम्बन्धी एक नई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस योजना के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) शायद यह संदर्भ हुडको द्वारा 23-12-85 से आरम्भ की गई भूमि अधिग्रहण योजना से सम्बन्धित है। अब तक हुडको ने संलग्न विवरण में दिए गए ब्योरों के अनुसार विभिन्न राज्यों को 23.15 करोड़ रुपये के ऋण सहित 11 योजनायें स्वीकृत की हैं।

विवरण

11-7-1986 की स्थिति के अनुसार भूमि अधिग्रहण योजनाओं के ब्यौरे

क्र०सं०	अभिकरण	योजना का नाम	योजना सं०	परियोजना लागत	ऋण राशि
				(लाख रुपयों में)	
1	2	3	4	5	6
1.	लखनऊ विकास प्राधिकरण (उ०प्र०)	सीतापुर रोड शहर विस्तार योजना, भाग-1	4532	293.89	100.00
2.	आवास बोर्ड हरियाणा	सोनीपत सैक्टर-15 में भूमि अधिग्रहण	4493	107.08	49.00
3.	शहर एवं औद्योगिक विकास निगम बम्बई	पैनल (न्यू बम्बई) में भूमि अधिग्रहण योजना	4531	2400.00	436.00
4.	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (उ०प्र०)	वैशाली, गाजियाबाद में भूमि अधिग्रहण	4533	428.00	428.00
5.	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास बोर्ड	मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर रोड मेरठ में भूमि अधिग्रहण योजना	4534	947.56	220.00

1	2	3	4	5	6
6.	बृहद कोचीन विकास प्राधिरण (केरल)	बृहद कोचीन, केरल में भूमि अधिग्रहण योजना	4535	295.65	200.00
7.	राजस्थान आवास बोर्ड	संगनेर कस्बा, जयपुर में भूमि अधिग्रहण योजना	4536	479.75	236.00
8.	आवास बोर्ड हरियाणा	फरीदाबाद सैक्टर-21 में भूमि अधिग्रहण योजना	4568	107.66	49.00
9.	लखनऊ विकास प्राधिकरण	गोमती नगर, चरण-II में भूमि अधिग्रहण योजना	4569	299.84	299.84
10.	—वही—	कानपुर रोड नगर प्रसाद योजना भाग-3 में भूमि अधिग्रहण योजना	'4573	289.60	289.60
11.	राजस्थान आवास बोर्ड	शास्त्री नगर, भीलवाड़ा, राजस्थान में भूमि अधिग्रहण योजना	4608	15.94	7.97

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्माण ठेके

383. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ठेका लेने वाली उन फर्मों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा एक करोड़ या उससे अधिक मूल्य के सिविल निर्माण ठेके दिए गए;

(ख) क्या उन फर्मों ने जिन्हें वर्ष 1984-85 में ठेके दिए गए वे अनुवर्ती वर्षों में उन्हें ठेके देने पर विचार किये जाने से पूर्व, अपने ठेकों का संतोषजनक ढंग से निष्पादन किया था;

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इन फर्मों को दिए गए ठेकों का कुल मूल्य क्या है जो 31 मार्च, 1986 को लम्बित पड़े थे; और

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह नीति निर्णय लिया है कि जिन फर्मों ने पिछले वित्तीय वर्षों के ठेके पूरे नहीं किए हैं उन्हें और ठेके नहीं दिए जाएंगे ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उर्वरक संयंत्रों का आधुनिकीकरण

384. श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद
डा० गौरी शंकर राजहंस } क्या : कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में उर्वरक कम्पनियों के मुख्य कार्यपालकों को संयंत्रों और मशीनरी में आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक उपाय शुरू करने और उत्पादकता में सुधार के लिए उपचारात्मक उपाय करने पर जोर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उर्वरक कम्पनियों के विभिन्न पहलुओं की जांच के लिए एक समिति गठित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त समिति का गठन कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन के कार्यकरण की जांच करने तथा उनके निष्पादन में सुधार लाने के उपयुक्त उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए पहले ही एक कर्मी बल गठित किया है।

कोचीन में फ्रिक्वेंसी माड्यूलेशन आकाशवाणी केन्द्र

385. प्रो० के० वी० थामस : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन स्थिति फिक्वेंसी माड्यूलेशन आकाशवाणी केन्द्र अपना प्रसारण कार्य कब से आरम्भ करेगा;

(ख) त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन केन्द्र के कार्यक्रमों का कोचीन दूरदर्शन केन्द्र से प्रसारण करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या कोचीन से दूरदर्शन कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए संचार मंत्रालय के माइक्रोवेव-लिंक का उपयोग करने के बारे में सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संचार मन्त्रालय के बीच कोई विवाद है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सूचना और प्रसारण मन्त्रालय अपना माइक्रोवेवलिंक स्थापित करेगा?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) कोचीन के प्रस्तावित फ्रिक्वेंसी माड्यूलेशन रेडियो स्टेशन के 1989-90 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ख) दूरदर्शन रिले केन्द्र, कोचीन दूरदर्शन केन्द्र, त्रिवेन्द्रम के कार्यक्रमों को तभी रिले कर सकेगा जब दूरसंचार विभाग द्वारा दोनों स्थानों के बीच प्रस्तावित माइक्रोवेवलिंक उपलब्ध कर दिया जायेगा।

(ग) जी, नहीं। दूरदर्शन कार्यक्रमों को रिले करने के लिए, समर्पित टी०वी० बीयरर माइक्रोवेव सर्किट मांग करने पर दूरसंचार विभाग द्वारा उपलब्ध किए जाते हैं। आमतौर से उस विभाग के प्रीटेक्शन माइक्रोवेव सर्किटों को दूरदर्शन कार्यक्रमों को नियमित रूप से रिले करने के लिए उपलब्ध नहीं किया जाता।

(घ) त्रिवेन्द्रम और कोचीन के बीच समर्पित माइक्रोवेव लिंक की व्यवस्था करने के लिए लिए दूरदर्शन ने दूरसंचार विभाग को पहले ही आर्डर दे दिया है।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाएं

386. श्री अनादि चरण दास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान संघ सरकार को कितनी परियोजनाएं भेजी गई हैं; और

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान इनमें से कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव): (क) उड़ीसा सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान केन्द्रीय सरकार को 8 परियोजनाएं भेजी गई हैं।

(ख) इन परियोजनाओं के पूरा होने की समयावधि 1985-86 से आगे है और ये कार्यान्वित की जा रही हैं।

रोजगार नीति

387. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में नौकरी तलाश करने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार नौकरी के और अधिक अवसर सुलभ कराने के लिए कोई प्रभावी रोजगार नीति अपनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) पिछले 5 वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों ने पंजीकृत नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या नीचे दी गई है।

वर्ष	चालू रजिस्टर पर नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या (लाखों में)	चालू रजिस्टर पर पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशतता में परिवर्तन
1981	178.4	10.1
1982	197.5	10.7
1983	219.5	11.1
1984	235.5	7.3
1985	262.7	11.6

(ख) और (ग) सातवीं योजना में विकास नीति का मूल तत्व उत्पादी रोजगार का सृजन है। सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ाकर फसल की मात्रा में वृद्धि करके, निम्न उत्पादी क्षेत्रों/और छोटे किसानों के लिए नई कृषि तकनीकों का विस्तार, उत्पादी परिसम्पत्तियों के सृजन में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अधिक कारगर बनाने के उपायों द्वारा, आवास, शहरी सुविधाओं, सड़कों और

ग्रामीण इन्फ्रास्ट्रकचर मुहैया कराने के लिए गहन श्रम निर्माण क्रियाकलापों के विस्तार द्वारा, प्राथमिक शिक्षा और बेसिक स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाकर, तथा औद्योगिक विकास के नमूने में परिवर्तन करके इसे प्राप्त किया जाएगा। क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अतिरिक्त, गरीबी कम करने के कार्यक्रमों का लक्ष्य समाज के गरीब वर्गों को अपेक्षित प्रशिक्षण, ऋण, विपणन और संगठनात्मक सम्पर्कों द्वारा स्व:रोजगार और मजदूरी रोजगार प्रदान करना सातवीं योजना के दौरान महत्वपूर्ण पैमाने पर जारी रहेगा।

भारतीय राष्ट्रीय कृषक सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड के माध्यम से नारियल का विपणन

388. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषक सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड ने विभिन्न राज्यों में अपने बिक्री केन्द्रों के माध्यम से नारियल का विपणन आरम्भ किया है/करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना नारियल खरीदा गया और उसका विपणन किया गया है;

(ग) क्या भारतीय राष्ट्रीय कृषक सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड ने देश के विभिन्न भागों में नारियल के तेल का विपणन शुरू किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० (नेफेड) ने पहली बार दिल्ली में अप्रैल-मई, 1986 के दौरान प्रायोगिक आधार पर नारियल का विपणन किया और इस अवधि के दौरान लगभग 20 मीटरी टन नारियल की बिक्री की।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1985-86 में खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य

389. श्री शरद दिघे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन के नवीनतम संशोधित अनुमानों के अनुसार वर्ष 1985-86 में देश में उत्पादित खाद्यान्नों की कुल मात्रा कितनी है;

(ख) क्या यह वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान प्राप्त उत्पादन की अपेक्षा कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं और उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या प्रत्येक फसल की पैदावार और उसके क्षेत्रीय वितरण संतोषजनक हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1985-86 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के अंतिम अनुमान अभी तक सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, अब तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर हाल ही में उत्पादन 1480 लाख मीटरी टन के लगभग आंका गया है जोकि 1984-85 में 1462 लाख मीटरी टन के उत्पादन से अधिक है, परन्तु 1983-84 में 1524 लाख मीटरी टन के शीर्ष उत्पादन से कम है।

(ग) कई राज्यों में खरीफ 1985 में मानसून का न आना, 1983-84 की तुलना में 1985-86 में उत्पादन में कमी का मुख्य कारण था। देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा कई फसलोन्मुखी कार्यक्रम आरम्भ किए गये हैं। चुने हुए क्षेत्रों में चुनी हुई फसलों पर उपलब्ध कराई जाने वाली वित्तीय सहायता के अलावा किए जाने वाले उपायों में आदान और विस्तार सहायता भी शामिल हैं। उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय के रूप में किसानों को उनके उत्पादन के लिए लाभप्रद मूल्य देने का भी आश्वासन दिया जा रहा है।

(घ) कृषि जलवायु परिस्थितियों और प्राकृतिक निधियों में भिन्नता को देखते हुए फसल उत्पादन की संरचना में कुछ क्षेत्रीय असमानताएं और असंतुलन होना निश्चित है। तथापि देश में संतुलित क्षेत्रीय सस्य प्रतिमान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार उचित मूल्य नीतियां और विस्तार सम्बन्धी उपाय अपना रही है।

राष्ट्रीय जल संभर (वाटर शैड) विकास कार्यक्रम

390. श्रीमती बसव राजेश्वरी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में कृषि के एकीकृत विकास के लिए प्रायोजित योजना से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने 1989 को समाप्त होने वाले आगामी चार वर्षों में वर्षा पर आधारित कृषि के लिए राष्ट्रीय जलसंभर विकास कार्यक्रम पर 120 करोड़ रुपए व्यय करने का निर्णय किया है;

(ग) क्या सरकार पिछली असफलताओं के कारणों की जांच करेगी तथा भारी अपव्यय को रोकने के लिए कार्यक्रम में उपयुक्त परिवर्तन करेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) बारानी विकास कार्यक्रमों के पिछले अनुभवों के आधार पर वर्षा सिंचित कृषि के लिए राष्ट्रीय जलविभाजक विकास कार्यक्रम की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना तैयार की गई है। इस योजना के माध्यम से उपलब्ध उपयुक्त प्रौद्योगिकी और विभिन्न बारानी इलाकों के अनुकूल प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इस योजना की मुख्य विशेषताएं हैं :—(1) बारानी बागवानी, चारा उत्पादन और फार्म वानिकी सहित सस्य प्रणाली आरम्भ करने के लिए भूमि तथा आद्रता प्रबंध; (2) आकस्मिकता बीज भन्डारण और पौद और घास बीज/प्ररोह की सप्लाई; (3) प्रशिक्षण; (4) अनुकूली अनुसंधान कार्यकलाप; (5) सर्वेक्षण साज-सामान का प्रावधान और नये औजार गढ़ना; और (6) क्षेत्र-मैन्युअल तैयार करना; आदि।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों के लिये श्रेणीकरण योजना शुरू करना

391. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों की राजधानियों में स्थित आकाशवाणी केन्द्रों के क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों के लिए श्रेणीवार योजना शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो बिहार में आकाशवाणी के क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों के लिए श्रेणी वार योजना कब तक शुरू की जाएगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) क्षेत्रीय समाचार बुलेटिनों का कोई श्रेणीकरण नहीं है। क्षेत्रीय समाचार यूनिटें पटना और रांची सहित 42 केन्द्रों में स्थापित की हुई हैं। बहुत सी समाचार यूनिटें राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं और कुछ यूनिटें राजधानी से भिन्न नगरों के केन्द्रों में भी स्थित हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल को मकान निर्माण के लिए राशि आवंटन

392. श्री सुरेश कुरूप : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजनावधि के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत आवास सुविधायें

प्रदान करने के लिए केरल राज्य को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) राज्य ने वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है और क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार आवास स्थल एवं निर्माण सहायता हेतु न्यूनतम आवश्यकता कार्य-क्रम के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य सरकार के लिए 1200 लाख रुपये का परिव्यय आबंटित किया गया था। योजनावधि के दौरान इस योजना पर उपयोग में लाई गई राशि अनुमानतः 930 लाख रुपये है।

(ग) इस योजना के लिए 1986-87 के लिये नियमित की गई राशि 149 लाख रुपये है। कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय ने इस योजनावधि के दौरान लक्ष्य निर्धारित किये हैं जो निम्न प्रकार हैं:—

आवास स्थल	6000 परिवार
निर्माण सहायता	3000 परिवार

रामगंज मन्डी (राजस्थान) में पत्थर की खानों में बंधक मजदूर

393. श्री बी० तुलसी राम
श्री शरद दिघे } : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 25-6-86 के टाइम्स ऑफ इंडिया में "आफिशियल अपैथी इन स्टोन किंगडम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार देखा है;

(ख) यदि हां, तो 30-6-86 को रामगंज मन्डी पत्थर की खानों में कार्य कर रहे बन्धक मजदूरों की संख्या कितनी थी;

(ग) राजस्थान में बंधक मजदूरों को मुक्त करने और उनके पुनर्वास के लिए अब तक क्या कदम उठाये जा रहे हैं और वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण सरकारी तन्त्र द्वारा इन बन्धक मजदूरों को अब तक मुक्त नहीं कराया गया; और

(घ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने तथा सरकार के बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत बंधक मजदूरों को मुक्त कराने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने और उनके पुनर्वास का उत्तरदायित्व पूर्णतया संबंधित राज्य सरकारों का है। तथापि, आवश्यक सूचना राजस्थान सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

394. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी संबंधी योजना को किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है कि सभी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में इस योजना को कड़ाई से लागू किया जाए ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) जी हां, उपलब्ध सूचना के अनुसार, प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी सम्बन्धी योजना को 91 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में शॉप फ्लोर/प्लांट स्तर पर लागू किया जा चुका है। ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

उक्त योजना के अन्तर्गत गठित त्रिपक्षीय समिति, जिसमें कुछ केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों, बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केन्द्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि हैं; समय-समय पर उक्त योजना की प्रगति की समीक्षा करती है और उपचारी उपायों का सुझाव देती है। इस समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि मंत्रालयों को समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए और कम से कम अपने उपक्रमों में योजना के कार्यान्वियन की तिमाही आंतरिक समीक्षा करनी चाहिए और योजना के कार्यकरण का विश्लेषणात्मक मूल्यांकन किया जाना चाहिए और जहां इस योजना को लागू करना संभव न हो वहां की कठिनाइयों का उल्लेख करना चाहिए। इस त्रिपक्षीय समिति ने यह भी निर्णय किया है कि कुछ चुने हुए उपक्रमों में मूल्यांकन अध्ययन भी किया जाना चाहिए। इस प्रश्न को, कि क्या इस योजना को विधान बनाकर लागू किया जाय और इसको लागू करने के तरीके क्या हों, भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्थाई श्रम समिति को सौंप दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उन प्रतिष्ठानों के नाम, जिन्होंने शाप फ्लोर/प्लांट स्तर पर योजना को लागू किया है।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग

1. स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इण्डिया

उर्वरक विभाग

2. पायराइट्स, फासफेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०
3. फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन आफ इंडिया
4. फर्टीलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स (ट्रावनकोर) लि०
5. हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कारपोरेशन लि०
6. नेशनल फर्टीलाइजर्स लि०

परमाणु ऊर्जा विभाग

7. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
8. इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

वाणिज्य मंत्रालय

9. माइका ट्रेडिंग कारपोरेशन लि०
10. मिनरल्स एण्ड मैटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन

संचार मंत्रालय
दूर संचार विभाग

11. हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लि०
12. इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि०

रक्षा मंत्रालय

रक्षा उत्पाद विभाग

13. भारत अर्थ मूवर्स लि०

14. प्राग टूल्स लि०

15. भारत डायनामिक्स लि०

16. मिश्र धातु निगम लि०

17. भारत इलैक्ट्रोनिक्स लि०

18. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०

19. गोवा शिपयार्ड लि०

ऊर्जा मंत्रालय

कोयला विभाग

20. नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

21. सिंगरैनी कोलियरीज लि०

22. नवेली लिगनाइट कारपोरेशन

23. वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

24. सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०

25. ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०

26. भारत कोकिंग कोल लि०

विद्युत विभाग

27. नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन

28. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

उद्योग मंत्रालय

रसायन और पैट्रोकैमिकल्स विभाग

29. हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०

30. हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लि०

31. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मासियूटिकल्स लि०

32. इंडियन पैट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि०

औद्योगिक विकास विभाग

33. एन्ड्रयू यूले कं० लि०

34. सीमेन्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

35. हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कं० लि०

36. नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

37. नेशनल इंसट्रयूमेंट्स लि०

38. नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लि०

39. हिन्दुस्तान केबल्स लि०

40. हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि०

41. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०

42. साइकिल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

43. इंसट्रूमेंटेशन लि०

44. दी मांडया नेशनल पेपर मिल्स लि०

45. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिन्ट कं० लि०

46. नागालैंड पल्प एण्ड पेपर कं० लि०

47. साम्भर साल्ट्स लि०

सार्वजनिक उद्यम विभाग

48. भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि०

49. भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्स लि०

50. भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैसर्स लि०

51. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०

52. त्रिवेणी स्ट्रक्चर्ल्स लि०

53. वर्न स्टेंडर्ड कम्पनी लि०

54. भारत प्रोसेस एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग लि०

55. मारुती उद्योग लि०

56. एच० एम० टी०, लि०

पैट्रोलियम एण्ड प्राकृतिक गैस मंत्रालय

57. मद्रास रिफाइनरीज लि०

58. ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन

59. इंडियन ऑयल ब्लैंडिंग लि०

इस्पात और खान मन्त्रालय
खान विभाग

60. भारत गोल्ड माइन्स लि०

61. भारत एल्यूमिनियम कं० लि०

62. हिन्दुस्तान कॉपर लि०

63. हिन्दुस्तान जिंक लि०

64. मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन

इस्पात विभाग

65. कुडरमुख आयरन एण्ड ओरे कं० लि०

66. मैंगनीज ओरे इंडिया लि०

67. नेशनल मिनरल डैवलेपमैंट कारपोरेशन लि०

68. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि०

69. स्पंज आयरन इण्डिया लि०

70. भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि०

वस्त्र मंत्रालय

71. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन लि०

72. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन
(आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एण्ड मही) लि०

73. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन (गुजरात) लि०

74. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन
(दिल्ली, पंजाब, एण्ड राजस्थान) लि०

75. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन (मध्य प्रदेश) लि०

76. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन (महाराष्ट्र नार्थ) लि०

77. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन (महाराष्ट्र साऊथ) लि०

78. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन (तमिलनाडु, पांडिचेरी) लि०

79. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन (उत्तर प्रदेश) लि०

80. नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन
(पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा) लि०

81. कॉटन कारपोरेशन आफ इंडिया लि०

परिवहन मंत्रालय

भूतल परिवहन विभाग

82. ड्रैजिंग कारपोरेशन आफ इंडिया

83. कोचीन शिपयार्ड लि०

84. देहली ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन

85. शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया

86. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०

87. मुगल लाइन लि०

88. सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लि०

कल्याण मंत्रालय

89. आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यूफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि०

विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

90. सेन्ट्रल इलैक्ट्रोनिक्स लि०

91. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लि०
(रक्षा मंत्रालय)

पांचवीं और छठी योजनाओं के दौरान पश्चिम बंगाल में गेहूं और चावल की उपज

395. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं और छठी योजना के दौरान पश्चिम बंगाल में कृषि के लिए आवंटित राशि क्या है तथा उसमें से कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) उन अवधियों के दौरान पश्चिम बंगाल में चावल, गेहूं की अनुमानित उपज तथा अधि-प्राप्ति क्या है और वास्तव में कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(ग) लक्ष्य-प्राप्ति में विफलता के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) निम्नलिखित आंकड़े पश्चिम बंगाल में पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान कृषि क्षेत्र के सम्बन्ध में वहन किये गये परिव्यय और वास्तविक व्यय को दर्शाते हैं :—

	(करोड़ रुपये में)	
	(परिव्यय)	(व्यय)
पांचवीं योजना (1974—79)	99.14	83.78
छठी योजना (1980—85)	276.00	180 96

टिप्पणी :—इसमें फसलों की खेती, मृदा और जल संरक्षण, पशुपालन, डेरी विकास, मात्स्यकी, वानिकी, खाद्य, भंडारण और भाण्डागार, अनुसंधान और शिक्षा, वित्तीय संस्थाओं में निवेश, विपणन और सहकारिता के लिए प्रावधान शामिल है।

(ख) और (ग) पांचवीं और छठी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्षों में पश्चिम बंगाल में खाद्यान्नों का उत्पादन और लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

वर्ष	(लाख टन में) उत्पादन	लक्ष्य
पांचवीं योजना (1978-79)	80.44	105.00
छठी योजना (1984-85)	92.57	120.00

पांचवीं और छठी योजनाओं के दौरान पश्चिम बंगाल में चावल और गेहूं की अधिप्राप्ति के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	(लाख टन में)	
वर्ष	चावल की अधिप्राप्ति (चावल के रूप में धान सहित)	गेहूं की अधिप्राप्ति
पांचवीं योजना (1975—80)	9.61	0.37
छठी योजना (1980—85)	3.84	—

लम्बे रेशे वाली कपास के मूल्य में गिरावट

396. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के इस मौसम के दौरान लम्बे रेशे वाली कपास के मूल्य में काफी गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप कपास उत्पादकों को भारी हानि उठानी पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या लम्बे रेशे वाली कपास का मूल्य इसके समर्थन मूल्य से भी कम हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या भारतीय रुई निगम ने कपास के मूल्य को और अधिक गिरने से रोकने के लिए अपेक्षित सीमा तक गुजरात से कपास की गांठें नहीं खरीदी थीं; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का अगले कपास मौसम के लिए नई कपास नीति और साथ

ही कपास की गांठों के निर्यात की घोषणा करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) लम्बे रेशे वाली कपास के मूल्य मुख्यतः लगातार दूसरी बार रिकार्ड उत्पादन होने के कारण वर्तमान मौसम के दौरान सामान्यतया मन्दे रहे हैं। कई स्थानों पर 1985-86 की कपास की फसल के रेशे पर मौसम तथा नाशी जीव दोनों के कारण काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, जहां कपास की फसल में व्हाइट फ्लाई की बाधा थी। प्रभावित रेशे को समर्थन मूल्य नहीं दिया जा सका क्योंकि यह औसतन अच्छी क्वालिटी के लिए निर्धारित किया जाता है।

(ग) भारतीय कपास निगम ने समूचे 1984-85 मौसम के दौरान गुजरात में कुल 20.7 लाख कपास की गांठों के अनुमानित उत्पादन में से 1.25 लाख गांठें खरीदी थीं, जबकि इस मौसम में, निगम ने जून, 1986 के अन्त तक उत्पादन में कुछ कमी होने के बावजूद पहले ही 4.66 लाख कपास की गांठें अधिप्राप्त कर ली हैं। यह भारतीय कपास निगम द्वारा किसी एक मौसम में गुजरात में खरीद का सबसे ऊंचा स्तर है।

(घ) 1986-87 के मौसम के लिए कच्चे कपास की मूल्य नीति पर सरकार पहले ही विचार कर रही है। अगले मौसम के लिए कपास की मूल्य नीति और निर्यात कोटा दोनों के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय यथासमय घोषित कर दिया जाएगा।

गांवों का प्रतिमान कृषि सुविधा केन्द्रों के रूप में विकास

397. कुमारी डी० के० तारादेवी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक ब्लाक में 5 प्रतिशत गांवों को प्रतिमान कृषि सुविधाओं उपयोगिता तथा सुविधा केन्द्रों के रूप में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और कैसे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के संबंध में हरियाणा सरकार को उच्चतम न्यायालय के निदेश

398. प्रो० मधु दण्डवते : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंधुआ मजदूरों की मुक्ति के लिए कार्यरत एक संगठन, बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने केन्द्रीय सरकार और हरियाणा सरकार के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में इस आधार पर एक अवमानना याचिका दायर की है कि दिल्ली के पास हरियाणा में खदान श्रमिकों के मामले में उच्चतम न्यायालय के 1983 के फैसले में अन्तर्विष्ट 21 निदेशों का पालन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अवमानना याचिका पर विचार करके उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्देश दिया है;

(ग) यदि हां, तो क्या निदेश दिए हैं; और

(घ) उच्चतम न्यायालय के फैसले को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह मामला उच्चतम न्यायालय में अभी न्यायाधीन है और सुनवाई की अगली तारीख 19 जुलाई, 1986 है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य बीज उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय

399. **श्री शांताराम नायक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मत्स्य बीज उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है; और

(ख) सरकार का राज्य सरकारों तथा अन्य व्यक्तियों को विशेष प्रोत्साहन देने का विचार है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सातवीं योजना अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र में मत्स्य बीज उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 49 वाणिज्यिक मत्स्य बीज फार्मों/हैचरियों की स्थापना पूरी करने की योजना है। मत्स्य बीज उत्पादन शुरू करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ख) केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय मत्स्य बीज कार्यक्रम के अन्तर्गत वाणिज्यिक मत्स्य बीज फार्मों/हैचरियों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों और निगमों को स्वीकृत परियोजनाओं की 70 प्रतिशत लागत ऋण के रूप में मुहैया करती है।

बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चल रही विश्व बैंक से सहायता प्राप्त अन्तर्देशीय मात्स्यकी परियोजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक मत्स्य बीज फार्मों/हैचरियों की स्थापना के लिए स्वीकृत लागत के 70 प्रतिशत के बराबर ऋण मुहैया कराया जाता है। विश्व

बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत, गैर-सरकारी उद्यमियों को भी यह ऋण मुहैया किया जाता है।

इसके अलावा, गैर-सरकारी क्षेत्र को मत्स्य बीज उत्पादन के लिए विस्तार सुविधाएं और प्रोत्साहन दिया जाता है।

[हिन्दी]

फसल बीमा योजना

400. **श्री रामस्वरूप राम :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फसल बीमा योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने छोटे और सीमांत किसानों को मुआवजा दिया गया है; और

(ख) क्या अधिकतर राज्यों में, इस योजना के कार्यान्वियन के लिए अब तक किसी एजेंसी की नियुक्ति नहीं की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) खरीफ, 1985 के दौरान वृहत फसल बीमा योजना के तहत जिन छोटे तथा सीमान्त किसानों को मुआवजा मिला, उनकी संख्या 2,89,370 थी। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारतीय साधारण बीमा निगम ने, जो क्रियान्वयन एजेंसी है, सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सेवा करने के लिए 24 फसल बीमा स्कंध स्थापित किए हैं। इस योजना को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना का सुगमता से कार्यान्वियन करने के लिए राज्य स्तर पर समिति द्वारा नियंत्रित फसल बीमा निधियों को भी स्थापित किए हैं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	खरीफ, 1985 के मौसम के दौरान जिन छोटे तथा सीमान्त किसानों को मुआवजा मिला है, उनकी संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	33,587
2.	गुजरात	80,945
3.	कर्नाटक	14,684
4.	केरल	7,358

1	2	3
5.	मध्य प्रदेश	4,450
6.	महाराष्ट्र	1,07,917
7.	उड़ीसा	1,850
8.	तमिलनाडु	2,993
9.	उत्तर प्रदेश	7,288
10.	पश्चिम बंगाल	28,158
11.	पांडिचेरी	140
		2,89,370

[अनुवाद]

सुपर बाजार को किराया मुक्त भवन सुविधा

401. श्री हाफ़िज मोहम्मद सिद्दीक : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड, नई दिल्ली, को शाखा भण्डार खोलने के लिए किराया-मुक्त सरकारी आवास की सुविधा प्रदान की जाती है लेकिन यह सुविधा सुपर बाजार को नहीं दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सुपर बाजार को भी किराया मुक्त आवास देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार एक रुपया प्रतिमाह के नाम मात्र किराये तथा सेवा प्रभारों के भुगतान पर कार्मिक विभाग के तत्वाधान में चल रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समितियों या विभागों अथवा कर्मचारी संघों द्वारा चलाई जा रही समितियों/एसोसिएशनों जो कि नितान्त रूप से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है, को वास का आबंटन किया जाता है। सुपर बाजारों का मामला इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है।

सिक्किम में भारतीय कृषि अनुसंधान एककों के क्रियाकलाप

402. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को एककों की संख्या; वे कहां स्थित हैं और उनकी गतिविधियों का स्वरूप क्या है;

(ख) क्या ये एकक कृषकों और उद्यान विशेषज्ञों के लिए मृदा परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराती है; और

(ग) नारंगी और इलायची जैसी नकदी फसलों को उगाने में कृषकों की सहायता के लिए इन एकको द्वारा आरम्भ किये गये क्रियाकलाप क्या हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) सिक्किम में गंगटोक में, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भा० कृ० अ० प० का अनुसंधान कम्पलैक्स भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केन्द्रों में से एक केन्द्र है। यह केन्द्र फसल उत्पादन, मृदा संरक्षण, पशु विज्ञान आदि से संबंधित स्थान विशिष्ट अनुसंधान परीक्षणों को हाथ में ले रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अखिल भारतीय समन्वित मक्का अनुसंधान प्रायोजनाओं का एक केंद्र ग्यानशिंग में तथा कृषि वानिकी का केन्द्र सिक्किम में गंगटोक में चल रहा है।

राज्य में एक कृषि विज्ञान केन्द्र सारमसा में स्थित हैं तथा प्रमाणित प्रौद्योगिकी के प्रचार के लिए एक परिचालन अनुसंधान प्रायोजना गंगटोक में है। इसके अतिरिक्त, सिक्किम में गंगटोक में क्षेत्रीय भा०कृ०अ०प० अनुसंधान केन्द्र द्वारा "प्रयोगशाला से खेत तक" कार्यक्रम भी हाथ में लिया जा रहा है।

(ख) जी हां, श्रीमान। भा०कृ०अ०प० की उपरोक्त एककों में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

(ग) सिक्किम में गंगटोक में, भा०कृ०अ०प० का क्षेत्रीय केन्द्र स्थित है तथा नारंगी तथा इलायची सहित, सफल फसल उत्पादन के लिए अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाएं के केन्द्र जनित्रद्रव्य संग्रह, उर्वरक उपयोग, उपयुक्त औजार आदि सहित उपयुक्त पैकर प्रैक्टिस का विकास कर रही हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

403. **डा० दत्ता सामन्त** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार

को कितना नियंत्रण है; और

(ख) गुजरात राज्य और महाराष्ट्र राज्य (बम्बई) के उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों (1983 श्रंखला) में विपरीत प्रवृत्ति की है, विशेषकर जब दोनों राज्यों की सीमा के पार अधिकतर उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य समान है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) मूल्यों और निर्वाह लागत विषयक आंकड़ों सम्बन्धी तकनीकी सलाहकार समिति सामान्यत: राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार को संगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में अपनाए जाने वाले प्रक्रियाओं और पद्धति के बारे में व्यापक दिशा-निर्देश देती है।

(ख) सम्भवत: यहां पर महाराष्ट्र में बम्बई से सम्बन्धित 1933-34=100 वाली श्रंखला और गुजरात में अहमदाबाद से संबंधित ऐसी ही (आधार वर्ष 1926-27=100 वाली) श्रंखला का हवाला दिया गया है। ये सूचकांक सीधे संकलित नहीं किये जा रहे हैं लेकिन इन्हें तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित परिवर्तक कारक का प्रयोग कर श्रम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित 1960 की श्रंखला से प्राप्त किया जाता है। इन दो केन्द्रों के सूचकांकों के प्रवृत्ति की आधारिक अवधि (1958-59) में उनके सूचकांक संख्या के उपभोग के पैटर्न, प्रश्नगत अवधि के दौरान चुने हुए बाजारों में खुदरा मूल्यों की गति, और उचित दर की दुकानों में आपूर्ति स्थिति और राशन की मदों जैसे घटकों में विभिन्नता होने के कारण तुलना नहीं की जा सकती है।

मुनीरका विहार में दुकानों का निर्माण

404. **श्री के० एस० राव** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुनीरका विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दुकानों के निर्माण का कार्य कब शुरू किया गया और इन दुकानों का निर्माण पूरा करने तथा उन्हें आबंटित करने के लिए क्या लक्ष्य निश्चित किया गया था;

(ख) कितनी दुकानों का निर्माण किया जा रहा है और क्या यहां पर एक रेस्तरां का भी निर्माण किया जा रहा है;

(ग) बाजार के निर्माण कार्य के कब तक पूरा होने की आशा है तथा दुकानों के कब तक आबंटित किये जाने का प्रस्ताव था;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कुछ कार्यालयों को इस बाजार में लाये जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कब तक और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या मुनीरका विहार वेलफेयर एसोसिएशन को कोई दुकान आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) मुनीरका विहार में दुकानों का निर्माण अगस्त, 1983 में आरम्भ किया गया था। बीस दुकानें तथा एक जलपान गृह निर्माणाधीन है। मार्केट के नवम्बर, 86 तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है तथा इसके बाद ही आबंटन किया आएगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) जी नहीं। नजूल नियमावली-81 में खुली नीलामी अथवा निषिद्ध निविदा द्वारा केवल बनी बनाई दुकानों के आबंटन की व्यवस्था है। अत: किसी व्यक्ति अथवा संघ के पक्ष में कोई आबंटन नहीं किया जा सकता है।

ट्रेक्टर के इस्तेमाल के बारे में विशेषज्ञों द्वारा दी गयी राय

405. **श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश वैज्ञानिकों, स्काटिश इंस्टीट्यूट आॉफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पेनीक्युक (एडिनबर्ग) के डा० डेविड पी० बालइट तथा डा० ब्रेनान डी० सोने, ने यह राय व्यक्त की है कि भूमि की जुताई में ट्रेक्टर का इस्तेमाल हानिकारक पाया गया है क्योंकि इसके भारी पहिए मिट्टी को क्षति पहुंचाते हैं, जड़ों को बढ़ने से रोकते हैं तथा पानी और हवा बाहर निकाल देते हैं और फलस्वरूप फसल पर बुरा प्रभाव पड़ता है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारतीय कृषि इंजीनियरी संस्थान द्वारा कोई अनुसंधान किया गया है;

(ग) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हल्के ट्रेक्टर का आविष्कार किया गया है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने जुताई, बुवाई तथा फसल कटाई संबंधी कृषि उपकरणों में सुधार करने हेतु अनुसंधान कार्य के लिए धनराशि आबंटित की है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, श्रीमान। यह सच है कि यह एक भली-भांति स्वीकृत तथ्य है कि किसी भी प्रकार के यातायात से मिट्टी ठोस हो जाती है। जितना अधिक यातायात होगा उतना ही अधिक ठोसपन आयेगा। कुछ काल

के पश्चात, 20-25 से०मी० गहरी एक कड़ी परत बन जाती है जो जड़ों को बढ़ने और पानी के फैलने को रोकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस स्थिति को बदला न जा सके और केवल गहरी जुताई इसको समाप्त कर देती है। भारत में छोटे ट्रैक्टरों की ओर अधिक रुझान है और इसलिए विकसित विश्व की तरह से मिट्टी के कठोर होने से उत्पन्न होने वाली समस्याएं यहां अधिक नहीं हैं। भारत में प्रयोग में लाए जाने वाले ट्रैक्टरों द्वारा भूमि की कठोरता के कारण मिट्टी के भौतिक गुणों में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं देखा गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। यह अपेक्षाकृत नया संस्थान है।

(ग) भारत में छोटे चार पहिये वाले ट्रैक्टर बनाये जाते हैं। इसके अलावा, पावर चालित टिलर जो दो पहिये वाले ट्रैक्टर होते हैं, भी उपलब्ध है।

(घ) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सुधरे हुए उपकरणों के विकास के लिए, जिसमें बुवाई के लिए खेत की तैयारी, बुवाई और कटाई आदि के उपकरण शामिल हैं, पर्याप्त निधि प्रदान की है।

राज्यों में बारानी खेती

406. कुमारी पुष्पा देवी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन राज्यों में बारानी खेती प्रारम्भ की गई थी;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में प्रारम्भ की गई बारानी खेती कार्यक्रम की पुनरीक्षा की है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) छठी योजना के दौरान आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों में कई राज्य क्षेत्र की तथा केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित बारानी खेती की योजनाएं शुरू की गई थीं।

(ख) तथा (ग) जी हां। इन योजनाओं के तहत वृहत् पनधारा विकास कार्यक्रम बड़े क्षेत्रों में शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण लोगों का बड़े शहरों में आकर बसना

407. डा० प्रभात कुमार मिश्र : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में ग्रामीण गांवों से प्रस्थान कर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आकर बस रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस निष्क्रमण की गति क्या है और इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) 1971-81 के दौरान भारत में शहरी जनसंख्या में समग्र वृद्धि 3.36 प्रतिशत हुई। श्रेणी-I और -II शहरों में क्रमशः 4.6 प्रतिशत और 4.2 प्रतिशत वृद्धि हुई। संख्या में 1070 लाख से 1600 लाख व्यक्ति तक वृद्धि हुई है जबकि लगभग 60 प्रतिशत वृद्धि प्राकृतिक पहलुओं के कारण और 40 प्रतिशत वृद्धि प्रव्रजन के कारण हुई है।

प्रव्रजन को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :—

(I) ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार उपलब्ध कराके ग्रामीण विकास को तीव्र करना।

(II) बड़े शहरों की तरफ लोगों के प्रस्थान को रोकने के लिए लघु और मध्यम दर्जे के कस्बों का विकास।

(III) ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर जीवन और नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराना।

[अनुवाद]

ग्रामीण गोदामों का निर्माण

408. श्री कमल प्रसाद सिंह : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा वर्ष 1983 में नियुक्त समिति को यह जानकारी प्राप्त हुई है कि किसान अज्ञानता, उत्पादन की मात्रा कम होने और बोझिल प्रक्रियाओं के कारण ग्रामीण गोदामों का उपयोग करने में अधिक रुचि नहीं रखते हैं; जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण गोदामों के निर्माण में धीमी गति हुई है;

(ख) यदि हां, तो छोटे और सीमांत किसानों को इस सुविधा का उपयोग करने हेतु शिक्षित करने और इस संबंध में क्रियाओं को सरल बनाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का विचार है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भंडार निगम और राज्य भाण्डागार निगम द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में शीत भण्डारणों सहित कितने ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया और क्या ये पर्याप्त हैं अथवा ऐसे और गोदाम भण्डारण बनाने की आवश्यकता है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) जी हां।

(ख) 1983 में श्री जेटली समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों की सरकारों को आवश्यक हिदायतें पहले ही जारी कर दी गई हैं कि वे कृषि और सहकारिता विभाग के प्रशिक्षण एवं दौरा कार्यक्रम के जरिए ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की योजना को लोकप्रिय बनाएं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही सभी वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों को ये हिदायतें जारी कर दी हैं कि वे ग्रामीण गोदामों की रसीद को हस्तान्तरणीय दस्तावेज के रूप में घोषित करें, ताकि किसान अपनी न्यस्त रसीदों पर पेशगी प्राप्त कर सकें।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम अथवा केन्द्रीय भांडागार निगम द्वारा कोई ग्रामीण गोदाम नहीं बनाया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य भांडागार निगम ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 12.0 मीटरी टन की क्षमता वाले पांच ग्रामीण गोदामों का निर्माण किया है जो 1981 से चल रहे हैं। उल्लिखित किसी एजेंसी द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई शीत भंडार निर्मित नहीं किया गया है।

प्राकृतिक आपदाओं से राहत दिलाने वाले नियमों में संशोधन

409. प्रो० नारायण चन्द पराशर
श्री लक्ष्मण मलिक
श्री आर० एम० भोये
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत देने तथा उनसे सम्बन्धित योजनाओं परियोजनाओं के निष्पादन से सम्बन्धित नियमों में हाल ही में संशोधन किया गया है ताकि राज्यों को उपलब्ध निधियों का बेहतर उपयोग किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या-क्या संशोधन किए गए हैं;

(ग) क्या इन नियमों के कार्यान्वयन और योजनाओं के निष्पादन की निगरानी केन्द्र सरकार करती है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में तेल का स्वरूप क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) भारत सरकार ने केन्द्रीय सहायता के मानदण्डों में संशोधन कर दिया है। इन्हें जून, 1986 में अतिरिक्त मुद्दों सहित राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए परिचारित किया गया था, ताकि प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राहत के लिए स्वीकृत धनराशि का बेहतर उपयोग किया जा सके। ये संशोधित मानदण्ड 1 जुलाई, 1986 से लागू हो गये हैं और ये उस दिन या उसके बाद की तिथि पर होने वाली किसी भी प्राकृतिक आपदा पर लागू होंगे। संशोधित मानदण्डों का मदवार विवरण और राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए अतिरिक्त मुद्दे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) तथा (घ) राज्य सरकारों को स्वीकृत की गई अधिकतम सीमा में से किये गये व्यय का मदवार ब्यौरा भेजना पड़ता है। केन्द्रीय सहायता के उपयोग का प्रबोधन करने के लिए अन्तर-मंत्रालयी प्रबोधन दल भी भेजे जाते हैं।

विवरण

प्राकृतिक आपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता सम्बन्धी संशोधित मापदण्ड प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्र० सं०	मद	इकाई	संशोधित मापदण्ड (रुपये में
1	2	3	4
	निशुल्क राहत		
(क)	मृत व्यक्तियों के परिवारों को अनुग्रहार्थ अदायगी	प्रति मृत व्यक्ति	5000
(ख)	किसी अंग अथवा दोनों आंखों की क्षति के लिए अनुग्रहार्थ अदायगी	प्रति व्यक्ति	2500
(ग)	घायल व्यक्तियों को लिए अनुग्रहार्थ अदायगी	प्रति व्यक्ति	—
(घ)	बूढ़े और दुर्बल व्यक्तियों तथा निराश्रित बच्चों के लिए राहत	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	2.00 प्रति वयस्क व्यक्ति/1.00 प्रति बच्चा यह दर राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई अधिकतम सीमा के अनुसार होनी चाहिए।

1	2	3	4
(ङ)	राहत शिविर	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	4.00 रुपये जमा अस्थायी शरणस्थान की लागत
(च)	उन परिवारों के लिए जिनके घर बह गए हैं, कपड़े और बर्तन	प्रति परिवार	100जमा 100
2.	अनुपूरक पोषाहार	प्रति व्यक्ति प्रति दिन	आई०सी०डी०एस० के अधीन राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही प्रति व्यक्ति वास्तविक औसत व्यय की अधिकतम सीमा के अनुसार प्रति व्यक्ति 0.80 रुपए।
3.	क्षति ग्रस्त उपस्करों की मरम्मत/बदलने के लिए राज सहायता के रूप में दस्तकारी में कारीगरों को दी गई सहायता	प्रति दिन	
	1. क्षतिग्रस्त उपकरणों के लिए	प्रति इकाई	200/-
	2. कच्ची सामग्री के लिए	प्रति इकाई	250/-
3.	हथकरघा बुनकरों के लिए		
	1. करघा उपकरणों और सहायक पुर्जों की मरम्मत/बदलना	प्रति करघा	200/-
	2. सूत और अन्य सामग्री की खरीद	प्रति करघा	200/-

1	2	3	4
4.	छोटे किसानों/सीमान्त किसानों को निम्नलिखित के लिए सहायता :		स्थानीय एल० डी० बी०/निबार्ड/किसी सम्बद्ध राज्य की एजेंसी के मापदण्ड/पद्धति के आधार पर छोटे किसानों और सीमान्त किसानों की क्रमश: 25 प्रतिशत और $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत जो कि अधिकतम 1000 रुपए प्रति हैक्टेयर होगा।
	(क) गाद निकालने आदि के लिए	प्रति हैक्टेयर	
	(ख) पर्वतीय क्षेत्रों में मलबे को हटाने के लिए और		
	(ग) मतस्य फार्मों का गाद निकालने/बहाली/मरम्मत		
5.	पशुपालन		
	चारे और पशुचिकित्सा सम्बन्धी देखभाल और सकेन्द्रित चारे की व्यवस्था के लिए लघु किसानों/सीमान्त किसानों/खेतिहर मजदूरों को दी गई सहायता	प्रति पशु प्रति दिन बड़े पशु छोटे पशु	3.00 1.50 अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी के 100 प्रतिशत पर सहायता प्रति माह 25 दिनों के लिए उपलब्ध करायी जाएगी। राज्य सरकार को अपनी चालू योजना और गैर-योजना स्थानों से सामग्री घटक उपलब्ध कराना चाहिए।

1	2	3	4
6.	रोजगार सृजन	प्रति श्रम दिवस मजदूरी और सामग्री घटक	
7.	कृषकों को सहायता		
	कृषि आदान राजसहायता (कृषि फसलों, बागवानी फसलों और रोपण फसलों के लिए)	प्रति हैक्टेयर	लघु और सीमान्त किसानों को ही 200/- प्रति हैक्टेयर
8.	पशु पालन		
	बैल, दुधारू पशुओं और अन्य भारवाही पशुओं को बदलने के लिए राजसहायता (लघु और सीमान्त किसानों/खेतीहर मजदूरों के लिए)	बैल अथवा दुधारू पशुओं का जोड़ा	आई०आर०डी० पद्धति के अनुसार पूर्णत: सांस्थानिक प्रतिबन्ध और प्रति परिवार राजसहायता पर अधिकतम सीमा के मुताबिक/नाबार्ड द्वारा अपनाई गई लागत पर राज सहायता के रूप में 1/4 और 1/3 भाग
9.	भेड़/बकरी/सूअर आदि	प्रति इकाई	
10.	नावों, जालों और क्षतिग्रस्त हुए अथवा गुम शुदा अन्य उपकरणों की मरम्मत/बदलने के लिए मछुवारों को सहायता		

1	2	3	4
	1. **यंत्रीकृत मत्स्यन नौका**		
	14 एम० लागत 4,00,000 रुपए 5,00,000 रुपए	प्रति इकाई	उन यंत्रीकृत नौकाओं के मामले में कोई सहायता नहीं दी जाएगी जिन्हें दैवी आपदा के लिए बीमाकृत किया जाना है।
	एम० लागत 2,00,000 रुपए 3,00,000 रुपए एम० लागत 1,25,000 रुपए 2,00,000 रुपए	प्रति इकाई	
	2. **पटरे से बनी अयंत्रीकृत नौका**		
	(क) नौका 10,000/- 30,000/- डग आउट-केनोए 2,000/- (डोंगी) 20,000/- कैटामोरेन 2,000/- (8,000)	प्रति इकाई	(क) 25 प्रतिशत राज सहायता आई०आर०डी० पद्धति के अनुसार प्रति परिवार राजसहायता पर अधिकतम सीमा के अनुसार उपलब्ध करायी जाएगी, नौकाओं की लागत की आई०आर०डी० कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत लागत के अन्तर्गत स्वीकृत लागत के संदर्भ में निर्धारित की जाएगी।
	(ख) 14 एम० नौका 8,000/- के लिए जाल (12,000/-) 12-10 एम० नौकाओं 5,000 के लिए ट्रालर जाल (8,000) गिलनटे (प्रत्येक नग) 500/- 1,200/-		(ख) कोई सहायता सुझाई नहीं गई है, क्योंकि इन मदों का बीमा किया जाना है।

1	2	3	4
11.	डिम्पोना फार्मों के लिए आदान संबंधी राजसहायता	प्रति हैक्टेयर	200 प्रति हैक्टेयर
12.	क्षतिग्रस्त मकानों/पुनरस्थापना के लिए सहायता	प्रति हैक्टेयर	
	(क) पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकान	प्रति इकाई	(क) 1. पुनरस्थापना और निर्माण 1000 रु० 2. निर्माण 500/- रु०
	(ख) आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त	प्रति इकाई	(ख) मरम्मत 200 रुपए

राज्य सरकारों के मार्गदर्शन के लिए अतिरिक्त मुद्दे

1. आपदा राहत को नियंत्रित करने वाले नियम का अर्थ है कि इसे क्षति के मुआवजे के समान नहीं मानना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले संकट से निपटने के लिए प्रभावित आबादी को सहायता पहुंचाने के रूप में माना जाना चाहिए। अतः राहत की प्रमात्रा उतनी नहीं होती जितनी मात्रा में हानि हुई हो। आपदाओं के आने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर गम्भीर रूप से प्रभाव पड़ता है जिन्हें अपना जीवन-प्रवाह आपदा से पूर्व के स्तर पर लाने के लिए सहायता देने की आवश्यकता होती है।

2. यद्यपि गम्भीर सूखे की स्थिति में हमेशा ही यह व्यवहार्य नहीं है कि प्रभावित लोगों के निवास-स्थलों के नजदीक राहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिए स्थायी प्रकृति के कार्य शुरू किये जा सकें, फिर भी उद्देश्य यह होना चाहिए कि ऐसे राहत कार्यों को लागू किया जाए, जिनसे उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन किया जा सके और साथ ही भविष्य में प्रभावित व्यक्तियों की सूखे की स्थिति से बेहतर ढंग से निपटने की क्षमता में वृद्धि हो सके। अतः, सूखा राहत कार्यों को, जहां तक सम्भव हो, चल रही प्लान योजनाओं के साथ संघटित किया जाना चाहिए, ताकि राहत कार्य मौजूदा आपदा को कम करने के साथ ही स्थायी परिसम्पत्तियां सृजित करने में भी मदद करेंगे।

3. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रोजगार सृजित करने के लिए रखी गई सहायता का कम से कम 25 प्रतिशत सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित किया जाए जो आगे चलकर सूखे को रोकने में प्रभावी होंगे। सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के लिए निर्धारित केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने के लिए समय बढ़ाने की राज्य सरकारों की मांग पर गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

4. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राहत कार्यों में लगे श्रमिकों को अधिसूचित न्यूनतम वेतन वास्तव में दिया जाता है। स्थायी परिसम्पत्तियां बनाने के लिए, महत्वपूर्ण घटकों की लागत राज्य सरकार को अपनी प्लान और गैर-प्लान योजनाओं से मुहैया करानी चाहिएं।

5. स्थायी उपयोगिता वाली परियोजनाओं जैसे सूखे से प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी सप्लाई करने की योजना भी केन्द्रीय सहायता की पात्र होंगी बशर्ते कि व्यय के बड़े हिस्से के लिए राज्य प्लान में प्रावधान किया गया हो और कुल लागत का एक छोटा-सा हिस्सा परियोजना के शीघ्र पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में मांगा गया हो। ऐसी योजनाएं प्लान के साथ संघटित होंगी और केन्द्रीय सहायता, उन्हें शीघ्रता से क्रियान्वित करने और पूरा करने के उद्देश्य से मुहैया कराई जायेंगी, जिससे कि सूखे के दौरान व्यक्तियों को आ रही कठिनाइयों को कम करने में मदद मिल सके।

6. राज्य सरकारों को सभी राहत श्रमिकों को परिचय पत्र मुहैया कराने चाहिएं, ताकि विभिन्न राहत योजनाओं के लाभ आपदा से प्रभावित व्यक्तियों में से जरूरतमन्द को मिलें और यह कदाचार के विरुद्ध भी सुरक्षा का एक उपाय है। परिचय पत्र पद्धति का एक अतिरिक्त लाभ यह भी होगा कि राज्य में क्रियान्वित की जा रही अन्य लाभोन्मुखी योजनाओं के लिए धारकों को लक्ष्य वर्ग माना जा सकेगा।

7. राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे भौतिक और वित्तीय दोनों मामलों में केन्द्रीय सहायता के उपयोग का प्रबोधन करने के लिए राज्य में दौरा करने वाले केन्द्रीय प्रबोधन दलों को आवश्यक सहायता मुहैया करायें।

प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति

410. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वह कौन-कौन से राज्य हैं जिन्हें चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूखा, भारी वर्षा, बर्फीले तूफान, भूकम्प आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों तथा सम्पत्ति की क्षति हुई है;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्यों को राहत के रूप में कितनी धनराशि आवंटित की गई और प्रत्येक राज्य में इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए किए गए केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों/संसद सदस्यों ने इन राज्यों को दी गई राहत राशियों में वृद्धि करने का मामला उठाया है क्योंकि उन्हें बहुत ही अपर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इन दलीलों पर क्या निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो कब तक निर्णय लिया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) 1986-87 के दौरान सूखा, भारी वर्षा, बर्फीले तूफान, ओलावृष्टि तथा भूकम्प के कारण जिन राज्यों को क्षति पहुंची है उनके नाम तथा इन आपदाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) प्राकृतिक आपदाओं, जो चालू वर्ष के दौरान घटी हैं, के लिए 1986-87 के दौरान मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता के व्यय की अधिकतम सीमा बढ़ाने के बारे में इस प्रकार का कोई अनुरोध नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

विवरण

क्र० सं०	सूखे से प्रभावित राज्य	1986-87 में उपयोग के लिए मंजूर की गई व्यय की अधिकतम सीमा (करोड़ रुपये)	भारी वर्षा, बर्फानी तूफान, ओलावृष्टि तथा भूकम्प से प्रभावित राज्य	1986-87 में उपयोग के लिए स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा (करोड़ रुपये)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	×× ××	1. हिमाचल प्रदेश	+
2.	गुजरात	35.00 50.65	2. जम्मू कश्मीर	+
3.	कर्नाटक	30.05× 7.50 12.45×××	3. राजस्थान	
4.	महाराष्ट्र	×× 21.68×		

1	2	3	4	5
5.	राजस्थान	×× 44 98× 15.00		
6.	त्रिपुरा	0.29		
7.	मध्य प्रदेश	10.70		

× 1986-87 (जून-जुलाई, 1986) में उपभोग के लिए 1985-86 में मंजूरी

×× और सहायता की मंजूरी पर विचार किया जा रहा है

××× मंजूरी जारी की जानी है।

+ केन्द्रीय सहायता की मंजूरी पर विचार किया जा रहा है। तथापि अग्रिम साधनोपाय के रूप में प्रत्येक राज्य को 5.00 करोड़ रुपये निर्मुक्त किये गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में सातवीं योजना के दौरान कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का लगाया जाना

411. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश में कम शक्ति वाले ट्रांसमीटरों को लगाने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए कोई उपाय किये गये हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या इन ट्रांसमीटरों को लगाने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए कोई चरणबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां। ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित कुछ उपकरणों की सप्लाई के लिए निर्माताओं को आर्डर भी दे दिए गए हैं।

(ख) मंडी के प्रस्तावित अल्प शक्ति (100 वाट) वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर के 1986-87 के अन्त तक चालू हो जाने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में शेष ट्रांसमीटरों (देश के अन्य भागों की भांति) की स्थापना करना सातवीं योजना अवधि के दौरान संसाधनों के वर्षवार आवंटन, उपकरणों की उपलब्धता तथा सापेक्ष प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

पशुधन की गणना

412. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में पशुधन की कोई गणना की गई है;

(ख) यदि हां, तो गणना का निष्कर्ष, विशेषकर पशुओं की राज्यवार संख्या क्या थी और गणना में अन्य क्या-क्या बातें सामने आई; और

(ग) यदि नहीं, तो नवीनतम गणना कब तक की जाएगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग के राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। पशु और फार्म उपकरण की 13वीं अखिल भारतीय गणना 1982 में की गई थी।

(ख) इस गणना के ब्यौरेवार परिणाम विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त किए जा रहे हैं। कुछ राज्यों द्वारा उपलब्ध कराये गये गणक सम्बन्धी परिणामों की विस्तृत जांच की जा

रही है।

(ग) पशुगणना पांच वर्षों की अवधि के बाद आयोजित की जाती है और आगामी अखिल भारतीय पशु गणना 1987 में होनी है।

कर्नाटक में भयंकर अकाल की स्थिति

413. डा० वी० वेंकटेश : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में गम्भीर और भयंकर अकाल की स्थितियां विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी केन्द्रीय दल ने मौके पर मूल्यांकन के लिए उस राज्य का दौरा किया था;

(ग) क्या उक्त दल ने कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) निरंतर चल रही सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार ने मार्च, अगस्त, दिसम्बर, 1985 में 3 ज्ञापन भेजे। इन ज्ञापनों में से प्रत्येक के उत्तर में एक केन्द्रीय दल को प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने और केन्द्रीय सहायता की जरूरत का मौके पर जायजा लेने के लिए भेजा गया था। इन केन्द्रीय दलों की रिपोर्टों और उन पर राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर 1985-86 और 1986-87 (जुलाई, 1986 तक) के दौरान सूखे की स्थिति से निपटने के लिए कुल 100.01 करोड़ रुपये की अधिकतम केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति जारी की गई है, जिसमें हाइड्रोलिक रिगों की खरीद के लिए 7.5 करोड़ रुपये भी शामिल हैं।

पूर्वी तट पर मछली पकड़ने के बन्दरगाहों के निर्माण हेतु सर्वेक्षण

414. श्री चिन्तामणि जेना : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेष रूप से पूर्वी तट पर गहरे पानी में मछली पकड़ने की बन्दरगाहों का निर्माण कराने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के सर्वेक्षण के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की बन्दरगाहों के रूप में विकास किए जाने वाले पत्तनों के नाम क्या हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) सर्वेक्षण ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए निम्न बन्दरगाहों के विकास की सिफारिश की है :—

पूर्वी तट

रायचौक	—	पश्चिम बंगाल
विशाखापट्नम	—	आंध्र प्रदेश
काकीनाडा	—	आंध्र प्रदेश
मद्रास	—	तमिलनाडु
चिन्नामुट्टम	—	तमिलनाडु

पश्चिमी तट

कोचीन	—	केरल
विजिन्जम	—	केरल
मालपै	—	कर्नाटक

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्वी तट के काकीनाडा और चिन्नामुट्टम तथा पश्चिमी तट के विजिन्जम को विकसित किए जाने की सम्भावना है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास बिना दावे की पड़ी धनराशि

415. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास बिना दावे की चौदह करोड़ रु० से भी अधिक की राशि पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस धनराशि को जमाकर्ताओं को बांटने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) इस राशि का भुगतान मुख्यत: या तो अंशदाता या उसके नामांकित/कानूनी वारिस की ओर से दावे प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है;

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों को अनुदेश दिए गए हैं कि वे उन अंशदाताओं का पता लगाने के लिए भरसक प्रयास करें, जिन्होंने अपने दावे प्रस्तुत नहीं किये हैं। इस प्रयोजन के लिए उनसे कहा गया है कि वे कारखानों/प्रतिष्ठानों के नोटिस बोर्डों पर दावा न की गई जमा राशि के ब्यौरे लगाकर उचित प्रचार करें तथा अंशदाताओं के पते-ठिकानों का पता लगाने के लिए नियोजकों/ट्रेड-यूनियनों का सहयोग भी प्राप्त करें।

बीज के आलू की सप्लाई के लिए भारत-हालैंड सहयोग

416. श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में मई, 1986 में हुई भारत-हालैंड आलू सेमिनार में डच सरकार ने आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए पूर्णरूप से रोग-मुक्त बीज के आलू भेजने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और डच द्वारा भेजे गये बीज के आलू इस्तेमाल करने से आलू की पैदावार बढ़ाने में कहां तक मदद मिलेगी;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयोग किया गया है, यदि हां, तो क्या परिणाम प्राप्त हुआ; और

(घ) हालैंड के बीज के आलू प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी नहीं, श्रीमान। तथापि यह सिफारिश की गई थी कि भारत तथा नीदरलैंड दोनों ही अपने-अपने देशों में एक दूसरे के कल्टीवर्स की जांच करेंगे तथा सूचना का आदान-प्रदान करेंगे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल उपलब्ध कराने के लिए उड़ीसा द्वारा विशेष निधि दिये जाने का निवेदन

417. श्री सोमनाथ रथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विशेष निधि दिये जाने का निवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि की मांग की गई है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी राशि

मंजूर की है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

फसल बीमा योजना

418. श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक
श्री पी० कुलनवईवेलू
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उगने वाली सभी फसलों पर बीमा योजना लागू करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या देश के शुष्क क्षेत्रों में यह योजना लागू नहीं की गई है;

(ग) किन-किन क्षेत्रों को अब तक इसके अन्तर्गत नहीं लाया गया है; और

(घ) देश में उगने वाली सभी फसलों पर बीमा योजना कब तक लागू कर दी जाएगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) खरीफ 1985 से देश में क्रियान्वित की जा रही वृहत फसल बीमा योजना बारानी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है, जो उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा फसल बीमा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किये गये हैं, जो इस योजना को क्रियान्वित कर रहे हैं।

(घ) इस समय वृहत फसल बीमा योजना के तहत लाने के लिए देश में उगायी जाने वाली सभी फसलों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आवास और नगर विकास निगम द्वारा संकटग्रस्त क्षेत्रों में गरीबों को मकान का आबंटन

419. श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिन्तामणि जेना
: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और नगर विकास निगम (हुडको) का देश के संकट वाले क्षेत्रों में गरीब जनता को सुरक्षित मकान प्रदान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के संकट ग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें संकटग्रस्त क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए हैं;

(ङ) उक्त क्षेत्रों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं; और

(च) सुरक्षित मकानों के निर्माण में कुल कितनी लागत आने की सम्भावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) बाढ़/अग्नि/तूफानी दुर्घटना से प्रभावित क्षेत्रों में मकानों के निर्माणार्थ ऋण देने की एक योजना पहले से ही चलाता आ रहा है। आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, केरल तथा राजस्थान में 61.81 करोड़ रुपये की परियोजना लागत से जिसमें 42.52 करोड़ रुपये की ऋण सहायता शामिल है, 1.26 लाख मकानों के निर्माणार्थ निर्माण अभिकरणों के लिए अभी तक 96 योजनायें मंजूर की गई हैं।

(ग) से (च) सरकार पहले ही इस स्थिति से परिचित है और इस संबंध में संकटोन्मुख क्षेत्रों में आवास पर गहराई से अध्ययन करने के लिए एक विकास दल (कार्यदल) का गठन किया गया है। इस दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में फिल्में तैयार करना

420. श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1857 सहित उन दिवंगत राष्ट्रीय नेताओं/स्वतंत्रता सेनानियों के नाम क्या हैं जिनके बारे में गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वृत्तचित्र तैयार किये गये हैं;

(ख) उन नेताओं के नाम क्या हैं जिनसे बारे में आगामी तीन वर्षों में फिल्में तैयार किये जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस प्रयोजन के लिये कोई मानदंड निर्धारित किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है।

(ख) इस समय राष्ट्रीय नेताओं/स्वतन्त्रता सेनानियों पर निम्नलिखित डाकुमेंट्री फिल्में फिल्म

प्रभाग के निर्माण कार्यक्रम में शामिल हैं और वे निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं :—

(1) डा० बाबा साहब अम्बेडकर

(2) शेख मोहम्मद अब्दुल्ला

(3) स्वर्गीय श्रीमती कमला नेहरू

(4) श्री एम० एन० राय

(5) श्री एस० सत्यमूर्ती

(6) श्री शाह नवाज खां

(7) श्री मैथिली शरण गुप्त

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर डाकुमेंट्री फिल्में बनाना फिल्म प्रभाग के सामान्य कार्यों का एक अंग है और इस प्रकार के विभिन्न विषय समय-समय पर छांटे जाते रहते हैं। फिल्म प्रभाग ने अपनी स्थापना के समय से हाल तक राष्ट्रीय नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों पर फिल्में बनायी हैं और बनाता रहेगा। 1983 में फिल्म प्रभाग ने स्वतन्त्रता के लिए भारत के संघर्ष पर फिल्में बनाने का काम हाथ में लिया। इस श्रृंखला के अन्तर्गत अब तक 1857 से 1947 तक के समय को कवर करने वाली 36 फिल्में बनायी जा चुकी हैं। इस श्रृंखला के अन्तर्गत 14 फिल्में इस समय निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

विवरण

1857 सहित दिवंगत राष्ट्रीय नेताओं/स्वतन्त्रता सेनानियों पर फिल्म प्रभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों (1983-84, 1984-85 और 1985-86) के दौरान बनाई गई डाकुमेंट्री फिल्में।

1. वीर सावरकर-सादी (1983)—27-5-1983 को रिलीज की गई।

2. नेहरू इन रिमैम्बरेंस-सादी (1983)—11-11-1983 को रिलीज की गई (पंडित जवाहर लाल नेहरू)

3. मेमोरेबल मोमेन्ट्स-सादी (1983)—23-11-1984 को रिलीज की गई (जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी पर)

4. राजश्री पुरुषोत्तमदास टंडन सादी (1983)—3-8-1984 को रिलीज की गई।

5. वीर सावरकर (वृत्ति रूपान्तर)—सादी (1983) थिएटरों में रिलीज करने के लिए नहीं।

6. दादा साहब गायकवाड़—सादी (1984)—1-6-1984 को रिलीज की गई।

7. राजा राम मोहन राय—सादी (1984) —18-5-1984 को रिलीज की गई।

8. राव तुलाराम—सादी (1984)—16-8-1985 को रिलीज की गई।

9. मौलाना मोहम्मद अली जौहर—सादी (1984)—5-7-1985 को रिलीज की गई।

10. विनोबा भावे—दि मैन (संसोधित रूपान्तर) —सादी (1985) —थिएटरों में रिलीज करने के लिए नहीं।

11. दैन केम गांधी —रंगीन (1984)—28-9-1984 को रिलीज की गई। (महात्मा गांधी)

12. नेहरू—रंगीन और सादी (1984) थियेटरों में रिलीज करने के लिए नहीं (सोवियत संघ के सहयोग से फिल्म प्रभाग द्वारा बनायी गयी पूरी लम्बाई की फ़िल्म)

13. इन्दिराज विजन —रंगीन (1985)—थियेटरों में रिलीज करने के लिए नहीं। (श्रीमती इन्दिरा गांधी)

14. मार्टिरन्डम आफ महात्मा— सादी (1985) —1-2-1985 को रिलीज की गई। (महात्मा गांधी)

15. श्री कामराज —सादी (1985)—12-7-1985 को रिलीज की गई।

16. इन्दिरा गांधी 1917-1981—रंगीन (1985)—थियेटरों में रिलीज करने के लिए नहीं।

17. दि फ्रन्टियर गांधी—सादी (1985)—17-9-1985 को रिलीज की गई। (खान अब्दुल गफ्फार खां)

18. प्रियदर्शिनी—रंगीन (1985)—1-11-1985 को रिलीज की गई। (श्रीमती इन्दिरा गांधी)

19. कर्मयोगी आचार्य काकासाहब कालेलकर—रंगीन (1985)—29-11-1985 को रिलीज की गई।

20. इन्दिरा प्रियदर्शिनी—रंगीन (1985)—थियेटरों में रिलीज करने के लिए नहीं। (श्रीमती इन्दिरा गांधी)

21. इन्दिरा गांधी—ए ट्रिब्यूट-1—रंगीन (1985)—थियेटरों में रिलीज करने के लिए नहीं।

22. इन्दिरा गांधी—एट्रिब्यूट—रंगीन (1985)—थियेटरों में रिलीज करने के लिए नहीं।

23. बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया—रंगीन (1985)—13-9-1985 को रिलीज की गई।

चिकमंगलूर में दूरदर्शन सुविधा

421. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में चिकमंगलूर में दूरदर्शन सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी; और

(ग) क्या सरकार का चिकमंगलूर में कम शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित कर यह सुविधा प्रदान करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का विचार है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) दूरदर्शन की सातवीं योजना में, अन्य बातों के साथ साथ, काफी बड़ी संख्या में नये दूरदर्शन ट्रांसमीटरों, जिनमें चिकमंगलूर में अल्प शक्ति (100 वाट) का एक ट्रांसमीटर भी सम्मिलित है, को स्थापित करने की स्कीमें शामिल हैं। ये ट्रांसमीटर योजनागत संसाधनों के वार्षिक आवंटन, देशी निर्माताओं द्वारा अपेक्षित उपकरणों की सप्लाई करने में लिए जाने वाले समय और समग्र प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हुए चरणों में ही स्थापित किए जा सकते हैं। चिकमंगलूर में प्रस्तावित नये ट्रांसमीटर की स्थापना करना उपरोक्त बातों पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम के अंतर्गत दोषी ठहराना

422. श्री मूल चन्द डागा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के उपबंधों के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को सजा दी गई तथा वे विभिन्न अपराध क्या थे जिनके लिए उन्हें सजा दी गई थी और इस सम्बन्ध में न्यायालयों में कितने मामले विचाराधीन हैं; और

(ख) पशुओं के प्रति क्रूरता बरतने के लिए कितने मामलों में सरकारी कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया है और सजा दी गई है;

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली से झुग्गियों का हटाया जाना

423. श्री राजकुमार राय : क्या शहरी विकास मंत्री काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली में डाक-तार विभाग की भूमि पर अनधिकृत झुग्गियों के बारे में 25 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4074 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काली बाड़ी मार्ग, नई दिल्ली स्थित डाक व तार विभाग तथा सम्पदा कार्यालय के क्वार्टरों के बीच की भूमि, जिस पर पिछले छः महीनों के दौरान सैकड़ों झुग्गियां बन गई हैं, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/भूमि और विकास कार्यालय की है;

(ख) यदि हां, तो इन झुग्गियों को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) यह भूमि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की है।

(ख) मामले में निहित कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनधिकृत दखलकारों को बेदखल करने की कारंवाई की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

कुशल पेंटरों और चित्रकारों को रोजगार

424. श्री राजकुमार राय : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन की सरकार की घोषित नीति के अनुसरण में सरकार बेरोजगार पेंटरों/चित्रकारों (आर्टिस्ट्स) को जीवन यापन के उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के लिए और यदि आवश्यक हुआ तो विभिन्न स्थानों पर कला केन्द्र खोलने की एक योजना प्रारम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो जिन स्थानों पर कला केन्द्र खोले गए है उनके नामों सहित ऐसी योजना का ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) कलाओं में विख्यात ऐसे व्यक्तियों जो गरीबी की हालत में हों और उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी

एक योजना है। ललित कला अकादमी जो कि एक स्वायत्त संगठन है और जिसको संस्कृति विभाग द्वारा पूर्ण रूप से धन-राशि जुटाई जाती है, देश में आर्टिस्टों को प्रदर्शनियां लगाने के लिए गैलरी स्पेस प्रदान करती है और अपने विभिन्न केन्द्रों में आर्टिस्टों को स्टूडियो सुविधाएं और रियायती दरों पर कच्चा माल भी प्रदान करती है।

[अनुवाद]

खरीफ कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को ऋण

425. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री सुभाष यादव
श्री धर्मपाल सिंह मलिक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए ऋण मंजूर किए हैं जिससे कि वे आने वाले खरीफ कार्यक्रम में किसानों को सहायता दे सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी राशि का ऋण मंजूर किया गया है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य द्वारा धन का सही रूप से वितरण किया गया है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार को किसी राज्य सरकार द्वारा कोई अनियमितता बरते जाने का पता चला है, यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ङ) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्रीय सरकार ने कृषि आदानों के वितरण के लिये और/अथवा बीजों की अग्रिम खरीद, महत्वपूर्ण फसलों के लिए बृहत पौध संरक्षण उपायों आदि जैसे अत्यधिक विशेष कार्यक्रमों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये विभिन्न राज्यों को अल्पावधि ऋणों की मंजूरी दी है। इस ऋण में से कोई धनराशि किसानों को किसी प्रकार की नकद अदायगी करने के लिए नहीं है।

(ख) खरीफ 1986 के लिए विभिन्न राज्यों को स्वीकृत अल्पावधि ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इस ऋण की धनराशि किसानों को किसी प्रकार की नकद अदायगी करने हेतु नहीं है।

(घ) और (ङ) किसी प्रकार की अनियमितताएं केन्द्रीय सरकार के नोटिस में नहीं आयी हैं।

विवरण

खरीफ, 1986 के लिए राज्यों को स्वीकृत अल्पावधि ऋण

राज्य	धनराशि (करोड़ रुपये में)
बिहार	4.40
गुजरात	16.26
हरियाणा	6.15
हिमाचल प्रदेश	1.00
कर्नाटक	9.85
मध्य प्रदेश	6 00
महाराष्ट्र	21.92
मणिपुर	0.47
मेघालय	0.15
उड़ीसा	3.75
पंजाब	13.27
राजस्थान	3.03
तमिलनाडु	3.50
उत्तर प्रदेश	23.48
पश्चिम बंगाल	2.10
	115.33

पत्रकारों और गैर-पत्रकारों को अंतरिम राहत

426. श्री अमर राय प्रधान
श्री कृष्ण सिंह } : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकारों और गैर-पत्रकारों ने समाचारपत्र कर्मचारियों को अंतरिम राहत की मात्रा दुगुनी करने के सरकार के निर्णय को स्वीकार नहीं किया है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पत्रकारों, गैर पत्रकारों और सरकार के बीच इस मामले में क्या अंतिम निर्णय हुआ है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्पादकों के पास पड़ा कपास और तम्बाकू

427. श्री मानिक रेड्डी
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में कपास और तम्बाकू की बड़ी मात्रा कपास और तम्बाकू उत्पादकों के पास पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस समय कपास और तम्बाकू की कितनी मात्रा उत्पादकों के पास पड़ी है; और

(ग) उत्पादकों से यह वस्तुएं खरीदने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) सरकार कपास की विभिन्न किस्मों और फ्लू-क्योर्ड वर्जीनिया तम्बाकू (वी०एफ०सी०) के विभिन्न ग्रेड्स के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। कपास के मामले में, भारतीय कपास निगम को कपास के घोषित समर्थन मूल्य स्तरों से गिरना शुरू होने पर मंडी समर्थन कार्य करने वाली एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। वी०एफ०सी० तम्बाकू के मामले में तम्बाकू बोर्ड, यदि जरूरी हो तो, आवश्यक मूल्य समर्थन कार्य करता है। तदनुसार, किसान अपना कपास तथा वी०एफ०सी० तम्बाकू का उत्पादन प्रचलित मंडी भावों पर बेचने को स्वतंत्र है तथा उन्हें इस बात की गारंटी है कि यदि व्यापारी संतोषजनक निर्धारित विशिष्टियां वाले उत्पादन को खरीदना नहीं चाहेंगे तो भारतीय कपास बोर्ड तथा तम्बाकू बोर्ड न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए मंडी में हस्तक्षेप करेंगे। ऐसी स्थिति

उत्पादकों द्वारा रोका गया स्टाक वही हो सकता है जो उनके द्वारा स्वेच्छा से रखा गया हो।

वर्तमान कपास मौसम के दौरान भारतीय कपास निगम महाराष्ट्र को छोड़कर कपास उगाने वाले सभी राज्यों में व्यापक मूल्य समर्थन कार्य करता रहा है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र राज्य सहकारी कपास उत्पादक विपणन संघ द्वारा राज्य सरकार की एक एकाधिकार खरीद योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस मौसम में आंध्र प्रदेश में इस निगम की खरीद जून, 1986 के अन्त तक कुल 3.34 लाख गांठों तक पहुंच गई थी, जबकि पिछले पूरे मौसम के दौरान 1.09 लाख गांठें ही खरीदी गई थीं।

1986 के लिये वर्जीनिया तम्बाकू की नीलामी द्वारा बिक्री समाप्त हो चुकी है और अनबिका वी०एफ०सी० तम्बाकू उत्पादकों के पास नहीं पड़ा है। वर्तमान मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश में नीलामी के जरिए वी०एफ०सी० तम्बाकू की कुल 80,460 टन मात्रा की बिक्री हुई।

जहां तक गैर-वर्जीनिया तम्बाकू का सम्बन्ध है, यद्यपि सरकार द्वारा कोई न्यूनतम मूल्य निर्धारित नहीं किए जाते, तथापि 205 तम्बाकू उत्पादक सहकारी सोसायटियों के प्राथमिक स्तर के गैर-वर्जीनिया तम्बाकू के विपणन के लिए राष्ट्रीय स्तर के एक संगठन अर्थात राष्ट्रीय तम्बाकू उत्पादक संघ का गठन किया गया है। इस वर्ष महत्वपूर्ण मंडियों में गैर-वर्जीनिया तम्बाकू के खुले बाजार के थोक मूल्य सामान्यतया पिछले वर्षों के तुलनात्मक स्तरों पर ही रहे हैं।

यह महसूस किया जाता है कि किसी भी निश्चित समय पर किसानों के पास अनबिके पड़े भण्डार का प्रबोधन करना सम्भव नहीं होगा।

मैसर्स प्योर ड्रिंक्स द्वारा विंडसर प्लेस नई दिल्ली में बनाया गया होटल

428. श्री मानिक रेड्डी
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स प्योर ड्रिंक्स ने विंडसर प्लेस, नई दिल्ली में होटल के निर्माण के लिए उन्हें आबंटित की गई वास्तविक भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी अधिक भूमि पर कब्जा किया है;

(ग) क्या इस होटल का निर्माण संबंधित नियमों और उपनियमों के अनुरूप किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैं० प्योर ड्रिंक्स ने विंडसर प्लेस, नई दिल्ली में एक होटल के निर्माण के लिए वास्तविक रूप से आबंटित भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगर पालिका से निरीक्षण करने और व्यतिक्रम यदि कोई हो, के बारे में वास्तविक स्थिति की एक रिपोर्ट शीघ्र देने को कहा जा रहा है। सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन के धारावाहिक कार्यक्रमों और विज्ञापनों का चयन करने की नीति की समीक्षा

429. श्री सोमनाथ रथ
श्री भट्टम श्रीराममूर्ति
प्रो० नारायण चन्द पराशर
श्री रणजीत सिंह गायकवाड़
श्री शांताराम नायक
डा० बी० एल० शैलेश
श्री साइमन तिग्गा

: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर प्रसारण के लिए धारावाहिक कार्यक्रमों और विज्ञापनों का चयन करने सम्बन्धी नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए किसी समिति का गठन किया गया है, यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं और उसके निदेश पद क्या हैं तथा इसके सदस्यों के चयन के मानदंड क्या हैं; और

(ग) क्या इस संबंध में कोई दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) से (ग) जी, हां। सरकार दूरदर्शन धारावाहिकों के चयन के लिए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों को जारी करने की कारंवाई कर रही है। दूरदर्शन धारावाहिकों के चयन के लिए सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों की एक समिति बनाई गई है। समिति के सरकारी सदस्यों की संरचना निम्नानुसार है :—

(1) महानिदेशक, दूरदर्शन

(2) उप महानिदेशक (वाणिज्यिक)

(3) कार्यक्रम नियंत्रक (वाणिज्यिक)

निम्नलिखित गैर-सरकारी सदस्यों का एक पैनल सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिया गया है जिनमें से कम से कम एक महिला सदस्य को दो सदस्यों को समिति की प्रत्येक बैठक में बुलाया जायेगा :—

1. डा० गुरुबख्श सिंह
2. डा० प्रीतम सिंह सफीर
3. प्रो० सिड़नी रिबैरो
4. श्री अक्षय कुमार जैन
5. श्री एम० के० रसगोत्रा
6. श्रीमती सत्या चौधरी
7. श्रीमती रामी छाबड़ा
8. श्रीमती इन्दू जैन
9. श्रीमती रजिया इस्माइल
10. श्रीमती मीरा बी० अगी ।

आस्का/भंजनगर में दूरदर्शन केन्द्र और आकाशवाणी केन्द्र की स्थापना

430. **श्री सोमनाथ रथ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि उड़ीसा में गंजाम जिले में आस्का/भंजनगर में दूरदर्शन केन्द्र तथा स्थानीय रेडियो स्टेशन की स्थापना के लिए उचित मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि बहरामपुर स्थित दूरदर्शन केन्द्र समस्त जिले की आवश्यकतायें पूरा करने में समर्थ नहीं है;

(ग) क्या सरकार का फूलबनी के बजाय कलिंग में एक उच्च शक्ति का ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) आकाश-

वाणी का अपनी सातवीं पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में गंजाम जिले के बहरामपुर में 2 × 5 किलोवाट एफ०एम० ट्रांसमीटर के साथ एक स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह केंद्र आस्का/भंजनगर को भी कवर करेगा। जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, गंजाम जिले के भंजनगर में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने की मांगें प्राप्त हुई हैं। तथापि, दूरदर्शन की सातवीं योजना में गंजाम जिले के छत्तरपुर में अल्पशक्ति वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की स्कीम शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) सातवीं योजनावधि के दौरान फूलबनी में अल्प शक्ति (100 वाट) वाला एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का प्रस्ताव है। कलिंग में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1985-86 के दौरान खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य

431. श्री सोमनाथ रथ : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के लिए खाद्यान्नों का निर्धारित उत्पादन लक्ष्य क्या था; और

(ख) इस लक्ष्य की तुलना में वास्तविक उपलब्धि क्या थी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) योजना आयोग ने वर्ष 1985-86 के लिए खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 1592 लाख मीटरी टन निर्धारित किया था।

(ख) 1985-86 के लिए उत्पादन के पक्के अनुमान अभी सभी राज्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं। तथापि, वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार 1985-86 में खाद्यान्नों का उत्पादन 1984-85 में प्राप्त 1462 लाख मीटरी टन की तुलना में अधिक होने की सम्भावना है।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

432. श्री रामभगत पासवान : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि दिल्ली में असमाजिक तत्वों द्वारा अनधिकृत ढंग से बड़े पैमाने पर सरकारी जमीन हथिया ली गई है यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि विश्वास नगर, दिल्ली 32 के ब्लाक 31, 32 और 33 में ट्रांसफोरमर के नजदीक नागरिक सुविधाओं के लिए निर्धारित जमीन हथिया ली गई है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सार्वजनिक भूमि पर अनधिवास/अतिक्रमण के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। इस सम्बन्ध में किये गये उपचारी उपाय संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

निम्नलिखित उपचारी प्रयास किए गए हैं :—

(i) सभी सम्बन्धितों को यह निर्देश जारी किया गया था कि सार्वजनिक सम्पत्ति पर अतिक्रमण को प्रारम्भ में ही रोका जाना चाहिए तथा इसे स्थाई बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जबकि उन्हें हटाना कठिन हो जाता है।

(ii) अनधिकृत निर्माण तथा अतिक्रमण को संज्ञेय अपराध घोषित करने और सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर दिल्ली में मकान गिराने के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकरण (अपीलेट ट्रिब्यूनल) की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, पंजाब नगर पालिका अधिनियम, 1967, (जैसा कि नई दिल्ली नगर पालिका क्षेत्र में लागू है) तथा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम 1971 में मई, 1984 में यह संशोधन किया गया था। इनको संज्ञेय अपराध घोषित करने सम्बन्धित प्रावधानों को गत वर्ष लागू किया गया था। अपीलीय अधिकरण के गठन से सम्बन्धित प्रावधानों को भी लागू कर दिया गया है (दिल्ली नगर निगम अधिनियम तथा पंजाब नगर पालिका अधिनियम के सम्बन्ध में 10-2-86 से और दिल्ली विकास अधिनियम के सम्बन्ध में 24-2-86 से)

(iii) गृह मंत्री ने 18-6-85 को एक बैठक आयोजित की थी जिसमें अनधिकृत निर्माण की रोकथाम करने के लिए मार्गनिर्देशन निर्धारित किए गए थे तथा सम्बन्धित संगठनों में नितान्त उच्च स्तर पर इस प्रयोजनार्थ उत्तरदायित्व निर्धारित करने का निर्णय लिया था।

(iv) दिल्ली विकास प्राधिकरण अतिक्रमणों को हटाने के लिए समय-समय पर कार्यवाही करता रहा है तथा 1-1-86 से 30-6-86 की अवधि के दौरान 9780 अतिक्रमणों को हटाया गया। अन्य स्थानीय निकाय व विभाग भी अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अतिक्रमणों को हटाने के लिए कार्यवाही करते रहे हैं।

मैक्सिको में हुई विश्व कप फुटबाल प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण

433. **श्री बक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैक्सिको में हुई विश्व कप फुटबाल प्रतियोगिता के सीधे प्रसारण पर कुल कितना व्यय हुआ; और

(ख) प्रयोजनकर्ताओं और विज्ञापनदाताओं से इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) व्यय की पूरी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है क्योंकि दूरदर्शन को कुछ उन सेवाओं के बारे में बीजक विदेशों से अभी प्राप्त होने हैं, जिनका उपयोग पहले ही हो चुका है। तथापि, उसने अब तक 36,890 अमरीकी डालर तथा 13,475 स्विस फ्रांक का भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त लगभग 1 करोड़ रु० का भुगतान उपग्रह प्रभारों के लिए ओवरसीज कम्यूनिकेशन सर्विस को किया जाना है।

(ख) प्रायोजकों तथा वाणिज्यिक विज्ञापनदाताओं से एकत्र की गई सकल राशि 90,00,000.00 रुपए है।

मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए मछुआरों को अतिरिक्त सुविधाएं देना

434. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए मछुआरों को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं योजनावधि के दौरान कितने पारम्परिक जलयानों पर मोटर लगाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) उपर्युक्त योजनावधि के दौरान मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए छोटे मछुआरों को अन्य क्या सुविधाएं और प्रोत्साहन देने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान, 8,000 पारम्परिक जलयानों में मोटर लगाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) पारम्परिक जलयानों में मोटर लगाने पर राजसहायता देने के अलावा, भारत सरकार समुद्र तट पर माल उतारने वाले जलयानों के प्रयोग करने के लिए 50% अनुदान देती है। मछुआरों

को मत्स्यन नौकाएं, मत्स्यन गीयर, गीयर सामग्री और सहायक कल पुर्जे प्राप्त करने के लिए राज-सहायता और ऋण की योजनाओं के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सहायता भी दी जाती है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सहकारी समितियों का विकास किया जाना

435. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने सहकारी समितियों का विकास करने के विचार से एक तीन वर्षीय परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो देश भर में विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए कितने जिलों को चुना गया है;

(ग) जिन प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को उपर्युक्त विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने के लिए चुना गया है, उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) उड़ीसा में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने देश में 20 चुनिन्दा मार्गदर्शी परियोजना जिलों में 600 चुनिन्दा प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं और कार्य कर रहीं सभी बड़े आकार की बहु-उद्देश्यीय कृषि संस्थाओं को सुदृढ़ करने और उनके विकास के लिए एक तीन वर्षीय योजना आरम्भ की है। प्रत्येक चुनिन्दा जिले में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाएं शामिल करनी हैं। इस कार्यक्रम को चुनिन्दा जिलों में दो चरणों में शुरू किया गया है। प्रथम चरण में जुलाई, 1986 से यह कार्यक्रम 12 राज्यों में 15 जिलों में शुरू किया गया है।

(घ) इस योजना को क्रियान्वित किए जाने के लिए चुने गये 12 राज्यों में से एक उड़ीसा है और चुना गया जिला कालाहान्डी है। परियोजना 1 जुलाई, 1986 से ही शुरू की गई है। इस जिले में 30 प्राथमिक कृषि ऋण संस्थाओं को चुने जाने का काम शुरू किया गया है। इस योजना में एक अपर सचिव की तैनाती और बुनियादी सुविधाओं के लिए और चुनिन्दा संस्थाओं और बड़े आकार की बहु-उद्देश्यीय कृषि संस्थाओं में अतिरिक्त अंश पूंजी के लिए राज्य सरकारों को ऋण देने के लिए नाबार्ड द्वारा वित्तीय सहायता दिये जाने का प्रस्ताव है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस्पात संयंत्रों के लिए राशि आवंटन

436. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान विभिन्न समेकित इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने हेतु धनराशि नियत की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक इस्पात संयंत्र को कितनी राशि का आवंटन किया गया है; और

(ग) आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल की गई योजनाओं का ब्योरा क्या है और प्रत्येक योजना के लिए संयंत्र-वार कितनी धनराशि नियत की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सेल के इस्पात कारखानों में आधुनिकीकरण तथा नई योजनाओं हेतु निम्नलिखित धनराशि आवंटित की गई है :—

(करोड़ रुपये)

क्र० सं०	कारखाने का नाम	आधुनिकीकरण तथा नई योजनाएं
1.	भिलाई इस्पात कारखाना	180.00
2.	बोकारो इस्पात कारखाना	160.00
3.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	460 00
4.	राउरकेला इस्पात कारखाना	360.00
5.	"इस्को", उज्जैन सहित इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि०	52.00

(ग) आधुनिकीकरण के प्रस्ताव में विभिन्न उप-योजनाएं शामिल होंगी। सरकार द्वारा आधुनिकीकरण के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् ही इन उप-योजनाओं तथा उनके लिए आवंटित की गई धनराशि का पता चल सकेगा।

राउरकेला इस्पात संयंत्र की उत्पादन क्षमता

437. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राउरकेला इस्पात संयंत्र की वर्तमान उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) कार्यान्वयनाधीन विस्तार कार्यक्रम के पूरा होने पर इस्पात संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी हो जायेगी; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संयंत्र द्वारा बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन की क्या सम्भावनाएं हैं ?

इस्पात और खान मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) इस समय राउरकेला इस्पात कारखाने की इस्पात पिण्ड की स्थापित वार्षिक क्षमता 18 लाख टन है।

(ख) इस समय राउरकेला इस्पात कारखाने में कोई विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है।

(ग) अप्रचलित प्रौद्योगिकी तथा पुराने उपस्करों के कारण यह कारखाना सातवीं योजना के दौरान इस्पात पिण्ड की अपनी 18 लाख टन की निर्धारित वार्षिक क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होगा इसकी क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए एक योजना सरकार के विचाराधीन है। यदि इसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो यह आठवीं योजनावधि में पूरी हो सकेगी।

भारतीय किसानों को हानि

438. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय किसानों को 1971—81 के दशक के दौरान वास्तविक रूप में 45,000 करोड़ रुपये की संचयी सामूहिक हानि हुई;

(ख) क्या इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय के "डिपार्टमेंट आफ बिजनेस" इकोनोमिक्स, द्वारा कोई अध्ययन किया गया था;

(ग) क्या अध्ययन रिपोर्ट से यह पता चला है कि कृषि कार्य में वसूली नीतियों एवं किसानों के आदानों में आर्थिक सहायता के माध्यम से सरकार के हस्तक्षेप के बावजूद खेती से प्रति हेक्टेयर शुद्ध आय में सामान्यत: गिरावट आई है;

(घ) क्या सरकार ने अध्ययन रिपोर्ट की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार उनमें दिए गए सुझावों को किस सीमा तक लागू करने पर विचार

कर रही है ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली के दो अर्थशास्त्रियों ने हाल ही में अध्ययन किया था।

(ग) जी, हां।

(घ) तथा (ङ) जी, हां। उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि किसानों को उनकी जेब-खर्ची के अलावा निवल आमदनी में 1971-72 से 1983-84 की अवधि की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। सरकार का यह निरन्तर प्रयास है कि अधिक उत्पादन तथा निवेश को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से किसानों को उनके कृषि उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किये जायें।

भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम द्वारा सोने की गवेषणा

439. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम ने सोने की गवेषणा के लिए एक पंचवर्षीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं और किन-किन स्थानों पर सोना पाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए कुल कितना व्यय होगा और सोने की गवेषणा किस सीमा तक सफल रही है ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) जी हां, देश में स्वर्ण की खोज पंचवर्षीय गवेषण कार्यक्रम के आधार पर 1980—85 में शुरू की गई और इसे 1985-90 तक बढ़ा दिया गया है। भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण स्वर्ण का क्षेत्रीय आंकलन और खनिज गवेषण निगम लि० कुछ निर्धारित क्षेत्रों में विस्तृत पूर्वेक्षण कर रहा है। इस कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातों में टोही सर्वेक्षण, वृहत मानचित्रण, नमूनाकरण, ड्रिलिंग और गवेषणी खनन आदि शामिल हैं।

निम्नलिखित स्वर्णधारी क्षेत्रों का पता चला है :-

(1) जिला—रायपुर में —हट्टी, बुधिनी तथा कदोनी ब्लाक; जिला -धारवाड़ में — होसुर, चैम्पियन और थलीशिकर ब्लाक; जिला—गुलबर्गा में—कोलार पट्टी और मंगलूर पट्टी के कुछ भाग; जिला—शिमोगा में— पलवनचली —होने-हट्टी, तम्बा-डीहल्ली आदि; सभी कर्नाटक में।

(2) चिगारगुन्टा, मालापाकोन्डा क्षेत्र, चित्तूर जिला; येराप्पा - गन्टालप्पा (रामगिरि), अनन्तपुर जिला, आंध्र प्रदेश।

(3) महाराजगदाई क्षेत्र, धर्मपुरी जिला, तमिलनाडु।

(4) तालकोई और उसके संलग्न क्षेत्र, क्योंझर जिला, उड़ीसा।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम लि० द्वारा कर्नाटक के गदाग, कोलार और हट्टी मस्की शिष्ट पट्टियों एवं जवागोंदनहल्ली क्षेत्र में भी गवेषण कार्य तथा देश के अन्य भागों में टोही कार्य किया जा रहा है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

शहरी विकास के लिए विदेशी सहायता

440. **श्री के० बी० शंकर गौडा** : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर आयोजकों और शहरी विकास के प्रबन्धकों की सबसे बड़ी समस्या वित्तीय कठिनाइयां हैं;

(ख) क्या विकसित देशों, संगठनों और अन्य द्विपक्षीय समझौतों से शहरी विकास प्रबन्ध के लिए बहुत कम सहायता प्राप्त होती है;

(ग) यदि हां, तो विदेशों से शहरी विकास के लिए कुल कितना धन प्राप्त हो रहा है; और

(घ) चालू वित्त वर्ष के दौरान शहरी विकास के लिए क्या योजनाएं प्रारम्भ करने की सम्भावना है?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) शहरी समस्याओं को गम्भीरता से देखते हुए इस क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधन पर्याप्त नहीं हैं। यह सभी विकासशील देशों में होता है जहां संसाधनों की अत्यधिक मांग है परन्तु आपूर्ति सन्तोषजनक नहीं है।

(ख) यह यथेष्ट नहीं रहा है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्भावित विदेशी सहायता की सम्भावना पर ध्यान रखा गया है। तथापि इसकी मात्रा का पता लगाना कठिन है।

(घ) विश्व बैंक, यूनिसेफ आदि के सहयोग से कई शहरी विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

विश्व बैंक तथा यूनिसेफ द्वारा साहाय्यित कार्यान्वयनाधीन शहरी विकास परियोजनाओं का विवरण

क्र० सं०	परियोजना का नाम	विश्व बैंक सहायता की मात्रा (अमरीकी मिलियन डालर)
1.	कलकत्ता शहरी विकास परियोजना-III	147
2.	कलकत्ता शहरी परिवहन परियोजना	56
3.	मद्रास शहरी विकास परियोजना-II	42
4.	तमिलनाडु जलपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना (शहरी तथा ग्रामीण)	73
5.	बम्बई शहर परिवहन परियोजना	25
6.	बम्बई शहर विकास परियोजना	105
7.	बम्बई जलपूर्ति तथा मल निर्यास परियोजना (शहरी चहरण-II	196
8.	कानपुर शहरी विकास परियोजना	25
9.	मध्य प्रदेश शहरी विकास परियोजना	24.1
10.	गुजरात शहरी विकास परियोजना	62
11.	गुजरात जलपूर्ति तथा मल निर्यास परियोजना (शहरी तथा ग्रामीण)	72
12.	राजस्थान जलपूर्ति तथा मल निर्यास परियोजना, (शहरी तथा ग्रामीण)	80
13.	केरल जलपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना (शहरी तथा ग्रामीण)	41

यूनिसेफ द्वारा साहाय्यित योजनाएं

सम्पूर्ण देश में शहरी मूलभूत सेवा योजना के कार्यान्वयन के लिए यूनिसेफ 9.2 मिलियन

अमरीकी डालर देने के लिए सहमति हो गई है।

[हिन्दी]

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले जिले

442. **श्री निर्मल खत्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा आरम्भ किया गया राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम कितने जिलों में नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम को फैजाबाद में भी कार्यान्वित करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना के कार्यान्वयन के लिए नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत सभी जिले तीन क्षेत्रों में बांटे गये हैं जैसा कि नीचे दिया है :—

क्षेत्र का नाम	आने वाले जिले
उत्तर-पूर्वी मैदानी क्षेत्र	गोंडा, बहराईच, बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया।
पूर्वी मैदानी क्षेत्र	बाराबंकी, फैजाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया गाजीपुर तथा वाराणसी।
विंध्या क्षेत्र	मिर्जापुर तथा इलाहाबाद तथा वाराणसी के हिस्से।

(ख) तथा (ग) राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना को 29-3-1982 से फैजाबाद में नरेन्द्र देव कृषि तथा प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद के अनुसंधान निदेशक के कार्यालय को, जोकि फैजाबाद जिले में स्थित है, सुदृढ़ करके पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। जब कभी परिषद के विचार हेतु पूर्वी मैदानी क्षेत्र से सम्बन्धित स्थापित/सुदृढ़ करने का प्रस्ताव प्राप्त हो जायेगा वैसे ही फैजाबाद जिले को लाभान्वित किया जायेगा।

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र

443. श्री निर्मल खत्री : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के क्षेत्राधिकार में कितने जिले हैं;

(ख) क्या इन सभी जिलों में विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किये गये हैं;

(ग) यदि हां तो, प्रत्येक स्थान पर ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए गए हैं; और

(घ) शेष जिलों में ऐसे केन्द्र कब तक खोलने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 15 जिले हैं जोकि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। अभी तक केवल तीन जिलों यानी सुल्तानपुर, बहराईच तथा बस्ती में कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ग) लागू नहीं होता।

(घ) बाकी जिलों में कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना के बारे में तब विचार किया जायेगा यदि भारत सरकार से निधि उपलब्ध हो जाये।

अश्लील वाणिज्यिक विज्ञापनों का प्रसारण

444. श्री निर्मल खत्री : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन वाणिज्यिक रास्ते पर चलाया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या दूरदर्शन द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले वाणिज्यिक विज्ञापनों के दृश्यों और संवादों को भारतीय संस्कृति के अनुसार परिवारजनों के साथ बैठकर देखा जा सकता है; और

(ग) अश्लील वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे वाणिज्यिक विज्ञापन दूरदर्शन वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता, जिसे परिवार के साथ देखे जाने के लिए विज्ञापन की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, के अनुसार होते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीविजन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिक नाटकों और कार्यक्रमों का स्तर

445. श्री निर्मल खत्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन पर दिखाये जा रहे धारावाहिक नाटकों के घटते हुए स्तर को रोकने और अन्य कार्यक्रमों की किस्मों में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार उन मामलों का पता लगाने के लिए जिनमें कार्यक्रम का स्तर गिर रहा है और सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक अध्ययन दल की नियुक्ति करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) यह सामान्य धारणा सही नहीं है कि दूरदर्शन धारावाहिकों का स्तर गिर रहा है। तथापि, धारावाहिकों सहित सभी दूरदर्शन कार्यक्रमों के स्तर में सुधार करने का दूरदर्शन का सतत प्रयत्न रहा है। दर्शकों की अनुभूतियों तथा रुचियों में भिन्नता होने के कारण दूरदर्शन के कार्यक्रमों के बारे में मतभेद हो सकता है। दूरदर्शन विभिन्न श्रोता समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है, इसलिए सभी कार्यक्रमों का एक ही मानदण्ड से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

(ख) जी, नहीं। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कार्यक्रम नियोजन में सामान्य कार्य के एक अंग के रूप में कार्यक्रमों की सतत पुनरीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

आवास निर्माण के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक

446. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राष्ट्रीय आवास बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्य कार्य क्या होगा;

(ग) यह आवास बैंक कब स्थापित किए जाने का विचार है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में आरम्भ की गई राष्ट्रीय आवास योजनाओं का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों में आरम्भ की हुई आवास योजनाओं के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक कहां तक उपयोगी होगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) राष्ट्रीय आवास बैंक के गठन के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

कर्नाटक में लघु कृषक विकास एजेंसी के अन्तर्गत डेरी कार्यक्रम

447. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु कृषक विकास एजेंसी (एस०एफ०डी०ए०) के अन्तर्गत डेरी विकास कार्यक्रम के लिए कर्नाटक में किन-किन जिलों को चुना गया है; और

(ख) लघु कृषक विकास एजेंसी के अन्तर्गत ऐसे छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों की संख्या क्या है जिन्हें उन जिलों में डेरी विकास कार्यक्रम के लिए अब तक वित्तीय सहायता दी गई है ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) जब समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का देश के सभी खंडों में विस्तार किया गया था, तब लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम को अक्तूबर, 1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को कर्नाटक के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है।

(ख) डेरी क्षेत्र में सहायता प्राप्त लाभार्थियों के पृथक् आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, अक्तूबर, 1985 से मार्च, 1986 तक की अवधि के समवर्ती मूल्यांकन के निष्कर्षों के अनुसार कर्नाटक में लगभग 55 प्रतिशत लाभार्थियों को पशु-पालन की योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कर्नाटक में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 7.15 लाख परिवारों को सहायता दी गई थी तथा 1985-86 के दौरान 1.49 लाख को।

कर्नाटक में दुग्ध संसाधन संयंत्र

448. श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में केन्द्रीय क्षेत्र में अब तक स्थापित किए गए दुग्ध संसाधन संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इस प्रकार के कितने दुग्ध संसाधन संयंत्र कर्नाटक में स्थापित किये गये हैं; और

(ग) वर्ष 1986-87 के वित्तीय वर्ष में और कर्नाटक में कितने नये दुग्ध संसाधन संयंत्र स्थापित करने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

449. श्री चिंतामणि जेना
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कुछ त्रुटियां पाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और किस प्रकार की त्रुटियां पाई गई हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का समवर्ती मूल्यांकन भारत सरकार द्वारा अक्तूबर, 1985 से आरम्भ किया गया है। इस प्रयोजन हेतु, 36 जिलों से प्रतिमाह आकस्मिक व आवर्ती नमूना आधार पर आंकड़े/सूचना एकत्र की जा रही है। मार्च, 1986 तक किए गए सर्वेक्षणों के मुख्य निष्कर्ष प्रकाशित किए गए हैं। इन सर्वेक्षणों द्वारा अक्तूबर, 1985 से लेकर मार्च, 1986 तक की अवधि में सर्वेक्षणों के अन्तर्गत शामिल किए गए राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश निम्नलिखित हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू व कश्मीर
8. कर्नाटक
9. केरल

10. मध्य प्रदेश

11. महाराष्ट्र

12. मणिपुर

13. उड़ीसा

14. पंजाब

15. राजस्थान

16. तमिलनाडु

17. उत्तर प्रदेश

18. पश्चिम बंगाल

19. संघ शासित क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश)

20. संघ शासित क्षेत्र (लक्षद्वीप)

अक्तूबर, 1985 से लेकर मार्च, 1986 तक की अवधि के मुख्य निष्कर्षों से यह पता चलता है कि निर्धनतम लोगों को अन्य निर्धन वर्गों की तुलना में कार्यक्रम में अधिक संख्या में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर, रिकार्डों के अनुसार, 99 प्रतिशत पात्र परिवारों की वार्षिक आय 1 रुपया से 3500 रुपए के बीच थी। केवल एक प्रतिशत परिवारों की आय 3501 रुपए से 4800 रुपए के बीच थी। सहायता के समय परिवार की वार्षिक आय को अन्वेषक द्वारा आंकने के आधार पर, लगभग 7 प्रतिशत मामलों में, परिवार की वार्षिक आय 4800 रुपए से अधिक थी, जो चयन के प्रयोजन के लिए सीमा रेखा है। जहां तक चयन के तरीके का संबंध है, लगभग 60 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन ग्राम सभा की बैठकों में किया गया था। लगभग 35 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन अधिकारियों द्वारा किया गया था और शेष 5 प्रतिशत लाभार्थियों का चयन अन्यों द्वारा किया गया था जिनमें संसद सदस्य/विधायक/भू-स्वामी/नियोक्ता और साथी ग्रामीण/पड़ोसी शामिल हैं।

लगभग 78 प्रतिशत लाभार्थियों ने अपनी परिसम्पत्तियां अर्जित करने के लिए सहायता को पर्याप्त माना है। शेष 22 प्रतिशत लाभार्थियों ने सहायता पर्याप्त नहीं समझी। इनमें से लगभग 14 प्रतिशत मामलों में, लाभार्थियों ने बकाया राशि अपने स्वयं के संसाधनों से पूरी की है और शेष 8 प्रतिशत मामलों में, उन्होंने इसे ऋण लेकर पूरा किया। सभी नमूना लाभार्थियों में से लगभग 26 प्रतिशत को कार्यकर पूंजी मिली। लगभग 40 प्रतिशत को किसी कार्यकर पूंजी की जरूरत नहीं थी। शेष 34 प्रतिशत को कार्यकर पूंजी की जरूरत थी, किन्तु उन्हें यह नहीं मिली।

इसके अलावा, लगभग 31 प्रतिशत मामलों में वापसी अदायगी की अवधि तीन वर्ष से कम थी।

लगभग 70 प्रतिशत मामलों में परिसम्पत्तियां सही पाई गई थीं। शेष 30 प्रतिशत मामलों में परिसम्पत्तियां सही नहीं पाई गई थीं (अर्थात् या तो बेच दी गईं, पूरी तरह नष्ट हो गयीं, आंशिक रूप से नष्ट हो गयीं/खराब हो गयीं या अन्य कारण)।

राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 29 प्रतिशत मामलों में सरकारी एजेंसियों द्वारा निरन्तर सहायता दी गई थी और देखभाल की गई थी। लगभग 39 प्रतिशत मामलों में, बाद की देखभाल/सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई थी तथा लगभग 32 प्रतिशत मामलों में, लाभार्थियों को इस प्रकार की किसी सहायता की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई।

77 प्रतिशत लाभार्थियों को परिसम्पत्तियों से अतिरिक्त आय हुई थी। 6400/- रुपए की संशोधित गरीबी की रेखा के आधार पर लगभग 11 प्रतिशत पुराने लाभार्थियों ने गरीबी की रेखा पार की है। तथापि, 46 प्रतिशत लाभार्थियों ने 3500/- रुपए की पहली गरीबी की रेखा पार कर ली है।

देश के विभिन्न भागों में पहले किए मूल्यांकन अध्ययनों से भी प्रशासनिक तथा संगठनात्मक ढांचे, भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों के निर्धारण में एकरूपता, प्रति व्यक्ति निवेश का निम्न स्तर, परि-प्रेक्ष्य योजनाओं का तैयार न करना तथा कुछ लाभार्थियों का गलत चयन आदि जैसी कमियों का पता चला है।

इन कमियों को राज्य/संघ शासित सरकारों के ध्यान में लाया गया है ताकि वे सुधारात्मक कारंवाई कर सकें।

खनन और इस्पात उद्योगों द्वारा पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यवाही

450. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनन और इस्पात, दोनों उद्योगों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए एक त्रिकोणीय नीति तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) ऐसी कोई त्रिकोणीय नीति नहीं है, लेकिन पर्यावरण के गिरते स्तर को रोकने के लिए हाल ही में संसद में प्रस्तुत खान और खनिज (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 1986 में पर्यावरण को सुरक्षित रखने, वनस्पति और अन्य झाड़ियों को बनाये रखने और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पूर्वेक्षण लाइसेंसों और खनन पट्टों को निर्धारित समय से पूर्व समाप्त करने की व्यवस्था है। हिन्दुस्तान जिंक लि० भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि०, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० आदि जैसे सरकारी क्षेत्र के यूनिटों ने

पर्यावरण के गिरते स्तर को रोकने हेतु वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण और अन्य उपाय आरम्भ किये हैं।

समुद्रपार विकास एजेंसी द्वारा गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए अनुदान

45 . श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रपार विकास एजेंसी (लन्दन) आन्ध्र प्रदेश के विशाखापतनम में गंदी बस्तियों को हटाने के लिए 11 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत करने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) विशाखापतनम में मलिनबस्ती उन्मूलन परियोजना सम्बन्धी प्रस्ताव जिसमें समुद्रपार विकास अभिकरण से सहायता लेने की बात है, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से हाल ही में प्राप्त हुई है तथा इसकी जांच की जा रही है।

जवाहरलाल नेहरू पर टेलीविजन फिल्म

452. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जवाहरलाल नेहरू पर एक टेलीविजन फिल्म का निर्माण करने के लिए ब्रिटेन के एक विख्यात फिल्म निर्माता श्री ग्रिफिथ के साथ किसी ओपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इस समझौते पर हस्ताक्षर करने में कितना समय लगने की सम्भावना है;

(ग) क्या सरकार को इस फिल्म की पटकथा प्राप्त हो गई है तथा उसने यह सुनिश्चित करने के लिए उसकी जांच कर ली है कि इसमें कोई मिथ्याकथन नहीं है;

(घ) इस फिल्म की शूटिंग कब तक शुरू हो जाने की सम्भावना है तथा यह प्रदर्शन के लिए कब तक तैयार हो जायेगी; और

(ङ) इस फिल्म के निर्माण में कुल कितना व्यय होने की सम्भावना है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) समझौते का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पटकथा, जिसे श्री कैनेक ग्रिफिथ द्वारा विषय पर भारत तथा विदेशों में पूरी तरह अनुसंधान करने के बाद तैयार की जानी है, को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। पटकथा के अन्तिम रूप दे दिए जाने के बाद तथा फिल्म निर्माण कार्य आरम्भ होने से पूर्व उसकी सरकार द्वारा जांच पड़ताल करके स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

(घ) फिल्म की शूटिंग नवम्बर, 1986 तक प्रारम्भ होने की सम्भावना है। दिखाने के लिए फिल्म के 1987 के मध्य तक तैयार हो जाने की सम्भावना है।

(ङ) व्यय का ठीक ठीक ब्यौरे का पता फिल्म के मुकम्मल होने के बाद ही चलेगा। तथापि, अनुमानित व्यय 25 लाख रुपए के आसपास होगा।

विवरण

1. श्री केनेथग्रिफिथ और महानिदेशक, दूरदर्शन ने 29 मई, 1986 को पंडित जवाहरलाल नेहरू पर 90-100 मिनट की 16 मिलीमीटर की एक रंगीन फिल्म का निर्माण करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। फिल्म को समझौते पर हस्ताक्षर होने की तारीख से 11 महीने के भीतर मुकम्मल किया जाएगा।

2. फिल्म के लेखक, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता तथा कार्यकारी निर्माता श्री केनेथग्रिफिथ होंगे, जो फिल्म को भारत सरकार की सम्पूर्ण संतुष्टि के अनुरूप पूरा करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। वे फिल्म की शूटिंग आरम्भ करने से पहले भारत और विदेशों में विषय पर पूरी तरह से अनुसंधान करने के बाद फिल्म की विस्तृत पटकथा तैयार करके सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करेंगे।

3. भारत सरकार दूरदर्शन नई दिल्ली के एक अधिकारी को इस फिल्म का सहयोजित निर्देशक नियुक्त करेगी जो सरकार की ओर से फिल्म के लिए कार्य करेगा।

4. श्री केनेथग्रिफिथ भारत सरकार की अनुमति से ब्रिटेन स्थित एक निर्देशक की सेवाओं का भी उपयोग करेंगे। वे वस्तु प्रकोष्ठ तारतम्यता आदि में सहायता के लिए सुश्री थिआरा पेरेट्ठी की सेवाएं भी प्राप्त करेंगे।

5. दूरदर्शन, नई दिल्ली फिल्म की भारत में शूटिंग के लिए अपेक्षित निम्नलिखित व्यक्ति तथा उपकरण उपलब्ध करेगा :—

(1) एक मुख्य कैमरामैन;

(2) एक सहायक कैमरामैन;

(3) एक ध्वनि रिकार्डिस्ट;

(4) एक प्रकाश सहायक; तथा

(5) एक निर्माण प्रबंधक।

दूरदर्शन ब्रिटेन में शूटिंग आयोजित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

6. भारत सरकार स्थल-चयन, परामर्श तथा वास्तविक शूटिंग के लिए तथा निर्माणोत्तर कार्य के लिए समूचे दल के लिए भारत तथा ब्रिटेन में सड़क तथा हवाई परिवाहन पर होने वाले व्यय को स्वीकृत बजट की सीमा में वहन करेगी। भारत सरकार कच्चे माल (1:10 तक सीमित) उपकरणों तथा निर्माणोत्तर कार्य, जिसमें विधायन, सम्पादन इत्यादि भी शामिल है, का भी सम्पूर्ण व्यय वहन करेगी।

7. श्री कैनेथ ग्रिफिथ को फिल्म के निर्माण के लिए विदेशी मुद्रा मे 3,000 पौंड का मूल शुल्क दिया जाएगा। फिल्म के निर्देशक को विदेशी मुद्रा में 15,000 पौंड का मूल शुल्क दिया जाएगा। सुश्री चिआरा पेरेट्टी वस्त्र प्रकोष्ठ तथा तारतम्यता सहायक को विदेशी मुद्रा में 5,000 पौंड का मूल शुल्क दिया जाएगा। उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को अनुसंधान, शूटिंग तथा निर्माणोत्तर कार्य के लिए 50 पौंड प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता दिया जायेगा। इस राशि का 50 प्रतिशत अर्थात 25 पौंड प्रतिदिन विदेशी मुद्रा में तथा शेष 50 प्रतिशत भारतीय रुपयों में दिया जाएगा।

8. फिल्म पर दूरदर्शन का स्वामित्व होगा। भारत सरकार फिल्म में अनन्तकाल तक भारत तथा विदेशों में व्यवसायिक, अव्यवसायिक, टेलीविजन, वीडियो आदि सभी प्रयोजनों के लिए पूर्ण तथा अनन्य कापीराइट तथा अन्य अधिकार प्राप्त करेगी।

पूर्वी राज्यों में उर्वरकों का उपयोग

453. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी राज्यों में उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत दर पंजाब और हरियाणा की तुलना में कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कृषि उत्पादन विशेषतः खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों, आदि के समग्र राष्ट्रीय उत्पादन स्तर पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है;

(ग) क्या पूर्वी राज्यों में चावल, चाय आदि की पैदावार में वृद्धि करने के लिए उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो वित्तीय अड़चनों सहित यदि कोई हों, तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1986-87 के दौरान राज्यों में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां। पूर्वी राज्यों में उर्वरकों की प्रति हैक्टेयर खपत दर पंजाब और हरियाणा की तुलना में कम है।

(ख) देश में विभिन्न क्षेत्रों के स्रोतों की विशिष्ट स्थायी निधियां उर्वरक खपत में क्षेत्रीय असमानताओं का मुख्य कारण हैं। इस क्षेत्र में उर्वरक की कम खपत, तुलनात्मक रूप से कम उत्पादकता के कारणों में से एक मुख्य कारण है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों के लिए चावल उत्पादन का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ उर्वरकों का उपयोग बढ़ाना है।

(घ) सातवीं योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 105 करोड़ रुपए का परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। उसी सीमा तक समान धनराशि का प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा मुहैय्या किया जायेगा।

(ङ) योजना आयोग के कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 1986-87 के दौरान पूर्वी राज्यों में खाद्य-फसलों के उत्पादन के लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चावल, जो इस क्षेत्र की मुख्य फसल है, की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूर्वी क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चावल उत्पादन का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य घटकों में प्रशिक्षण, रियायती मूल्यों पर बीज, उर्वरक, सूक्ष्म-पोषक तत्व, फार्म उपस्कर जैसे आदानों का वितरण और सिंचाई तथा जल निकासी सुविधाओं में सुधार करने जैसी अवस्थापना संबंधी सुविधाओं का विकास शामिल है।

विवरण

वर्ष 1986-87 के दौरान खाद्य फसलों के उत्पादन के लक्ष्य

राज्य	चावल	ज्वार	बाजरा	मक्का	गेहूं	अन्य धान्य	दलहन	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	32.00	—	—	0.45	1.81	0.15	1.00	35.41
बिहार	63.00	—	—	14.00	35.00	2.00	11.00	125.00
उड़ीसा	58.00	0.29	0.06	2.00	1.60	4.25	11.20	77.40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर प्रदेश	83.00	5.00	6.00	13.50	183.50	12.00	31.00	334.00
पश्चिम बंगाल	84.00	—	—	—	9.00	1.50	3.00	97.50
मध्य प्रदेश	51.00	19.00	1.20	11.20	50.00	5.50	30.25	168.15

आवास को उद्योग घोषित करना

454. **श्री वी० एस० विजय राघवन :** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास को उद्योग के रूप में घोषित किया गया है;

(ख) क्या सरकार के पास शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कम लागत के मकान बनाने हेतु कोई महत्वाकांक्षी योजना है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1986-87 में इसके लिए कुल कितनी धनराशि का आबंटन किया जाएगा; और

(घ) इसी अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत केरल को कितनी धनराशि का आबंटन किया जाएगा ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) आवास को एक उद्योग के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) आवास राज्य का विषय है और सामाजिक आवास योजनायें, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपनी स्थानीय आवश्यकताओं तथा योजना प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती है। तथापि, शहरी क्षेत्रो के लिए जनता के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना और भूमिहीन कामगारों के लिए ग्रामीण आवास स्थल एवं निर्माण सहायता प्राप्त योजना को पहले ही बीस सूत्री कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता किसी विशेष योजना या विकास शीर्ष से सम्बन्धित हुए बिना एक मुश्त ऋणों और एक मुश्त अनुदानों के रूप मे दी जाती है।

नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना

455. **श्री वी० एस० विजय राघवन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ये केन्द्र किन स्थानों पर स्थापित किये गए हैं; और

(ग) इन केन्द्रों में किए जा रहे कार्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) कोचीन स्थित नारियल विकास बोर्ड के मुख्यालय में एक प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र स्थापित किया गया है।

(ग) नारियल का पानी बोतल में भरने तथा सुखाए गए नारियल पर अनुसंधान संबंधी अध्ययन करने के अलावा नारियल की दस्तकारी में लगे शिल्पियों को अनुदान दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त नई प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के तहत अनुसंधान संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें क्रीम, नारियल की लकड़ी और क्वायर पिथ शामिल हैं।

केरल में नारियल के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

456. **श्री वी० एस० विजयराघवन**
श्री के० कुन्जम्बु } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में नारियल के विकास के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान इन योजनाओं के लिए कितनी राशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) इस संबंध में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस समय केरल में नारियल विकास की इस प्रकार की केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई योजना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कृषि और वाणिज्यिक फसलों के लिए दीर्घकालिक मूल्य नीति

457. श्री वी० एस० विजयराघवन
श्री शरद दिघे } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या सरकार कृषि और वाणिज्यिक फसलों के लिए एक दीर्घकालिक मूल्य नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसे अन्तिम रूप कब दिया जाएगा ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) दीर्घकालीन कृषि मूल्य नीति तैयार की जा रही है।

रसायनों/उर्वरकों का आयात

458. श्री अमर सिंह राठवा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसायनों/उर्वरकों का भारी मात्रा में आयात किया जाना जरूरी है यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा का आयात किया गया है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) सरकार देश में रसायन/उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने और विदेशी मुद्रा बचाने के उद्देश्य से आयात में कटौती करने के लिए क्या उपाय कर रही है;

(ग) क्या देश में बहुमूल्य वृक्षों के पत्तों और पशुओं के गोबर सहित प्राकृतिक जैव अपशिष्ट का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है; और

(घ) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इस संबंध में कोई सिफारिशें की हैं और यदि हां, तो क्या उनका पालन किया जा रहा है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां। आयातित उर्वरकों की मात्रा तथा अन्तर्ग्रस्त राशि के आंकड़े अगले पृष्ठ पर दिए गये हैं :—

वर्ष	न्यूट्रियन्स की मात्रा लाख मी० टनों में	करोड़ रुपयों में लागत एवं भाड़ा
1983-84	13.55	?65.00
1984-85	36.24	1500.00
1985-86	33.99	1405.00 (लगभग)

(ख) देश में उर्वरक उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक वृहत योजना आरम्भ की गई है। तथापि आयातों की आवश्यकता फिर भी जारी रहेगी।

(ग) यथा सम्भव सीमा तक खाद के रूप में अमूल्य पेड़ के पत्तों तथा पशु वीक्षा सहित सभी प्रकार के कार्बनिक अपशिष्टों के उपयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह अनुमान है कि वर्ष 198.-86 के दौरान लगभग 240 मिलियन टन ग्रामीण अपशिष्ट एवं 6.5 मिलियन टन शहरी अपशिष्ट का खाद के रूप में प्रयोग किया गया है।

(घ) जी हां। कृषि सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग (1976) ने भूमि कार्बनिक सामग्री एवं कार्बनिक खादों पर अनेक सिफारिशें की थीं इस सन्दर्भ में कार्बनिक खादों एवं बायो उर्वरकों के विकास तथा प्रयोग के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

दूरदर्शन की "इन्टेक्स्ट" सेवा

459. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन की महत्वाकांक्षी सूचना सेवा "इन्टेक्स्ट" परियोजना वास्तविक रूप में आरम्भ किए बिना ही समाप्त हो गई है क्योंकि इस सेवा में किसी को कोई रुचि नहीं है; और

(ख) क्या आम जनता की इसमें रुचि न होने के कारण सरकार का विचार इन्टेक्स्ट सेवा को बन्द करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। तथापि, इस सेवा के प्रति अनुक्रिया अनुमान से कम रही है।

(ख) जी, नहीं। इस सेवा की सूचना विषय वस्तु को अधिक उपयोगी, अद्यतन और विश्वसनीय बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। कुछ अन्य कदम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इस प्रकार की सेवा में सुधार एक सतत् प्रक्रिया है।

उर्वरकों का आयात

460. श्री डी० एन० रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान देश में कुल कितनी मात्रा में उर्वरकों के आयात करने का प्रस्ताव है और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी; और

(ख) क्या उर्वरकों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं लाभों को पूरा करने के लिए विश्व बैंक अथवा किसी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी ने कोई ऋण अथवा सहायता की पेशकश की है;

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1986-87 के दौरान उर्वरकों के आयात की मात्रा स्वदेशी उत्पादन कार्यक्रम तथा पहले से ही विद्यमान स्टाक को ध्यान में रखते हुए उर्वरकों की खपत को पूरा करने की वास्तविक आवश्यकता पर निर्भर करेगी। इसकी आवधिक समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार आयातों को निमित किया जाता है। उर्वरकों का आयात उन देशों से किया जाएगा जिनके साथ भारत सरकार के ऋण व्यवस्थाओं के समक्ष रुपयों में भुगतान करने के व्यापार करार है तथा आंशिक रूप से विदेशी मुद्रा के समक्ष किया जाएगा, जिसमें विश्व बैंक के साथ करार किए गए सहकारी उर्वरक उद्योग परियोजना के घटक के अधीन जो कुछ उपलब्ध होगा, वह भी शामिल होगा।

दूरदर्शन धारावाहिक कार्यक्रमों के आलेखों को स्वीकृति

461. श्री गुरुदास कामत : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के पास काफी संख्या में दूरदर्शन धारावाहिक स्क्रिप्ट स्वीकृति के लिए विचाराधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन के विचार हेतु अभी भी बड़ी संख्या में धारावाहिकों के लिए प्रस्ताव हैं। इस प्रकार के प्रस्तावों पर एक समय अवधि में दूरदर्शन की कार्यक्रम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। पैंडिंग प्रस्तावों पर अब नई चयन समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें प्रख्यात गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल हैं।

देश में बंधुआ मजदूर

462. श्री बनवारी लाल पुरोहित : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बंधुआ मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्यों में बंधुआ मजदूरों के संबंध में सर्वेक्षण करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने का है; और

(ग) देश में बंधुआ मजदूरों को मुक्त करने हेतु सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने, उन्हें मुक्त कराने तथा उनका पुनर्वास करने की जिम्मेवारी पूर्णतः राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, 31-3-86 को पता लगाए गए तथा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की कुल संख्या 2.05,923 थी जिसमें से 1,60,268 को पुनर्वासित कर दिया गया है। बंधुआ श्रमिकों का पता लगाना और फिर उन्हें मुक्त कराना तथा पुनर्वासित करना एक सतत प्रक्रिया है और राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने राज्यों में बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण करें तथा उन्हें शीघ्र मुक्त कराने तथा पुनर्वासित करने के लिए आवश्यक कदम उठायें। समयबद्ध कार्यक्रम के रूप में बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, विभिन्न राज्यों के लिए के लिए वार्षिक और त्रैमासिक लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और प्रत्येक बन्धुआ श्रमिक के लिए पहली फरवरी, 1986 से अधिकतम राशि 4000/- रु० को बढ़ाकर 6250/- रु० कर दिया गया है जिसका आधा हिस्सा केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाता है।

शहरीकरण संबंधी राष्ट्रीय आयोग

463. **श्री बनवारी लाल पुरोहित**
श्री आर० एस० माने
श्री प्रकाश वी० पाटिल } : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में शहरीकरण की समस्या का अध्ययन करने के लिए शहरीकरण सम्बन्धी राष्ट्रीय आयोग का गठन किया था;

(ख) क्या आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) देश में शहरीकरण की समस्या किस सीमा तक हल हो जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आयोग ने रिपोर्ट अभी भी प्रस्तुत नहीं की है।

वर्ष 1986 के दौरान बंद हुए कारखानों और बर्बाद हुए श्रम दिवसों की संख्या

464. **श्री थम्पन थामस :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986 के दौरान अब तक बन्द हुए कारखानों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान कितने श्रम दिवस बर्बाद हुए ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) नीवनतम उपलब्ध सूचना पर आधारित, वर्ष 1986 के दौरान राज्यवार बन्द पड़े कारखानों की संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) श्रम ब्यूरो में प्राप्त नवीनतम अनन्तिम सूचना के अनुसार, जनवरी, अप्रैल, 1986 के दौरान बर्बाद हुए श्रम दिवसों की संख्या 49.9 लाख है।

विवरण

वर्ष 1986 (जनवरी—मई) के दौरान कामबंदियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्रमांक	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	कामबंदियों की संख्या (अ)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1
2.	असम	—
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	13
5.	हरियाणा	8
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू और कश्मीर	—

1	2	3
8.	कर्नाटक	1
9.	केरल	2
10.	मध्य प्रदेश	1
11.	महाराष्ट्र	19
12.	मणिपुर	—
13.	मेघालय	—
14.	नागालैंड	—
15.	उड़ीसा	1
16.	पंजाब	4
17.	राजस्थान	4
18.	सिक्किम	—
19.	तमिलनाडु	
20.	त्रिपुरा	-
21.	उत्तर प्रदेश	2
22.	पश्चिम बंगाल	...
23.	अंडमान एण्ड निकोबार	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	—
25.	चंडीगढ़	—
26.	दादर और नगर हवेली	—
27.	दिल्ली	12
	170	

1	2	3
28.	गोवा, दमन और दीव	3
29.	लक्षद्वीप	—
30.	मिजोरम	—
31.	पांडिचेरी	—
	कुल :	81

(अ) अनन्तिम

(···) उपलब्ध नहीं

(—) शून्य

नोट : यह सूचना औद्योगिक विवादों से भिन्न कारणों की वजह से हुई कामबंदियों के बारे में है और इसमें गैर-मौसमी कामबंदियां शामिल नहीं है।

झींगा मछलियों के पकड़ने की मात्रा में कमी

465. श्री आर० एस० माने
श्री गुरुदास कामत } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झींगा मछलियों के पकड़ने की मात्रा में पिछले वर्ष के दौरान कमी आई थी;

(ख) यदि हां, तो झींगा मछलियों को समाप्त होने से रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) 1986 में मछली पकड़ने वाले नये गहरे समुद्र में चलने वाले जलपोतों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या ऐसे और पोत प्राप्त हो जाने से झींगा मछलियों की मात्रा और कम हो जायेगी ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1985 के दौरान झींगा मछलियों के पकड़ने में कोई कमी नहीं आई थी। तथापि, 1984-85 की तुलना में 1985-86 के दौरान निर्यात में 5049 मीटरी टन की कमी आई।

(ख) 1985-86 में झींगा मछली के उत्पादन, आकार संरचना विपणन विशेषकर निर्यात

और हाल के विगत में इसके ह्रास के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति की जांच करने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक समिति गठित की गई है।

(ग) इस समय निजी स्वामित्व के और वाणिज्यिक क्षेत्र द्वारा प्रचालित 20 मीटर और इससे लम्बे, गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाले 87 जलपोत हैं। इसके अलावा मछली पकड़ने वाले किराए के 42 विदेशी जलपोत भी भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं।

(घ) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने से भारतीय समुद्र में झींगा के संसाधनों में कमी नहीं आएगी।

डेरी नीति

466. प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में समाज के निचले वर्ग के लोगों की बेरोजगारी को हल करने के लिए डेरी नीति बनाने की वांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना): (क) और (ख) सरकारी की स्वीकृत नीति यथा सम्भव सहकारी आधार पर डेरी विकास करना और प्रोत्साहन देना है। ध्यान में रखते हुए देश में एक राष्ट्रीय डेरी परियोजना, जिसे आपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, आरम्भ की गई है, यह भी परियोजना तीन स्तरीय सहकारी संरचना अर्थात (1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मूल स्तर पर दुग्ध उत्पादकों की ग्राम स्तर की डेरी समितियां (2) जिला स्तर पर इन ग्राम सहकारी समितियों की यूनियनें, और (3) इन यूनियनों के राज्य/शीर्ष स्तर पर महासंघ; पर आधारित है। ये यूनियन/महासंघ भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं।

अखबारी कागज की सप्लाई

467. श्री मुरली देवरा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखबारी कागज की खरीद में नियमितता और गुणवत्ता के बारे में अखबारों के प्रकाशकों को हो रही अनेक समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या सरकार पूरे देश के अखबारों के प्रकाशकों की समस्याओं को दूर करने के लिए अखबारी कागज के आयात को गैर-सरणीकृत करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या अखबार प्रकाशकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है;

(घ) अखबारी कागज और बांस के चिप्सों के आयात पर कितना धन खर्च किया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि खोई से अच्छी किस्म का अखबारी कागज तैयार करने की संभावना को देखते हुए हमारी आयात और बांस के चिप्सों पर निर्भरता काफी हद तक कम हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ग) समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से समय-समय पर अखबारी कागज की सप्लाई में नियमितता और स्तर के बारे में प्राप्त शिकायतों की विधिवत् जांच की जाती है। भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के कार्यालय में प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के लिए कदम उठाये गये हैं। स्वदेशी अखबारी कागज तैयार करने वाले मिलों और राज्य व्यापार निगम के साथ बेहतर सम्पर्क और समन्वय रखा जा रहा है। इसके अलावा, राज्य व्यापार निगम ने इस प्रकार के मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए कम्प्यूटर का प्रयोग शुरू कर दिया है।

(ख) वर्तमान में अखबारी कागज के आयात को डिकेनेलाइज करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) 1985-86 के दौरान अखबारी कागज के आयात पर लगभग 123.17 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

बांस के चिप्सों के आयात करने पर हुए खर्च का ब्योरा इकट्ठा किया जा रहा है और उसे सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

(ङ) भारत सरकार की यह नीति रही है कि खोई से कागज तथा अखबारी कागज तैयार करने को प्रोत्साहन मिले। खोई से तैयार ऐसे कागज जिसमें भार क्रम से लुगदी का कम से कम 75% अंश निहित हो, को उत्पादन शुल्क से छूट प्राप्त है।

तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एण्ड पेपर लिमिटेड 85% खोई की लुगदी वाला अखबारी कागज तैयार करने में पहले ही सफलता प्राप्त कर चुका है।

गुजरात में सोनगढ़ में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

468. **श्री सी० डी० गामित :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात राज्य के जन-जातीय क्षेत्र सोनगढ़ में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो सोनगढ़ में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना कब तक कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गैर-सरकारी क्षेत्र से कम्पोजिट सुपर मिनी स्टील प्लांट स्थापित करने के प्रस्ताव

469. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के कई यूनिटों से प्राप्त "कम्पोजिट सुपर मिनी स्टील प्लांट" स्थापित करने के कई प्रस्ताव कुछ समय से लम्बित पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) कम्पोजिट मिनी स्टील प्लांट स्थापित करने के संबंध में बहुत से प्रस्ताव मिले थे जिन्हें प्रथम दृष्टया अस्वीकृत किया जा चुका है क्योंकि वे औद्योगिक लाइसेंसिंग के विद्यमान मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत नहीं आते। इस अस्वीकृति के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

470. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत और विदेशों में सह उद्यम से और अधिक उर्वरक संयंत्रों के स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। तुनिशिया और अल्जीरिया में संयुक्त उद्यम उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव है।

दूरदर्शन द्वारा सार्वजनिक समाओं के बारे में समाचारों का प्रसारण

471. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं और समारोहों के बारे में दूरदर्शन द्वारा समाचारों का दृश्य प्रसारण करने के लिए कोई दिशा निर्देश है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) "प्रसारण माध्यमों के लिए समाचार नीति" सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, राजनीतिक गतिविधियों को सर्वथा उनके समाचारिक मूल्य के आधार पर कवर किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि राजनीतिक गतिविधियों के कवरेज के मामलों में किसी एक या अन्य दल की तरफदारी न हो।

[हिन्दी]

कृषि को उद्योग का दर्जा देना

472. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से कृषि को उद्योग का दर्जा देने की मांग लगातार की जाती रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मांग को स्वीकार करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) ऐसी मांग कभी-कभी की जाती रही है।

(ख) और (ग) कृषि को उद्योग के समान नहीं माना जा सकता क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों में बुनियादी अन्तर है जैसे उत्पादन प्रक्रियाएं, प्रौद्योगिकी, मूल्य आंकने के सिद्धान्त, विपणन के प्रतिमान, कृषि उपज की खराब हो जाने की प्रकृति, परिपक्व होने की अवधि निश्चित होने और उतना समय दिये जाने के कारण मांग की बदलती हुई परिस्थितियों के लिए कृषि उत्पादन की सापेक्षिक असमर्थता, कृषि उत्पाद की विषमता आदि।

विदेशों को किसानों का शिष्टमंडल

473. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई कृषि तकनीक के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष किसानों को विदेश भेजा था;

(ख) यदि हां, तो इनमें से उत्तर प्रदेश के कितने किसान थे;

(ग) क्या सरकार ने इसी उद्देश्य के लिए इस वर्ष कुछ और किसानों को विदेश भेजने का निर्णय किया है; और

(घ) यदि हां, तो उनमें उत्तर प्रदेश से कितने किसान होंगे ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के लिए किश्तों में भुगतान के स्थान पर नकद भुगतान

474. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार निम्न आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों सम्बन्धी योजनाओं के अन्तर्गत निमित्त फ्लैटों के लिए किश्तों में भुगतान की पद्धति को नकद भुगतान की पद्धति में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसका निम्न आय वर्ग और कमजोर वर्ग के आबंटितियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

शहरी विकास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सभी मध्यम आय वर्ग आबंटनों तथा कुछ निम्न आय वर्ग आबंटनों को नकद खरीद आधार पर परिवर्तित करने का निर्णय लिया है। केवल आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को किराया खरीद आधार पर आबंटन किया जायेगा।

(ख) और (ग) यह निर्णय वर्ष 1986-87 के दौरान प्रत्याशित राजस्व तथा व्यय के बीच के अन्तराल को पूरा करने तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण की आवास गतिविधियों के लिए वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करने के एक उपाय के रूप में किया गया है। निम्न आय वर्ग के अन्तर्गत पंजीकृत 25 प्र० श० व्यक्तियों के इस निर्णय से प्रभावित होने की सम्भावना है क्योंकि अब उन्हें नकद खरीद

आधार पर भुगतान करना अपेक्षित होगा। आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग प्रभावित नहीं होगा क्योंकि इस वर्ग के लिए सभी आबंटन किराया खरीद आधार पर किये जायेंगे।

भूमि की अधिकतम सीमा में कमी

475. डा० ए० के० पटेल
श्री सी० जंगा रेड्डी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1985 में राज्यों के राजस्व मंत्री इस बात पर सहमत हुए थे कि भूमि की सबसे अच्छी श्रेणी के लिए जहां सिंचाई की निश्चित व्यवस्था है और जहां वर्ष में कम से कम दो फसलें होती हैं, 5 सदस्यों के परिवार के लिए कृषि भूमि की अधिकतम सीमा को घटाकर 5 हेक्टेयर तथा उससे अगली श्रेणी जहां सिंचाई की व्यवस्था है और वर्ष में कम से कम एक फसल होती है, उनको 7.5 हेक्टेयर और शेष के लिए 12 हेक्टेयर कर दिया जाये।

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक राज्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) उन क्षेत्रों में जहां प्रगति नहीं हुई है अथवा असंतोषजनक प्रगति हुई है, क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) से (घ) मई, 1985 में हुए राज्यों के राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह तय हुआ था कि इस मुद्दे पर राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों द्वारा विचार किया जायेगा। सभी राज्यों/संघशासित प्रशासनों द्वारा इस मुद्दे पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं का सीधा प्रसारण

476. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं के सीधे प्रसारण के लिए दूरदर्शन की नीति क्या है;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान प्रसारित किए गए सीधे कार्यक्रमों की संख्या और ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक कार्यक्रम कितने-कितने समय का था और इसके देखने वालों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ग) सामान्य प्रसारण समय और प्रसारण समय के अलावा सीधे प्रसारण के दौरान प्रति मिनट कितना खर्च आता है; और

(घ) उक्त खर्च में से निजी प्रायोजकों द्वारा कितना खर्च वहन किया जाता था ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) संसाधनों और तकनीकी सुविधाओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं को सीधे टेलीकास्ट करने का दूरदर्शन का प्रयत्न रहता है।

(ख) 1985-86 के दौरान सीधे टेलीकास्ट किए गए कार्यक्रमों की संख्या और ब्योरे से सम्बन्धित सूचना, जिसमें प्रत्येक कार्यक्रम की अवधि भी दी गई है, संलग्न विवरण में दी गई है, दर्शकों की अनुमानित संख्या देना सम्भव नहीं है। तथापि, वर्तमान में देश की 66% से अधिक जनसंख्या को टी० वी० सिगनल प्राप्त हो रहे हैं।

(ग) दूरदर्शन लागत लेखा प्रणाली का अनुकरण नहीं करता, इसलिए इस प्रकार का हिसाब नहीं लगाया गया है।

(घ) सीधे टेलीकास्टों की प्रायोजकता और स्पाटों से 23-1-1985 से 29-6-1986 तक 5, 39,68,000/- रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ।

विवरण

1985-86 के दौरान सीधे टेलीकास्ट किये गये महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की सूची

क्र० सं०	टेलीकास्ट की तारीख	ब्यौरा	अवधि	से
1	2	3	4	5
1.	23-1-85	भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	430 मिनट	नागपुर
2.	26-1-85	राजपथ से गणतंत्र दिवस परेड	112 ,,	नई दिल्ली
3.	27-1-85	भारत और इंग्लैंड के बीच एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	404 "	चण्डीगढ़
4.	28-1-85	अन्तर्राष्ट्रीय समझ-बूझ के लिए नेहरू पुरस्कार का पुरस्कार वितरण समारोह	304 ,,	नई दिल्ली

1	2	3	4	5
5.	29-1-85	बोटिंग रिट्रीट	70 मिनट	नई दिल्ली
6.	31-1-85	क्रिकेट टेस्ट मैच	315 "	कानपुर
7.	1-2-85	—तथैव—	321 "	कानपुर
8.	3-2-85	—तथैव—	308 "	कानपुर
9.	4-2-85	—तथैव—	312 "	कानपुर
10.	5-2-85	—तथैव—	300 "	कानपुर
11.	8-2-85	भारतीय ओपन सेटेलाइट सर्किट टेनिस मैच	283 "	पुणे
12.	12-2-85	भारतीय विश्वविद्यालयों और चीन के विश्वविद्यालयों के बीच अन्तर्राष्ट्रीय फुटबाल मैच	110 "	नई दिल्ली
13.	3-?-85	भारत और आस्ट्रेलिया के बीच एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	375 मिनट	मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया)
14.	5-3-85	विश्व क्रिकेट चेम्पियनशिप	361 "	सिडनी (आस्ट्रेलिया)
15.	8-3-85	भारत और इटली के बीच डेविस कप	405 "	कलकत्ता

1	2	3	4	5
16.	10-3-85	विश्व क्रिकेट चेम्पियनशिप	349 मिनट	मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया)
17.	2-8-85	भारत और स्वीडन के बीच डेविस कप हाई	120 "	बंगलौर
18.	3-8-85	—तथैव—	319 "	—तथैव—
19.	7-8-85	25वीं विश्व अमेच्योर बिलियर्ड चेम्पियनशिप	151 "	नई दिल्ली
20.	15-8-85	स्वतंत्रता दिवस समारोह	61 "	नई दिल्ली
21.	25-8-85	एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	415 "	कोलम्बो (श्रीलंका)
22.	29-9-85	—तथैव—	433 "	— तथैव —
23.	29-9-85	इंदिरा गांधी ग्रांड प्रिक्स बैडमिंटन चेम्पियनशिप	118 "	नई दिल्ली
24.	9-4-85	विश्व कप फुटबाल मैच	124 "	कलकत्ता
25.	19-4-85	नामीबिया पर गुट-निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय असाधारण बैंठक का विज्ञान भवन से उद्घाटन समारोह	129 "	नई दिल्ली

1	2	3	5	6
26.	6-5-85	बम्बई में कांग्रेस शताब्दी समारोह का उद्घाटन	275 मिनट	इंदिरा गांधी स्टेडियम
27.	6-7-85	विम्बलडन टेनिस चैम्पियनशिप	215 "	ब्रिटेन, लंदन
28.	7-7-85	—तथैव—	252 "	—तथैव —
29.	15-7-85	अखिल भारतीय इंदिरा स्वर्ण कप हाकी फाइनल	122 "	श्रीनगर
30.	22-9-85	10वीं इंदिरा गांधी ग्रांड प्रिक्स चैम्पियनशिप	43 "	नई दिल्ली
31.	22-9-85	एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	218 ,,	कोलंबो, श्रीलंका
32.	22-9-85	इंदिरा गांधी ग्रांड प्रिक्स चैम्पियनशिप	140 "	नई दिल्ली
33.	16-10-85	सुब्रतो कप फुटबाल फाइनल—राजकीय हाई स्कूल दीमापुर तथा मध्यम ग्राम स्कूल	136 "	नई दिल्ली
34.	10-11-85	अखिल भारतीय ध्यानचन्द हाकी टूर्नामेंट आगरा	95 ,,	आगरा
35.	12-11-85	इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण कप हाकी	108 "	नई दिल्ली
36.	18-11-85	एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	307 "	शारजाह
37.	16-11-85	चैम्पियन कप हाकी	86 "	पर्थ

1	2	3	4	5
38.	19-11-85	चैम्पियन कप हाकी	90 मिनट	पर्थ
39.	22-11-85	एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	321 "	शरजाह
40.	24-11-85	चैम्पियन कप हाकी	89 "	पर्थ
41.	26-11-85	राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह	130 "	नई दिल्ली
42.	7-12-85	युद्ध से परे पुरस्कार का पांच महाद्वीप शांति पहलकर्ताओं का प्रस्तुतीकरण	58 "	नई दिल्ली
43.	16-12-85	आई० एफ० ए० शील्ड फुटबाल फाइनल	128 "	कलकत्ता
44.	17-12-85	जवाहर लाल नेहरू हाकी टूर्नामेंट फाइनल	95 "	नई दिल्ली
45.	25-12-85	वैटिकन सिटी के मिडनाइट मैस से पोप जान पाल-2 द्वारा दिए गए संदेश के अंश	113 "	वैटिकन सिटी
46.	27-12-85	डी० सी० एम० फुटबाल फाइनल	110 "	नई दिल्ली
47.	1-1-86	सुपर सोकर प्रदर्शनी मैच	133 "	—तथैव—
48.	8-1-86	—तथैव—	118 "	—तथैव—

1	2	3	4	5
49.	11-1-86	एक दिवसीय त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	412 मिनट	ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया
50.	12-1-86	एक दिवसीय त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	423 "	ब्रिसबेन, आस्ट्रेलिया
51.	16-1-86	—तथैव—	335 "	मेलबोर्न
52.	18-1-86	— तथैव —	319 "	पर्थ
53.	19-1-86	अन्तर्राष्ट्रीय मोटो क्रास ग्रांड प्रिक्स आफ इंडिया, 1986	165 "	पूना
54.	21-1-86	एक दिवसीय त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	315 "	सिडनी
55.	23-1-86	— तथैव —	328 "	मैलबोर्न
56.	26-1-86	—तथैव—	210 "	एडी लेड
57.	26-1-86	गणतंत्र दिवस समारोह	125 "	नई दिल्ली
58.	29-1-86	बीटिंग रिट्रीट	70 "	नई दिल्ली
59.	31-1-86	एक दिवसीय त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	432 "	मेलबोर्न
60.	2-2-86	— तथैव —	408 "	लानसैस्टन, आस्ट्रेलिया

1	2	3	4	5
61.	5-2-86	एक दिवसीय त्रिकोणात्मक अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	411 "	सिडनी
62.	9-2-86	—तथैव—	421 "	मेलबोर्न
63.	28-2-86	छठा भारत-पाक हाकी टैस्ट	80 "	इस्लामाबाद
64.	7-3-86	डेविस कप टेनिस टाई	328 "	कलकत्ता
65.	8-3-86	—तथैव—	205 "	—तथैव—
66.	14-3-86	बेगटन कप हाकी फाइनल	81 "	—तथैव—
67.	17-[illegible]-86	राष्ट्रीय कबड्डी फाइनल	95 "	बंगलौर
68.	4-4-86	चैम्पियन ट्राफी हाकी	90 "	कराची
69.	8-4-86	चैम्पियन ट्राफी हाकी	94 "	कराची
70.	10-4-86	आस्ट्रेलिया कप क्रिकेट चैम्पियनशिप	400 '	शरजाह
71.	11-4-86	—तथैव—	416 "	—तथैव—
72.	13-4-86	—तथैव—	396 "	—तथैव—
73.	15-4-86	—तथैव—	358 "	—तथैव—

1	2	3	4	5
74.	18-4-86	आस्ट्रेलिया कप क्रिकेट चैम्पियनशिप	400 मिनट	शरजाह
75.	19-4-86	32वां बम्बई स्वर्ण कप हाकी टूर्नामेंट फाइनल	78 "	बम्बई
76.	20-5-86	भारत मलेशिया हाकी टैस्ट	85 "	मद्रास
77.	25-5-86	"दि रेस अंगेस्ट टाइम" खेल सहायता	71 "	नई दिल्ली
78.	—तथैव—	विज्ञान भवन में अफ्रीका दिवस समारोह	82 "	नई दिल्ली
79.	—तथैव—	खेल सहायता—सैंट फीस	28 "	फाइव कंट्रीज
80.	—तथैव—	खेल सहायता भारत-किशोर नाइट	49 "	नई दिल्ली
81.	26-5-86	एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच	411 "	ओल्ड ट्राफी
82.	5-6-86	शांति के लिए वृक्ष - विश्व पर्यावरण दिवस समारोह	48 "	नई दिल्ली
83.	6-6-86	विश्व कप फुटबाल	449 "	मैक्सिको
84.	7-6-86	—तथैव—	461 "	—तथैव—
85.	8-6-86	—तथैव—	459 "	—तथैव—
86.	10-6-86	—तथैव—	318 "	—तथैव—
87.	11-6-86	विश्व कप फुटबाल	372 "	मैक्सिको
88.	12-6-86	—तथैव—	334 "	—तथैव—

1	2	3	4	5
89.	13-6-86	विश्व कप फुटबाल	349 मिनट	मैक्सिको
90.	14-6-86	गंगा कार्रवाई योजना की शुरूआत	87 "	वाराणसी
91.	15-6-86	विश्व कप फुटबाल	493 "	मैक्सिको
92.	16-6-86	"	482 "	"
93.	17-6-86	"	451 "	"
94.	18-6-86	"	489 "	"
95.	21-6-86	"	513 "	"
96.	22-6-86		560 "	"
97.	25-6-86		527 "	"
98.	28-6-86		107 "	"
99.	29-6-86		103 "	"

केरल में नगरों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

477. प्रो० के० वी० थामस : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के उन छोटे और मध्यम नगरों के नाम क्या हैं जिन्हें सातवीं योजना के दौरान "छोटे और मध्यम नगर योजना" के समेकित विकास के तहत केन्द्रीय सहायता के लिए चुना गया है; और

(ख) क्या केरल के एर्नाकुलम जिले के परूर, अल्वाये और तूपूणित्तरा नगरों को इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) केरल में तीन नगर नामतः पालघाट, थोडूपुजा तथा मनजेरी 7वीं योजना के दौरान छोटे तथा मध्यम दर्जे के नगरों के एकीकृत विकास की योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने के लिए चुने गये हैं।

(ख) जी, नहीं।

केरल राज्य को हुडको द्वारा वित्तीय सहायता

478. प्रो० के वी० थामस : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य को वर्ष 1985-86 और 1986-87 की अवधि के दौरान आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आवास निर्माण हेतु हुडको द्वारा कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ख) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1986-87 के वर्षों के दौरान हुडको द्वारा कोचीन, त्रिवेन्द्रम और कालीकट के विकास अधिकरणों को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) हुडको द्वारा केरल के शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ही आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग की आवास योजनाओं हेतु हुडको द्वारा स्वीकृत ऋण के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गई है :--

वर्ष	नियतन	वास्तविक स्वीकृति
	(करोड़ रुपयों में)	
1985-86	2.98	22.85
1986-87	8.11	—

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

केरल राज्य में स्वीकृत योजना का ब्यौरा

अभिकरण का नाम	वर्ष	योजनाओं की संख्या	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (शहरी)	निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्च आय वर्ग	अन्य	योग
			(लाख		रुपयों		में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बृहत्त कोचीन विकास	1984-85	7	346.60	83.40	24.40	31.20	—	485.60
प्राधिकरण	1985-86	4	—	—	137.25	48 00	—	185.25
	1986-87	—	—	—	—	—	—	—
	योग	11	346.60	83.40	161.65	79.20	—	670.85

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिवेन्द्रम विकास	1984-85	—	—	—	—	—	—	—
प्राधिकरण	1985-86	3	7.40	24.50	21.96	12.00	40.21	106.07
	1986-87	—	—	—	—	—	—	—
	योग	3	7.40	24.50	21.96	12.00	40.21	106.07
कालीकट विकास	1984-85	—	—	—	—	—	—	—
प्राधिकरण	1985-86	1	22.00	48.00	—	—	—	70-00
	1986-87	—	—	—	—	—	—	—
	योग	1	22.00	48.00	—	—	—	70.00

केरल में गन्नों पर फफूंदी रोग

479. प्रो० के० वी० थामस : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्ने के डंठल पर होने वाला फफूंदी रोग पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक से केरल में फैल रहा है;

(ख) इस रोग को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं; और

(ग) इस रोग के कारण गन्ना उत्पादकों को कितनी हानि हुई है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) गन्ने का लाल विगलन रोग एक फफूंदी के कारण होता है जिसका असर गन्ने के तने पर पड़ता है। यह रोग पंजाब, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में लम्बे समय से व्याप्त है लेकिन कर्नाटक में अभी तक यह देखने में नहीं आया है केरल (तिरुपल्ला फैक्ट्री क्षेत्र) में इस रोग का पहली बार 1981 में पता चला था। यद्यपि इस बात का कोई सीधा प्रमाण नहीं है कि यह रोग पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक से केरल में फैल रहा है तथापि आन्ध्र प्रदेश से बीज सामग्री भेजे जाने से इसके फैलने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि केरल में पायी गई फफूंदी की प्रजाति आन्ध्र प्रदेश वाली (फफूंदी की) प्रजाति जैसी है।

(ख) इस रोग पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं/उठाये जा रहे हैं :—

(1) अनुसंधान प्रयास :—

इस रोग का मुकाबला करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों और कृषि विश्व विद्यालयों ने कई लाल विगलन रोधी/सहिष्णू किस्मों तथा इनकी कृषि और प्रबन्ध की विधियों का विकास किया है/कर रहे हैं। चूंकि रोधी किस्मों पर विभिन्न कारणों से यह रोग लगने का खतरा है, इसलिए रोधी किस्मों का प्रजनन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। केरल में आम खेती के लिए इस समय सी० ओ० 7704 तथा सी० ओ० 6907 जैसी लाल विगलन रोधी किस्मों की सिफारिश की जाती है।

(2) विस्तार और विकास प्रयास :—

संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि विभाग लाल विगलन रोग से बचने के लिए निम्नलिखित कृषि/सस्य वैज्ञानिक विधियों को अपनाने की सिफारिश कर रहे हैं। उन्हें लोकप्रिय बना रहे हैं :—

(1) पौधे लगाने के लिए स्वस्थ बीज का उपयोग।

(2) पेड़ी फसल को हटाना।

(3) रोग से प्रभावित टहनियों और पुंजों को निकाल कर नष्ट करना।

(4) गन्ने का बीज उगाने से पहले उसका नग गरम हवा से उपचार करना।

(ग) लाल विगलन रोग से हुई हानि के सही अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। हर इलाके में हानि की मात्रा रोग के प्रकोप की गंभीरता के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

[हिन्दी]

सातवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कीट एवं रोग नियंत्रण केन्द्रों की स्थापना

480. श्री के० एन० प्रधान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कितने कीट और रोग नियन्त्रण केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान मध्य प्रदेश में कितने केन्द्र और किन-किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना और वर्ष 1986-87 के दौरान मध्य प्रदेश में कोई केन्द्रीय कृमि तथा रोग नियंत्रण केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

उड़ीसा के प्रवासी श्रमिक

48'. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के औसत आधार पर लगभग दो लाख "दादन" (प्रवासी) श्रमिक प्रत्येक वर्ष काम की खोज में देश के विभिन्न भागों में जाते हैं;

(ख) क्या उनमें से 60,000 श्रमिक राज्य में कार्यरत 150 श्रमिक ठेकेदारों द्वारा भेजे जाते हैं तथा शेष श्रमिक स्वयं ही जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या "दादन" श्रमिकों की भर्ती करने तथा उन्हें राज्य से बाहर भेजने के लिए सरकारी एजेन्सी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्ववित्त पोषित योजना और किराया खरीद योजना के अन्तर्गत मकानों का आबंटन

482. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्ववित्त पोषित योजना और किराया खरीद योजना के अन्तर्गत मकानों के आबंटन के लिए पंजीकृत आवेदकों ने दिल्ली विकास प्राधिकरण से अपना पंजीकरण रद्द करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो योजना-वार उनकी संख्या कितनी है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कितने आवेदकों को उनकी धनराशि लौटा दी गई है, कितनों को अभी तक उनकी धनराशि नहीं लौटाई गई है और उन्हें कब तक धनराशि वापस कर दी जाएगी ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों का कार्यनिष्पादन

483. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक श्रम न्यायालय/श्रम न्यायाधिकरण कामगारों की आशाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) दिल्ली स्थित श्रम न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या कितनी है और वे कितनी अवधि से लम्बित पड़े हैं; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) श्रम न्यायालयों और

औद्योगिक न्यायाधिकरणों के कार्य संचालन के बारे में श्रम मन्त्री सम्मेलन और अन्य मंचों में विचार-विमर्श किया गया तथा सरकार ने विवादों का निपटान करने के लिए समय-सीमा की व्यवस्था करते हुए, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्रावधानों में संशोधन किया था। केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरणों और श्रम न्यायालयों के कार्य के मासिक मानकों को समय-समय पर मानीटर किया जाता है। औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) नियमों में भी संशोधन किया गया है ताकि शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अवस्थाओं के लिए समय नियत किया जा सके।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) दिल्ली में तीन औद्योगिक न्यायाधिकरण और सात श्रम न्यायालय हैं, जिनमें से एक औद्योगिक न्यायाधिकरण में पीठासीन अधिकारी का पद पहली अक्तूबर, 1985 से रिक्त पड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि वह उस न्यायाधिकरण के लिए एक न्यायाधीश की सेवाएं उपलब्ध कराएं। पंचवर्षीय योजना में यह प्रावधान है कि दिल्ली में दो और श्रम न्यायालय स्थापित किये जाएं।

विवरण

लम्बित रहने की अवधि		लम्बित पड़े मामलों की संख्या
छः माह से कम	—	6248
छः माह से अधिक परन्तु एक वर्ष से कम	—	3851
एक वर्ष से अधिक परन्तु दो वर्ष से कम	—	2570
दो वर्ष से अधिक परन्तु तीन वर्ष से कम	—	1473
तीन वर्ष से अधिक परन्तु चार वर्ष से कम	—	937
चार वर्ष से अधिक परन्तु पांच वर्ष से कम	—	951
पांच वर्ष से अधिक	—	1081

"जनवाणी के लिए प्रश्नावली का चयन"

484. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दूरदर्शन कार्यक्रम "जनवाणी" के लिए प्रश्नावली के चयन की प्रक्रिया क्या है;

(ख) मंत्रियों द्वारा दिए गए उत्तरों पर क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) दूरदर्शन द्वारा इस कार्यक्रम पर कितनी राशि खर्च की गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन पर एक "जनवाणी" विशेष कार्यक्रम की घोषणा होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में प्रश्न प्राप्त होते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए इनकी सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल की जाती है कि कार्यक्रम में केवल वही प्रश्न शामिल हों जो प्रक्रिया में कमियों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं और सामान्य प्रशासनिक दक्षता और लोक सेवाओं से सम्बन्धित होते हैं। वैयक्तिक मामलों से सम्बन्धित प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है, किन्तु निजी अनुभव पर आधारित वैयक्तिक प्रश्नों को संस्थागत प्रशासनिक संजाल से सम्बन्धित करने का प्रयास किया जाता है, ताकि आम लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाइयों को ढील किया जाये। व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों से प्रश्न और प्रश्नकर्ता शामिल किए जाते हैं।

(ख) कार्यक्रम को टेलीकास्ट करने के बाद सभी प्रश्नों को, चाहे वे कार्यक्रम में शामिल किए गए थे या नहीं, भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों को ऐसी अनुवर्ती/उपचारी कारंवाई के लिए भेज दिया जाता है जो अपेक्षित हो।

(ग) "जनवाणी" कार्यक्रम पर 31-3-1986 तक भाग लेने वाले व्यक्तियों को यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता और शुल्क के भुगतान, आदि के रूप में कुल 1,26,039 रु० खर्च हुए।

बिहार में रोजगार की प्रतिशतता

485. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 198? की अवधि के दौरान रोजगार की अखिल भारतीय प्रतिशतता की तुलना में बिहार की रोजगार प्रतिशतता क्या रही है;

(ख) क्या बिहार में रोजगार की प्रतिशतता में गिरावट आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) बिहार तथा अखिल भारत के बारे में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन० एस० एस० ओ०) के 38वें दौर के रोजगार तथा बेरोजगारी के अनन्तिम आंकड़ों से जनवरी-जून, 1983 के लिए उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 5 वर्ष तथा उससे ऊपर की आयु के कुल व्यक्तियों की तुलना में सामान्य स्तर के अनुसार, नियोजित व्यक्तियों की प्रतिशतता नीचे दी गई है :

	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
बिहार	59.07	27.34	55.7	13.5
अखिल भारत	63.23	38.14	57.71	17.31

(ख) और (ग) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन० एस० एस० ओ०) के 32वें दौर से 1977-78 के लिए उपलब्ध प्रतिशतता की तुलना में 1983 (जनवरी-जून) में बिहार के लिए 5 वर्ष तथा इससे ऊपर की आयु के कुल व्यक्तियों के मुकाबले में, सामान्य स्तर के अनुसार, नियोजित व्यक्तियों की प्रतिशतता (अनंतिम) नीचे दी गई है :—

	ग्रामीण		शहरी	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1983 (38 वां दौर)	59.07	27.34	55.74	13.54
1977-78 (32 वां दौर)	60.74	24.51	54.49	10.64

शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण महिलाओं दोनों में रोजगार की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। ग्रामीण पुरुषों के लिए रोजगार की निम्नतर प्रतिशतता के कारण उपलब्ध नहीं हैं।

जाली यात्री एजेंटों के विरुद्ध कार्यवाही

486. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान देश में यात्रा एजेंटों के विरुद्ध गबन और

कदाचार के कितने मामले दायर किये गए;

(ख) कितने मामलों में आरोप सिद्ध हुए तथा कितने यात्रा एजेंटों को दण्डित किया गया, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 1 जनवरी, 1986 से 30 जून, 1986 तक जिन यात्रा एजेंटों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई हैं उनका विवरण और उनकी संख्या क्या है तथा जांच-पड़ताल में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) यात्रा एजेंटों के बारे में हमारे पास सूचना नहीं है। तथापि, भर्ती एजेंटों के खिलाफ निम्नलिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं :—

1984	...	223
1985	...	320

(ख) 22 भर्ती एजेंटों के पंजीकरण प्रमाणपत्र निलम्बित किए गए हैं और 3 भर्ती एजेंटों के प्रमाणपत्र रद्द कर दिये गये हैं।

(ग) पहली जनवरी से 30 जून, 1986 तक भर्ती एजेंटों के खिलाफ 450 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों को उचित कार्रवाई हेतु पुलिस को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

केरल को पेयजल के लिए धन का आवंटन

487. श्री सुरेश कुरूप : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार के राज्य में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की कितनी योजनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ख) केरल को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है और कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ?

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) केन्द्रीय सरकार को सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केरल में पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु 623 योजनाएं प्राप्त हुई हैं।

(ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को 1985-86 के दौरान 10.91 करोड़ रु० निर्मुक्त किए गए हैं तथा त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य को 1986-87 के लिए पहली किश्त के रूप में 4.98 करोड़ रुपए निर्मुक्त किए गए हैं। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन हेतु 588 योज-

नाएं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अनुमोदित की गई हैं। इन योजनाओं को दर्शाने वाली सूची सभा पटल पर रख दी गई है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—2770/86]

बाल श्रम के बारे में उच्चतम न्यायालय का उत्तर प्रदेश सरकार को निदेश

488. श्री वी० तुलसी राम : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर जिलों के बाल श्रमिकों को कालीन बनाने वाले उद्योग तथा अन्य जोखिमरहित कामों में लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 28 जुलाई, 1986 तक एक योजना प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सम्बद्ध प्राधिकारियों द्वारा बाल श्रम अधिनियम का क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है;

(ग) न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग द्वारा कितने बाल श्रमिकों का पता लगाया गया है;

(घ) क्या इसी प्रकार की योजना अन्य राज्यों विशेषतया तमिलनाडु में आतिशबाजी और दियासलाई कारखानों में भी शुरू की जाएगी; और

(ङ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) भाग (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय द्वारा पत्थर खानों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार को दिए गए निर्देश

489. श्री वी० तुलसी राम : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा राज्य में पत्थर की खानों में कार्य करने वाले बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार की योजना को कार्यान्वित करने हेतु उठाए गए कदमों के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उच्चतम न्यायालय ने राज्य में बंधुआ मजदूरों की विद्यमानता के सम्बन्ध में सतर्कता समितियों और कार्य दल की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी हरियाणा सरकार को निर्देश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सभी दस्तावेज उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत कर दिए गए हैं; यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठा रही है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 16-12-1983 के निर्णय में फरीदाबाद में पत्थर खदानों तथा क्रशरों के कर्मकारों के सम्बन्ध में 21 निर्देश दिए थे। इन निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई थी तथा केन्द्रीय सरकार तथा हरियाणा सरकार ने इन निर्देशों के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रति शपथ-पत्र उच्चतम न्यायालय में दायर किया था। इस मामले में बंधुआ मुक्ति मोर्चा ने उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की तथा उच्चतम न्यायालय ने अपने तारीख 24-4-198 के आदेश में केन्द्र सरकार तथा हरियाणा सरकार को निदेश दिए कि वे निर्देशों के कार्यान्वयन के बारे में नवीनतम स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रति शपथ-पत्र प्रस्तुत करें। निर्देशों के संबंध में, जिनसे केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, नवीनतम स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रति शपथ-पत्र 7 मई, 1985 को उच्चतम न्यायालय में दायर किया गया। हरियाणा सरकार ने भी अलग से अपना प्रति शपथ-पत्र दायर कर दिया है।

इस मामले पर पहली बार 9 जुलाई, 1986 को सुनवाई हुई तथा सुनवाई की अगली तारीख 19-7-1986 निश्चित की गई है।

उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश से श्रमिकों को बाहर भेजने में घोटाला

490. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा से श्रमिकों को बाहर भेजने के एक बड़े घोटाले का हाल ही में राजधानी में पता चला है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कुछ गिरफ्तारियां की गई हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या अन्य राज्यों, विशेषतः आंध्र प्रदेश से भी इसी तरह के मामले केन्द्र सरकार की जानकारी में आये हैं; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे श्रमिकों के लिए उनके राज्यों में रोजगार की व्यवस्था करके देश में ऐसे धोखाधड़ी के मामले को रोकने के लिए क्या प्रभावकारी उपाय कर रही है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा के दो श्रमिक ठेकेदारों को 9-7-1986 को गिरफ्तार किया गया था। जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विदेशों में रोजगार के लिए उड़ीसा का राज्य स्वामित्व वाला एक निगम श्रम मन्त्रालय में पंजीकृत है जिनके पास कर्मकार स्वयं को पंजीकृत करवा सकते हैं।

गृह निर्माण के क्षेत्र में अमरीकी सहयोग

491. श्री वी० तुलसी राम : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इमारती लकड़ी सम्बन्धी एक अमरीकी व्यापारी-मिशन जिसने हाल ही में भारत का दौरा किया था, कम लागत के मकान बनाने में सहयोग की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो की गई पेशकश का ब्योरा क्या है और क्या सरकार ने उसकी जांच कर ली है;

(ग) यदि सरकार द्वारा ऐसी योजना अनुमानित की जाती है तो उससे देश में आवास की समस्या का किस सीमा तक समाधान हो जायेगा, और इसका राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(घ) ऐसे मकान की सम्भावित लागत क्या होगी जिसे कि गरीब वर्ग के लोग इन मकानों को खरीद सकें।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरदर्शन पर औषधियों और दवाइयों के विज्ञापन

492. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन पर औषधियों और दवाइयों के विज्ञापन देने पर तीखी प्रतिक्रिया की जानकारी है;

(ख) क्या टानिक, विटामिनों और अन्य काउंटर पर सुलभ दवाइयों जैसे उत्पादों के लिए विभिन्न अन्य माध्यमों से विज्ञापन देने के लिए कोई मार्ग निर्देश तैयार किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं। इस प्रकार की कोई प्रतिक्रिया हमारे ध्यान में नहीं आई है।

(ख) जी, हां।

(ग) सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

दूरदर्शन वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता में दिए गए दूरदर्शन पर दवाइयों आदि के विज्ञापन से सम्बन्धित प्रावधान इस प्रकार हैं :—

1. उपचार

किसी भी विज्ञापन में किसी बीमारी या अस्वस्थता के लक्षणों का उपचार करने का दावा नहीं होना चाहिए और न ही विज्ञापन में किसी शब्द या भाव को ऐसे रूप में या संदर्भ में प्रयोग किया जाना चाहिए जिसका अर्थ सीधा किसी रोग, अस्वस्थता या बीमारी को दूर करने से निकलता है।

2. अस्वस्थता, आदि; आवश्यक उचित चिकित्सा आवश्यकता

किसी भी विज्ञापन में ऐसा कोई तत्व नहीं होना चाहिए जिसे किसी गम्भीर बीमारी, शिकायतों, स्थितियों, संकेतों या लक्षणों, जिन्हें वास्तव में पंजीकृत चिकित्सक द्वारा देखा जाना चाहिए, के उपचार के लिए दवा या उत्पाद या परामर्श की पेशकश माना जा सके।

3. भ्रामक या बढ़ा-चढ़ाकर किये गये दावे

किसी भी विज्ञापन में ऐसे तत्व नहीं होने चाहिएं जो प्रत्यक्ष या सांकेतिक रूप से विज्ञापित दवा की रचना, गुण या कार्य या इलाज या अनुशंसित प्रयोजन के लिए इसकी उपयुक्तता से हटकर हो या भ्रम पैदा करें।

4. स्पष्टीकरण

किसी भी विज्ञापन में ऐसा स्पष्टीकरण नहीं होना चाहिए जो अपने आप या उसके सम्बन्ध में प्रयुक्त शब्दों के योग से कोई भ्रामक अर्थ दे या इस प्रकार के विज्ञापन से निकाला गया उचित अर्थ इस संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करे।

5. विशेष दावे

किसी भी विज्ञापन में ऐसा कोई संदर्भ नहीं होना चाहिए जिससे लोग यह समझें कि विज्ञापित वस्तु, उत्पाद, दवा या इलाज में कुछ ऐसे विशेष तत्व या गुण हैं जो वास्तव में अज्ञात हैं या अमान्य हैं।

6. टानिक

विज्ञापनों में इस शब्द को ऐसा अर्थ नहीं देना चाहिए कि उत्पाद या दवा को यौन दुर्बलता के

उपचार में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

कानून द्वारा दवाओं और उपचार के विज्ञापन पर लगाई गई पाबंदियां।

1. दवा नियम, 1945 के नियम 106 में यह व्यवस्था है कि कोई भी दवा उसके भावी प्रयोक्ता को यह विचार न दे कि यह अनुसूची "जे" में निर्दिष्ट रोग तथा बीमारियों में से एक अथवा अधिक की रोकथाम उपचार कर सकती है।

अनुसूची "जे"

अंधापन	ट्यूमर
मोतिया बिंद	ज्वर (सामान्य)
मधुमेह	गायटर
इन्फैंटाइल पैरालाइसिस	सापट कैंसर
लॉक जॉ	उच्चरक्तचाप
क्षयरोग	पैरालाइसिस
स्त्री रोग (साधारण)	यौन अक्षमता
ग्लोकोमा	कैंसर
हृदय रोग	बिलम्बित मैन्सट्रेसन
ओबेसिटी	
रेपचर	हाइड्रोसिल
ब्राइट डिजीज	ल्यूकोडर्मा
गूंगापन	इन सैनिटी
मिरगी	रतिज रोग (सामान्य)
कोढ़	दौरा
लोको मोटर ओटाक्सिया	गनोरिया
लुप्स	
प्लेग	
चेचक	

2. कोई भी दवा ऐसा अर्थ अथवा ऐसे अर्थ का दावा न करे कि भावी प्रयोक्ता को ऐसा आभास हो कि वह महिलाओं में गर्भस्राव करती है अथवा गर्भस्राव में सहायक होती है।

दूरदर्शन नीतियों और कार्यक्रमों का पुनः निर्धारण

493. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दूरदर्शन मुख्यतः प्रायः केवल शहरी जनता का मनोरंजन करता है;

(ख) क्या सरकार को इस प्रकार के असंतुलनों को दूर करने के लिए अपनी दूरदर्शन नीतियों और कार्यक्रमों को पुनः निर्धारित करने का विचार है;

(ग) क्या चैनलों की संख्या बढ़ाई जाएगी और क्षेत्रीय समस्याओं और भाषाओं के बारे में पर्याप्त समय और ध्यान दिया जाएगा।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) दूरदर्शन का प्रयास ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के दर्शकों के लिए संतुलित ढंग से कार्यक्रम प्रस्तुत करने का रहता है। दूरदर्शन के सभी मुख्य केन्द्र ग्रामीण दर्शकों के लिए क्षेत्र की भाषा में सप्ताह में 3 —5 दिन विशिष्ट कार्यक्रम टेलीकास्ट करते हैं (केवल दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता को छोड़कर जहां से इस प्रकार के विशिष्ट कार्यक्रम सप्ताह में केवल एक बार टेलीकास्ट होते हैं)।

(ख) दूरदर्शन पर टेलीकास्ट किए जाने वाले कार्यक्रमों की विषय वस्तु तथा फार्मेट का कार्य-नियोजन के आवश्यक अंग के रूप में सतत् पुनरीक्षण किया जाता रहता है। यह निरन्तर प्रयत्न होता है कि दूरदर्शन के कार्यक्रमों में सुधार लाया जाए तथा उनमें दर्शकों की रुचि बनाए रखी जाए।

(ग) दिल्ली तथा बम्बई के मौजूदा दूसरे चैनल के अतिरिक्त मद्रास तथा कलकत्ता में दूसरा चैनल आरम्भ करने का सातवीं योजना में प्रावधान है।

इस समय दूरदर्शन के सभी 21 कार्यक्रम निर्माण केन्द्र मूल रूप से तैयार किए गए अधिकांश कार्यक्रम (अर्थात् 50% से अधिक) क्षेत्र तथा प्रदेश की मुख्य भाषा में टेलीकास्ट करते हैं।

सातवीं योजना में दूरदर्शन की तीन स्तरीय सेवा, प्राथमिक (राष्ट्रीय), क्षेत्रीय तथा स्थानीय, शुरू करने का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय तथा स्थानीय सेवाओं में क्षेत्र की मुख्य भाषा में कार्यक्रम टेलीकास्ट किए जाएंगे।

आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्रों को उपग्रह के साथ जोड़ना

495. श्री जी० भूपति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेलुगु कार्यक्रमों का सम्पूर्ण राज्य में प्रसारण करने हेतु आन्ध्र प्रदेश में सभी दूरदर्शन केन्द्रों को उपग्रह के साथ जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री० वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, हां।

(ख) हैदराबाद से प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों को 1986 के दौरान आन्ध्र प्रदेश के सभी ट्रांसमीटरों द्वारा, इनसैट-1 बी के एक सी बैंड ट्रांसपोंडर का उपयोग करते हुए, रिले करना शुरू किए जाने की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है।

रामागुंडम स्थित उर्वरक संयंत्र में उत्पादन में गिरावट

495. श्री जी० भूपति : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामागुंडम स्थित उर्वरक कारखाने में उत्पादन घट रहा है;

(ख) क्या सरकार ने उत्पादन में गिरावट को दूर करने हेतु कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उर्वरक विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) रामागुण्डम संयंत्र के निष्पादन में सुधार लाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। वे हैं :—

1. नाइट्रस आक्साइड को हटाने की सुविधा,
2. रा गैस के प्रीकूलरों को स्टेनलैस स्टील के प्रीकूलरों से प्रतिस्थापित करना,
3. रा गैस लाइन की एपोक्सी लाइनिंग,
4. डिस्टिलर ट्यूब बण्डलों को बेहतर माल से प्रतिस्थापित करना, तथा
5. रेक्टीसोल सेक्शन में हीट एक्सचेंजर ट्यूबों को स्टेनलेस स्टील की ट्यूबों से प्रतिस्थापित करना ताकि जंग और रिसाव से बचा जा सके।

इसके अतिरिक्त मै० करप्प कोपर्स द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर चौथे बायलर, एक अतिरिक्त गैसिफायर, एक अन्य कोयला निर्माण स्ट्रीम तथा एयर सेपरेशन यूनिट में सुधार के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

आन्ध्र प्रदेश में "रामगुंडम" में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

496. श्री जी० भूपति : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में रामगुंडम में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नई तिलहन फसल उगाने के लिए अमरीकी सहायता

497. श्री सैयद शहाबुद्दीन
श्री मोहन भाई पटेल
श्री चिन्तामणि जेना
श्री प्रकाश वी० पाटिल
: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने भारत को एक ऐसी तिलहन फसल के संबंध में किए गए अनुसंधान के निष्कर्ष भेजे हैं जिसे समुद्र तटों पर समुद्री जल की सहायता से उगाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो किए गये प्रस्ताव का ब्योरा क्या है और भारत के लिए अनुकूल प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की क्या शर्तें हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। समुद्री तट के किनारे और समुद्री जल से सिंचित भूमि में हेलोफाईट के संवर्धन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए, भूतपूर्व यू०एस० सीनेटर, चार्ल्स एच० पेरसी की तत्कालीन (कृषि) मंत्री श्री बूटा सिंह के साथ मुलाकात और एक निजी यू० एस० कम्पनी के अधिकारियों की अपर सचिव, कृषि विभाग, भारत सरकार के साथ मुलाकात के अलावा, अमेरिका द्वारा तिलहनी फसल पर अनुसंधान परिणामों के बारे में कोई पेशकश नहीं है।

कन्नानोर, कोचीन और इडुक्की में आकाशवाणी केन्द्रों की स्थापना

499. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कन्नानोर, कोचीन और इडुक्की में स्थापित किए जाने वाले आकाशवाणी केन्द्रों के स्थलों के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) कोचीन में प्रस्तावित एफ० एम० आकाशवाणी के लिए स्थल का चयन कर लिया गया है और राज्य सरकार से उसे आकाशवाणी को सौंप देने का अनुरोध किया गया है।

कन्नानोर में इसी प्रकार के आकाशवाणी केन्द्र के लिए एक स्थल राज्य सरकार द्वारा हाल ही में सुझाया गया है। आकाशवाणी के इंजीनियर इस स्थल की तकनीकी रूप से उपयुक्तता का आकलन कर रहे हैं।

इडुक्की जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है, में स्थल के बारे में अन्तिम निर्णय इस क्षेत्र के भूभाग के नक्शे की सावधानीपूर्वक जांच पड़ताल करने के बाद किया जायेगा, पहाड़ियों से घिरे हुए इडुक्की जिले के अधिक से अधिक क्षेत्र में कवरेज उपलब्ध करने के लिए उपयुक्त स्थल रूप रेखा में स्थान का चयन करना महत्वपूर्ण है। इस प्रयोजन के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है।

केरल को बाढ़ राहत के लिए वित्तीय सहायता

500. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल तट पर भारी मानसून के विनाशकारी प्रभाव के परिणामस्वरूप केरल सरकार ने केरल के तट पर तथा तट से दूर खराब मौसम द्वारा हुई जान और माल की क्षति के मूल्यांकन की कोई रिपोर्ट दी है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने सहायता देने के लिए कोई अनुरोध किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का राज्य को कोई वित्तीय सहायता देने का विचार है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) जी नहीं। केरल सरकार ने चालू मानसून के दौरान बाढ़ आने पर केन्द्रीय सहायता मांगने के लिए

कोई ज्ञापन नहीं भेजा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"हुडको" द्वारा राज्यों को धनराशि का आबंटन

501. श्रीमती डी० के० भण्डारी : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) द्वारा 2,400 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार खर्च किये जाने वाले धन का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऋण स्वीकृति के लिए हुडको का अनन्तिम लक्ष्य 1845 करोड़ रुपये है। ऋण स्वीकृति के लिए राज्य-वार नियतन इसके क्षेत्र तथा जनसंख्या और किसी विशेष वर्ष के लिए हुडको के क्रियात्मक लक्ष्यों पर भी निर्भर करता है।

सिक्किम के किसानों का अन्य राज्यों का अध्ययन दौरा

502. श्रीमती डी० के० भंडारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय किसानों को एक राज्य से दूसरे राज्य में अध्ययन दौरों पर भेजता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सिक्किम के किसानों को अन्य राज्यों के अध्ययन दौरे पर भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो कितने किसानों ने कितने अन्य राज्यों का किस-किस वर्ष दौरा किया; और

(घ) यदि किसी को दौरे पर नहीं भेजा गया है, तो क्या सिक्किम के किसानों के लाभ के लिए उन्हें इस प्रकार के दौरों पर भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) इस मंत्रालय ने 1981-82 से 1985-86 तक के दौरान एक राज्य से दूसरे राज्य में समुदाय के कमजोर वर्गों के किसानों को अध्ययन के दौरे पर भेजा था। यह योजना 1986-87 से समाप्त की गई है।

(ख) 1982-83 के दौरान शीतोष्ण फलों का अध्ययन करने के लिए हिमाचल प्रदेश का

दौरा करने के लिए सिक्किम के 50 किसानों का अध्ययन दौरा आयोजित किया गया था। तथापि, यह कार्यक्रम दैनिक भत्ते की स्वीकृति दर की तुलना में उच्चतर दर की राज्य सरकार की मांग के कारण कार्यान्वित नहीं हो सका।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

दूरदर्शन को वाणिज्यिक विज्ञापनों से आय

503. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन को वर्ष 1985 में वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारण से कितनी आय हुई है;

(ख) क्या एक दिन में दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों के प्रसारण के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या प्रसारण के लिए विज्ञापन का चयन करने में किसी प्रणाली का पालन किया जाता है; और

(घ) वाणिज्यिक विज्ञापनों की समीक्षा करने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) वित्तीय वर्ष 1985-86 के दौरान दूरदर्शन द्वारा वाणिज्यिक विज्ञापनों के माध्यम से अर्जित सकल राशि 60.20 करोड़ रुपये है।

(ख) जी, हां। यद्यपि सीमा कुल प्रेषण समय का 10% है, तो भी इसे वर्तमान में कुल प्रेषण समय का 5% रखा गया है।

(ग) जी, हां। यह सुनिश्चित किया जाता है कि विज्ञापन इस निमित्त निर्धारित संहिता के अनुरूप हों।

(घ) राष्ट्रीय संजाल के लिए वाणिज्यिक विज्ञापनों की जांच पड़ताल बंबई स्थित बिक्री नियंत्रक द्वारा की जाती है तथा स्थानीय टेलीकास्ट के लिए विज्ञापनों की जांच पड़ताल संबंधित दूर-दर्शन केन्द्र के निदेशक द्वारा की जाती है।

दूरदर्शन के लिए स्वतंत्र समाचार सेवा की स्थापना

504. **श्री शांताराम नायक :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के लिए एक स्वतंत्र समाचार सेवा स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) समाचार एकत्र करने और उनके सम्पादन कार्य में लगे कर्मचारियों को क्या तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) और (ख) : दूरदर्शन के लिए एक अलग सूचना सेवा ढांचे की स्थापना करने से संबंधित प्रस्ताव इस समय विचार की प्रारम्भिक अवस्था में है और विभिन्न ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

उड़ीसा में गंधमर्दन पहाड़ियों पर भारत एल्यूमिनियम कम्पनी की खनन गतिविधियां

505. **मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में गंधमर्दन पहाड़ियों पर भारत एल्यूमिनियम कम्पनी की खनन गतिविधियों के कारण औषधि निर्माण में अधिक उपयोगी मूल्य की दुर्लभ जड़ी-बूटियां और पौधों के विनाश की सम्भावना पर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इसको रोकने लिए क्या कदम उठाए हैं ?

खान विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) गंधमर्दन पर्वत शृंखला के कुल करीब 20,000 हेक्टेयर वन क्षेत्र में से भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लि० (बाल्को) की गंधमर्दन परियोजना के लिए 162 हेक्टेयर क्षेत्र की जरूरत होगी। बाल्को ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत आवश्यक अनुमोदन प्राप्त किया है। गंधमर्दन पठार शिखर के बाक्साइट धारी क्षेत्र में वनस्पति के नाम पर लम्बी-लम्बी घास तथा झाड़ियाँ हैं तथा कहीं-कहीं इक्का-दुक्का पेड़ हैं और सीमित वन है। जड़ी-बूटियों की प्राप्ति केवल ढलानों पर ही कही गई है, जिन पर खनन कार्य सीधे नहीं होगा। बाल्को को इस परियोजना के लिए भारत सरकार के पर्यावरण विभाग ने पर्यावरण प्रबन्ध योजना तैयार होने तक, अनन्तिम स्वीकृति दी है। पर्यावरण

प्रबन्ध योजना सरकारी क्षेत्र के परामर्शी संगठन मेकन ने तैयार की है, जिसमें धूल नियंत्रण, प्रभावी खनन जोन से बाहर खनन मिट्टी को बिखराव व जमाव न होने देने तथा वर्षा जल को गड्ढे में जमा रखने की दृष्टि से परियोजना-स्थल की सीमा के सहारे खनन क्षेत्र की पट्टी छोड़ते हुए चारों ओर बेरियर के निर्माण का विस्तृत प्रावधान है। पर्यावरण सम्बन्धी अन्तिम स्वीकृति की बाल्को को प्रतीक्षा है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना से छूट

506. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय श्रम संगठनों ने सामान्य असंतोष और कर्मचारी राज्य बीमा योजना की इकाइयों तथा श्रमिकों के कारखानों के बीच लम्बी दूरी होने के कारण कर्मचारी राज्य बीमा योजना से छूट प्राप्त करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) जी, हां। मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स इम्पलाईज एसोसिएशन, कोलार गोल्ड फील्ड्स से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा योजना को लागू किए जाने से छूट प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इनका अभ्यावेदन विचाराधीन है।

रोजगार समाचार का विभिन्न भाषाओं में प्रकाशन

507. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "रोजगार समाचार" किन-किन भाषाओं में प्रकाशित होता है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस पत्रिका को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने का है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) "रोजगार समाचार" तीन भाषाओं अर्थात् अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में निकाला जाता है।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में रोजगार केन्द्रों के माध्यम से रोजगार

508. **श्री राम स्वरूप राम :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्रों के एकक रोजगार के लिए रोजगार केन्द्रों से भेजे गए उम्मीदवारों को स्वीकार नहीं करते हैं और कर्मचारियों की भर्ती अपनी मर्जी से करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का गैर-सरकारी क्षेत्रों से रोजगार केन्द्रों द्वारा प्रायोजित उम्मीदवारों का कुछ कोटा स्वीकार करने हेतु कहने का प्रस्ताव है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) रोजगार कार्यालयों के माध्यम से निजी क्षेत्र में भर्ती स्वैच्छिक आधार पर की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

बेरोजगार व्यक्तियों के लिए नौकरियां

509. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजीभाई मावणि :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात, दिल्ली और अन्य राज्यों के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में बड़ी संख्या में नाम दर्ज लोगों को नौकरियां नहीं मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उनमें से कितने लोगों को 3, 5, 7 और 10 वर्ष समाप्त होने के बाद भी नौकरियां नहीं मिलीं और उन्हें नौकरियां देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) गत 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, और 5 वर्ष के दौरान विभिन्न रोजगार कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों में पंजीकृत लोगों के आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार सभी प्रतिष्ठानों के लिए चाहे वह गैर-सरकारी अथवा सार्वजनिक, सरकारी अथवा अर्ध-सरकारी, सरकारी उपक्रम अथवा निगम हों, रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ही अनिवार्य रूप से कर्मचारियों की भर्ती करने का है ?

श्रम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) गुजरात, दिल्ली

और अन्य राज्यों के बारे में 1984 और 1985 के दौरान किए गए पंजीकरणों और की गई नियुक्तियों की संख्या तथा 1984 और 1985 के अन्त में रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर शेष आवेदकों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

सरकारी, अर्ध-सरकारी प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में रिक्तियों की कुछ श्रेणियों के बारे में भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनियमित की जाती है।

(ग) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) सूचना संलग्न विवरण-II में दर्शाई गई है।

(ङ) जी, नहीं। सरकारी, अर्ध-सरकारी-प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों में रिक्तियों की कुछ श्रेणियों पर भर्ती रोजगार कार्यालयों के माध्यम से केन्द्रीय और राज्य सरकारों के प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा विनियमित की जाती है।

विवरण-I

रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर किए गए पंजीकरणों, की गई नियुक्तियों और आवेदकों की संख्या

(संख्या हजारों में)

क्र० सं०	राज्यों	वर्ष के दौरान किए गए पंजीकरण		वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियां		वर्ष के अन्त में चालू रजिस्टर पर संख्या	
		1984	1985	19 4	1985	1984	1985
1.	गुजरात	267.8	139.0	20.5	13.0	631.8	729.8
2.	दिल्ली	197.8	199.8	53.0	56.0	451.2	569.2
3.	अन्य राज्य	5753.4	5482.7	333.8	319.5	22463.4	24970.9
	कुल :	6219.0	5821.5	407.5	388.5	23546.8	26269.9

विवरण-II

रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए पंजीकरणों की संख्या

(संख्या हजारों में)

क्र०सं०	राज्य	पिछले वर्षों के दौरान किए गए पंजीकरणों की संख्या			
		एक वर्ष (1985)	2 वर्ष (1984 से 1985 तक)	3 वर्ष (1983 से 1985 तक)	5 वर्ष (1981 से 1985 तक)
1.	गुजरात	139.0	406.8	641.7	1092.0
2.	दिल्ली	199.8	397.6	605.9	973.9
3.	अन्य राज्य	5482.7	11236.1	17548.8	28870.2
	कुल :	5821.5	12040.5	18796.3	30936.1

कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करना

510. श्री सुरेश कुरूप : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कृषि को समवर्ती सूची में शामिल करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ठेका श्रमिकों को नियमित करना

511. श्री पी० आर० कुमारमंगलम : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970 में संशोधन करने का है जिसमें ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के आदेशों पर जब कभी भी किसी ठेकेदार अथवा उद्योग का लाइसेंस रद्द किया जाता है, तो ठेका श्रमिकों को अन्यत्र स्थायी स्वरूप के कार्य में रोजगार देकर उनकी सेवाओं को नियमित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

नारियल विकास कार्यक्रम

512. श्री टी० बशीर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सहायता से नारियल विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) सातवीं योजना के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा बनाई गई भारत में नारियल उद्योग के समेकित विकास की एक योजना पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां। केरल में नारियल के वृहत विकास को एक परियोजना केरल सरकार से प्राप्त हुई थी।

(घ) सातवीं योजना के लिए नारियल विकास बोर्ड द्वारा बनाई गई भारत में नारियल उद्योग के समेकित विकास को एक योजना में केरल राज्य भी शामिल है।

——

12.00 मध्याह्न

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

राज्य सभा और लोक सभा के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन के प्रश्न पर विचार करने के लिए संसद की एक समिति की नियुक्ति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आज मुझे अपने सचिवालय के बारे में एक घोषणा करनी है।

संविधान के अनुच्छेद 98 के उपबंधों को दृष्टिगत रखते हुए, चौथे वेतन आयोग ने राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की है।

राज्य सभा के सभापति ने और मैंने परस्पर विचार-विमर्श करके और तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बाद अपनाई गई प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए संसद की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. सभापति प्राक्कलन समिति
   (श्री चिंतामणि प्राणिग्रही)

2. सभापति लोक लेखा समिति
   (श्री ई० अय्यपु रेड्डी)

3. वित्त मंत्री
   (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

4. संसदीय कार्य मंत्री
(श्री एच० के० एल० भगत)

5. सदस्य, राज्य सभा
(श्री पवन कुमार बंसल)

6. सदस्य, राज्य सभा
(श्री दीपेन घोष)

प्राक्कलन समिति के सभापति श्री चिंतामणि पाणिग्रही इस समिति के सभापति होंगे।

समिति का कार्य राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष को उन परिवर्तनों के बारे में सलाह देना होगा जिन्हें वह चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के संदर्भ में राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों के अधिकारियों और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के ढांचे, अवकाश और पेंशन लाभों में करना वांछनीय समझे।

समिति राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष को यथासंभव शीघ्र अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : समयबद्ध नहीं ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : टाइम बाउन्ड करवा देंगे।

————

[अनुवाद]

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं जिसका संबंध सदन के दोनों पक्षों से है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : कृपया हमें अनुमति दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात ठीक नहीं है। कोई भी बात आप करना चाहें, वह बता दिया करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिये, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको रोज बताता हूं कि जो सबजेक्ट आप चाहते हैं, वह डिस्कस कर लिया करें। मैं एलाऊ करता रहता हूं। यहां इस तरह करने से कोई अर्थ नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे बतायें तो कर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई फायदा नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई नियम नहीं हैं। मैं किसी को अनुमति नहीं दे सकता।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। अप्रासंगिक है। पूरी तरह अप्रासंगिक है।

[हिन्दी]

आप बतायें तो कर देंगे, ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं है।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

इस तरह बात करने का कोई अर्थ नहीं। आप मुझे बतायें तो कर दूंगा। ऐसे नहीं होता।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप ये सब क्यों कर रहे हैं ?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)*

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैंने एक प्रस्ताव दिया था··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : सरकार की सराहना करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से कोई फायदा है ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रिविलेज मोशन है कोई ?

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप क्या करना चाहते हैं ?

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप एक-एक करके निवेदन करने की अनुमति देंगे ? हम आपके निर्णय को मानेंगे। आप निर्णय कर सकते हैं कि कौन निवेदन करे।

(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, सलाह करके दीजिए तो सारा कर दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे अनावश्यक रूप से व्यवधान डाल रहे हैं। मैं उनके लिए क्या कर सकता हूं।

[हिन्दी]

मैं करना चाहता हूं प्रोफेसर साहब।

(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : फ्लड्ज वाली बात के लिए मिनिस्टर साहब से कह दीजिए कि ये जाकर चैक-अप कर लें···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदय, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

डा० चिन्ता मोहन (तिरुपति) : मैंने एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कोई फर्क नहीं पड़ता। नोटिस से आपको कोई प्राथमिकता नहीं मिल जाती। आप मुझे दीजिए और मैं उसपर निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं इजाजत दूं, तब बोलिए। आप सारे क्यों बोलते हैं ?

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मैंने स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन का सवाल नहीं है। इसपर निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता।

श्री बसुदेव आचार्य : ऐसा कब तक चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता। न हम न यह सदन। इस पर निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : जम्मू तथा काश्मीर विधान सभा को स्थगित कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : देखिए तो यह कितना अप्रासंगिक है ! इस बारे में मैं क्या कर सकता हूं। यह सरकार का काम नहीं है। यह तो निर्वाचन आयोग का काम है।

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार को एक प्रस्ताव रखना चाहिए। ऐसे कब तक चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम। यह मेरा काम नहीं है। यह निर्वाचन आयोग का काम है।

श्री बसुदेव आचार्य : फिर से चुनाव होने चाहिए।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास के उपबंध···

अध्यक्ष महोदय : मेरा आपको एक विनम्र सुझाव है। यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न है जिस पर न्यायालय निर्णय लेगा।

प्रो० मधु दंडवते : कृपया जो मैं कह रहा हूं, उसे सुनिए। मैं आपका निर्णय और विनिर्णय मानूंगा।

मेरे पास संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पढ़ा है।

प्रो० मधु दंडवते : व्यावसायिक प्रयोजनों से एच० एम० टी० की घड़ियों के लिए सदन के नेता के नाम को इस्तेमाल किया गया है। यह इस अधिनियम की धारा 3 का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : यह कानून का प्रश्न है। इससे सदन की अवमानना नहीं हुई है।

प्रो० मधु दंडवते : व्यावसायिक प्रयोजनों से एच० एम० टी० की घड़ियों के लिए किसी प्रधान मंत्री का नाम तथा फोटो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते।

अध्यक्ष महोदय : यह कानून का प्रश्न है। मैं नहीं चाहता कि न्यायालय की अवमानना हो। उन्हें निर्णय लेने दीजिए।

प्रो० मधु दंडवते : जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं और पंडित नेहरू के नाम को इस्तेमाल किया गया था, तब मैंने इस मामले को पहले भी उठाया था ··

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अनुमति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं क्यों लूं ?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : यह सदन के नेता का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, जी नहीं, अनुमति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : क्या आप नहीं मानते कि यह कानून का उल्लंघन है? इसे व्यावसायिक प्रयोजनों से इस्तेमाल किया गया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, अनुमति नहीं है···

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, इसका निर्णय न्यायालय करेगा, मैं नहीं···

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने यह इसलिए कहा है क्योंकि इसमें सदन का नेता शामिल है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कोई भी हो। वह कानून के अन्तर्गत है, कानून के ऊपर नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : सर, भटिण्डा और फरीदकोट दो जिलों में फ्लड आया हुआ है। आप गवर्नमेंट को कह दीजिए कि वह जाकर जायजा ले ले।

अध्यक्ष महोदय : आप दीजिए।

[अनुवाद]

आप मुझे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस क्यों नहीं देते···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

मैंने आपको बताया है कि आपके पास दो तरीके होते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

आप इस प्रश्न को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या नियम 377 के अन्तर्गत उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

आपको मना किसने किया है। आप मुझे दीजिए मैं एलाऊ कर दूंगा। झगड़ा किस बात का है ? यह तो एक सीधी सी बात बात है।

[अनुवाद].

श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : महोदय, धन्यवाद··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण आप आकर मुझे वह सब बता सकते हैं जो आप बताना चाहें···

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलु (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय मैंने श्रीलंका की स्थिति के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे देख लूंगा। आप आकर मुझसे मिल सकते हैं आपका स्वागत है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, कृपया इन सदस्यों को देखिए। मैं यह पसंद नहीं करता। यह कोई तरीका नहीं है। वे आकर मुझसे मिल सकते हैं।

[हिन्दी]

आप मिल सकते हैं और बात कर सकते हैं।

[अनुवाद]

यह कोई तरीका नहीं है। मैं उन्हें अनुमति नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप सदन की कार्यवाही में इस तरह व्यवधान डालें।

(व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : महोदय, एक महत्वपूर्ण सुझाव।

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है ? क्या यह विशेषाधिकार का प्रश्न है ?

श्री बृजमोहन महन्ती : जी नहीं, विशेषाधिकार नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तो वह क्या है ? आप मेरे पास आ सकते हैं···

(व्यवधान)

श्री बृजमोहन महन्ती : महोदय, सदन को इस बारे में मालूम होना चाहिए।··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, फिर मेरे पास आइये।

श्री बृजमोहन महन्ती : आपने प्रो० दण्डवते को सुना है और आपने हर व्यक्ति को सुना है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् महन्ती आप मेरे पास आ सकते हैं। आपका स्वागत है। आप मेरे पास आ सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। आप किसी भी समय आ सकते हैं।

12.08 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना नारियल विकास बोर्ड, कोचीन, का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 797 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें उर्वरकों के घरेलू निर्माताओं द्वारा विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/वस्तु बोर्डों को 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 1986 तक की अवधि के दौरान दिये जाने वाले उर्वरकों की मात्रा दर्शाने वाला आदेश दिया हुआ है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—2749/86]

(2) (एक) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 17 की उपधारा (4)

के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1984-85 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० — 2750/86]

12.09 म० प०

मिजोरम सम्बन्धी समझौता ज्ञापन के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मैं सदन के पटल पर समझौता ज्ञापन और घटना क्रम रख रहा हूं जिस पर भारत सरकार की ओर से केन्द्रीय गृह सचिव और मिजोरम सरकार की ओर से मुख्य सचिव, मिजोरम और मिजो नेशनल फ्रन्ट की ओर से श्री लालडेंगा द्वारा 30 जून, 1986 को हस्ताक्षर किए गए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० — 2751/86]

सभी विवादों और भेद-भेदों का शांतिपूर्वक निपटान करने की अपनी नीति के अनुसरण में और उन विभिन्न समूहों को मुख्य धारा में लाने जो अभी तक भारत के संविधान के ढांचे के अंतर्गत काम करना नहीं चाहते थे, प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की पहल पर नवम्बर, 1984 में मिजो नेशनल फ्रन्ट के प्रतिनिधि मंडल से नए सिरे से बातचीत शुरू की गई थी। इस बात का स्मरण किया जा सकता है कि अप्रैल, 1984 में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि सरकार श्री लालडेंगा से बातचीत करने को तैयार है बशर्ते कि (क) बातचीत भारत के संविधान के ढांचे के अंतर्गत की जाय और (ख) मिजो नेशनल फ्रंट (एम०एन०एफ०) की हिंसात्मक कार्रवाई बंद हो। श्री लालडेंगा ने ये शर्तें मान लीं और इसके परिणामस्वरूप बातचीत शुरू हुई।

[श्री गुलाम नबी आजाद]

विद्रोही कारंवाइयों को बन्द करने और एम०एन०एफ० द्वारा अन्य विद्रोही समूहों की सहायता को रोकने के लिए, एम०एन०एफ० प्रतिनिधि-मंडल के साथ 3 दिसम्बर, 1984 को एक समझौता हुआ। दूसरी तरफ सरकार एम०एन०एफ० के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम के अधीन कारंवाई को स्थगित करने के लिए सहमत हो गई।

एम०एन०एफ० के प्रतिनिधि-मण्डल के साथ, श्री लालडेंगा जिसके अध्यक्ष थे, प्रारंभ में नीति योजना समिति के अध्यक्ष, श्री जी०, पार्थासारथी और तत्कालीन गृह मंत्री, श्री पी० वी० नरसिम्हा राव दोनों द्वारा बातचीत की गई। सितम्बर, 1985 से गृह मंत्री, राज्य मंत्री, श्री रामनिवास मिर्धा और गृह सचिव द्वारा बातचीत की गई। ये बातचीत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। यह अत्यंत संतोष का विषय है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की पहल पर शुरू किए गए विचार-विमर्शों की शृंखला प्रधान मंत्री, श्री राजीव गांधी के योग्य मार्गदर्शन में ''समझौता ज्ञापन'' के साथ संपन्न हुई।

समझौता ज्ञापन में एम०एन०एफ० द्वारा निम्नलिखित उपाय करने की व्यवस्था की गई है।

(क) मिजो नेशनल फ्रन्ट सम्मत समय-सारणी के अन्तर्गत सभी भूमिगत गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने, एम०एन०एफ० के सभी भूमिगत कार्यकर्ताओं को नागरिक जीवन की ओर लौटाने के लिए उनके हथियारों, गोलाबारूद और उपकरणों के साथ बाहर लाने, हिंसा छोड़ने और सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया में सामान्यत: सहायता करने का वचन देती है। सभी भूमिगत कार्यकर्ताओं को बाहर लाने और हथियार, गोलाबारूद और उपकरण जमा करने की रीति तैयार कर ली गई है।

(ख) मिजोरम नेशनल फ्रन्ट, त्रिपुरा ट्राइबल नेशनल वालंटियर्स (टी०एन०वी०), पीपल्स लिबरेशन आर्मी मणिपुर (पी०एल०ए०) तथा किन्हीं अन्य ऐसे समूहों को, प्रशिक्षण देकर, हथियारों की सप्लाई करके अथवा संरक्षण देकर, अथवा किसी अन्य तरीके से कोई समर्थन देने का वचन देती है।

(ग) एम० एन० एफ०, अपने संगम अनुच्छेदों का संशोधन करने के लिये तत्काल कदम उठायेगी ताकि उन्हें कानून के उपबन्धों के अनुरूप बनाया जा सके।

मुझे इस स्थिति में यह स्पष्ट करना है कि कानून के उपबन्धों के अनुरूप बनाने के लिए एम०एन०एफ० द्वारा अपने संगम अनुच्छेदों में संशोधन करने और एम०एन०एफ० के सभी कार्यकर्ताओं को अपने हथियारों, गोलाबारूद और उपकरण के साथ लौटने की कारंवाई पूरा होने के बाद

ही, जैसी स्कीम तैयार की गई है, ज्ञापन में सरकार ने निम्नलिखित उपायों की व्यवस्था की है :—

(क) एम०एन०एफ० को जो भूमिगत कार्यकर्ता सामने आयंगे केन्द्रीय सरकार उनके पुनर्स्थापन और पुनर्वास के लिए उपाय करेगी।

(ख) सरकार संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम को राज्य का दर्जा देने के लिए उपाय शुरू करेगी।

(ग) अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक विधायी उपाय किये जाएंगे :

(I) मिजोरम राज्य क्षेत्र में वही राज्य क्षेत्र होगा जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 6 में विनिर्दिष्ट है।

(II) संविधान में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के बारे में संसद का कोई भी अधिनियम तब तक मिजोरम पर लागू नहीं होगा जब तक कि मिजोरम की विधान सभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय न करे :—

(i) मिजो लोगों की धार्मिक तथा सामाजिक प्रथाएं;

(ii) मिजो लोगों की रूढ़िजन्य विधि या प्रक्रिया;

(iii) सिविल तथा दांडिक न्याय का प्रशासन जिसमें मिजो रूढ़िजन्य विधि के अनुसार विनिश्चय अन्तर्वलित हो;

(iv) भूमि का स्वामित्व तथा अंतरण;

तथापि इस खण्ड में कोई भी बात नियत देन के ठीक पूर्व मिजोरम में लागू किसी केन्द्रीय अधिनियम पर लागू नहीं होगी।

(घ) मिजोरम विधान सभा के सम्बन्ध में, अनुच्छेद 170 के खण्ड (1) का यह प्रभाव होगा मानो शब्द "साठ" के स्थान पर शब्द "चालीस" प्रतिस्थापित किया गया है।

(ङ) (i) संघ राज्य क्षेत्र से राज्य में, दर्जे के परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार नई सरकार को संसाधनों का अंतरण करेगी और इसमें वर्ष के दौरान राजस्व के अन्तर को पूरा करने के लिए संसाधन भी शामिल होंगे।

(ii) योजना के लिए केन्द्रीय सहायता संसाधनों में किसी अवशिष्ट अन्तर को ध्यान में रखते हुये निर्धारित की जाएगी ताकि अनुमोदित योजना परिव्यय को बरकरार रखा जा सके और सहायता का पैटर्न विशेष श्रेणी वाले राज्यों की तरह का ही होगा।

मिजोरम की जनजातियों जैसे लखेरों, पावियों और चकमाओं ने संघ राज्य क्षेत्र मिजोरम को राज्य का दर्जा दिए जाने पर अपने हितों के बारे में कुछ संदेह व्यक्त किये हैं। इस पहलू को ध्यान में

[श्री गुलाम नबी आजाद]

रखते हुए समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित उपबन्ध किया गया है : —

"संविधान की परिकल्पना के अनुसार, मिजोरम में अल्पसंख्यकों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का परिरक्षण तथा संरक्षण जारी रखा जाएगा और उनकी सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति सुनिश्चित की जाएगी।"

समझौता ज्ञापन में उस वृहत मिजोरम के प्रश्न का उल्लेख है जिसे एम०एन०एफ० प्रतिनिधि मण्डल द्वारा उठाया गया था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 में इस सम्बन्ध में प्रक्रिया निर्धारित की गई है परन्तु सरकार इस बारे में कोई वचन नहीं दे सकती।

समझौता ज्ञापन में यह प्रावधान है जिससे मिजो निवासी अपने आपको शेष देश से जोड़ सके कि वर्तमान रीति-रिवाजों, प्रथाओं, कानूनों अथवा ज्ञापन में विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अन्य प्रथाओं पर मिजोरम सरकार इस बात का ध्यान रखते हुये शीघ्र विचार करेगी कि कोई मिजो व्यक्ति ऐसे मामलों से सम्बन्धित संसद के अधिनियमों द्वारा और जो सामान्यतः लागू होते हैं उनके द्वारा शासित होना पसन्द करें।

जैसे ही मिजोरम राज्य बन जाता है :—

(i) संविधान के भाग XVII के उपबन्ध लागू होंगे और राज्य के सरकारी प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने के लिये राज्य को कोई एक या अधिक भाषा अपनाने का अधिकार होगा।

(ii) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राज्य में पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने की राज्य को छूट होगी।

(iii) नई दिल्ली में 31 अगस्त, 1985 को मुख्य न्यायाधीशों, मुख्य मंत्रियों और न्याय मन्त्रियों के हुए संयुक्त सम्मेलन में प्रधान मन्त्री के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मिजोरम को अपना अलग उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार होगा यदि वह चाहे।

इस समझौते का मिजोरम की जनता के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया गया। इससे मिजोरम में शांति स्थापित करने और विकास करने का नया उत्साह पैदा हुआ है। इससे भारत के संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की शक्ति पुनः सिद्ध हुई है। जैसाकि प्रधानमंत्री ने कहा है। हम मिजो समस्या का समाधान शक्ति से नहीं अपितु उन लोगों को आमधारा में लाकर कर सके जो भूमिगत हो गये थे। इस समझौते में भारतीय राष्ट्रीयता पर मूल रूप से बल दिया गया है।

पिछली दशाब्दियों की अशांत परिस्थितियों ने मिजोरम की प्रगति और विकास को अत्यन्त हानि पहुंचाई है। राष्ट्रीय प्रयत्न में लोगों को भागीदार बनाने के सकारात्मक लाभों के प्रदर्शन से

मिजोरम के लोगों को यह बात समझ आ गई है कि हिंसा से काम नहीं चलता मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि प्रधान मन्त्री ने हाल ही आइजोल में कहा था कि समझौते पर हस्ताक्षर करके केन्द्र ने हिंसा को कोई लाभ नहीं होने दिया है।

मिजो लोगों को कठिनाइयां हुई हैं। राष्ट्रीय ढांचे के अन्तर्गत हुई उपलब्धियों के नये आयाम खुलने से इस बात की बहुत आशा है कि मिजो लोग देश की प्रगति में बराबर के भागीदार होंगे और वे अपना अद्वितीय सहयोग देंगे।

आशा है कि इस ज्ञापन से न केवल हिंसाग्रस्त मिजोरम की अशान्त परिस्थितियों का अन्त होगा और मिजोरम की जनता में मेल-मिलाप और सद्भाव बढ़ेगा अपितु इससे मिजोरम के विकास की गति बढ़ने में मदद मिलेगी। इस समझौते से संवेदनशील पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी अच्छा प्रभाव होगा। भारत सरकार बातचीत के दौरान मिजोरम की जनता, मिजोरम के मुख्य मंत्री और मिजोरम सरकार की सूझबूझ, धैर्य और दिये गये सहयोग की प्रशंसा करती है। भारत सरकार अपनी तरफ से समझोता ज्ञापन के उपबंधों को लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

प्रधानमंत्री ने पहाड़ी राज्य में शांति स्थापित करने का वचन दिया था। इस समझौते के जरिए उन्होंने अपना वचन पूरा किया है। मैं प्रधानमंत्री द्वारा अपनी आइजोल यात्रा के दौरान कहे गये शब्दों को दोहराना चाहूंगा कि यह समझौता क्षतिग्रस्त ग्रामों का पुनर्निर्माण करेगा, परिवारों को पुनः मिलाएगा और मिजोरम की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा। मैं दृढ़तापूर्वक विश्वास करता हूं कि हम मिजोरम के ढांचे को शांतिपूर्ण विश्वास और आत्म आश्वासन पर उठा सकते हैं जिसके मिजोरम की जनता में स्पष्ट संकेत मिलते हैं।

12.18 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय इस सभा में हम चर्चा करना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री थम्पन थामस : इस विषय पर इस सभा में चर्चा की जा सकती है। (व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इस विषय पर चर्चा आज होनी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे लिखित में दीजिये हम विचार करेंगे।

अगला विषय : श्री एच० के० एल० भगत :

12.19 म०प०

कार्य-मन्त्रणा समिति

24वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 18 जुलाई, 1986 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 18 जुलाई, 1986 को सभा में प्रस्तुत कार्य-मंत्रणा समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

12.20 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिये छात्रावास तथा विद्यालय की इमारतों के निर्माण के लिये मध्य प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

कुमारी पुष्पादेवी (रायगढ़) : महोदय, यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि मध्य प्रदेश की अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत दर से बहुत से बहुत कम है। अनुसूचित जातियों में साक्षरता दर कम होने के जो कारण हैं वे छिपे हैं नहीं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में खोले गये आश्रम विद्यालयों तथा दूसरी शिक्षण संस्थाओं की संख्या बहुत कम है। इस क्षेत्र में लड़के लड़कियों के नये विद्यालय खोलने के लिए भारत सरकार ने कोई केन्द्रीय सहायता नहीं स्वीकृत की है। दूसरी ओर राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि वह नये आश्रम विद्यालयों का शत प्रतिशत व्यय बर्दास्त कर सके।

आजकल अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विद्यालय भवन व छात्रावास भवन निर्माण की 50% लागत केन्द्र सरकार प्रदान कर रही है। परन्तु अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए विद्यालय भवन व छात्रावास भवन निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई सहायता नहीं दी जा रही है। जब तक केन्द्र सरकार पर्याप्त सहायता नहीं देती है, अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियों में साक्षरता दर नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में और अधिक आश्रम विद्यालय खोलने के लिए निवेदन करती हूं।

मैं सरकार से मध्य प्रदेश राज्य को इस तरह के नये विद्यालय खोलने के लिए 100% अनुदान देने के लिए निवेदन करती हूं। उस राज्य में लड़कियों के लिए विद्यालय भवन व छात्रावास भवन निर्माण की कुल लागत में से कम से कम 50% लागत केन्द्र सरकार को वहन करनी चाहिए। अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए विद्यालय भवन व छात्रावास भवन निर्माण के लिए मध्य प्रदेश राज्य को केन्द्र सरकार द्वारा कम से कम 50 से 60% तक समतुल्य अनुदान भी प्रदान किया जाना चाहिए।

(दो) सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में बालासोर में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता

*श्री अनन्त प्रसाद सेठी (भद्रक) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में दूसरे राज्यों की अपेक्षा उड़ीसा में मुहैय्या कराया गया। दूरदर्शन प्रसार बहुत कम है। अब तक उड़ीसा में केवल एक दूरदर्शन केन्द्र कटक में स्थापित किया गया है और दूसरा सम्बलपुर में स्थापित किया गया है।

बालासोर शिक्षा, संस्कृति तथा अन्य मामलों में एक अग्रिम जिला है। यह राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से 200 कि०मी० की दूरी पर स्थित है। कटक या सम्बलपुर दूरदर्शन पर दिखाए गए कार्यक्रम बालासोर जिले में दूरदर्शन पर नहीं देखे जा सकते। अत: बालासोर में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करना हर दृष्टि से न्यायोचित है। यदि बालासोर में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना कर दी जाती है तो यह इस जिले की संस्कृति को प्रोत्साहन देने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा क्योंझर और मयूरभंज जिलों के लोग भी बालासोर दूरदर्शन पर दिखाए गए कार्यक्रम को देख सकते हैं। भारत सरकार के पास हर जिले में एक दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि बालासोर जिले को उपर्युक्त कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए और सातवीं योजना अवधि में वहां दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।

(तीन) लद्दाख के कारगिल जिले के कारचा गांव में बाढ़ और बादलों के फटने से पीड़ित लोगों को राहत और सहायता देने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को अनुदेश दिए जाने की आवश्यकता

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : महोदय, लद्दाख कारगिल जिले की कारचा घाटी की अव-

*मूलत: उड़िया में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पी० नामग्याल]

हेलना की जा रही है और पिछले दस वर्षों से भी अधिक समय से एक भी उच्च अधिकारी शायद ही वहां गया है। वहां के लोग अक्सर आने वाली बाढ़ों और बादलों के फटने के कारण पिछले पांच-छह वर्षों से पीड़ित हैं जो आवासीय घरों, कृषि योग्य भूमि, वनसम्पदा तथा चारागाह को पूर्ण रूप से अपने साथ बहा ले जाती है। भारत सरकार ने बाढ़ एवं बादल फटने से पीड़ित लोगों के लिए राज्य सरकार के जरिए कुछ राहत राशि स्वीकृत की है परन्तु अभी तक उनको एक पैसा भी नहीं मिला है।

इसलिए मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि वह पिछले पांच-छह वर्षों से आ रही बाढ़ व बादलों के फटने से पीड़ित लोगों को राहत राशि देने के लिए राज्य सरकार को निदेश जारी करे।

(चार) बैंकों द्वारा डिमांड ड्राफ्ट सेवा में शुल्कों में हाल में की गई वृद्धि पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : बैंकिंग क्षेत्र को सही मायने में वर्तमान आर्थिक ढांचे की रीढ़ समझा जाता है और हमारी सरकार द्वारा इसके राष्ट्रीयकरण के बाद विशेष रूप से इसने बेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रक्रिया के दौरान वास्तव में इसका बहुत विस्तार हुआ है। जमा-निवेश अनुपात अब बहुत बेहतर है। फिर भी बैंक क्षेत्र द्वारा डिमांड ड्राफ्ट सेवा में पूर्व विद्यमान प्रत्येक 100 रुपये पर 5-6 पैसे से 20 पैसे की हाल ही में की गई वृद्धि ने व्यापारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर दी है। इस बारे में वे पहले ही सरकार से निवेदन कर चुके हैं। दिल्ली खाद्यान्न-व्यापारी संघ इस विषय में वित्त मंत्री महोदय को भी लिख चुका है।

मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे कृपा करके बैंक क्षेत्र को इस वृद्धि पर जो 350% से भी अधिक है, पुनः निरीक्षण के लिए निदेश दें। यदि सेवा खर्चों की लागत बढ़ानी है तो केवल यह विवेक संगत होनी चाहिए तथा इसमें स्वेच्छाचारिता नहीं बरती जानी चाहिए।

[हिन्दी]

(पांच) मध्य प्रदेश के चम्बल डिवीजन में हरिजनों और आदिवासियों को निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री कमोदी लाल जाटव (मुरैना) : मध्य प्रदेश में चम्बल सम्भाग में हरिजन व आदिवासियों के लिए विद्युत के सिंगल पाइप कनेक्शन अभी तक न के बराबर लगाये गये हैं। इससे हरिजन व आदिवासियों में असंतोष फैला हुआ है जबकि सरकार की मंशा है कि हरिजन आदिवासियों के मकान पर एक बल्ब मुफ्त लगाया जायेगा। मेरा सरकार से निवेदन है कि चम्बल में हरिजन व आदिवासियों के मकान पर तत्काल एक बल्ब लगाने की कृपा करें ताकि गरीब लोग इसका फायदा ले सकें।

(छह) आन्ध्र प्रदेश में वेदायापालेम रेलवे स्टेशन का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता

श्री पी० पेंचालैया (नैल्लोर) : श्रीमान, नैल्लोर आंध्र प्रदेश में एक प्रसिद्ध व्यापारिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र है। हाल के वर्षों में यह राज्य में एक मुख्य औद्योगिक केन्द्र बन गया है। नैल्लोर का बड़ी तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां पर राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के कई दूसरे प्रतिष्ठानों के साथ-साथ कई उद्योग जैसे निप्पो, कपड़ा मिलें, एक बहुत बड़ी औद्योगिक सम्पदा और एक आटोनगर स्थित हैं।

नैल्लोर में वर्तमान रेलवे स्टेशन, विशेषकर माल गोदाम बहुत भीड़ भाड़ वाले हो गये हैं। हजारों लोगों ने अपना निवास को पास के कस्बे विदायापालेम में बना लिया है जो नेल्लौर स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। हजारों की संख्या में लोग काम की तलाश में वेदायापालेम से नैल्लौर जाते हैं। कई नई औद्योगिक इकाइयां भी वहां तेजी से उभर रही हैं। इसके सिवाय वेदायापालेम में किसानों को अपने उत्पादन जैसे चावल इत्यादि को बेचने के लिए नैल्लौर जाना पड़ता है। इसलिए यात्रियों को सभी सुविधायें देने के लिए वेदायापालेम रेलवे स्टेशन को एक पूर्ण विकसित स्टेशन में बनाने की आवश्यकता है। इससे नैल्लौर स्टेशन पर भीड़-भाड़ को कम करने में भी मदद मिलेगी।

इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से वेदायापालेम स्टेशन में सुधार करने के लिए तथा एक पक्का मालगोदाम बनाने के लिये भी कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(सात) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद संबंधी महाजन आयोग की सिफारिशों को सम्मिलित करने के लिए एस० आर०सी० अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : श्रीमान, महाजन आयोग द्वारा अपना निर्णय दिये जाने बाद, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद जैसे निपटाये गये मामलों को पुनः उठाये जाने के बारे में प्रधान अपनी चिंता व्यक्त की थी।

लम्बे समय से चल रहे झगड़े को समाप्त करने के लिये, यह आवश्यक है कि भारत सरकार पहल करे और देखे कि महाजन आयोग का निर्णय लागू किया गया है या नहीं जिससे कि दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास हो सके।

इसलिए मैं भारत सरकार से महाजन आयोग की सिफारिशों को सम्मिलित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) "कित्तूर एक्सप्रेस" का नाम बदलकर "कित्तूर रानी चानम्मा एक्सप्रेस" रखे जाने की आवश्यकता

श्री जी० एस० बसवराज (टुमकुर) : श्रीमान, मैं माननीय रेल मंत्री से गम्भीरतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि कृपया दक्षिण रेलवे की बंगलोर तथा मिराज के मध्य चलने वाली सुप्रसिद्ध दैनिक एक्सप्रेस गाड़ी कित्तूर एक्सप्रेस का नाम तुरन्त बदलकर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ने वाली

[श्री वी० एस० बसवराजु]

एक सुप्रसिद्ध देशभक्त, निर्भीक और साहसी लड़ाकू के नाम पर कित्तूर रानी चेन्नामा एक्सप्रेस कर दिया जाये। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने से काफी समय पहले, वह कित्तूर में अपनी छोटी सी रियासत की तरफ से अंग्रेजों की भारी सेना के विरुद्ध लड़ी थी। कित्तूर की रानी चेन्नामा की याद को बनाए रखने के लिए हम यह लघुत्तम कार्य ही कर सकते हैं।

— ———

12.30 म० प०

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक
[—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 5 को लेते हैं। मैं श्री ई० अय्यपू रेड्डी से भाषण जारी रखने के लिए अनुरोध करता हूं। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी (कुरनूल): जैसा कि मैं बता रहा था, हमारे समक्ष जो विधान है वह अपने आप में पूर्ण नहीं है। खण्डशः विधान के सम्बन्ध में मैं एक प्राथमिक टिप्पणी करना चाहता हूं। बड़े आदर के साथ मैं माननीय मंत्री को यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान संशोधन विधेयक एक खण्डशः विधेयक है, एक खण्डशः विधान की तरह है। वित्त मंत्रालय को, उन सभी वित्तीय संस्थाओं के सम्बन्ध में, जोविधान के अधीन आती हैं, एक विस्तृत और सर्व व्यापी संशोधन लाने के बारे में सोचना चाहिए। प्रत्येक सत्र के दौरान किसी न किसी वित्तीय संस्था से सम्बन्धित विधान का कोई न कोई संशोधन विधेयक हमारे समक्ष होता है। हमारे पास राज्य वित्त निगम संशोधन विधेयक था। उसके बाद हमारे पास रुग्ण कम्पनी विधेयक था। उसके बाद हमारे पास बैंकिंग विनियमन विधेयक था। सम्भवतः अगली बार या उससे अगली बार दूसरी वित्तीय संस्थाओं जैसे औद्योगिक विकास बैंक और दूसरे बैंकों के सम्बन्ध में हमारे पास एक संशोधन विधेयक होगा। उसकी बजाय मैं सुझाव देता हूं कि वित्त मंत्रालय के लिए यह आवश्यक है कि वह एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाये और इन सभी वित्तीय संस्थाओं के सम्बन्ध में, जो अलग कानूनों के अधीन आती हैं, एक समन्वयात्मक कानून बनाये।

1948 में बने इस भारतीय वित्त निगम अधिनियम का मूलभूत उद्देश्य औद्योगिक विकास की ओर आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की शुरुआत करना है। किन्तु फिलहाल स्थिति क्या है ? आज-कल, हाल के वर्षों में भारत के औद्योगिक क्षेत्र में रुग्णता के मामलों में वृद्धि हुई है। लघु तथा बड़े दोनों क्षेत्रों में काफी संख्या में सार्वजनिक तथा निजी उपक्रम किसी न किसी वित्तीय झमेले में, जिसे रुग्णता कहते हैं फंसे रहे हैं। ये उपक्रम, जिनमें लाखों रुपयों की पूंजी तथा साजो-सामान लगा हुआ है, अपने ऋणों का ब्याज चुकाने में भी सक्षम नहीं हैं। औद्योगिक रुग्णता में निरन्तर वृद्धि हमारे औद्योगिक क्षेत्र में एक भयप्रद स्थिति है। यह रुग्ण हो रही औद्योगिक इकाइयों में सिर्फ वृद्धि ही नहीं है किन्तु जो धन राशि इन रुग्ण उद्योगों में लगी हुई है उसकी स्थिति भी भयप्रद है। आजकल, किये गये एक

सर्वेक्षण के अनुसार 94,282 उद्योग रुग्ण पाये गये हैं और इन सभी रुग्ण उद्योगों में किया गया कुल निवेश 3638.39 करोड रुपये है। यह राशि इससे बहुत ज्यादा होनी चाहिए हालांकि दस्तावेज में इतनी ही धनराशि बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार जनवरी, 1984 में लघु क्षेत्र में रुग्ण उद्योगों की कुल संख्या 81,647 है। वास्तव में यह इससे भी अधिक होगी। अब 66,000 रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक रूप से अव्यवहार्य पाया गया है। सर्वेक्षण के अनुसार भी सभी बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले जाने वाली धनराशि 100 करोड़ रुपये से भी अधिक है। सही अर्थ में या मेरे साधारण अनुमान के अनुसार इन बैंकों द्वारा इन सभी रुग्ण उद्योगों की बट्टे खाते डाली जाने वाली धनराशि 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक होगी। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि इन उद्योगों की वित्त-व्यवस्था को मानीटर करने के लिए हमारे पास विभिन्न कानून हैं। यहां पर कानून में कई ऐसे उपबन्ध हैं जो इन वित्तीय संस्थाओं को उन उद्योगों पर नियन्त्रण करने में जिनको आर्थिक सहायता दी गई है सक्षम बनाते हैं। किन्तु इन सब के होते हुए, सभी बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा आज कैसे, 2000 करोड़ रुपये बट्टे खाते डालने पड़ गए हैं। आपने कैसे सार्वजनिक धन के इतने अधिक दुरुपयोग की अनुमति दी है ? मैं माननीय मंत्री को एक स्वतंत्र लेखा-परीक्षण कराने का अनुरोध करता हूं जिससे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में हमें सार्वजनिक वित्त की उस निश्चित राशि का पता चल जाये जो कमी से इन रुग्ण उद्योगों पर खराब की गई है। इनको पुन: ठीक करने के लिए या इस रुग्णता को रोकने के लिए एक प्रयास भी किया गया है। एक वर्ष पहले हमने तथाकथित रुग्ण कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम पारित किया था। दोनों सदनों में इस पर काफी विचार विमर्श हुआ था और बहुत अधिक अपेक्षित परिवर्तन आने की आशा की गई थी। रुग्णता के प्रभाव और वृद्धि को रोकने तथा पहले से ही खर्च किये गये धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए, इस अधिनियम को वित्त मन्त्रालय द्वारा उठाये गये सुधारात्मक कदमों में सबसे उत्तम कहा गया है। यह अधिनियम जनवरी, 1986 में लागू हुआ था; राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति 6 या 8 जनवरी, 1986 को दी थी। छः मास से भी अधिक समय जा चुका है। क्या आपने बोर्ड का गठन कर दिया है। क्या बोर्ड ने कार्य आरम्भ कर दिया है ? अब बोर्ड के गठन के बाद, रुग्ण हो रहे उद्योगों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? मैं माननीय मन्त्री का एक विशेष मामले के प्रति ध्यान दिलाता हूं—एक औद्योगिक इकाई जो रुग्ण होने के करीब है या पहले ही रुग्ण हो गई है या रुग्णता में डूब रही है, वह कुरनूल में स्थित आन्ध्र प्रदेश कार्बाइड फैक्टरी है। सभी वित्तीय संस्थाओं —औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक इत्यादि ने इस इकाई को ऋण दिये हैं। पिछले सात महीनों से इसनेकार्य करना बंद कर दिया है। इस कारखाने ने बड़ी अच्छी उन्नति की है, उद्यमियों ने, तथा प्रबन्ध निदेशक ने अच्छा लाभ कमाया है लेकिन गत छह या सात माह से इसे रुग्ण बना दिया गया है। प्रत्येक वित्तीय संस्था को यह बताया गया है कि यह इकाई आर्थिक दृष्टि से लाभ-सम्भाव्य है तथा इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। लेकिन गत सात महीनों से ये सभी वित्तीय संस्थाएं मात्र इसकी ओर देख रही हैं। यह डूब रही है और सम्भवत: इतना डूब रही है कि हम आगे इसे पुनर्जीवित नहीं कर पायेंगे। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं वह यह कि हमारी निगरानी व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी है। निगरानी किस प्रकार की जाये, वास्तव में इस सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुदेश दिये हैं। लेकिन क्या इन वित्तीय संस्थाओं में एक भी रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन कर रही है ? नहीं। उदाहरण के लिए, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम के अन्तर्गत उपबन्ध है कि निगम कोई भी उद्योग अपने

[श्री ई० अय्यपू रेड्डी]

हाथ में ले सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसा उदाहरण है जब निगम ने किसी उद्योग को अपने हाथ में लिया हो ? वित्तीय संस्थाओं को संचालित करने वाले अन्य अधिनियमों में भी ऐसे ही उपबन्धों का प्रावधान किया गया है। लेकिन य तदनुसार कार्य नहीं कर रही है। तो भी, केन्द्र सरकार ने इन छह सात सालों में 30 इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए अपने हाथ में लिया है। लेकिन हमने किसी ऐसे उद्योग के बारे में नहीं सुना जिसका वित्तीय, आर्थिक, स्थैतिक तथा गठन की दृष्टि से पुनरोद्धार हुआ हो तथा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए समर्थ बनाया गया हो।

जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है उन्होंने, ए से एम तक सभी बातों का जिक्र किया है। इन बातों के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हो सकता। लेकिन मुख्य बात तो यह है। आप खंड विधेयक क्यों ला रहे हैं ? बड़ी, छोटी या मध्यम औद्योगिक इकाइयों की वित्तीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए एक विस्तृत विधान लाने के बारे में क्यों नहीं सोचते ? एक सही दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है और यह परमावश्यक है क्योंकि इन विभिन्न उपबन्धों का क्रियान्वयन केवल कानूनी किताबों तक सीमित रहा है, व्यवहार में इनका कोई स्थान नहीं है।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : उपाध्यक्ष महोदय, क्रियान्वयन क्षेत्र के विस्तार के लिए तथा संगठन के क्रियाकलाप में सुधार के लिए विधेयक में लाये गये संशोधनों का मैं समर्थन करता हूं।

खण्डों का अध्ययन करने के बाद हम पाते हैं कि खण्ड 2 (XV) में उल्लिखित पट्टे और उप पट्टे के सम्बन्ध में औद्योगिक वित्त निगम को उस क्षेत्र में ऋण देने की आवश्यकता नहीं है जहां पर बड़ी संख्या में निजी संगठन ऋण तथा पट्टा देने के लिए तैयार है। अतः जिस उद्देश्य के लिए यह स्थापित की गई थी उसको ध्यान में रखते हुए औद्योगिक वित्त निगम के लिए यह लाभप्रद नहीं होगा। अतएव माननीय मन्त्री जी से हमारा अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें तथा इसे इसी रूप में ही न छोड़ दें। वित्त निगम को उन क्षेत्रों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए जहां निजी संगठन नहीं जा रहे हैं।

इसी प्रकार, पूंजी की वृद्धि की प्रतीक्षा करना तथा साधनों के लिए सरकार के पास जाने के बजाय मेरा विचार है कि निगम जनता के पास जा सकता है तथा अपनी पूंजीगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पत्रों के माध्यम से धन जुटाये। खुशी की बात है कि संगठन मजबूत आधार पर गतिशील है तथा प्रति वर्ष साधन उत्पन्न कर रहा है और इस में वृद्धि हुई है।

खण्ड 5 (ख)-2 में अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के कार्यकाल का उल्लेख 5 साल से अधिक नहीं किया गया है। लेकिन माननीय मन्त्री जी को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मतलब छह माह या एक वर्ष हो सकता है। मैं नहीं समझता कि कोई अध्यक्ष कोई ठोस कार्य करने में समर्थ होगा जब तक कि कम से कम तीन या चार वर्ष का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया जाता। यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी नामांकित प्रबन्ध निदेशक या अध्यक्ष को कम से कम तीन या चार वर्ष का समय दिया जाये।

मैं मन्त्री जी से इस सम्भावना का पता लगाने के लिए भी अनुरोध करूंगा कि निदेशक मण्डल में राज्य सभा तथा लोक सभा से एक-एक एम०पी० शामिल किया जा सके क्योंकि उनके लिए औद्योगिक वित्त निगम के क्रियाकरण में जाने तथा नियमित सुझाव देने में कठिनाई नहीं होगी बजाय इसके कि वर्ष के अन्त में या जब कोई गड़बड़ी हो तब इसकी तह में जाया जाये।

बैठक आयोजित करने के लिए दिए गए विवरण का अध्ययन करने पर खण्ड 10 में यह कहा गया है कि "कोई भी दूसरा निदेशक अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जायेगा।" लेकिन जहां तक मुझे ज्ञात है कि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जहां अध्यक्ष नहीं है सामान्यतः बैठक का आयोजन करने वाले व्यक्ति का निर्णय वर्तमान निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है। अतः मैं मन्त्री जी से निरीक्षण करने के लिए अनुरोध करूंगा कि क्या इसे समाप्त किया जा सकता है।

औद्योगिक वित्त निगम की बात आने पर तकनीकी विशेषज्ञों तथा नये उद्यमियों पर जोर दिया जाये जो कुछ उद्योगों में विशेष प्रकार का अनुभव लेकर आते हैं जिनके पास साधनों विशेषकर वित्तीय साधनों की कमी होती है।

ऋण देने में दोहरी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। औद्योगिक वित्त निगम के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि इन निगमों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के बीच प्रतियोगिता न हो। तभी वे विशेष क्षेत्र की ओर अपना ध्यान केन्द्रित कर सकते हैं तथा विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। अतः यह संगठन निपुणता के साथ नियमित रूप से इन उद्योगों की देखभाल कर सकता है तथा अच्छे परिणाम दिखा सकता है।

औद्योगिक वित्त निगम में कर्मचारियों की भर्ती करते समय शिल्प तंत्रियों तथा प्रबन्ध वर्गीय लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो एक विशेष कार्य करने में सक्षम है। इससे कार्यप्रणाली में भी सुधार होगा।

एकाधिकारी कम्पनियों को इन निगमों से ऋण लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एकाधिकारी जनता के पास जाये तथा अपने साधन जुटाये; उन्हें इन संगठनों के माध्यम से जन-धन के उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

मैं नहीं समझता कि इस निगम को बड़े स्तर पर अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है।

श्रीमन, मैं यह भी चाहता हूं कि उद्यमियों को दिल्ली आने के लिए बाध्य करने के बजाय क्या मन्त्री जी इसके विकेन्द्रीकरण के बारे में सोच सकते हैं या विभिन्न राज्यों के मुख्यालयों में कार्यालय खोल सकते हैं। इससे परेशानी कम होगी तथा व्यय जो दिल्ली आने के लिए मार्ग में खर्च होता है, कम होगा। इससे निगम को उद्योगों के निकट अपने आदमी रख उन पर समुचित निगरानी करने में भी मदद मिलेगी।

रिपोर्ट में यह बताया गया है कि रोकड़ बाकी कुल संसाधनों की 9.5 प्रतिशत रखी गई है

[श्री के० एस० राव]

चूंकि फर्मों की संख्या कम है और ऋण देने तथा उनकी अदायगी की अवधि के बारे में पूरी तरह निगरानी रखी जा सकती है मेरे विचार में 9.5 प्रतिशत नकदी में रखने की आवश्यकता नहीं है। मैं मन्त्री जी तथा प्रबन्ध निदेशक से आशा करता हूं कि वे इस पर जाये कि क्या इस कोष को भली प्रकार उपयोग में लाया जा सकता है।

मैं समझता हूं कि परिसर हेतु 12.54 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि यह धनराशि परिसर पर खर्च करना आवश्यक है यह राशि दूसरे उद्योगों से उधार ली जा सकती थी। श्रीमान जी, 184 इकाइयों पर 50.78 करोड़ रुपए अतिदेय के रूप में दिखाया गया है और उनमें से अधिकांश सूती मिलें हैं। अतः वित्त निगम ऐसे संगठनों को उधार न देने के संबंध में सोचे जो बड़े पैमाने पर असफल रही है। यदि एक क्षेत्र विशेषकर उद्योग विहीन क्षेत्रों के लिए यह आवश्यक है तब उचित व्याख्या की जाए। यद्यपि यह लिखा है कि उद्योगों का पता लगाने तथा निगम जो उत्तरदायी है, की प्रभावकारिता के मूल्यांकन एवं निगरानी पर जोर दिया जा रहा है इससे अच्छाइयों में वृद्धि हो सकती है तथा निगरानी के लिए एक पृथक सेल स्थापित करके समय-समय पर सम्बन्धित उद्योगपतियों के साथ बैठकें आयोजित करके तथा सुझाव देकर आशातीत कार्य कर सकता है बजाय इसके कि उद्योग को बीमार होने दिया जाये तथा बाद में पछताना पड़े।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल इंडस्ट्रीज फाइनेंस कार्पोरेशन 1986 का समर्थन करता हूं। जिस भावना से यह बिल रखा गया है वह बहुत उपयुक्त है, मगर सरकार किस तरह से फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को केरी आउट करती है इस बात को देखना सरकार की और हम सब की जिम्मेदारी है। अब तक जितने फाइनेंस कार्पोरेशन केन्द्र और राज्यों में काम कर रहे हैं उन्होंने जितना पैसा इसके अन्दर इन्वेस्ट कर रखा है उसका क्या उपयोग किया है, क्या कभी हमारे वित्त मंत्री ने इस बात को देखने की कोशिश की है। किस तरीके से मिस मेनेजमेंट से करोड़ों रुपये फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का बड़े बड़े पूंजीपति खराब करते हैं उसके सम्बन्ध में आपने क्या एक्शन लिया। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बताया कि तीन या चार हजार करोड़ रुपया इनमें हमारा फंसा हुआ है, इसके सम्बन्ध में सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। बल्कि यहां तक देखा गया है जो भी सिक यूनिट हो जाती है, वह कैसे हो जाती है आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपके डाइरेक्टर्स कहां बैठे रहते हैं, करोड़ों रुपया लेते हैं, आज भी असेट्स को ट्रांसफर करके कैसे सिक यूनिट बनाया जाता है, लेकिन आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करते। इसलिए मेरा यह कहना है कि फाइनेंस कार्पोरेशन आप बना रहे हैं जिसके जरिये से आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए नई-नई इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, नये उद्योग खोलते जा रहे है और पुराने को सिक करते जा रहे हैं, क्या आपकी यह व्यवस्था उचित है ? क्या हमारे वित्त मंत्री ने इस बात को देखा है कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज या इंडस्ट्रियलिस्ट इस पैसे का दुरुपयोग करके नई-नई फाइनेंशियल कन्सर्न तैयार करते हैं और उससे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाकर उसको सिक बना देते हैं उनको रिवाइव करने के

लिए आपने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। मैं आपको अपने यहां की एक नजीर देना चाहता हूं। हमारे भीलवाड़ा में एक राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स थी, उसके मालिकों ने उस मिल से बहुत कमाई की। आपके इंडस्ट्रियल डैवलपमैंट कार्पोरेशन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स ने उसे बहुत से कर्जे दिए, और कई बैंकों से भी उसने लोन लिया। उस इंडस्ट्री के लाभ से उसने तीन-चार अन्य नई इंडस्ट्रीज खड़ी कर लीं और सारे असैट्स उन नई इंडस्ट्रीज में ट्रांसफर कर दिए और उसे सिक घोषित कर दिया। उसके कारण हजारों मजदूर बेकार हो गए लेकिन वह किसी बात की परवाह किए बिना नई-नई इंडस्ट्रीज खोलता जा रहा है। आपने इस बात को जानते हुए कि उसने नये नामों से तीन-चार इंडस्ट्रीज खोल ली हैं, और अपनी मूल इंडस्ट्री को सिक बना दिया है, फिर भी करोड़ों रुपये कर्ज दे दिए। इसके साथ ही उसने तमाम शेयर-होल्डर्स को उनके हिस्से से डिप्राइव करने के लिए नाम बदल लिये, राजस्थान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स का नाम बदल कर भीलवाड़ा स्पिनर्स रख लिया। इससे न केवल उसने शेयरहोल्डर्स को उनके हक से महरूम किया बल्कि आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स को, बैंकों को, सभी को डिप्राइव किया। मैंने पार्लियामैंट में भी इस सवाल को उठाया था लेकिन हमारे फाइनैंस मिनिस्टर साहब ने उस तरफ कोई तवज्जह नहीं दी और न जाने कितने करोड़ रुपया सरकार का डूब गया। इस तरह से ये बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सरकार को फाइनेंशियल कन्सर्न्स को और बैंकों आदि को धोखा देते रहते हैं और अपना मतलब सिद्ध करते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब आपका 3600 करोड़ रुपया सिक इंडस्ट्रीज में फंसा हुआ है उसके बावजूद भी आप उनको और पैसा दिए जा रहे हैं जबकि दूसरी तरफ छोटे काश्तकारों के ऊपर, जिनके तरफ कुल 171 करोड़ रुपया है, यदि वे समय पर चुका नहीं पाते तो आप उनसे सख्ती से पेश आते हैं लेकिन इन सिक इंडस्ट्रीज की तरफ 3600 करोड़ रुपया डूबा हुआ है, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इस व्यवस्था को बदलने की तरफ सरकार को निश्चित तरीके से ध्यान देना चाहिए।

यहां अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि डायरैक्टर्स, मैनेजिंग डायरैक्टर्स और जनरल मैनेजर्स का टर्म और ज्यादा लम्बा होना चाहिए लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी, आप इन लोगों का जितना ज्यादा टर्म करेंगे, ये आपकी इंडस्ट्री को उतना ही ज्यादा सिक बनायेंगे। उतना ही ज्यादा लॉस होगा, उतना ही ज्यादा घपला होगा। आपने इनका टर्म 4 साल का रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसे और घटा कर दो साल कर दें और किसी भी मैनेजीरियल पोस्ट पर कोई भी आदमी दो साल से ज्यादा न रहे। सभी बड़े अधिकारियों के लिए यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अन्यथा ये लोग एक ही स्थान पर अधिक समय तक रहने पर, करप्शन के रास्ते पर बढ़ने लग जाते हैं, तेजी से भ्रष्टाचार करने लगते हैं। इसलिए आप मैनेजिंग डायरैक्टर्स, डायरैक्टर्स आदि के लिए अधिक से अधिक दो साल का टर्म रखें। आपने किसी जगह दो साल की व्यवस्था की हुई है, मैं चाहता हूं कि यहां भी आप उसी व्यवस्था को अपनाइये। इसके साथ ही जहां कहीं यह सिद्ध हो जाए कि इन लोगों ने बड़े लोगों के साथ सम्पर्क करके, सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया है, वहां आप सख्ती से पेश आयें। जब तक इस तरह का प्रावधान नहीं होगा, आपकी व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं चल पायेगी। एक निवेदन मैं यह भी करना चाहता हूं कि जिन डायरैक्टर्स या मैनेजिंग डायरैक्टर्स के रहते कोई इंडस्ट्री यदि सिक होती है, चाहे वे अधिकारी आपके किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हों, इंडस्ट्रियल डैवलपमैंट बैंक के हों या फाइनैंस डिपार्टमैंट के हों,

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध भी अपने पद का ठीक प्रकार से इस्तेमाल न करने के लिए, सख्त कार्य-वाही की जाए। आपने आज तक कितने ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की, जिनके कारण सरकार का करोड़ों रुपया डूब गया। इसलिए सारी व्यवस्था में परिवर्तन करने की जरूरत है।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहुत लम्बा बिल है और इस पर मुझे कुछ समय तो बोलने दीजिये।

आखिर में, मैं एक प्वाइंट और कहना चाहता हूं। आपने इसमें हैल्थ और मैडिकल सर्विसेज के लिए भी इसमें प्रावधान रखा है। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि देश के कई बड़े लोगों, टाटा और बिड़ला के बड़े नगरों में, जैसे कलकत्ता, दिल्ली आदि में बड़े-बड़े अस्पताल कायम हैं, जिनके अंदर एक-एक आदमी पर पच्चीस-पच्चीस, तीस-तीस हजार रुपया लगता है, तब कहीं जाकर उसका ऑपरेशन या इलाज होता है। ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशन के लिए आप कार्पोरेशन के जरिए पैसा दिलवाना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो हम लोगों को आप और मुसीबत में डालना चाहते हैं और इस प्रकार से बड़े-बड़े हास्पिटल्स खोलकर एक नया व्यापार चलाना चाहते हैं। यह नहीं होना चाहिए। ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ये तो सरकार द्वारा चलाई जानी चाहिए। इन स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों को आप व्यापार चलाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। यदि ऐसा होगा तो इस देश की जनता ज्यादा लुटेगी और जो बड़े-बड़े लोग हैं, उन्हीं को फेसिलिटी मिलेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस पैसे का सदुपयोग कीजिए और देश में उद्योग को बढ़ाने के लिए नई-नई फैक्ट्री लगाइए, जिससे देश की उन्नति हो, देश प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़े, जो हमारी सरकार और देश के नेताओं की मंशा है। आप ऐसा न कीजिए जिससे कि इस देश के बड़े-बड़े पूंजीपतियों, टाटा और बिड़ला जैसे लोगों को नए-नए हास्पिटल खोलने के लिए दे दें और जो इस देश के गरीब लोग हैं, जो आम जनता है, वह लुटती रहे। यह जो आपने प्रॉविजन आपने किया है, यह बहुत गलत काम है। इस गलत कदम को आप वापस लीजिए ताकि कोई गलत काम इस देश के अन्दर न हो। तथा हमारे देश के अन्दर जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं, वे जनता के साथ खिलवाड़ न कर सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में यह संशोधनकारी विधेयक अपने आप में एक नया अधिनियम है। फिर भी इस विधेयक में भी पर्याप्त संरक्षणों की व्यवस्था नहीं की गई है। मेरे मित्रों ने, जो पहले बोले हैं, यह बताया है कि सार्वजनिक या सरकारी धन का उद्योग-पतियों द्वारा किस प्रकार से दुरुपयोग किया गया है। ऐसी स्थिति को रोकने के लिए इस विधेयक में भी किन्हीं संरक्षणों की व्यवस्था नहीं की गयी है। पूर्व वक्ताओं द्वारा कई उदाहरण दिए गए हैं। मैं भी कुछ ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिनमें उद्योगपतियों ने सार्वजनिक धन लेकर उसका दुरुपयोग किया है। कोचीन में एक गेनाला बिन्नी नामक एक फैक्टरी है। यह श्री एल० एन० डालमिया की है जो

डालमिया परिवार का सदस्य होने का दावा करता है यद्यपि उनका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। इस फैक्टरी ने सरकारी संस्थाओं से धन लिया और पिछले चार पांच वर्षों से यह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है और अन्ततः किसी-न-किसी बहाने से उसने फैक्टरी बन्द कर दी है और पन्नालूर कागज मिल, पन्नालूर नामक एक फैक्टरी खरीदने के लिए उस धन का प्रयोग किया गया है। अब यह भी कार्य नहीं कर रही है। प्रभावित हुए श्रमिकों से जांच करने से यह पता लगा कि उसने देश के बाहर उद्योग स्थापित किये हैं। इसलिए इसमे यह स्पष्ट है कि जिनका सरकार वित्तीय संस्थाओं या बैंकों में प्रभाव है वे किसी उद्योग के नाम पर सरकारी धन लेकर अन्यत्र लगा देते हैं। इस बारे में इस कानून में इस दृष्टि से सख्त उपबन्ध होने चाहिए कि जहां सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, वहां सरकार को अपनी धनराशि की रक्षा के लिए कारखानों को अपने अधिकार में लेने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

अब सरकार औद्योगिक विकास और विनियम अधिनियम के अधीन फैक्टरी को अपने अधिकार में ले सकती है। अब प्रक्रिया बहुत ही जटिल है। ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जिस कम्पनी को धन दिया गया है अगर वह उसका उपयोग जिस उद्देश्य के लिये दिया गया है, उसके लिए नहीं करती है तो वह संस्था जिसने धन दिया है वह उसको शीघ्र ही अपने अधिकार में ले सके गैर-सरकारी क्षेत्र के लोग अपने प्रभाव से धन प्राप्त कर लेते हैं। और जिस कार्य के लिए यह धन लिया जाता है उसके लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं। आप पूर्णकालिक और अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त कर रहे हैं और इन उद्योगों के पुनर्गठन के लिए उन्हें व्यापक अधिकार दे रहे हैं लेकिन पहली बात सरकार को यह ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकारी धन की सुरक्षा हो।

एक दूसरा मुद्दा है जो सार्वजनिक वित्त पोषण में रुकावट डाल रहा है और वह यह है कि ऋण देने वाली निजी संस्थाओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

— ——

1.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.04 म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

[—जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री थम्पन थामस आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री थम्पन थामस : श्रीमन, मैं उस धन के दुरुपयोग के विषय और उसे रोकने के लिए इस अधिनियम में आवश्यक उपबन्धों के बारे में कह रहा था जो गैरसरकारी क्षेत्र के प्रबंधक वित्तीय निगमों से प्राप्त करते हैं। महोदय, मैं एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू को भी बताना चाहूंगा जिससे वित्तीय संस्थाओं पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। ऋण देने वाली निजी संस्थाओं में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है। ये संगठन विभिन्न नामों में बेहिसाब धन प्राप्त करते हैं। वे इसे उद्योगपतियों या दूसरे लोगों को देते हैं और अन्त में वे देश की समूची आर्थिक स्थिति को संकटजनक स्थिति में ले जाते हैं। जब तक कुछ प्रावधानों से ऐसी गतिविधियों को रोका नहीं जाता, जिसमें कई लोग आसक्त हैं, तो यह अवश्य ही इन वित्तीय संस्थाओं पर कुप्रभाव डालेगी। उद्योगों के विकास के उद्देश्य से जो सरकारी धन उद्योगपतियों द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे भी इस क्षेत्र में लगाया जा सकता है। वे लोग जो उद्योग विकास के उद्देश्य से धन प्राप्त कर करते हैं वे इसे दूसरे उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर सकते हैं या इस उद्योग विकास में इस्तेमाल करने की बजाय इसे दूसरों को दे देते हैं अर्थात् दूसरे लोगों को उसे उच्च ब्याज दर पर उधार दे देते हैं। अत: जब तक सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने लिए आवश्यक प्रावधान नहीं बनाती है, तब तक उन संस्थाओं द्वारा दिए गए धन का पता नहीं चल पाएगा और हम इसे वसूलने में असमर्थ रहेंगे। ऐसा ही मेरे से ही पूर्व वक्ता ने कहा था अर्थात् ऋण देने वाली संस्थाओं को 400 करोड़ रुपये का ऋण वसूलना है। अन्त में इसे बट्टे खाते डालना होगा।

इस वाद-विवाद में हिस्सा लेते हुए मैं एक और मुख्य पहलू को बताना चाहूंगा। इन वित्तीय संस्थाओं को कुछ वर्गों को वरीयता देनी चाहिए। उद्योगपतियों का प्रभाव है तथा धन पर प्रभुत्व है। लेकिन अब बेरोजगार युवक उद्योगों को संगठित करने के लिए आगे आ रहे हैं अर्थात् स्वरोजगार ढूंढने वाले व्यक्ति छोटे व बड़े उद्योगों को शुरू करने के लिए अपने आपको संगठित करते हैं। ये लोग आगे आ रहे हैं। इन्हें प्रोत्साहन देना होगा। अत: इन वित्तीय संस्थाओं को सामान्य प्रतिबन्धों में ढील देकर कुछ निजी व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों को, जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, और स्वरोजगार प्राप्त करना चाहते हैं, को ऋण देने में प्राथमिकता देनी होगी।

इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा सहकारी समितियां भी बनाई गई हैं जो औद्योगिक सहकारी समितियों से संबंधित है या वे लोग हैं जो ऐसे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए इन औद्योगिक वित्तीय निगमों को वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए और उनको इसमें आगे आने के लिए सहायता दी जानी चाहिए। अत: मेरा अनुरोध है कि इस संशोधनकारी विधेयक में कई संशोधनों को शामिल करना है। यह एक नया रूप लेता है। इसमें नये प्रबन्ध-निर्देशक, अध्यक्ष और विभिन्न दूसरे अधिकारियों की भी नियुक्ति होगी। इसमें अंशदान पूंजी को भी 200 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा रहा है। ऐसी बातों के लिए शक्तियां भी दी जा रही हैं। लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस विधेयक में अनिवार्य बातों का कोई प्रावधान नहीं है। इन परिस्थितियों में जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया था, इस विषय पर एक समेकित अधिनियम होना चाहिए। इसमें दोहरी व्यवस्था है। अन्य सरकारी एजेन्सियां हैं जो पैसा देने के मामले में उद्योगों की सहायता करने के लिए आगे आ रही हैं। जब तक इन सभी संस्थाओं का समन्वय नहीं किया जाता और धन देने और वसूलने संबंधी मामलों के नियमों और विनियमों को तैयार नहीं किया जाता तब तक इससे बहुत सी दोहरी बातें और रुकावटें होती रहेंगी। यह केवल ऐसे व्यक्तियों की सहायता करेगा जो सरकारी संस्थाओं में निर्दयता से धन

लेते हैं।

मैं एक और बात बताना चाहूंगा। अब देश को सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने का बिल्कुल विचार नहीं हैं तथाकथित निजी क्षेत्र सरकारी निधि से अधिक धन ले रहा है। अब केवल निजी क्षेत्र के उद्योग ही आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें उन्नत करना पड़ेगा। मेरे विचार में सरकार का दृष्टिकोण यही है। जहां कहीं सम्भव होता है सरकार निजी क्षेत्र की सहायता कर रही है। डाक घर रेलवे बुकिंग कार्यालय निजी क्षेत्रों को दिये जा रहे हैं और आशंका है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्मिक आर्थिक प्रगति में अपना समुचित देय अंशदान नहीं कर रहे हैं। देश में निजी क्षेत्र को समर्थन देने की प्रवृत्ति है। वास्तव में इस समय मैं सरकार से पूछना चाहूंगा क्या इस देश में निजी क्षेत्र वास्तव में सरकारी राजकोष से अपना धन नहीं बढ़ा रहा है ? निजी क्षेत्र अपने प्रभाव से बैंकों से या सरकारी संस्थाओं जैसे वित्तीय निगमों या दूसरी वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करते हैं और उस धन को, जिसे उन्होंने औद्योगिक विकास के उद्देश्य से प्राप्त किया है, को दूसरे क्षेत्रों में अपने व्यक्तिगत उपयोग में लाते हैं। अतः अब समय आ गया है जबकि हमें निजी और सरकारी क्षेत्र का सीमांकन करके उसको परिभाषित करना चाहिए और सरकारी क्षेत्र की कीमत पर गैर सरकारी क्षेत्र के इस तरह के विकास को रोकना होगा। अतः मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस मामले में इन बातों को ध्यान में रखकर एक समेकित अधिनियम पेश करे।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मैं औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक, 1985 का समर्थन करता हूं। मूल अधिनियम को, जोकि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 है; भारत में औद्योगिक संस्थानों के लिए मध्यम व दीर्घकालीन ऋण जुटाने के लिए बनाया गया था, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जहां साधारण बैंकिग सहायता कम है या पूंजी की तरीकों का आश्रय लेना अव्यवहार्य है।

महोदय, इस देश के औद्योगिक विकास में भारतीय वित्त निगम लगभग पिछले चार दशकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुका है। औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र प्रौद्योगिक प्रगति के साथ-साथ निगम का विकास हुआ है और कार्य क्षेत्र भी बढ़ा है। इससे वर्तमान संशोधन की आवश्यकता पड़ना स्वाभाविक था विशेष रूप से धारा 2 (e) में संशोधन उपखण्ड XII से अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत बहुत सी गतिविधियां आ गई है। यदि आप धारा 2 (e) (XII) पढ़ें तो आप पायेंगे इसमें बहुत सी नयी मद शामिल हो गयी हैं और खण्ड 17 के अनुसार "ऊपर कही गई बातों के अतिरिक्त कोई भी अन्य मामला" इससे देश में सभी प्रकार की गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है। मैं इसका समर्थन करता हूं। क्योंकि चिकित्सा और संबंधित सेवाओं जैसी विशेष मदों को शामिल किया गया है, इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि पर्यटन व होटल उद्योग का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है ताकि इस देश में पर्यटन के विकास की बड़ी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उस शाखा को भी आवश्यक समर्थन व प्रोत्साहन मिल सके।

यद्यपि ये संशोधन, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, इस देश की औद्योगिक गतिविधियों के विकास के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं, जैसा कि इस सदन के इस पक्ष और उस पक्ष के सदस्यों ने बताया है मैं भी यह कहने के लिए भी बाध्य हूं कि उस प्रबन्धक या उस प्रबन्धन के विरुद्ध, जो इस धन का

[श्री ए० चार्ल्स]

दुरुपयोग करता है या उसे अन्य कार्यों में लगाता है। कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। जैसा कि मेरे कुछ मित्रों द्वारा पहले ही कहा जा चुका है निजी उद्योग क्षेत्र, वित्त संस्थाओं से भारी मात्रा में ऋण प्राप्त करता है। ऋण प्राप्त करने के बाद इन ऋणों को उन कामों पर खर्च नहीं किया जाता है जिनके लिए उन्हें लिया गया है बल्कि उन्हें व्यक्तिगत कार्यों में सुविधापूर्वक लगा दिया जाता है। अधिकतर निजी उद्योगों के बीमार होने का प्रमुख कारण यह है कि वे सावधानीपूर्वक ऋण का दुरुपयोग करने की योजना बनाते हैं। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। परन्तु मुझे अपने चुनाव क्षेत्र त्रिवेन्द्रम के एक उदाहरण का उल्लेख करने की अनुमति दी जाए वहां एक उद्योग, जिसे टी० के० कैमीकल के नाम से जाना जाता था, बहुत आशाजनक उद्योग था। इस उद्योग के लिए भारी मात्रा में वित्त संस्थाओं से ऋण लिया गया परन्तु इस विशेष उद्योग के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया और यह जानकर आघात लगेगा कि कर्मचारियों से वसूल की गई भविष्य निधि की राशि भी उनके खातों में जमा नहीं कराई गई और इसका भी दुरुपयोग किया गया। अन्तत उद्योग को बीमार घोषित किया गया और यह पिछले 2 वर्षों से बन्द पड़ा है। नियमों के अन्तर्गत उस प्रबंधन के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की कोई सम्भावना नहीं है जिसने जानबूझकर ऋण का दुरुपयोग किया और उसे अन्य कार्यों में लगाया और मुख्य रूप से इस उद्योग को बीमार करने के लिए वे जिम्मेदार हैं। मैंने सावधानी पूर्वक मूल अधिनियम का अध्ययन किया है। मूल अधिनियम की दो धाराएं ऐसी हैं जो सम्भावित अपराधी के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्तियां प्रदान करती हैं। वे धाराएं 30 और 41 हैं। धारा 30 निगम के दावे को लागू करने के प्रावधान से सम्बन्धित है। यह कहता है कि यदि समझौते का उल्लंघन किया जाता है या जहां भी प्रबन्धन ऋण या अग्रिम की अदायगी में चूक करता है या समझौते की शर्तों का पालन करने में असफल रहता है तो इन परिस्थितियों में निगम आदेश देगा कि :

(1) निगम के पास जमानत के रूप में बन्धक या गिरवी रखी गयी सम्पत्ति को बेच दिया जाए;

(2) सम्बन्धित औद्योगिक प्रतिष्ठान का प्रबन्ध निगम को हस्तान्तरित कर दिया जाए;

(3) किसी मशीन व उपकरण को हटाने से रोकने के निषेधादेश जारी किया जाए।

धारा 30 के अन्तर्गत केवल ये तीन कार्यवाहियां की जा सकती हैं और यही प्रबन्धन चाहता है। ऋण के दुरुपयोग के बाद वे सारे मामले से हट जाना चाहते हैं। इस प्रकार यदि धारा 30 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की जाती है तो उनकी अन्य जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं और वे वित्तीय संस्थाओं से भारी मात्रा में लिए गए ऋण का दुरुपयोग करके अपने निजी स्वार्थों के लिए उसका उपयोग करके सुरक्षित बच जाते हैं।

धारा 41 विशेष अपराधों से सम्बन्धित है। इसके अनुसार यदि लदान बिल, गोदाम की रसीद या अन्य किसी प्रलेख में यदि कोई गलत विवरण दिया जाता है तो वह दण्डनीय होगा और इसके लिए 2 वर्ष तक की कैद हो सकती है और इसके साथ-साथ जुर्माना भी हो सकता है।

दूसरे पक्ष के एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि एक व्यापक के कानून लाया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह जरूरी नहीं है। मेरे विचार में यदि "गलत बिवरण" शब्दों के बाद पैसा के दुरुपयोग और गलत प्रबन्धन" को भी जोड़ा जाता है तो इस धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। इस प्रकार मैं माननीय मन्त्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे वह यह देखें कि धारा 41 में उपरोक्त परिवर्तनों को शामिल करने की कोई सम्भावना है।

एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है विधेयक में एक पूर्णकालीन अध्यक्ष को नियुक्त करने का प्रावधान हैं। मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। परन्तु मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अंतर्गत जो संशोधन प्रस्तावित है, वह यह है कि "बशर्ते उसी व्यक्ति को अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशन के कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाए" मैं समझता हूं कि यह निगम के सुचारू रूप से कार्य करने के विरुद्ध होगा। यह एक ही व्यक्ति के कार्यों में दोहरापन होगा। यदि शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया जाता है तो यह हमेशा वांछनीय होगा। इस प्रकार मैं अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष पूर्णकालीन व्यक्ति हो, और प्रबन्ध निदेशक दूसरा पूर्णकालीन व्यक्ति होना चाहिए। एक ही व्यक्ति को ये दोनों जिम्मेवारियां नहीं देनी चाहिए इन सुझावों के साथ मैं इन संशोधनों का पूर्ण समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि इससे देश की औद्योगिक प्रगति में एक नई शुरूआत होगी।

[अनुवाद]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन ऐक्ट अमेंडमेंट बिल 1985 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सही है कि 1948 से जब कि यह ऐक्ट बना था तब से परिस्थितियों में बहुत परिवर्तन आ गया है। आज जिस तरह से इन्डस्ट्रीज हमारे देश में बढ़ रही हैं उसको देखते हुए यह आवश्यकता आ गई थी कि निश्चित तरीके से उसके परव्यू को बढ़ाया जाए। आप जानते हैं कि जब हम समय-समय पर आवश्यक परिवर्तन करते हैं तो निश्चित तौर से जो हमने इंडस्ट्रीयल लक्ष्य रखे थे उनको हम पूरा करते जा रहे हैं। वह हम पूरे करते जा रहे हैं। इस सदन को मालूम है कि जो हमने 8 परसेन्ट ग्रोथ रेट रखी वह इसलिए प्राप्त की है कि समय-समय पर जैसी आवश्यकता पड़ती है, उसके अनुरूप संशोधन करते जा रहे हैं। जिन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह बिल लाया गया है उसका मै समर्थन करता हूं और यह बताना चाहता हूं कि इस समय देश में इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए जो तमाम सेक्टर हैं—चाहे कोआपरेटिव सेक्टर हो, ज्वाइन्ट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो—उनका कोई भिन्न अर्थ नहीं हैं क्योंकि उनमें सारा का सारा रुपया पब्लिक एक्सचेकर से ही जाता है। निजी क्षेत्र की जो इन्डस्ट्रीज हैं, उनमें जो पूंजी लगी हुई है वह गवर्नमेंट एक्सचेकर की ही है। आज इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि इस बात को देखा जाए कि जो पैसा प्राइवेट सेक्टर के लोग कारपोरेशन्स से या इन फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स से लेते हैं उसका उपयोग उचित रूप से हो रहा है या नहीं।

अभी मैं मैन-डेज-लास्ट के बारे में देख रहा था कि देश में यह किन परिस्थितियों में हुआ है। मैंने यह पाया कि स्ट्राइक, बन्द अथवा अन्य कारण इसके लिए कम जिम्मेदार हैं। मैन-डेज-लास्ट ज्यादा इसलिए हुए हैं कि प्राइवेट सेक्टर के जो लोग है उनका मिसमैनेजमेंट रहा है। प्राइवेट सेक्टर के लोग अपने मिस-मैनेजमेंट के कारण इण्डस्ट्री को सिक करते हैं, उसको बन्द कर देते हैं, ले-आफ

[श्री राम प्यारे पनिका]

करते हैं और उसी के परिणामस्वरूप प्रोडक्शन का ह्रास हो रहा है। इसलिए आप जो इस तरह के संशोधन लाते हैं जिनके द्वारा आप इण्डस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए अन्य सुविधाएं देना चाहते हैं तो वहां निश्चित रूप से आपको यह भी देखना चाहिए कि जो भी पैसा जिस काम के लिए दिया जाए वह उसी कार्य में इस्तेमाल भी किया जाए। आज आप वेस्ट बंगाल में देखिए कि जूट इन्डस्ट्री में क्या हो रहा है ? कपड़ा मिलों को भी आप देखें। पूंजीपति वहां से पैसा निकालकर दूसरी इण्डस्ट्रीज में लगा रहे हैं और इस प्रकार से हिन्दुस्तान का लेबर बेकार होता जा रहा है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि जो कारपोरेशन्स हैं और जो मैनेजमेंट आप लाए हैं वह इस बात को देखें कि जो पैसा जिस काम के लिए जाता है वह उसी काम में इस्तेमाल किया जाए। जो पूंजीपति मिल्स सिक डेक्लेयर करते हैं उसके पहले निश्चित तौर से छान-बीन होनी चाहिए। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि सिक मिलों की सहायता के नाम पर बहुत से इण्डस्ट्रियलिस्ट्स पब्लिक फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स से नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इसकी तरफ भी ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है।

आज हमारी जो मिश्रित अर्थ-व्यवस्था देश में चल रही है उसमें हम चाहते हैं कृषि पर भार कम हो। उसके लिए इण्डस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। इस सदन में हमारे माननीय सदस्य एक प्राइवेट बिल लाए थे जिसमें उन्होंने सुझाव दिया कि गांवों में कृषि पर आधारित जो चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं या तो फारेस्ट वेल्थ बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं या जो पशुओं पर आधारित इण्डस्ट्रीज हैं उनके स्कोप को हमें बढ़ाना चाहिए और उस सेक्टर को अधिक से अधिक पैसा दिया जाना चाहिए। आज देश में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें 5 प्रतिशत लोग देश की 50 प्रतिशत से अधिक पूंजी का उपयोग कर रहे हैं और शहरों में 95 प्रतिशत तथा गांवों के 75 प्रतिशत लोगों को उस अनुपात में विकास के लिए धनराशि नहीं मिल रही है। इसलिए आज हमारे सामने सन्तुलित विकास की समस्या भी है। इसी का नतीजा यह है कि गावों का समुचित विकास नहीं हो रहा है, गांवों में इन्डस्ट्रीज नहीं लग रही हैं। बापू का जो सपना था उसके अनुसार देश का विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए देहात के लोग शहरों की ओर आ रहे हैं। आज प्रत्येक क्षेत्र में जो रीजनल इम्बेलैन्स है उसको भी दूर करना होगा। आज गवर्नमेंट के आश्वासनों के बाद भी बैकवर्ड एरियाज में इन्डस्ट्रीज नहीं लग रही हैं। प्राइवेट सेक्टर के जो घराने हैं वे एनकनप्रकारेण अधिकारियों से मिलकर बैकवर्ड एरियाज में जाने से कतराते हैं और अन्ततोगत्वा उन्हीं एरियाज में इन्डस्ट्री सेट अप कर लेते हैं जहां कि पहले से ही इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। ऐसी हालत में आपको निश्चित रूप से इस बात की व्यवस्था करनी होगी जिससे रीजनल इम्बैलेंस दूर हो। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हर क्षेत्र में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए। आप जो बिल लाए हैं इसके जो उद्देश्य हैं वह स्वागत योग्य है। आप आधुनिक टेक्नालाजी के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन साथ-साथ जहां इस तरह की सहायता करें, वहां पर निश्चित तौर से उन इलाकों को भी सहायता देनी चाहिए, जहां पर पिछले 38-40 साल से इन्डस्ट्रियल विकास की तमाम कोशिशों के बावजूद विकास नहीं हो रहा है, चाहे वह देश का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, चाहे वह सूखा इलाका है, चाहे मूलचन्द डागा जी का राजस्थानी क्षेत्र है, चाहे पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे साइक्लोनिक क्षेत्र है चाहे ट्राइबल क्षेत्र है। आज हमें तय करना होगा कि ऐसे इलाकों का डवेलपमेंट किस तरह से करें।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए, दो-तीन बातों के बारे में निश्चित तौर से सफाई चाहता हूं। सरकार ने जो तमाम इन्डस्ट्रियल सैक्टर में सैक्टर बनाए हैं, उनमें निश्चित तौर से धन, जो कि देश का धन है, वह आबादी के अनुसार, गांवों के पिछड़ेपन को देखते हुए देने की व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो इंडस्ट्रियल वाले निश्चित तौर से इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। यदि देने की व्यवस्था है, तो उसको और कड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि हम जो पैसा दे रहे हैं, उसका उपयोग होना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि पिछले सालों में जो हमने एचीवमेंट्स की हैं, उनके मुकाबले में आगे आने वाले समय में देश का कैसे विकास होगा। हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में तय किया है कि जो गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 37 प्रतिशत लोग हैं, उनको हम 1988-89 तक 26 प्रतिशत ले आवें और हमारी एम्पलायमेंट पोटेंशियलिटी चार प्रतिशत बढ़े। यह बहुत खुशी की बात है। लेकिन यह सफलता तभी हासिल हो सकती है, जब हम ऐसे सैक्टर में पैसा दें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा आदमियों को एम्पलायमेंट मिले। आज हम उन लोगों को मशीन और टेक्नोलोजी के नाम पर ऐसी इंडस्ट्रीज को पैसा दे रहे हैं, जहां आदमियों का एम्पलायमेंट कम है। जब हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में तय किया है कि हर साल चार प्रतिशत एम्पलायमेंट पोटेंशियलिटी बढ़ायेंगे, तो ऐसी व्यवस्था के चलते नहीं बढ़ सकती है। जब तक मैन बेस्ड इंडस्ट्रीज स्थापित नहीं करेंगे, ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पलायमेंट मिले। सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा है, उसको प्राप्त करना है, तो ऐसी इंडस्ट्री लगानी चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। इस बारे में आपको तय करना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं—हमारे यहां 50 करोड़ की एक इंडस्ट्री लगाई जा रही है। वहां मैंने पूछा कितने आदमियों को काम मिलेगा? उन्होंने कहा—दो सौ आदमियों को। पचास करोड़ की इंडस्ट्री, सिर्फ दो सौ आदमियों को काम। मैंने पूछा—यह सब रुपया कहां से आयेगा? उन्होंने कहा—एक्सचैकर से। इसलिए आपको तय करना होगा कि जो धन हम देते हैं, निश्चित तौर से ऐसे कार्यों के लिए धन दें, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पलायमेंट मिले। आधुनिकता के नाम पर, माड्रनाइजेशन के नाम पर और विदेशी कम्पीटीशन के नाम पर हम ऐसी टेक्नोलाजी ला रहे हैं, जिसमें आदमियों को काम पर न लेकर ओटोमैटिक काम हो रहा है। ओटोमैटिक सिस्टम से हमारे बापू जी की जो कल्पना थी कि ऐसे रोजगार उत्पन्न किए जाएं, जिसमें अधिक से अधिक आदमियों को काम मिले और बेरोजगारी दूर हो, वह कल्पना पूरी नहीं होगी। आधुनिकता के नाम पर, नई टेक्नोलाजी के नाम पर, ओटोमैटिक मशीन्स के नाम पर हम अधिक से अधिक धनराशि ऐसी इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं, जिनमें आदमियों को ज्यादा रोजगार प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

एक बात यह भी विचार करने की है, सरकार चाहती है कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स पर कन्ट्रोल न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो पब्लिक मनी है, उसके साथ उनको खिलवाड़ करने का मौका दें। हमारे प्रधान मन्त्री जी ने इस पर दबाव डाला है, बहुत सी कम्पनियों ने अच्छा काम किया है और बहुत सी अंडरटेकिंग्स ने अपनी बैलेंसशीट इस प्रकार बनाई है, जो कि एक आश्चर्यजनक घटना है। उन्होंने एक तरह से जादूगरी का काम किया है। मैं अभी एन० पी० सी० सी० की रिपोर्ट देख रहा था। उसमें 5 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया गया। जब मैं वहां के चेयरमैन से मिला, तो पता चला कि उनके पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी पैसा नहीं है और सारा कार्य पैसे के अभाव में ठप्प पड़ा है। तो यह फीगर्स की जगलरी है। मारुति उद्योग की मेरी निजी जानकारी है।

[श्री राम प्यारे पनिका]

उसमें पिछले साल 5 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया गया था पर दरअसल में वह लाभ पर नहीं है। मेरा कहना यह है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया और फाइनेन्स डिपार्टमेंट को स्पेशल आडिटिंग इन सब अंडरटेकिंग्स की करवानी चाहिए। इसी प्रकार से कोल इण्डिया की बात है। एक बार सदन में कह दिया गया कि उसमें करीब 12 करोड़ का लाभ है। जब उसकी स्पेशल जांच हुई, तो पता चला कि 78 करोड़ रुपये की हानि है। ये जो पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग्स हैं, आज इनके जी० एम० एवं सी० एम० डी० पुराने जमाने के राजा-महाराजाओं की याद दिलाते हैं। ये जो हिन्दुस्तान में 250,300 पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, उनसे देश को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए परन्तु अधिकांश घाटे पर चल रही हैं। उनमें खर्च बहुत है और उनके जी० एम० एवं सी० एम० डी० का रहन-सहन पुराने राजा-महाराजाओं की तरह है। उनके कन्ट्रोल करने की जब बात आती है, तो यह कहते हैं कि ये स्वतंत्र हैं, आटोनोमस हैं और इनको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि गवर्नमेंट एक्सचेकर का पैसा जिनमें लगा हो उन्हें मनमानी करने की इजाजत दी जाए। आज वहां पर नेपोटिज्म, भाई-भतीजावाद चला हुआ है और वहां पर जातीयता होती है। मैनेजर जिस जाति का होता है, वह अपनी जाति के लोगों को ही भर्ती करता है और अपने ही लोगों को ठेका देता है। यह सब बात नहीं चलनी चाहिए और हमें मूकदर्शक बनकर नहीं बैठ जाना चाहिए। हर स्तर पर इन पर कन्ट्रोल करना आवश्यक है। यह सही है कि हमारी सरकार, हमारे प्रधान मन्त्री जी और फाइनेन्स डिपार्टमेंट के लोग विजिलेंट हैं लेकिन ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है।

एक बात और कहना चाहता हूं। हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो योजना रखी है, प्लानिंग कमीशन ने जो योजना रखी है। उसमें हम 4 प्रतिशत एम्पलायमेंट पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं और हम 1988-89 में जो गरीबी रेखा के नीचे के 37 प्रतिशत लोग हैं, उनका प्रतिशत 26 तक लाना चाहते हैं। इसके लिए यह जरूरी है कि जो लोन बैंक से दिया जाता है, वह उन लोगों को मिले ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता लाभान्वित हो सके।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जैसे-जैसे समय आएगा, इसमें और संशोधन आते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री शान्ति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक है, यह बहुत ही अच्छा सुधार की तरफ एक नेक कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूं। इसके द्वारा जो बड़े औद्योगिक नगर और कस्बे हैं, उनमें औद्योगिक गतिविधियों में तेजी लाने का प्रस्ताव किया गया है। उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

इस विधेयक के द्वारा चेयरमैन और मैनेजिंग डाइरेक्टर को पूर्णकालिक मैनेजिंग डाइरेक्टर के रूप में और अधिकार दिये जा रहे हैं। जो अधिकार दिए गए हैं, वह अच्छी बात है लेकिन इसके साथ ही साथ इस विधेयक की बाबत मेरे चार-पांच सुझाव हैं जो मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से

निवेदन करना चाहता हूं।

मेरा पहला सुझाव तो यह है कि निगम के लगातार बढ़ रहे कारोबार और खर्चे को नजर में रखते हुए निगम की प्राधिकृत पूंजी की जो वर्तमान 1 अरब रुपये की सीमा है, इसको बढ़ाकर 2 अरब 50 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह फिर भी कम होगी। इसलिए इसकी सीमा को बढ़ाकर 5 अरब रुपये कर दिया जाए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि इस निगम को अब यह शक्ति दे दी गई है कि वह औद्योगिक कस्बों में अस्पताल खोले। मैं इसकी कोई आवश्यकता नही समझता। ई०एस०आई० के अस्पताल हर औद्योगिक बस्ती में होते हैं और बड़े-बड़े औद्योगिक कारखानों में चिकित्सा सुविधाएं पहले से रहती हैं। ये निगम लोन देने के बजाए और अस्पताल खोलने में करोड़ों रुपये लगा देंगे, तो यह सरकारी धन का दुरुपयोग होगा। मेरा मन्त्री जी से निवेदन है कि इस निगम को पूंजी निवेश की बाबत ही बात करनी चाहिए न कि चिकित्सा सुविधाएं जुटाने का कार्य। कई ऐसे औद्योगिक घराने हैं जो बहुत अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और अच्छे तरीके से करा रहे हैं और आगे भी उनका विस्तार होता जा रहा है।

मेरा यह भी सुझाव है कि निगम को ऐसी शक्ति देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है जिससे कि वह उद्योगों की वित्तीय स्थिति पर नजर रखने के लिए तकनीकी जानकारी व्यक्तियों की नियुक्ति कर सके जो कि यह देखें कि किस उद्योग की क्या स्थिति है और साल भर बाद क्या होने जा रही है। नहीं तो क्या होता है कि इंडस्ट्री लोक आऊट में चली जाती है, वहां हड़तालें होने लगती हैं और इंडस्ट्री के बन्द होने तक की नौबत आ जाती है। इससे निगम का करोड़ों रुपया डूब जाता है। निगम के करोड़ों रुपयों को डूबने से बचाने के लिए ऐसे तकनीकी जानकार व्यक्तियों की नियुक्ति बहुत जरूरी है ताकि वे उद्योगों पर नजर रखें और वक्त-वक्त पर निगम को अपनी रिपोर्ट देते रहें। इससे निगम का करोड़ों रुपया डूबने से बच जाएगा।

निगम की प्रबन्ध शैली का पुनर्गठन करने के लिए भी कई बार संशोधन आये हैं, गोष्ठियां हुई हैं, उनमें विचार हुए हैं लेकिन अभी तक निगम में जो प्रोसीजरल डिले होती है वह वैसी की वैसी ही बनी हुई है। कोई इंडस्ट्री फाइनेंस के लिए या लोन के लिए एप्लाई करती है, उसको लोन मिलने में 6 महीने से भी अधिक समय लग जाता है। उसको हजारों कागजात तैयार करने पड़ते हैं। मंजूरी मिलने तक हजारों पापड़ बेलने पड़ते हैं। कितनी प्रोसीजरल डिले होती है, इसको मंत्री जी भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। इस प्रोसीजरल डिले को किसी न किसी प्रकार से कम किया जाए। इस प्रोसीजरल डिले की वजह से भ्रष्टाचार पनपता है। इसको जल्दी से जल्दी कम किया जाए। यह बहुत ही आवश्यक है अगर निगम की कार्यप्रणाली को आप सुधारना चाहते हैं। जब कोई इंडस्ट्रियल घराना पैसे के लिए एप्लाई करता है, उस समय उसके प्रोजेक्ट की जो कास्ट होती है वह कास्ट आठ-दस महीने के बाद जब उसको मंजूरी मिलती है, बीस प्रतिशत तक बढ़ जाती है। अगर उस उद्योग को जल्दी मंजूरी मिल जाए तो एम्पलायमेंट भी जल्दी क्रियेट होता है और गवर्नमेंट को रेवेन्यू की भी आमदनी होती है। इस डिले के लिए निगम के अधि-

[श्री शान्ति धारीवाल]

कारियों के ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए। उनको पर्सनली जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए इस डिले के लिए। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वे अधिकारियों ऐसे को निर्देश दें कि वे एक निश्चित समय के अन्दर लोगों को मंजूरी दे दें, फाइनेंस कर दें। ऐसा कोई प्रावधान किया जाना चाहिए जिससे कि निगम की प्रोसीजरल डिले किसी-न-किसी प्रकार से हो जाए।

आखिर में मेरा कहना है कि अब पूर्णकालिक चेयरमैन होंगे और प्रबन्ध निदेशक भी पूर्णकालिक होंगे। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जिन पदों पर जिन लोगों को नियुक्त करना चाहते हैं वे अच्छे जानकार व्यक्ति होने चाहिए। उनकी औद्योगिक विकास में रुचि होनी चाहिए और देश की वित्तीय स्थिति की जानकारी होनी चाहिए। उन लोगों को इस प्रकार की फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस को चलाने का अनुभव भी होना चाहिए। ऐसे पदों पर मेहरबानी करके अनुभव वाले व्यक्तियों को ही बिठाना चाहिए।

आखिर में मेरा निवेदन है कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा जो भी कार्यवाही की जाती है, सारी कार्यवाहियां बोर्ड में नहीं जातीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की जाती हैं, बोर्ड के प्रत्येक निदेशकों को उनकी सूचना दी जानी चाहिए और तीन मास के अन्दर-अन्दर बोर्ड की बैठक से उनका अनुमोदन करवाया जाना चाहिए। इतना ही निवेदन करता हूं और पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री मद्रेश्वर तांती (कलियाबोर) : मैं इस औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे यहां इस बात का अवश्य जिक्र करना है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों और देश के औद्योगिक विकास के लिए कई कानून बनाये हैं परन्तु ये कानून बिल्कुल लागू नहीं किए गए हैं। जहां तक मेरी निजी जानकारी है आजादी के 38 वर्षों के पश्चात कानून ज्यादातर श्रमिक वर्ग के हित को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। जहां तक औद्योगिक कानूनों का सवाल है और जहां तक संविधान के भाग 3 और भाग 4 का सम्बन्ध है ये कानून लागू नहीं किये गये हैं और न ही श्रमिक वर्ग का हित सोचा गया है। सरकार को कानून ही नहीं बनाने चाहिएं परन्तु सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि वह कानूनों को लागू करे।

असम राज्य के सम्बन्ध में सरकार को इस बात की पूरी जानकारी है कि वहां 775 चाय बागान हैं और इन सभी चाय बागानों में जो लोग कार्यरत हैं, वे भोजन, आश्रय, तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में खत्म हो रहे हैं क्योंकि ये कानून वहां लागू नहीं किए गए हैं। चाय बागान के श्रमिकों के लिए ठीक प्रकार से आवास की व्यवस्था नहीं की गई है यद्यपि इस बारे में कानून है। उन्हें अपने बच्चों को स्कूल में शिक्षा दिलाने की सुविधायें नहीं दी गई हैं। साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से सम्बन्धित उपाय भी लागू नहीं किये गये हैं। वहां केवल नाममात्र के लिए ही अस्पताल हैं। वहां चिकित्सक नहीं हैं, नर्सें नहीं हैं तथा इस तरह की कोई भी सुविधा उपलब्ध नही है। वहां दवाइयां

नहीं हैं बस केवल हस्पताल हैं। जब तक वहां दवाइयां न होंगी, अच्छे चिकित्सक और नर्सें न होंगी तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। सरकार चाय के निर्यात से काफी विदेशी मुद्रा कमा रही है। अतः सरकार को श्रमिक वर्ग के हितों को भी देखना चाहिए। क्या मैं यह जान सकता हूं कि आजादी के 38 वर्षों के पश्चात भी चाय बागान के श्रमिकों को पीने के पानी की सुविधाएं मिली हैं। चाय बागान श्रमिकों में साक्षरता की दर केवल 0.01 प्रतिशत है। यह लोगों के लिए तथा सरकार के लिए शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी इन लोगों को अंधकार में रखा गया और सभी प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा गया।

चाय उद्योग से आमदनी हो रही है और सरकार इससे विदेशी मुद्रा कमा रही है परन्तु इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हालांकि असम राज्य में भी इस बारे में कानून हैं परन्तु वहां एक भी अच्छा तथा बड़ा उद्योग नहीं है। वहां तेल मिलता है परन्तु आप तेलशोधक कारखाने असम से बाहर लगाते हैं। वहां कोयला मिलता है परन्तु आप इस कोयले को अन्य स्थानों पर ले जाते हैं। रोजगार के साधन वहां हैं परन्तु आप वहां के शिक्षित बेरोजगार युवकों को कोयला उद्योग में, तेलशोधक कारखानों में और अन्य सभी सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में मिलने वाले रोजगार से वंचित कर रहे हैं। मेरा इस सम्मानित सभा से नम्रतापूर्वक निवेदन है कि इस बारे में कानून सही प्रकार से लागू किये जाने चाहिएं और जहां तक उद्योगों की स्थापना का सम्बन्ध है असम के लोगों को उनके उचित अधिकारों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अन्य राज्यों में बहुत से उद्योग स्थापित किये गये हैं। यद्यपि असम राज्य में उद्योगों की स्थापना की बहुत गुंजाइश है फिर भी हम सरकार द्वारा उद्योगों को लगाने में न कोई महत्व दिया गया है न ही कोई सहायता दी गई है। जब हम मांग करते हैं कि एक तेलशोधक कारखाना स्थापित किया जाना चाहिए तब आप हमें सिर्फ एक बहुत छोटा तेल-शोधक कारखाना देते हैं परन्तु हमारे राज्य से बाहर आप बहुत बड़ा तेलशोधक कारखाना लगाते हैं। क्यों? इसका क्या कारण है। मुझे यह समझ नहीं आता है। आप असम से तेल निकालते हैं परन्तु आप असम के लोगों को रोजगार नहीं दे रहे हैं जिनका कि तेलशोधक कारखाने में, कागज बनाने के कार-खाने में, पटसन मिल में और अन्य सरकारी उद्योगों में रोजगार प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है। अतः मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं और मांग करता हूं कि सरकार को न केवल इस विषय में कानून ही बनाने चाहिए बल्कि सरकार को प्रत्येक राज्य के लोगों की समस्याओं पर भी गौर करना चाहिए ताकि राज्य के लोग अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित न रह जायें।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : शुरू में मैं उपाध्यक्ष महोदय को इस विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से मैं इस औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं। मुझे वास्तव में प्रसन्नता है कि तीव्र औद्योगिक विकास के कारण और औद्योगिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास और उत्पादन में बढ़ोतरी के कारण भारत सरकार औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम को इस प्रकार संशोधित करना चाहती है कि उद्योगों को लाभ हो। मैं अस्पतालों को स्था-पित करने और चिकित्सा सेवाओं को मुहैया कराने से भी प्रसन्न हूं। मुझे वास्तव में माननीय वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देनी है कि उन्होंने अस्पतालों को स्थापित करने और चिकित्सा सेवायें मुहैया

[डा० ए० कलानिधि]

करने पर कुछ ध्यान दिया मुझसे पहले बोलने वाले सदस्यों में से एक ने कहा है कि एक अस्पताल स्थापित करने में बहुत धन लगता है उन्हें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जब तक कर्मचारियों को बीमारी से नहीं बचाया जाता तब तक औद्योगिक रुग्णता को नहीं रोका जा सकता। यदि श्रमिक बीमार होते हैं तो यकीनन उत्पादन पर असर पड़ेगा। अतः उद्योगों को बीमार होने से बचाने के लिए कर्मचारियों को भी बीमारी से बचाना होगा। इसलिए कर्मचारियों के कल्याण का ध्यान भी रखना पड़ेगा। जब आप उद्योग में श्रमिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे तो उद्योग बीमार नहीं होंगे; उत्पादन पर खराब असर नहीं पड़ेगा और उत्पादन बढ़ेगा। इस तरह हम औद्योगिक रुग्णता को रोक पायेंगे और इससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। मैं वास्तव में प्रसन्न हूं कि माननीय मन्त्री महोदय ने इस पहलू पर विचार किया है हालांकि वे चिकित्सा पेशे से सम्बन्धित नहीं है। मैं वास्तव में प्रसन्न हूं और उन्हें इस नये साहसिक कार्य पर बधाई देता हूं।

केवल एक बात जिसके बारे में मैं चिन्तित हूं वह यह है—कि प्राधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये से केवल 250 करोड़ रुपये तक बढ़ाई गई है। इससे भारत के सभी राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। माननीय वित्त मन्त्री महोदय को इस पर फिर से विचार करना चाहिए और इस राशि को 250 करोड़ रुपये से 500 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए ताकि देश के सभी राज्यों को इससे लाभ मिल सके।

यह प्रस्ताव रखा गया है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की तरह ही प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति की जाये। उनका पांच वर्ष का सेवाकाल होता है। मैं समझता हूं कि यह सेवाकाल घटाकर तीन वर्ष कर दिया जाना चाहिए ताकि प्रबन्ध मण्डल की कार्यकुशलता तीन वर्षों के अन्दर आंकी जा सके और यदि प्रबन्ध मण्डल की कार्यकुलता अपेक्षित स्तर तक नहीं होती है तो उन्हें हटाया जा सके। सेवाकाल को पांच वर्षों से अधिक बढ़ाने के बजाय वास्तव में यह ठीक रहेगा कि इसे कम करके तीन वर्ष कर दिया जाये।

दूसरा सवाल जिसका जिक्र किया गया है "कि संसाधनों को बढ़ाने में निगम को अधिक लचीला बनाने के लिए, यह प्रस्ताव रखा गया है कि निगम की भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण लेने की वर्तमान 15 करोड़ रुपये की सीमा को हटाया जाये।" मैं वित्त मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इसकी सीमा क्या है। क्या यह सीमा रहित होने जा रही है? क्या उन्होने इस सीमा को पूरी तरह हटा दिया है या वे निगम को जितनी भी पूंजी वह चाहे निकालने की अनुमति देंगे जिसका कि उन्होंने शायद विधेयक में कोई जिक्र नहीं किया है?

दूसरा सवाल यह है कि आप उन सहकारी बैंकों को मान्यता प्रदान करने जा रहे हैं जिन्हें राज्य सरकार ने मान्यता दी हुई है। इस सम्बन्ध में मैं एक सुझाव रखना चाहूंगा कि जब कभी इस तरह के कानून बनाये जायें या किसी विशेष राज्य में उद्योग को सहायता दी जाय तो राज्य को भी इस विषय में सूचित किया जाना चाहिए ताकि उनकी इस मामले में अच्छी पकड़ हो सके। जहां तक तमिलनाडु का सम्बन्ध है औद्योगिक पहलू पर हमारी पूरी अवहेलना की गई है। यही कारण है कि

हम अक्सर अपनी यह बात उठाते हैं कि दक्षिण की अवहेलना की जा रही है और उत्तर समृद्ध हो रहा है। आपको इस प्रकार की भावनाओं को बढ़ने नहीं देना चाहिए। जब आप इस प्रकार का संशोधन लायें तो यह सुनिश्चित करने की कोशिश करें कि तमिलनाडु को कुछ अधिक सहायता मिले ताकि तमिलनाडु में भी उद्योग पनप सकें।

इन शब्दों के साथ, मैं तहेदिल से माननीय मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन (अमेंडमेंट) बिल जो सदन में प्रस्तुत हुआ है उसका मैं समर्थन करता हूं। 1948 के बाद इसमें 1982 में परिवर्तन हुआ और यह 1985 का जो परिवर्तन किया जा रहा है इससे इस इंडस्ट्रियल फाइनेंस कार्पोरेशन का क्षेत्र काफी विस्तृत हो जाता है। इंडस्ट्रियल कन्सर्न की जो परिभाषा है उसका भी विस्तार कर दिया गया है

[अनुवाद]

"···अस्पतालों का स्थापित करना और चिकित्सा सेवायें उपलब्ध कराना, दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक सेवायें प्रदान करना और संयंत्रों तथा उपकरणों को पट्टे पर देना, आदि।"

[हिन्दी]

अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि जो यह अस्पताल के बारे में प्रोविजन किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर स्थिति इस प्रकार की है कि यहां अस्पतालों के विस्तार की बहुत आवश्यकता है। अगर कोई डाक्टर या वैद्य इस प्रकार के अस्पताल स्थापित करना चाहता है और इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन से मदद मिलती है, बैंकों से मदद मिलती है तो वह निश्चित रूप से इस प्रकार के अस्पताल स्थापित करके ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी सेवा कर सकता है। इसलिए यह प्रोविजन जो किया गया है, ठीक किया गया है। आजकल के वैज्ञानिक युग में, इलेक्ट्रानिक सिस्टम में कोई भी व्यक्ति प्राइवेट इण्डस्ट्री स्थापित करना चाहता है, उसके अन्दर अगर कोई भी लाभ प्राप्त होता है, फाइनेंस इण्डस्ट्री कार्पोरेशन में सहयोग देता है तो यह प्रोविजन करना उचित है।

मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन फुल टाइम बना दिये हैं, यह जरूरी है और एक सही कदम है। कोई भी कार्पोरेशन तभी सक्सेस हो सकता है जब उसके मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन कपेबल पर्सन हों और मेरिट पर उनकी नियुक्ति हों। मुझे इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं है इतनी, कि इस प्रकार के जो एम० डी० और चेयरमैन हैं उनकी किस तरह से नियुक्ति होती है। मन्त्री महोदय जी इस पर प्रकाश डालेंगे कि किस तरह उनकी नियुक्ति होती है। जब यू०पी०एस०सी० आदि के लिए बोर्ड बने हुए हैं, क्या इनकी भी नियुक्ति इस तरह के बोर्ड्स द्वारा होती है। इसके बारे में अगर कोई बोर्ड

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

नहीं तो इस प्रकार के बोर्ड का गठन होना चाहिए और मेरिट के आधार पर उनकी नियुक्ति होनी चाहिए। मैं राजस्थान की बात करता हूं वहां पर पब्लिक सेक्टर के अन्दर चेयरमैन और डी०एम० होते हैं वह जनरली आई०ए०एस० आफिसर होते हैं। उनको उन विषयों का कोई ज्ञान नहीं होता, फिर भी मेनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन के पद पर उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। इस तरह की स्थिति बैंकों में भी होती हैं, लेकिन यह नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति बैंकिंग के बारे में पूरी जानकारी रखता हो तभी उसको ऐसे पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए हमने तय किया है कि हमारी जो इण्डस्ट्रियल ग्रोथ है वह 8 प्रतिशत बढ़ानी है। जितनी भी फाइनेंस कार्पोरेशन की एक्टिविटीज अलाट कर रहे हैं उसमें अथोराइज्ड केपिटल 100 करोड़ से 250 करोड़ कर रहे है और इसके लिए एल०आई०सी०, जी०आई०सी० और यू०टी०आई० इस तरह के प्रोविजन कर रहे हैं···

रिजर्व बैंक की भी जो सीमा 15 करोड़ तय की गई थी, उसको भी रिलैक्स करके पॉवर्स एनलार्ज कर रहे है। तो इसका तात्पर्य यह है कि इसका क्षेत्र बढ़ाकर के उद्योगों को विकसित करना है। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि नो इण्डस्ट्रीज जिले को घोषित किए गए हैं, उनका कोई विकास नहीं हो रहा है। नो-इण्डस्ट्रीज जिला घोषित करते समय जो बात थी कि उनको डिवेलप किया जाएगा और इण्डस्ट्रीज लगाई जाएंगी, वैसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इस ओर न केन्द्र सरकार का ध्यान है और न राजस्थान सरकार ही कुछ कर रही है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो नो इंडस्ट्रीज जिले हैं, उनमें इण्डस्ट्रीज लगानी चाहिएं और वहां के लिए सुविधाएं मिलनी चाहिएं। वहां पर डवलपमेंट एक्टिविटीज बढ़नी चाहिएं। उनको लोन के बारे में सुविधाएं मिलनी चाहिएं उनको ट्रांसपोर्ट के बारे में सुविधाएं उसी प्रकार मिलनी चाहिएं जिस प्रकार से हिल एरियाज में मिलती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बाड़मेर जिला भी नो-इण्डस्ट्रीज जिला है। जैसलमेर के अन्दर भी इण्डस्ट्रीज का बहुत स्कोप है। वहां पर बहुत ही अच्छा चूना निकला है और उसकी 9 प्रतिशत प्योरिटी है। लेकिन प्रश्न यह है कि वहां पर उसका उद्योग के रूप में कैसे इस्तेमाल हो, वहां पर उद्योग स्थापित करने के लिए सुविधाएं होंगी तभी उद्योग लग सकेगा। वहां पर रेलवे लाइन नहीं है। हमारे रेल मन्त्री श्री बंसीलाल जी ने घोषणा कर दी थी कि कोई भी नई रेलवे लाइन नहीं बनाई जाएगी। अब यदि ऐसा होगा तो वहां पर कोई उद्योग स्थापित नहीं हो सकेगा क्योंकि वह स्थान जैसलमेर से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से चूना किस प्रकार दूसरे क्षेत्रों को भेजा जाएगा और जब वहां पर ट्रांसपोर्ट की फेसिलिटी ही नहीं होगी, तो कोई उद्योगपति वहां क्यों पैसा इन्वेस्ट करेगा और क्यों वहां उद्योग लगाएगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वहां के लिए हिल एरियाज की तरह ही ट्रांसपोर्ट पर सबसिडी दिए जाने का प्रोविजन किया जाए।

जब वहां पर रेल की सुविधा नहीं होगी, लोन की सुविधा नहीं होगी, वहां पर और कोई डवलपमेंट एक्टिविटी नहीं होगी, तो वहां पर हम कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं, कैसे कोई इण्डस्ट्री लगा

सकता है। इसलिए मैं सरकार से पुनः प्रार्थना करता हूं कि आप ऐसे क्षेत्रों की ओर पूरा ध्यान दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने एजूकेटेड ग्रेज्युएट को अपना काम-धंधा चलाने के लिए लोन की सुविधा दी थी। मेरा इस बारे में कहना यह है कि आप इसकी जांच कराइए, इसमें 50 परसेंट लोन बोगस पर्सन्स को दिया गया है। उन्होंने कोई भी इण्डस्ट्री, कोई व्यापार नहीं चलाया है और कोई भी धंधा स्थापित नहीं किया है और लोन ले लिया है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस स्कीम का दुरुपयोग किया गया है इसलिए इस बारे में बहुत अच्छी तरह से जांच करने की आवश्यकता है और आगे के लिए बारीकी से सुपरविजन करने की आवश्यकता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो जिस परपज के लिए सरकार लोन देती है और अनएम्प्लाइड ग्रेज्युएट की प्राब्लम को सॉल्व करना चाहती है वह नहीं हो सकती है। मेरा इसमें विशेष तौर से निवेदन है कि जो इस प्रकार की आर्गेनाइजेशन्स हैं, जो निगम हैं, उनकी एक्टिविटीज को हम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसमें ये डिफीकल्टीज आ जाती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से हमारे यहां रंगाई-छपाई का एक उद्योग है। यह हमारे यहां बहुत होता है। इस इंडस्ट्री के बारे में पाल्यूशन की प्राब्लम आ जाती है। लेकिन इस पाल्यूशन की प्राब्लम के बारे में न तो केन्द्र सरकार और न ही राजस्थान सरकार, कोई भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर छोटे उद्योग के ऊपर यह जिम्मेदारी डाल दी जाती है, तो वह इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता है। अत: इन उद्योगों को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि पाल्यूशन की प्राब्लम को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर ले लेनी चाहिए या फिर ऐसे छोटे-छोटे उद्योगों को पर्यावरण-संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से कुछ मदद दी जाए, तभी ये उद्योग पनप सकेंगे और नये-नये उद्योग स्थापित हो सकेंगे अन्यथा ये उद्योग मर जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन बिल, 1986 जो यहां प्रस्तुत किया गया है, यह बहुत अच्छा बिल है। हम जो टेक्नालोजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और नई से नई टैक्नोलोजी अपने देश में लाना चाहते हैं, यह बिल उसमें मददगार साबित होगा।

3.00 म०प०

परन्तु हम यह भी चाहते हैं कि हमारी एम्पलायमैंट की प्राब्लम का सोल्यूशन हो। इस तरह का कम्प्यूटराइजेशन करके हम इस प्रकार का सिस्टम बनायें कि बहुत कम लेबर उसमें लगे, इसे देश स्वीकार नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि महात्मा गांधी जी ने उद्योग के बारे में जो रास्ता बताया है अगर उस पर हम नहीं बढ़ेंगे तो क्या गृह उद्योग को हम आगे बढ़ा पायेंगे?

इसके लिए अभी जो कोशिश चल रही है, खादी ग्रामोद्योग जो काम हाथ में ले रहा है, वह पूरी तरह से चल नहीं पा रहा है। खादी ग्रामोद्योग कमीशन का क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है, वह ग्रामीण

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

क्षेत्रों में बहुत ही कम क्षेत्रों में कार्य करता है। इस प्रकार के बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग हैं जहां वह मदद नहीं कर सकता। इसलिए जरूरी है कि अन'एम्पलायमैंट प्राब्लम को सौल्व करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खादी कमीशन की संस्था के कार्यक्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में गलीचा और ऊन के उद्योग में जो काम करने वाले हैं, खासकर हमारे क्षेत्र के ऐसे लोग हैं, उनकी विशेषतौर से मदद करनी पड़ेगी और उनके लिए ट्रेनिंग सैंटर खोलने पड़ेंगे। आज गवर्नमेंट जो ट्रेनिंग सैंटर खोलती है वह डिस्ट्रिक्ट में खोलती है, हमारे बाड़मेर में सिर्फ एक ट्रेनिंग सैंटर खोला गया है। जैसलमेर में कोई ट्रेनिंग सैंटर नहीं है। इस तरह से उद्योगों का विस्तार नहीं हो सकता।

बैंक की सुविधाएं इनको देने में जिस प्रकार इंडस्ट्री को कठिनाई पड़ती है, उसी तरह इनको भी लोन प्राप्त करने में कठिनाई होती है। बिना कठिनाई के बैंकिंग इंस्टीट्यूट उनको लोन वितरित नहीं करती है। बहुत कोशिश करने के बाद भी बैंक इंस्टीट्यूशन्ज में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, करप्शन चल रही है। इसको चैक करने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री डाल चन्द्र जैन (दमोह) : सभापति महोदय, जो औद्योगिक वित्त निगम पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यह विधेयक सन् 1948 में बनाया गया था, उसके बाद हमारे देश की स्थिति बदल गई है। जिस तेजी से हमारे देश में औद्योगिक विकास हो रहा है, उसके अनुसार यह संशोधन विधेयक बहुत ही उपयुक्त है।

3.04 म०प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि औद्योगिक विकास के लिए जो ऋण की सुविधाएं हम उद्योगपतियों को देते हैं, उसके बारे में हमारे सभी सांसदों ने कहा है कि बहुत से लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए। जिस भावना से, स्प्रिट से लोगों को ऋण दिया जाता है, अगर उसी भावना से उसका समुचित आदर न हो तो ऐसे लोगों पर हमको कार्यवाही भी करनी चाहिए।

उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, इसके लिए जो अलग से बोर्ड की स्थापना की गई है और बोर्ड के अध्यक्ष या निदेशक को जो पावर दी गई है कि अनावश्यक डिले न हो, बोर्ड की मीटिंग न हो और उसके पहले आवश्यक हो तो उद्योग के विकास के लिए ऋण स्वीकृत कर सकते हैं, यह एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ-साथ एक बात और होनी चाहिए कि जिस उद्देश्य से ऋण दिया गया है, उसी उद्देश्य के साथ उसकी पूर्ति हो और उद्योग जिस स्थान पर स्थापित होने चाहिएं वह वहीं पर स्थापित हों।

एक बात और विशेष रूप से ध्यान देने की है कि अगर इस बोर्ड के द्वारा किसी तरह गलत ऋण दे दिया गया है और उससे वित्त निगम को नुकसान पहुंचता है या उसकी पूंजी खतरे में पड़ती है तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी करनी चाहिए और उनको निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह अपने कर्त्तव्य के प्रति सजग रहें। ऐसा करने से ही इस राष्ट्र की जो नीति है उसका समुचित उपयोग हो सकेगा।

हमने देखा है कि छोटे-छोटे उद्योगपतियों को ऋण प्राप्त करने में अनेक तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि जो भी कोई उद्योग लगाने के लिए छोटे उद्योगपतियों की ऋण की एप्लीकेशन आये, उसके लिए आप एक समय फिक्स कर दें कि हम एक महीने, दो महीने या 3 महीने तक एप्लीकेशन पर पूर्ण विचार कर ऋण की व्यवस्था कर देंगे। अक्सर होता यह है कि ऋण सम्बन्धी मामलों को निपटाने में वर्षों लग जाते हैं। ऐसा होने से छोटे-छोटे उद्योग स्थापित करने वाले उद्योगपति निराश हो जाते हैं और उनका उस उद्योग के प्रति उत्साह खत्म हो जाता है। यह एक अच्छी परम्परा नहीं है। अतः मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि वह इस बारे में एक समय की सीमा अवश्य ही निश्चित कर दें कि इतने दिनों में ऋण उपलब्ध हो जायेगा। ऐसी व्यवस्था होने के बाद ही हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेंगे।

यह एक बहुत अच्छी बात है कि हम पिछड़े हुए इलाकों और उद्योग विहीन जिलों में उद्योग स्थापित करने के लिए सबसिडी देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखने में यह आ रहा है कि जो उद्योगविहीन जिले हैं, आज भी वहां उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। कारण यह बताया जाता है कि वहां ट्रांसपोर्ट के और दूसरे अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि औद्योगिक विकास निगम के, ट्रांसपोर्ट के, ऊर्जा विभाग के और दूसरे अन्य अधिकारियों या मंत्रियों की अधिकारी और मंत्री स्तर पर समय-समय पर मीटिंग होनी चाहिए जो कि इस बात पर पूर्ण रूप से विचार करें कि देश के हरेक भाग का कैसे समुचित रूप से विकास हो ? खासतौर से जो पिछड़े इलाके हैं वहां उद्योग स्थापित हो सकें।

इन्हीं सुझावों के साथ मैं औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जिस भावना से यह विधेयक पेश किया गया है, उसके अनुरूप हमारे बोर्ड के लोग काम करेंगे और हमारे प्रधानमन्त्री की जो आकांक्षा देश को 21वीं सदी की ओर ले जाने की है, उसमें हम सब मिलकर सहयोग कर अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम एक राष्ट्रीय स्तर का विकास बैंक है जिसकी 1948 में आजादी के तुरन्त बाद संसद के एक अधिनियम द्वारा इस उद्देश्य के साथ स्थापना की गई थी कि भारत में उपयुक्त औद्योगिक संस्था को मध्यावधि और दीर्घावधि के वित्त की व्यवस्था की जायेगी।

महोदय, हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं और वास्तव में

[कुमारी ममता बनर्जी]

हम 21वीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं तथा हमारा रवैया, उद्देश्य और उपलब्धियां इस पर आधारित होनी चाहिए। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमने कई बार देखा है कि मजदूरों के लाभ के लिए देश के हित में और कमजोर वर्गों के समर्थन में बहुत अधिक विधेयक लाने के बाद भी उनका कार्यान्वयन प्रभावशाली ढंग से नहीं हो रहा है। हमारी सरकार बहुत अधिक इच्छुक है और हम भी यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि देश 21वीं शताब्दी की ओर बढ़े। परन्तु अभी भी कभी-कभी जानकारी का कुछ अभाव रहता है। हालांकि सरकार विधेयकों को आगे ला रही है, कुछ नौकरशाह तथा कुछ कर्मचारी सरकार के वायदों को पूरा करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं। और इसलिए हम जनता के प्रति किए गए अपने वायदों को पूरा नहीं कर सके हैं।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, 1948 को अंतिम बार 1982 में संशोधित किया गया था और अब अधिनियम में कुछ संशोधन करने आवश्यक हो गये हैं। सरकार द्वारा लाए गए संशोधनों का मैं समर्थन करती हूं क्योंकि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम में 'औद्योगिक संस्था' की मौजूदा परिभाषा को जिस प्रकार से दिया गया है इससे उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण गतिविधियां शामिल नहीं होती और इसलिए अस्पतालों की स्थापना और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था, दूरसंचार और इलेक्ट्रानिक सेवाओं की व्यवस्था तथा संयंत्रों और उपस्करों आदि को पट्टे पर देना, जैसे क्षेत्रों में अन्य बातों के साथ-साथ संस्थाओं को शामिल करके इसकी परिभाषा के विस्तार का प्रस्ताव है। इस बात पर भी विचार किया गया है कि एक ऐसे खंड की व्यवस्था की जाए जिससे केन्द्रीय सरकार निगम को किसी भी क्रियाकलाप को करने लिए यह अधिकार प्रदान किया जाए जिसे केन्द्रीय सरकार सूचित करती है। निगम की प्राधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए करने का भी प्रस्ताव है। मैं मन्त्री जी से प्राधिकृत पूंजी 100 रुपये से 500 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का अनुरोध करती हूं।

इस विधेयक में पूर्णकालिक प्रबन्ध निदेशक के कार्यालय के लिए व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है। मैं इस प्रावधान का समर्थन करती हूं और मैं किसी भी तरह से इसका विरोध नहीं करती हूं। जब कभी, इन प्रबन्ध निदेशकों तथा चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है तो हमें यह देखना होगा कि ये प्रबंध निदेशक तथा चेयरमैन मजदूरों और उद्योग के हित के लिए भी कुछ करें। हम इन लोगों को भी नियुक्त करते हैं परन्तु हमें पता चलता है कि इन प्रबन्ध निदेशकों तथा इन चेयरमैनों का रवैया इतना अधिक अच्छा नहीं है। वे सरकार के पैसों का दुरुपयोग करते है तथा वे भ्रष्टाचार में लगे रहते हैं। वे बड़े उद्योगपतियों का हित देखते हैं तथा वे लोगों की भलाई के लिए कुछ नहीं करते हैं। इन प्रबन्ध निदेशकों को पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त करना एक सुखद कार्रवाई है। हमें यह भी देखना चाहिए कि वे सरकार के वायदों को पूरा करें। कुछ समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए और प्रबन्ध निदेशक को कब तक इस पद पर रहना चाहिए इसकी अवधि निश्चित होनी चाहिए। इस अवधि के दौरान उनको कार्य निष्पादन और उनकी उपलब्धियों पर नजर रखी जानी चाहिए। मैं अनुरोध करती हूं कि माननीय मन्त्री को इस पहलू पर विचार करना चाहिए। मैं जानती हूं कि मन्त्री जी बहुत सक्षम है और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए बहुत मेहनत करते हैं। परन्तु यह नोकरशाही रवैया किसी भी तरह से ठीक

नहीं है तथा यह परम्परा बहुत शुरू से चलती आ रही है और इसके कारण लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।

महोदय, औद्योगिक वित्त निगम बहुत महत्वपूर्ण निगम है। भारत सरकार ने अप्रैल, 1971 में भारतीय औद्योगिक पुर्ननिर्माण निगम की स्थापना की थी। यह अखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थान का रूप लेना था जिसे रुग्ण उद्योगों और बन्द इकाइयों को पुनर्जीवित करने तथा उन्हें पुन: चालू करने के लिए ऋण देना और पुर्ननिर्माण एजेंसी के रूप में कार्य करना था इसे अब औद्योगिक पुर्ननिर्माण बैंक के रूप में परिवर्तन कर दिया गया है। औद्योगिक रुग्णता के सम्बन्ध में किया गया कार्य के असन्तोषजनक है, यह निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है:

देश में आई०आर०बी०आई० द्वारा सहायता दी जा रही 205 इकाईयों में से अधिक सेअधिक 116 इकाइयां पश्चिम बंगाल में स्थित हैं जिनमें से आई० आर० बी आई० ने दावा किया है कि उसने केवल 37 को पुनर्जीवित किया है। मैं इसको यहां इसलिए बताना चाहती हूं क्योंकि सरकार ने आई० आर०बी०आई०की स्थापना रूग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने, उद्योगपतियों की सहायता करने और उनके उपकरणों का आधुनिकीकरण करने के लिए की है। परन्तु क्या हो रहा है ? सरकार ने आई० आर०बी०आई० की स्थापना रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए की है। परन्तु आई०आर० बी०आई०, आई० एफ० सी० आई० और आई० डी० बी० आई० के लोग छोटे या बड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। बल्कि अपना भला करने में दिलचस्पी रखते हैं। अत: उनकी भावनाएं ठीक नहीं हैं। प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच कुछ सूचना का अभाव हैं। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने 1985 में रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम पारित किया जिसमें वित्तीय और औद्योगिक पुनर्गठन के लिए एक बोर्ड बनाने का प्रावधान था तथा औद्योगिक रुग्णता से भी निपटना है। एक वर्ष बीत गया है। मैं नहीं जानती कि यह बोर्ड कब कार्य करना शुरू करेगा और यह हमारे देश में रुग्ण उद्योगों की समस्याओं का समाधान कब करेगा ! हमारे देश में लगभग 10,000 इकाइयां हैं उनमें से अधिक छोटे क्षेत्र में हैं जो रुग्ण हैं। इनमें से लगभग 29,000 पश्चिम बंगाल में है। आई०आर०बी०आई० की रिपोर्ट दी है कि 1 जनवरी, 1985 को 545 रुग्ण इकाइयां थी। उनमें से 105 पश्चिम बंगाल में हैं। 1285 मझोले किस्म की इकाइयां है। आई०आर०बी०आई० के अध्ययन के अनुसार 51% औद्योगिक रुग्णता प्रबन्ध व्यवस्था के कारण होती है। 15% उचित योजना न होने के कारण और केवल %श्रम समस्या के कारण होती थी। अत: यह सरकार का कर्तव्य है कि वह इन रुग्ण उद्योगों का पता लगाए। यदि प्रत्येक बड़े और छोटे उद्योग बन्द होते जायेंगे तो मजदूरों का क्या होगा ? अब हजारों मजदूर सड़कों पर है। परन्तु हम इस समस्या का समाधान करने की कोशिश कर रहें हैं। हम आई०एफ०सी०आई०, आई०आर०बी०आई० तथा आई०डी०बी०आई० के लोगों को भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। परन्तु उनका रवैया मजदूरों के हित में नहीं है। वे कहते हैं कि आपको इस पर विचार करना चाहिए : आपको इन उद्यमियों की सहायता करनी चाहिए। आपको कमजोर वर्गों और मजदूरों को बीच में ही नहीं छोड़ देना चाहिए। तब ये अधिकारी क्या करेंगे ? वे अपनी कुर्सियों पर होगें। उनको अब प्रबन्ध निदेशकों और चेयरमैन

[कुमारी ममता बनर्जी]

तथा अन्य अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति हो गई है। परन्तु वे कमजोर वर्गों की सहायता नहीं कर रहे हैं। यही हो रहा है । यदि वे इस तरह चलते हैं तो हम मुसीबत में होंगें। हम कांग्रेस दल में गरीब लोगों तथा मजदूरों की सहायता करने मे बहुत अधिक दिलचस्पी रखते हैं। यह प्रधानमन्त्री जी और सरकार का रवैया है। परन्तु यह नोकरशाही रवैया ठीक नहीं है। इसलिए ये सब बातें हो रही हैं।

आप इस विधेयक को गरीब लोगों की सहायता, मजदूरों की सहायता और देश की सहायता के लिए ला रहे है। परन्तु जब तक आप अधिकारियों के रवैये और परम्पराओं को नहीं बदलते हैं तब तक इन चीजों कोलागू करना सम्भव नहीं है। यह मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है। इन रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने में वित्तीय और औद्योगिक पुनर्निमाण के लिए कृपया बोर्ड बनाने के कार्य को शीघ्र करें। तभी यह बोर्ड इन सब चीजों को ले सकता है। वे कम से कम रुग्ण उद्योगों की सहायता कर सकते है। क्या ऐसी कोई सम्भावना है ? यह सरकार की नीति नहीं है कि वह सभी रुग्ण इकाइयों को लें। परन्तु वे कुछ नई परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं। वे कुछ नए और आधुनिक उपकरण लगा सकते हैं। तब वे कम से कम मजदूरों के लिए काम की व्यवस्था कर सकते है। अन्यथा ये मजदूर मर जायेंगे। यदि मजदूर मरता है तो हम क्या करेगें ? अत: यह मेरा विनम्र अनुरोध है। अब मैं एक उक्ति उद्धृत करती हूं :

[हिन्दी]

यह मेरा अकेले का दर्द नहीं है, मैं सभी के दर्द की बात करती हूं।

[अनुवाद]

यह सच है कि कुछ लोग यह कहने की कोशिश करते हैं कि केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं करती है। परन्तु हम ऐसी आलोचना नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं जानती हूं कि कुछ राजनीतिक और निहित स्वार्थी लोग जो देश के विकास में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, वे हर समय सरकार का विरोध करते हैं। परन्तु मैं कहना चाहती हूं कि हमें नए भारत में विश्वास है। हमें मेहनत करनी चाहिए। इस देश के लोगों की भलाई के लिए हमें अधिक प्रयास करने चाहिएं।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह) : मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक में कुछ भी विवादास्पद नहीं है। इसमें कुछ विशेष संशोधन के अच्छे उपबन्ध हैं उदाहरण के लिए औद्योगिक वित्त निगम के कार्य का विस्तारण है। मैं महसूस करता हूं कि चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा अन्य सहायक सेवाएं, इंजीनियरिंग, तकनीकी, वित्तीय, प्रबंध व्यवस्था और विपणन तथा अन्य सेवायें आदि की व्यवस्था के लिए प्रस्तावित संशोधन है। यह निश्चित रूप से औद्योगिक विकास तथा सामाजिक सेवाओं के लिए भी बेहतर होगा। परन्तु उसी समय मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री उस पर कृपया ध्यान दें और यह देखें कि इसमें सामाजिक वानिकी को भी शामिल किया जाये क्योंकि अब हम बहुत कार्य कर रहे हैं तथा देश की आवश्यकता के अनुसार पारिस्थितिक

संतुलन बनाने तथा सामाजिक वानिकी के लिए और देश में हरियाली लाने के लिए विभिन्न स्थानों पर लोगों को अभिप्रेरित कर रहे हैं। यदि ऐसा होता है तो औद्योगिक वित्त निगम के कार्यक्षेत्र में इसे सम्मिलित क्यों नहीं किया जाना चाहिए ?

इसके बाद डेरी संयंत्र और पशुपालन आदि को भी इस कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। कृपया मंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिये। उन्होंने 100 करोड़ रुपए से 150 करोड़ रुपए तक पूंजी को बढ़ाने का अच्छा काम किया है। फिर, प्रबंध निदेशक को रखने का प्रश्न है। एक विशेष निगम या संस्थान या संगठन में प्रबंध निदेशक का होना बहुत आवश्यक होगा। परन्तु एक बात जो मैंने नोट की है वह यह है जिस प्रयोजन के लिए औद्योगिक वित्त निगम स्थापित किया गया है उसे पूरा नहीं किया गया है तथा हर जगह समय-समय पर इसका उद्देश्य विफल किया जा रहा है। हम जानते हैं कि लोग सहायता प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं पर जब वे सहायता प्राप्त करने के लिए जाते हैं तो उन्हें किस प्रकार से तंग किया जाता है। वे ऋण या सहायता प्राप्त करने के लिए इधर-उधर भटक रहे हैं, परन्तु यह उनको आसानी से नहीं मिल रही है। परन्तु यदि कुछ लोग भ्रष्ट हैं, वे इसे दूसरे ढंग से प्राप्त कर सकते हैं और वे लेते भी हैं। यहां इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

प्रत्येक कानून में हम देखते हैं कि जनसाधारण को सावधानीपूर्वक नकार दिया जाता है और अधिकारी वर्ग केवल अपने लिए ही प्रत्येक पद प्रत्येक वस्तु का सृजन कर रहा है। अतः इस प्रकार के महत्वपूर्ण विधेयक के जरिये संसद के कुछ सदस्य बोर्ड में निदेशकों के पद पर क्यों नहीं रख दिए जाते जहां वे ऐसे बोर्डों में निगरानी रख सकें, और कमियों की ओर ध्यान दिला सकें।

देश में 'ए' श्रेणी के जिले हैं। देश में औद्योगिक वित्त निगम द्वारा कितने 'ए' श्रेणी के जिलों को सहायता प्रदान की गई है ? कई क्षेत्रों में जहां ये उद्यमी उद्योग लगाने जा रहे हैं, उनको सहायता की जरूरत है, सहायता प्राप्त करने के लिए वे इधर-उधर चक्कर लगा रहे हैं परन्तु उनको सहायता नहीं मिल रही है। यहां तक कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय का अपना निजी अनुभव भी रहा है। यही कारण है कि इस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए कि इस तरह के कितने 'ए' श्रेणी के जिलों में उनको ऋण या सहायता प्राप्त हुई है। अण्डमान और लक्षद्वीप क्षेत्रों में जो देश के दूरस्थ भाग हैं, अभी तक हम इन संस्थाओं के नाम ही सुन रहे हैं; उन्होंने देश के इस भाग में कुछ भी नहीं किया है। जब वे वहां उद्योग लगाने के लिए जाते हैं, तो उनसे कहा जाता है कि इतने दूरस्थ क्षेत्र के लिए आपको ऋण कैसे मिल सकता है। यही कारण है कि एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे वे ऐसे दूरस्थ क्षेत्र के लिए सहायता प्राप्त कर सकें। निःसंदेह जब हम कोई कानून बनाते हैं तो हम कई बातों का जिक्र करते हैं और तब हमें मंत्री महोदय से यह आश्वासन मिलता है कि यह कर दिया जायेगा, वह कर दिया जाएगा, हम ये प्राप्त करने जा रहे हैं परन्तु एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक कि अधिकारी-वर्ग उद्देश्य के प्रति समर्पित नही होता इन बातों को लागू नहीं किया जाएगा। एक ओर सरकार की विचारधारा स्पष्ट है और राजनैतिक नेतृत्व की विचारधारा भी स्पष्ट है; वे लोगों की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश के दूरस्थ भागों में औद्योगिक विकास के लिए कुछ करना चाहते हैं उस समय दो प्रणालियां काम करती हैं यानि एक ओर तो नौकरशाही कुछ भूमिका निभा रही है दूसरी ओर राजनैतिक नेतृत्व पर भी हस्तक्षेप करने का दोषारोपण किया जा रहा है।

श्री मनोरंजन भक्त]

राजनैतिक नेतृत्व से केवल मार्गदर्शन की आशा रखी जाती है। परन्तु साथ ही कार्यान्वियन सम्बन्धी भूमिका अधिकारी वर्ग के पास ही रहती है। यदि कभी हम उनको पूछते हैं कि उन्होंने कार्य विशेष क्यों नहीं किया वे केवल यही कहते हैं कि स्वायत्त संस्थाओं की कार्य प्रणाली में राजनीतिज्ञ हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप को रोकने के नाम पर वे राजनैतिक नेतृत्व को दूर रखने की कोशिश करते हैं ताकि वे जो भी चाहें मनमाने ढंग से कर सकें। अतः यह एक बहुत विवादास्पद स्थिति है और मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस ओर ध्यान दें तथा यह देखें कि कार्यान्वियन सुचारू रूप से किया जाए। इन पर उचित नियन्त्रण भी रखा जाना चाहिए और शिकायतों को दूर किया जाना चाहिए। बोर्ड को केवल राजनैतिक हस्तक्षेप के नियन्त्रण के लिए ही अधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए बल्कि लोगों को ऐसी वित्तीय संस्थाओं से लाभ भी मिलना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि सहायता या अनुदान देने के नियमों अथवा प्रक्रिया के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इनका उसमें बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया गया है। यहीं पर अधिकारी वर्ग अपने अधिकार का प्रयोग करता है। और अध्यक्ष के अलावा बोर्ड के सदस्यों को उचित प्रक्रिया तथा नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति जान जाये कि एक ऐसी वित्तीय संस्था है। केवल तब ही वे इस संस्था का पूरा लाभ ले सकते हैं। यही कारण है कि मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं ताकि लोगों की परेशानी को कम किया जा सके, लक्ष्यों तक पहुंचा जा सके और देश के सर्वोपरि हितों के लिए वित्तीय संस्थाओं का उपयोग किया जा सके।

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ रथ) : श्री हरीश रावत।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अधिष्ठाता जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर कुछ कहने का मौका दिया। इस संशोधन के जरिए माननीय मंत्री जी ने जो पुराना एक्ट है, उसके परव्यू में कुछ और बातें लाने की बात कही है। मेरे दोस्तों ने इस बारे में कुछ सुझाव दिए हैं और मैं भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें सोशल फोरेस्ट्री और साथ ही साथ एलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर की इंडस्ट्रीज को भी जोड़ना चाहिए।

इस समय यह स्थिति है कि जितनी भी हमारी इस तरह की फाइनेन्शियल कोरपारेशन्स हैं, उनके जरिए कुछ क्षेत्र विशेष को, जहां पहले से ही औद्योगीकरण हुआ है, ज्यादा मदद दी जाती है और जो नये क्षेत्र हैं, जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनके बारे में जितना कमिटमेंट इन का होना चाहिए, उतना कमिटमेंट नहीं है। यदि कभी सरकार की ओर से कुछ दबाव डाला भी जाता है, तो देखने में बराबर यह आता है कि इस तरीके की जितनी भी फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स हैं, इनके लोग किसी न किसी तरीके से उस दबाव को या जो सरकार की मंशा होती है, उसको टालने की कोशिश करते हैं। मैं वित्त मंत्रालय के लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बात को गौर से देखें कि विभिन्न स्टेट्स में और हर राज्य के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों का ऋण देने के मामले में, उनके इन्ट्रेस्ट्स को प्रोमोट करने के मामले में इन फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स ने क्या काम किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य

होगा कि देश के अन्दर कुछ राज्यों में जिनकी संख्या बहुत कम है, उनको ही अधिक पैसा भारत सरकार की फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स ने दिया है और आज भी उनको बराबर पैसा देती जा रही हैं और जो पालिसी है, उसका पूरा लाभ उन्हीं राज्यों को मिल रहा है जो पहले से आगे बढ़े हुए हैं और जो पिछड़े हुए राज्य हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की जन-संख्या देश की जनसंख्या की 17 प्रतिशत है। उस राज्य में जितनी भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट की पब्लिक फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स हैं, उन का इन्वेस्टमेंट केवल 2 प्रतिशत है। बावजूद बराबर उत्तर प्रदेश सरकार के जोर लगाने के, पिछले वर्षों में इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। मैं उत्तर प्रदेश की ओर से माननीय मंत्री जी तक अपनी शिकायत पहुंचाना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की ओर भी देखा जाना चाहिए। बल्कि इस बात को देखा जाना चाहिए कि जिन क्षेत्रों में उद्योग नहीं हैं, जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको आपकी फाइनेंशियल इन्स्टीच्यूशंस मदद दें।

आखिर मदद देने का हमारा उद्देश्य क्या है? यही कि कमजोर लोगों और सक्षम लोगों के बीच की असमानता और विषमता को दूर करना। लेकिन कहने को तो यह कह दिया जाता है। लेकिन ये फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस और कारपोरेशंस किसको प्रमोट कर रही है, उन्हीं को प्रमोट कर रही है जो पहले से खुद आगे बढ़े हुए हैं, जिनके पास सब कुछ है। उन्हीं की मदद करने के लिए ये आगे आती है। जो पिछड़े हुए हैं या जिनको फर्स्ट जेनरेशन कहते हैं, उनकी मदद करने की ये बात नहीं करती।

अगर कोई छोटा व्यक्ति जिसकी पहुंच नहीं है, जो प्रभावित नहीं कर सकता, जिसके पास दबाव डालने के लिए कुछ भी नहीं है, वह अगर इन संस्थाओं के पास पहुंचता है तो उसकी मदद करने की बात तो अलग, उसको हतोत्साहित किया जाता है। उसकी मदद करने में ये कई प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। इन संस्थाओं का उद्देश्य तो यह होना चाहिए कि जो हमारी गवर्नमेंट का कमिटमेंट है उसको पूरा करें।

इसके पीछे यह कारण है कि आपने ब्योरोक्रेसी को पूरे अधिकार दे दिए हैं। पार्लियामेंट मात्र विधेयक पास करने का काम कर रही है। ये विधेयक भी इनके अधिकारों में वृद्धि करने के लिए, इनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि करने में ही सहायक होते हैं। इनके व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति या कुछ लोगों के स्वार्थों की पूर्ति ही इससे होती है। इसलिए पार्लियामेंट का यूज किया जा रहा है, सदन का यूज किया जा रहा है। होना तो यह चाहिए था कि ये इस बात को देखतीं कि पब्लिक मेन क्या कहना है, सरकार की क्या मंशा है, संसद सदस्य क्या कहता है, राज्य सरकारें क्या कहती हैं। इन सबके उद्देश्यों की पूर्ति करने में इन संस्थाओं को मददगार होना चाहिए था। लेकिन इस काम को ये फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस नहीं कर रही हैं।

पिछले कुछ वर्षों में आपने बहुत कोशिश की है कि ये जनता के प्रति उत्तरदायी बनें। लेकिन बावजूद आपके कोशिश करने के, दबाव डालने के, गरीब लोगों के प्रति जो सरकार का कमिटमेंट है उसको ये संस्थाएं पूरा नहीं कर सकी हैं। इन फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस के दृष्टिकोण, इनके व्यवहार में किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया है।

मैं माननीय मंत्री जी से आलोचना के लिए नहीं, वित्त मंत्रालय के, वित्त मंत्री जी के हाथों को

[श्री हरीश रावत]

और अधिक बलशाली बनाने के लिए इस बात को निवेदन के तौर पर कहना चाहता हूं कि आप इस बात को देखें कि किस तरह के लोग इन फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस के अन्दर किस प्रकार का कार्य करते हैं। अगर आप इनमें ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे जो जनता के प्रति, सरकार की पालिसी के प्रति कमिट-मेंट रखते हों, उनको इम्पलीमेंट करना चाहते हों तो मुझे डर है कि यही विधेयक नहीं, चाहे कई विधेयक आप पास करा लीजिए, आप जिस उद्देश्य को लेकर सामने आए हैं, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है।

मुझे उम्मीद है कि आप सदन की भावनाओं को देखते हुए इस ओर ध्यान देंगे। यही कहता हुआ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैंने दोनों पक्षों के सदस्यों को बहुत प्रभावी और ठोस सुझाव देते हुए सुना है। कुछ माननीय सदस्य विशेषतौर पर श्री सी० माधव रेड्डी डा० राजहंस, श्री जैन, श्री मूलचन्द डागा, व्यास जी और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने मुझे काफी जानकारी और ठोस सुझाव भी दिये हैं। श्री अय्यपू रेड्डी ने कई बहुत अच्छी बातें कही हैं। वास्तव में इस विषय का अध्ययन करने के लिए मैं उनका आभारी हूं।

माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी, श्री राजहंस ने भी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और राष्ट्र के औद्योगिक विकास में इसके योगदान की प्रशंसा की है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने लगभग 2272 परियोजनाओं को 3?30 करोड रुपये का ऋण स्वीकृत किया है। पिछले पांच सालों के दौरान ऋणों की स्वीकृति और भुगतान में लगभग 22% वृद्धि हुई है। सदस्यों ने यह बहुत उपयुक्त बात कही है कि इस सहायता का प्रमुख भाग पिछड़े क्षेत्रों को जाना चाहिए। यहां तक कि माननीय सदस्य श्री रावत जी ने कहा है कि वित्तीय संस्थाओं को पिछड़े राज्यों और पिछड़े क्षेत्रों की सहायता करनी चाहिए। मैं वित्तीय संस्थाओं की विशेषतौर पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की पिछड़े क्षेत्रों की सहायता करने के लिए प्रशंसा कर सकता हूं। 2,272 परियोजनाओं में से 1055 परि-योजनाओं को पिछड़े क्षेत्रों में वित्तीय सहायता दी गई थी। कुल सहायता का 53% पिछड़े क्षेत्र को दिया गया है। लाभ की दृष्टि से भी ये व्यापारिक संस्थाएं विशेषतौर पर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई०, आई० आर० बी० आई० जैसी संस्थाएं तथा अन्य संस्थाएं और राष्ट्र भी भविष्य में उन्हें एक और रुग्ण उद्योग नहीं बना सकता। जहां तक लाभ का सम्बन्ध है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की भूमिका देखिये। वर्ष 1985-86 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का कुल लाभ 51.27 करोड़ रुपये है जबकि 1983-84 में यह 34.3 करोड़ रुपये था। इन संस्थाओं ने प्रोत्साहन योजनाओं द्वारा अन्य भूमिकाएं भी निभाई हैं, विशेषतौर पर लघु उद्योग क्षेत्रों में विशेषतौर पर लघु उद्योगों के लिए राजसहायता योजनाएं चलाई गई हैं। 147.22 लाख रुपये राजसहायता के रूप में दिये गये हैं।

एक माननीय सदस्य : लघु उद्योग क्षेत्र में बेरोजगार स्नातकों के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है।

श्री जनार्दन पुजारी : इसमें उनको भी शामिल किया गया है। यह विवरण अब मेरे पास नहीं है परन्तु यदि माननीय सदस्य मुझे लिखते हैं तो मैं विवरण प्राप्त करके उनके पास भेज दूंगा

यह पहली संस्था है जिसने आरम्भिक पूंजी सहायता का प्रावधान शुरू किया है। इसने 'रिस्क कैपीटल फण्डेशन स्कीम' प्रवर्तित की है और इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 86 तक स्वीकृत पूंजी जोखिम सहायता 9,97,34,000 रुपये है जो 97 परियोजनाओं में 184 प्रोत्साहकों को दी गई है। यह सहायता भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा पूंजी जोखिम सहायता के रूप में दी गई है।

अब मैं दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं जो माननीय सदस्य द्वारा उठाया गया है कि हमें औद्योगिक इकाईयों के प्रबन्धकों को और बैंक संस्थाओं में काम कर रहे लोगों को भी प्रशिक्षण देना चाहिए। उन्होंने यह बात भी कही है कि प्रबन्ध व्यवस्था प्रभावी नहीं है और प्रबन्ध व्यवस्था में कमी है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने एक दूसरी योजना भी प्रवर्तित की है। इस योजना का नाम प्रबन्ध विकास योजना है। प्रबन्ध विकास संस्थान भी प्रशिक्षण सुविधायें उपलब्ध करा रहा है। मुझे माननीय सदस्यों को बता देना चाहिए कि भारतीय औद्योगिक वित निगम ने 723 कार्यक्रम शुरू किये हैं, जिनके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र से और बैंक क्षेत्र से भी 18000 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनमें से हमने 523 विदेश से आने वाले लोगों को प्रशिक्षण दिया है यानि विकासशील देशों से आने वालों को। यह सहायता और प्रशिक्षण है जो इन लोगों को दिया गया है ताकि प्रबन्ध कौशल में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके।

कुछ माननीय सदस्यों विशेषतौर पर श्री अय्यपू रेड्डी तथा श्री माधव रेड्डी ने कुछ आंकड़े पेश किये हैं जिनमें कहा गया है कि 95282 रुग्ण इकाईयां हैं। मैं यहां आपको ताजा आंकड़े दे रहा हूं। ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में 1,01,063 रुग्ण इकाईयां हैं।

श्री नारायण चौबे : कहिये 'केवल'··· (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : तेलुगू देशम के माननीय सदस्य, मैं इस पहलू पर भी आऊंगा।

रुग्ण ईकाइयों में 4609.20 करोड़ रुपये फंसे हुए हैं।

हमें देखना है कि क्या हो रहा है। जब हम कमजोर वर्गों को सहायता देते है तो बहुत आलोचना होती है और लोग कहते हैं··· (व्यवधान) मैं नहीं जानता कि दूसरी तरफ के माननीय सदस्य क्यों उत्तेजित हो रहे हैं। मैंने किसी विशेष व्यक्ति के विषय में नहीं कहा है। मैंने कहा है कि विरोध हो रहा है और आलोचना भी हो रही है और कहा जाता है कि गरीब लोग निधि का दुरुपयोग कर रहे हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री नारायण चौबे : आप अपने चुनिंदा लोगों को सहायता दे रहे हैं।

श्री मनोरंजन भक्त : यह ठीक नहीं है।

श्री नारायण चौबे : आप अपने लोगों को दे रहे हैं।

सभापति महोदय : कृपया शान्त रहिये।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहा है।

एक माननीय सदस्य : आप दुरुपयोग कर रहे हैं··· (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : क्या आप मुझसे अपने प्रश्न का उत्तर चाहते हैं ?

अगर मैं इसका उत्तर दूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा।

मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपका या किसी अन्य व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। मैंने "विरोधी दल" कहा है। आप भी यही बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

अब मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूं (व्यवधान) देश इसे जानता है।

श्री मानिक सन्याल : संसद को यह बताया जाना चाहिए कि वे कौन हैं ?

श्री नारायण चौबे : अपने कार्मिकों में ही धन वितरित न कीजिए।

श्री मनोरंजन भक्त : राज्य सरकार पता लगा रही है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : 52 प्रतिशत कुप्रबन्ध व ईकाइयों की रुग्णता के कारण है। सदन के दोनों तरफ के सदस्यों ने यह मुद्दा उठाया है कि उद्योगों को रुग्ण न होने दिया जाये और कुप्रबन्ध कर रहे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। वे यह भी चाहते हैं कि इन लोगों के नाम काली सूची में लिखे जाएं और इन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। संसद ने एक अधिनियम पारित किया है। इस सारे विषय पर सभा में चर्चा की जा चुकी है संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत औद्योगिक एवम पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की जायेगी यह बोर्ड शीघ्र ही स्थापित किया जायेगा और जो लोग कुप्रबन्ध कर रहे हैं तथा देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और सरकारी निधियों को अपने उद्देश्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उनका पता लगाया जायेगा।

श्री सी० माधव रेड्डी : बोर्ड पहले ही स्थापित हो चुका है। (व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैं उस विषय पर भी आऊंगा। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए सभी मुद्दों का मुझे उत्तर देना है। जब सदस्य अपनी बात कह रहे थे तब मंत्री ने हस्तक्षेप नहीं किया था। मेरे लिये कम से कम इतना शिष्टाचार तो अवश्य दिखाया जाना चाहिए जितने का मैं हकदार हूं। हम उन लोगों का पता लगा रहे हैं जिन्होंने पैसे का दुरुपयोग किया है और देश के हितों को नुकसान पहुंचाया है। पता लगाने के बाद उन्हें किसी भी वित्तीय संस्था और बैंक से सहायता नहीं दी जायेगी। ऐसे व्यक्तियों के नाम दस वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिये जायेंगे। यह प्रावधान किया गया है।

हम इसे लागू करने जा रहे हैं।

इस तरफ के सदस्यों ने यह कहा है कि प्रबन्ध बोर्ड में जो व्यक्ति होंगे वे प्रभावशाली, निष्ठावान और ईमानदारी तथा इन सिद्धान्तों व आदर्शों के प्रति समर्पित होने चाहिएं। दोनों तरफ के सदस्यों से यह शिकायत आई है कि बोर्ड में जो व्यक्ति हैं वे प्रभावशाली नहीं हैं। हमें ऐसे लोगों का पता लगाना है। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है और उनका पता लगाया जा रहा है। माननीय सदस्यों के सुझावों के अनुसार हमें शीघ्र ही कुशल व्यक्ति मिलने वाले हैं। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्यों को संभवतः यह अच्छा न लगे लेकिन हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं। उसके लिए कुछ समय लिया गया है। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि हमें देर नहीं करनी चाहिए। इस उद्देश्य से हम इस सम्बन्ध में ठोस कार्यवाही करने जा रहे हैं।

अब मैं अपने माननीय मित्र श्री माधव रेड्डी द्वारा उठाये गये दूसरे मुद्दे पर आता हूं। श्री के० एस० राव ने यह मुद्दा उठाया है। उन्होंने पूछा है कि क्या यह आई० एफ० सी० लीजिंग का काम भी करने जा रहो है और क्या यह दूसरी निजी संस्थाओं का भी वित्त पोषण करने जा रहा है। माननीय सदस्य श्री माधव रेड्डी ने कहा है कि यह धन किसी भी कम्पनी को नहीं दिया जाना चाहिए। जहां तक श्री के० एस० राव द्वारा उठाये गये मुद्दे का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि आई० एफ० सी० आई० लीजिंग का काम नहीं करेगो और यह कार्य केवल उससे सम्बन्धित संस्थाएं ही करेंगी। औद्योगिक वित्त निगम उन्हें वित्तीय सहायता देगा। हमारे मित्र श्री माधव रेड्डी ने एक मुद्दा उठाया है। यहां मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि लीजिंग कम्पनियों को इस प्रकार की सहायता देने से उन इकाइयों को मशीनरी व दूसरे उपकरण मिल जाएंगे जो इन्हें खरीदने की स्थिति में नहीं होती। इस तरह से वे आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर सकती हैं। वे लीजिंग सहायता से भी अपना काम शुरू कर सकती हैं। यह कदम औद्योगिक विकास के उद्देश्य से उठाया गया है इन इकाइयों की सहायता के लिए औद्योगिक वित्त निगम इनको आर्थिक सहायता देगा।

3.51 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

माननीय सदस्य, श्री माधव रेड्डी ने एक अन्य मुद्दा उठाया है कि 100 करोड़ रुपये की प्राधिकृत पूंजी की तुलना में केवल 35 करोड़ चुकता पूंजी है। यहां मुद्दा यह है कि चुकता पूंजी 45 करोड़ है न कि 35 करोड़ रुपये जैसा माननीय सदस्य ने कहा है। 50 करोड़ चुकता पूंजी का अंशदान करना है जबकि हम 45 करोड़ प्राप्त कर चुके हैं। कुछ महीनों में, हमें शेष पांच करोड़ भी प्राप्त हो जाएंगे। मुद्दा यह है कि चुकता पूंजी 100 करोड़ रुपये होनी चाहिए। दो-तीन वर्षों में एक बार हम 20 करोड़ या 30 करोड़ प्राप्त करके इसको पूरा करेंगे। भविष्य के लिए हमने इसे 100 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ किया है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस चुकता पूंजी को 500 करोड़ तक बढ़ाने के लिए कहा है। हमने इस सुझाव को नोट कर लिया है। माननीय डा० कलानिधि और श्री वी० एस० कृष्णा अय्यर ने भी यही बात कही है और हमने इसे नोट कर लिया है। जहां कहीं

[श्री जनार्दन पुजारी]

यह आवश्यक होगा हम अवश्य ही इसे संसद के समक्ष लायेंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री कृष्ण अय्यर द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है कि हमें वैयक्तिक डाक्टरों को पर सहायता नहीं देनी चाहिए और यह डाक्टर कुप्रबन्ध करेंगे और यह राशि हड़प लेंगे या कुछ इसी प्रकार करेंगे। श्री कृष्ण अय्यर की जानकारी के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सहायता केवल सहकारी क्षेत्र और निजी संस्थाओं को दी जाएगी और किसी दूसरे क्षेत्रों को नहीं।

डा० ए० कलानिधि : यह बात कुछ व्यक्तियों के लिए सही हो सकती है और सभी वैयक्तिक डाक्टरों के लिए नहीं।

श्री जनार्दन पुजारी : हमने श्री अय्यर के मुद्दे को नोट कर लिया है और निजी लिमिटिड कम्पनी में या सहकारी क्षेत्र में जो डाक्टर हैं, उनको ही सहायता दी जायेगी। केवल इस क्षेत्र को धन दिया जायेगा।

अन्य मुद्दा श्री माधव रेड्डी द्वारा उठाया गया है कि सरकार सारी चुकता पूंजी को अंशदान पूंजी क्यों नहीं कर सकती। आई० डी० बी० आई० की चुकता पूंजी का वह हिस्सा कुल पूंजी का 50 प्रतिशत है। और उसका खुलासा इस प्रकार है, कुल चुकता पूंजी का 22% एल० आई० सी०, जी० आई० सी० और यू० टी० आई० द्वारा लिया जाता है; 20% राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लिया जाता है और बाकी की 8% सहकारी संस्थाओं द्वारा ली गई है। यह खुलासा है। जहां तक वित्तीय संस्थाओं और सहकारी क्षेत्र की भूमिका का सम्बन्ध है। वह बहुत ही स्पष्ट है और इसलिए मैं आशा करता हूं कि श्री सी० माधव रेड्डी इस उत्तर से संतुष्ट होंगे।

मैं जानता हूं कि माधव रेड्डी के पीछे बैठे हुए माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होंगे लेकिन मैं सदन को बता सकता हूं कि वह मेरे कक्ष में आये और कहें मैं संतुष्ट हूं और पहले से ही संतुष्ट हूं। यह उत्तर है, मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्य और सदन की संतुष्टी दो अलग-अलग बातें हैं।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने यह मजाक में कहा है और प्यार के साथ मैंने माननीय युवा सदस्य का उल्लेख किया है किसी दुर्भावना से नहीं।

अध्यक्ष महोदय : पुजारी जी आप अपना भाषण बाद में जारी रख सकते हैं। अब आपको समाप्त करना है। मैं आपको अगली बार अनुमति दूंगा। आप अपना भाषण जारी रख सकते हैं। आप इस पर कल बोल सकते हैं।

———

3.56 म० प०

पूर्व रेलवे के गोमोह स्टेशन पर 28 अप गोरखपुर-हटिया एक्सप्रेस तथा एक मालगाड़ी के बीच हुई टक्कर के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

परिवहन मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : श्रीमन्, मुझे सदन को बड़े ही दुःख के साथ आज सुबह 5.23 बजे पूर्व रेलवे के गोमोह जंक्शन पर 28 अप गोरखपुर-हटिया मौर्य एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच हुई दुर्भाग्यपूर्ण टक्कर के बारे में सूचित करना पड़ रहा है। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार इस टक्कर के परिणामस्वरूप 9 यात्रियों की मृत्यु हो गई है और 19 को चोटें आई हैं। घायलों में से 16 को धनबाद के रेलवे अस्पताल में ले जाया गया तथा 3 यात्रियों को उपचार के बाद अपनी यात्रा पुन: आरम्भ करने की अनुमति दे दी गई थी। प्रथम दृष्ट्या, यह टक्कर मालगाड़ी के ड्राइवर द्वारा स्टाप सिगनलों का अतिलंघन करने के कारण होने की रिपोर्ट मिली है। ड्राइवर को तत्काल निलंबित कर दिया गया है।

चिकित्सा राहत गाड़ी तत्काल उपलब्ध करा दी गई थी तथा गोमोह से रेलवे डाक्टर घटना-स्थल के लिए तत्काल रवाना हो गये तथा घायलों की चिकित्सा की। इसके अलावा धनबाद से एक चिकित्सा दल भी सड़क द्वारा रवाना हो गया था।

धनबाद से मंडल अधिकारी तथा कलकत्ता से महाप्रबन्धक, पूर्व रेलवे वरिष्ठ अधिकारियों तथा रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र के साथ घटना-स्थल के लिए तत्काल रवाना हो गए हैं।

मृतक के निकट संबंधियों तथा घायलों को अनुग्रहराशि का भुगतान करने की व्यवस्था की जा रही है। 28 अप एक्सप्रेस के विपदाग्रस्त यात्रियों के परिवहन के लिए आवश्यक प्रबन्ध किये जा रहे हैं।

इस दुर्घटना की जांच रेल संरक्षा आयुक्त, पूर्वी क्षेत्र द्वारा की जायेगी। जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाये जाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

हमें यात्रियों की मृत्यु पर बहुत खेद है।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सूचना है कि लोक सभा के एक संसद सदस्य श्री राम बहादुर के परिवार के चार सदस्यों की मृत्यु जिसमें उनका भाई, उनकी पत्नी व दो बच्चे हैं। इसी दुर्घटना में हुई है।

3.58 म०प०

राष्ट्रमण्डल खेलों के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एडुआर्डो फेलीरो) : इसमें संदेह नहीं कि एडिनबर्ग में 24 जुलाई से शुरू होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को लेकर इधर जो घटनाएं घटी हैं उन पर माननीय सदस्यों ने अवश्य ही ध्यान दिया होगा।

सरकार अग्ररेखी राज्यों की सरकारों के साथ निकट सम्पर्क में रही है। स्वयं प्रधान मंत्री ने कुछ अग्ररेखी राज्यों के नेताओं से सम्पर्क कायम किया, इस कोशिश में कि कोई ऐसा तरीका निकल आए कि ये खेल न गड़बड़ायें। सरकार की कोशिश यह थी कि ऐसे तरीके खोजे जाएं कि हमारे खिलाड़ी किसी तरह इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकें। लेकिन दुर्भाग्य से ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे बयान दिए हैं कि जिनसे हमारे मन में इस बात का कोई संदेह नहीं रह गया है कि दक्षिण अफ्रीका में जातीय पृथग्वासन को समाप्त करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं होती तो वे कम से कम उन उपायों पर अवश्य अमल करेंगे जिन पर नसाऊ में सभी राष्ट्रमंडल देशों के बीच सहमति हुई थी।

ऐसी परिस्थिति में सरकार को बहुत खेद के साथ यह निर्णय लेना पड़ा कि हम इन खेलों में हिस्सा नहीं लेंगे। हमारा यह निर्णय दक्षिण अफ्रीका के दलित लोगों के प्रति तथा अग्ररेखी राज्यों के प्रति हमारी एकजुटता की अभिव्यक्ति है। हमें अभी भी यह उम्मीद है कि राष्ट्रमंडल की ओर से दक्षिण अफ्रीका में जातीय पृथग्वासन की नीति को समाप्त करवाने के लिए आर्थिक प्रतिबन्धों की दिशा में आवश्यक उपाय शीघ्र किए जाएंगे।

कई सदस्य खड़े हुए—

(व्यवधान)

4.00 म० प०

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : इस सदन को निर्भीक निर्णय लेने के लिए सरकार को बधाई देनी चाहिए तथा सरकार के साथ हमारी एकता तथा अफ्रीकन लोगों के हित के लिए हमारी प्रतिबद्धता व्यक्त करनी चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बहिष्कार करने वाले राष्ट्रों के साथ नई दिल्ली में रंगभेद विरोधी खेलों के आयोजन की सम्भावना का पता लगायें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हां, सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अगर सारे हाउस का यही विचार है तो बढ़िया और उत्तम विचार है। हम यूनेनिमसली इस बात को एप्रूव करते है और एलाउड करते हैं।

[अनुवाद]

अनेक सदस्य : जी हां, जी हां।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपने सूचना दी और हमने उसे स्वीकार कर लिया और पारित कर दिया।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : एक स्वर से।

4.01 म० प०

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में चर्चा

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अभी बड़ी भयानक दुर्घटना का समाचार मंत्री महोदया ने और प्रोफेसर साहब ने हमारे एक मेम्बर श्री राम बहादुर की फैमिली और उनके रिश्तेदारों के निधन की बात कही। यह जानकर बहुत दुख हुआ। हम सब उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हैं।

आज जिस समस्या के प्रति हम सब विचार करने जा रहे हैं, उसके ऊपर बहुत पहले बात कर चुके हैं, बहुत दफा बहस भी कर चुके हैं और आज फिर बहस करने की आवश्यकता पड़ रही है। मैं सिर्फ दो शब्द इसलिए कह रहा हूं कि दिल में एक दर्द उठता है, पीड़ा होती है। वह पीड़ा इतनी असह्य है कि जब-जब ऐसा होता है तो आत्मा तड़पती है। शायद हर सोचने वाले इन्सान की आत्मा तड़पती है। वह सोचता है कि यह अनर्थ क्यों और कैसे हो रहा है? भाई-भाई का गला काटने को क्यों तैयार है?

सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने सन् 1947 में इस बीमारी की बहुत बड़ी कीमत अदा की है। शायद इस संसार में वह किसी ने नहीं भुगती जो कि हमने भुगती है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से इसको देखा है। शायद आप लोगों में से किसी ने देखा हो, लेकिन शायद आप दूर थे, इस कारण अपनी आंखों से न देखा हो। मैं अभाग्यवश बिल्कुल उस सरहद के पास किनारे पर बैठा हुआ था जहां पर यह सब कुछ हो रहा था और इस विभीषिका का नंगा नाच हो रहा था। मैंने बहुत कुछ

देखा है जिसकी वजह से मेरी आत्मा तड़पती है। मेरे ख्याल से इससे गुजरात और अन्य कई प्रदेश पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन मेरा प्रदेश जिसने यह पीड़ा सही है, वह आज फिर उस पीड़ा में तड़प रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस बारे में सोच-समझकर कोई ठोस कार्य करना होगा। कुछ अन्तराल में उतर कर और कुछ मन में उतर कर इस बारे में सोचना होगा। गहराई से इस बात पर सोचना होगा कि हम केवल अपने लिए ही नहीं सोच रहे हैं, बल्कि एक देश के लिए सोच रहे हैं, भावी संतान के लिए सोच रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सोच रहे हैं।

38 वर्ष में भी हम इस पाप का गला नहीं काट पाये हैं। आज यह हमारा गला काट रहा है। ऐसा किस कारण से और क्यों हो रहा है। इस बात को आप सब सोचिए। इसको कोई अकेला नहीं सोच पायेगा, न यह सोच पायेंगे और न ही कोई और सोच पायेगा। यह सबकी इकट्ठी समस्या है, सबकी सांझी समस्या है और उस सांझी समस्या का सांझा हल ही इस समस्या को तय कर सकता है। आप सब मिलकर ही इसका उन्मूलन कर सकते हैं और इसको जड़ से नष्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको सोचना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं ?

यह सवाल किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, किसी मतभेद का सवाल नहीं है, यह देश का और आपकी अपनी जात का सवाल है कि आप क्या करना चाहते हैं ?

आज धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, मनुष्यता के नाम पर राक्षस पनप रहा है। इसको आप कैसे काटेंगे यह देखना होगा। इसी कम्युनलिज्म ने देश का बंटवारा करवाया जिससे लाखों की जानें गईं। उस वक्त हमें इस बारे में सोचना चाहिए था। आज से पहले बहुत बड़े-बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े-बड़े देशभक्त थे जिन्होंने देश का निर्माण किया। लेकिन वह शायद देख नहीं पाये कि ऐसा हम कर सकते हैं। उन्होंने इसका उन्मूलन नहीं किया और इसको उखाड़ा नहीं। आज आप सब बैठे हैं, आप इसके ऊपर सोचिये। अगर आज भी सोच लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब तक राजनीति का इस धर्म के साथ जोड़ नहीं काटेंगे, इसे उससे अलाहिदा नहीं करेंगे तब तक कोई आपको बचा नहीं पायेगा। हम प्रजातंत्र हैं और प्रजातंत्र में बड़ी खूबियां हैं। लेकिन सबसे बड़ी एक कमजोरी भी है कि हम वोट के लिए पता नहीं क्या कुछ करते रहे हैं। अगर आप सब मिल जाएंगे जो वोट का भय नहीं रहेगा। सब मिल कर के करेंगे तो वोट का यह जिन्न आपके दिमाग पर सवार नहीं रहेगा और आप इस जिन्न को बचा पाएंगे, इसका गला काट पाएंगे। इसलिए उठो और देश के लिए सोचो। यह मत सोचो कि मेरी यह पार्टी है, मेरी वह पार्टी है। इसमें सब एक हो करके, कान्सेन्सस बना करके एक जगह बैठकर, भाईचारे से नाश कर दो इसका, वरना यह नहीं हो सकेगा। तो धर्म प्रचार रहे धर्म के नाम से, जीने के लिए और दूसरों को जिन्दा रखने के लिए। सिर्फ यह बात न सोचें कि हम जिन्दा रहें। सब जिन्दा रहेंगे तो हम जिन्दा रहेंगे। यह मेरा देश है। इस देश में आप हों, हम हों, कोई भी हो, एक भारतीय के नाते से आपका अधिकार है। हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई के नाते से नहीं, एक भारतीय होने के नाते से, अपना दावा जताइए और उसका उपयोग कीजिए। इस पर अपना प्रभुत्व रखिए। इस बात के लिए मैं कहना चाहता हूं कि धर्म स्थान धर्म के लिए छोड़ो, चाहे बाहर हो चाहे भीतर हो, उसको अलाहिदा कर दो। आप भी राजी रहेंगे, देश भी राजी रहेगा। आइन्दा यह गड़बड़ नहीं होगी। ऐसा सख्त कानून बनाओ कि धर्म के नाम पर जो नीच काम करता है उसको कड़ी से कड़ी

सजा दे दो ताकि दोबारा वह बदमाश उठ नहीं सके। हमेशा के लिए साफ कर दिया जाय इस मैदान को।

इतना कहने के पश्चात् मैं सिर्फ एक अपील करना चाहता हूं कि आप ऐसा कान्सेन्सस बना करके, ऐसी सद्भावना के एक प्रतीक बन कर के काम करें जिसमें सरकार भी और आप भी मजबूर हो जायं कि हम सब इकट्ठे हो कर के इस राक्षस को खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, देश की साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा आरम्भ करते हुए मेरे मस्तिष्क में वे उपयोगी मार्ग निर्देशक हैं जिनके दायरे में इस सदन के सदस्यों को सदन में चर्चा करनी है। श्रीमान् मैं आपके सुझाव का स्वागत करता हूं।

आपने 1947 की भयानक दुर्घटना का स्मरण कराया जब देश को अपूर्व हिंसा का सामना करना पड़ा था। चूंकि आपने 1947 की याद दिलाई। मैं श्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा देश विभाजन के समय कहे गये हृदयस्पर्शी शब्दों की याद दिलाता हूं, स्वतन्त्रता के बाद जब उन्होंने देश के विभिन्न भागों में दंगे देखे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा था :

[हिन्दी]

अफसोस तो इस बात का है कि पहले मुल्क का बंटवारा हुआ और बाद में दिल का बंटवारा हुआ।

[अनुवाद]

श्रीमान् जी हम साम्प्रदायिक समस्या के प्रश्न पर ऐसी प्रणालियां और नीतियां विकसित करना चाहते हैं, जिससे हम इस देश के तथा विश्व के तमाम लोगों को आश्वस्त कर सके कि यद्यपि भारत विभक्त है लेकिन भारत का मस्तिष्क विभक्त नहीं होगा तथा हमेशा की तरह अविभक्त रहेगा। इस प्रकार सबको सोचना चाहिए तथा इस परिप्रेक्ष्य में देश की साम्प्रदायिक स्थिति का विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा। चर्चा का विषय बहुत अधिक संवेदनात्मक तथा विस्फोटात्मक है। हमें इस सदन में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए जो समस्या का निदान ढूंढने के स्थान पर अहमदाबाद जैसे स्थानों में सुलगती आग को पुन: प्रज्जवलित कर दे, हमें बीमारी का उपचार खोजना होगा। श्रीमान जी, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि मैं ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हूंगा। सदन में व्यक्त किये गये उद्गार बाहर साम्प्रदायिक स्थिति को बदतर कर देंगे इसलिए हमें विचारों को अभिव्यक्त करते समय पूरी तरह से संयम बरतना होगा। इस चीज को दिमाग में रखकर मैं समस्या का विश्लेषण करने का प्रयास करूंगा।

श्रीमान्, सर्वप्रथम मैं आपके माध्यम से इस सदन से अपील करूंगा कि हमें साम्प्रदायिक उपद्रव

[प्रो० मधु दंडवते]

की बीमारी और इसके लक्षणों के बीच अंतर स्थापित करना होगा। अक्सर हम समस्या के लक्षण तो जान लेते हैं तथा उन लक्षणों का हल्के-फुल्के रूप में निदान करने की कोशिश करते हैं। परिणामस्वरूप लक्षण मिटाने में कुछ समय लगता है, यह केवल प्रभावित बीमारी को छुपाती है और फिर किन्हीं अन्य अवसरों पर यह प्रज्ज्वलित हो उठती है। इसलिए पूर्ण सहमति पर पहुंचते समय जिसे हम उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें देखना होगा कि बीमारी के लक्षण पहचानने में हम भ्रान्ति में न रहें।

मुझे प्रायः उन सभी जगहों पर जाने का मौका मिला जहां पर इस प्रकार के उपद्रव हुए, चाहे यह अहमदाबाद हो। जहां मैं कल अपने संसद के साथियों के साथ गया था चाहे वे मेरठ, मुरादाबाद, बिहार शरीफ, अलीगढ़, इलाहाबाद, भिवन्डी तथा अन्य कोई स्थान हों। जहां भी इस प्रकार की विभीषिका हुई, हर बार वहां जाने का मैंने बीमारी का पता लगाने तथा उसके निदान को खोजने का हर सम्भव प्रयास किया।

बीमारी की तह में जाना आवश्यक है। मैं संक्षेप में साम्प्रदायिक समस्या के उन पहलुओं का विवरण देने की कोशिश करूंगा जिनको सभी सम्भव उपायों द्वारा निपटाने की आवश्यकता है।

एक महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा है। द्वितीय, धर्म निरपेक्षता की भावना से संबद्ध धार्मिक व्यवहार की स्वतन्त्रता है। आपने जो कुछ कहा, मैं नहीं समझता कि यह सदन उसके प्रति धर्म विरोधी रुख अपनायेगा क्योंकि धर्म एक संस्था है जो बहुत से लोगों को शान्ति प्रदान करती है। हमारा धर्म निरपेक्षवाद अधर्मवाद नहीं है बल्कि हमारे धर्म-निरपेक्षवाद का मतलब विभिन्न धर्मों के बीच शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व है। यह धर्म निरपेक्षवाद की अवधारणा है जिसे महात्मा गांधी तथा पंडित नेहरू जैसे लोगों ने इस देश को दी। यह इसी परिप्रेक्ष्य में है जिसका हमें पता लगाना होगा।

देश में धार्मिक अनुकरणों में विभिन्नता है तथा देश के संविधान में वर्णित मूल अधिकारों में धर्म को अंगीकार करने तथा अनुकरण करने की स्वतन्त्रता है। इसलिए, इस पर प्रतिबन्ध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म हमारे मार्ग में बाधक नहीं बन रहा है। मैं नहीं समझता कि धर्म दंगों का आधार है, तथाकथित धर्म से पथभ्रष्टता ही हमारे मार्ग में बाधक बन रही है। इसलिए हमें इस पथभ्रष्टता को धर्म के आधारभूत मूल्य समझने की कोशिश नहीं करनी होगी। इसे भी दिमाग में रखना पड़ेगा।

साम्प्रदायिक समस्या के कुछ आर्थिक कारणों का भी विश्लेषण करना पड़ेगा। सांस्कृतिक अस्तित्व की बात आती है। भारत के एक महान एवं धार्मिक पुरुष डा० जाकिर हुसैन ने अपने धार्मिक व्यक्तित्व और भारतीयता में कोई संघर्ष नहीं पाया। इन व्यक्तियों के बीच सह-अस्तित्व का पता लगाने की सीमाओं के अन्तर्गत हमें मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सांस्कृतिक समरूपता बनाये रखनी है। इसे भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

कुछ सामाजिक पहलू हैं तथा अंत में साम्प्रदायिक समस्या के राजनीतिक तथा प्रशासनिक

पहलू है। उन्हें प्रभावकारी ढंग से हल करना है। पहले में कानून और व्यवस्था को उठाऊंगा। यह आधारभूत कानूनी व्यवस्था और प्रशासनिक समस्या से जुड़े कई मानवीय कारक हैं। सरकार का दृष्टिकोण मैं एक सरकार और दूसरी सरकारों के बीच अन्तर नहीं कर रहा हूं, दंगों के प्रति देश में इस प्रकार का रहा है। अग्निशामक वाहन तभी दौड़ता है जब आग लग चुकी होती है। यह आग बुझाती है और उस स्थान को वापस चली जाती है जहां इस वाहन के प्रचालक अपनी वर्दियां उतारकर ताश खेलने में जुट जाते हैं। इस प्रकार से अग्नि शमन सेवा कार्य करती है।

निसन्देह, अग्निशमन सेवा एक प्रभावपूर्ण अभिकरण है। लेकिन इसका आदर्श तथा दर्शन यह बन गया है कि जब समस्या पैदा हो तब उसके निदान का प्रयत्न करो और जब कोई अस्थायी हल खोज लिया जाये तो वापस आकर विश्राम करो। साम्प्रदायिक दंगों को खत्म करने का यह तरीका हमेशा के लिए छोड़ना होगा।

दंगों के पूर्व संकेत मिलने के बावजूद पुलिस चुपचाप बैठी रही। बाद में जब अहमदाबाद के संदर्भ में थोड़ा जिक्र करूंगा तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सब कैसे हुआ जबकि इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि रथ-यात्रा के निकलने पर शायद दंगे हों तो कैसे सुरक्षा के पूरे उपाय न करने के कारण स्थिति और भड़क उठी। यह सबसे अच्छी घटना है। यह दूसरा पहलू है।

पुलिस और अर्धसैनिक बलों के पुनर्गठन की आवश्यकता है। महोदय, सौभाग्य से यह एक पहलू है जिस पर पूरी संसद ने राष्ट्रीय एकता परिषद और इसके विभिन्न परामर्शदात्री निकायों के जरिये एक राष्ट्रीय सम्मति बनाई है। मेरठ के दंगों के बाद मैंने ही राष्ट्रीय एकता परिषद में चर्चा के लिए एक प्रस्ताव का प्रारूप बनाया। मैंने यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया था कि मैं सेना में या पुलिस में या अर्धसैनिक बलों में आरक्षण निर्धारित करने के पक्ष में नहीं हूं। वह एक खतरनाक प्रस्ताव होगा और इसके भयानक परिणाम निकलेंगे। परन्तु देश में समस्त साम्प्रदायिक दंगों को मद्देनजर रखते हुए हम राष्ट्रीय एकता परिषद में इस नतीजे पर पहुंचे है कि पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सारे ढांचे का पुनर्गठन किया जाना है ताकि पुलिस और अर्धसैनिक बलों का गठन मोटे तौर पर उस समाज के विभिन्न वर्गों को प्रतिबिम्बित करे जिनके संग हम कार्यरत हैं। इस पर देश के प्रधान मन्त्री से लेकर विपक्ष के नेताओं तक सबकी पूरी सर्वसम्मति थी। अतः मैं गृह मंत्री महोदय से विनती करूंगा कि राष्ट्रीय एकता परिषद और अन्य परामर्शदात्री समितियों में चाहे कुछ भी राष्ट्रीय सम्मति उभरे, राष्ट्रीय एकमत के लागू करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

महोदय, पंजाब की स्थिति, अहमदाबाद की स्थिति, मेरठ की स्थिति, बिहार शरीफ की स्थिति और मुरादाबाद की स्थिति ये सब इस बात की ओर स्पष्ट संकेत देती हैं कि हम ही ऐसे लोग नहीं हैं जो साम्प्रदायिकता के प्रति संवेदनशील हैं क्योंकि खद्दर की वर्दी पहनने से ही साम्प्रदायिकता दूर नहीं हो जाती है। इसी प्रकार यदि मैं पुलिस की या सेना की खाकी वर्दी पहन लूं तो इस तरह हमारे अन्दर से साम्प्रदायिकता पूरी तरह से समाप्त नहीं होगी। आखिर एक आम आदमी भी कतिपय साम्प्रदायिक प्रभावों के प्रति संवेदनशील है तो पुलिस का एक आम सिपाही भी दंगों में व्याप्त साम्प्रदायिक प्रभावों से अछूता नहीं रह सकता है। मैं उस पर थोड़ा देर में आऊंगा और आपको फिर बताऊंगा कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और राज्य पुलिस को उस समय क्या हो गया था जब अहमदाबाद

[प्रो० मधु दंडवते]

के एक विशेष इलाके में एक मुस्लिम परिवार को जिन्दा ही जला दिया गया, ऐसा क्यों हुआ। इसलिए वह पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है।

अब मैं पुलिस बल के द्वारा विशिष्ट व्यक्तियों के आवागमन के नियंत्रण से सम्बन्धित दूसरे विषय पर आता हूं।

महोदय, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे विशिष्ट व्यक्ति गैर कांग्रेस से हो या वे कांग्रेस सरकार से सम्बन्धित हों, सौभाग्य से या दुर्भाग्य से ज्यादातर दल यहां सरकारी पक्ष में या विपक्ष में बैठे हैं और वे आंशिक रूप से सत्ताधारी दल हैं और आंशिक रूप से विपक्षी दल हैं अतः एक दल या दूसरी का प्रश्न नहीं है। परन्तु मैं एक ठोस उदाहरण दूंगा। अहमदाबाद में स्थिति भड़क उठी है। कल मेरी गुजरात राज्य के मुख्य मंत्री महोदय से मुलाकात हुई। गणित के छात्र होने के कारण उनके पास कल की हत्याओं, लूट आदि को दिखाने वाला एक रोचक ग्राफ था। उस ग्राफ में मैंने देखा कि 12 जुलाई एक उच्च चोटी के समान दिखाई दे रहा था जैसे कि हिमालय की चोटी हो फिर यह दोनों तरफ से समान रूप से नीचे आ रहा था। 12 ता० को क्या घटना हुई ? 12 ता० को रथ यात्रा के प्रश्न पर और कई प्रदेशों ने न्यायिक जांच की मांग पर बंद का आह्वान किया गया था। अधिकतम हत्याएं हुईं और इसके लिए किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए अपितु इस तरह की स्थिति को भविष्य में फिर से नहीं होने देना चाहिए, मैं एक और ठोस उदाहरण दूंगा। महोदय, 12 जुलाई को भड़ौच रेलवे स्टेशन पर एक नये रेलवे प्लेटफार्म के उद्घाटन के समय इसी प्रकार की विस्फोटक स्थिति पैदा की गयी। उस समारोह का समय बदला जा सकता था। वास्तव में उन समारोहों में जिनमें हममें से कइयों को गड़बड़ियों के दौरान भाग लेना था स्थगित कर दिए गये। मेरी प्लेटफार्म का उद्घाटन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। उदाहरण के लिए यदि अहमद पटेल ने इसका उद्घाटन किया तो कोई भी इसे हिन्दू साम्प्रदायिक दंगों का नाम नहीं दे सकता है।

श्री अहमद एम० पटेल (भड़ौच) : महोदय, कोई भी उप पुलिस अधिक्षक या जिला दण्डाधिकारी उस समारोह में उपस्थित नहीं था। समारोह दस मिनट में समाप्त हो गया था।

[हिन्दी]

बन्द का मतलब यह नहीं है कि सारे गवर्नमेंट आफिसेज बन्द कर दिये जायें। गवर्नमेंट के सारे प्रोग्राम्स और फंक्शंस बन्द कर दिये जायें।

[अनुवाद]

दस मिनट के अन्दर समारोह समाप्त हो गया। कोई भी उप पुलिस अधिक्षक या जिला दण्डाधिकारी या पुलिस बल वहां मोजूद नहीं थे। हम एकदम से घटनास्थल पर पहुंच गये।

[हिन्दी]

अगर हम वहां नहीं होते तो फायर फाइटर बुलानाब हुत मुश्किल हो जाता।

[अनुवाद]

हमने बड़ौदा से, प्राकृतिक तेल और गैस आयोग और अन्य स्थानों से इनकी व्यवस्था की।

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : क्या माननीय मंत्री महोदय चाहते हैं कि रेलवे भी बन्द के आह्वान का साथ दे ?

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं। नहीं। यदि आप इसे इस अर्थ में लेते हैं कि समारोह का उद्घाटन करना और रेल गाड़ियां चलाना दो भिन्न मामले हैं। सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश मैं भी एक बार रेल मंत्री रह चुका हूं। मैं जानता हूं कि जब कभी सार्वजनिक होहल्ला होता था तो वे कड़े आदेश देते थे। जहां तक औपचारिकताओं और रस्मी समारोहों का सम्बन्ध है उन्हें उसकी चिन्ता करनी चाहिए और हमारी सारी सुरक्षा बल उस क्षेत्र में जहां कुछ होहल्ला होता है लगा दी जानी चाहिए। इस सवाल पर मेरी गुजरात के मुख्य मंत्री महोदय से भी बात हुई है। मैं उनके साथ विश्वासघात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस बारे में मैंने प्रैस में भी उनके साथ बात करने के बाद ही बोला है। महोदय, उस समय जब यह समारोह चल रहा था, तथा इसमें शक नहीं है कि यह ज्यादा देर तक नहीं चला, परन्तु यह वास्तविकता है कि जब ध्यान किसी रस्मी समारोह की ओर मोड़ दिया गया तो उस समय कुछ असमाजिक तत्वों ने लूट मार शुरू कर दी और शहर में घर जलाने शुरू कर दिये उस समय निसंदेह उन्होंने कानून और व्यवस्था के रखवालों के लिए कठिनाई पैदा कर दी।

महोदय, मेरी पुलिस आयुक्त से बात हुई है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूं और मेरी मुख्य मंत्री महोदय से भी बात हुई है और उन्होंने माना है कि इस प्रकार की स्थति से बचना चाहिए। मैं यह केवल दोष निकालने के लिए नहीं कह रहा हूं। परन्तु इस प्रकार की विस्फोटक स्थिति में भी एक रस्मी समारोह किया जाना, मैं नहीं कहता कि बन्द के दौरान रेल विभाग बन्द किया जाये, कार्यालय बन्द कर दिये जायें। इसके विपरीत मेरी धारणा है कि कार्यालयों को समर्थ बनाया जाये रिजर्व पुलिस बलों का और विस्तार किया जाये, रेल मशीनरी को सुदृढ़ बनाया जाये, और उनसे असमाजिक तत्वों द्वारा रेल सम्पत्ति और शहर की सम्पत्ति पर हमले के प्रति अधिक सजग रहने के लिए कहा जाये। इसलिए, मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा हूं चाहे वे बन्द का समर्थन करे या नहीं। परन्तु जहां तक रस्मी समारोह और बन्द का सम्बन्ध है य पूरी तरह से एक दूसरे से भिन्न हैं। इसलिए इस प्रकार की कुछ स्थितियां जब कभी पैदा हो जाती हैं ता उससे बचना चाहिए।

महोदय, असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार करना एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह अत्याधिक महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं तथ्यों सहित बोलूंगा और पुनः यह पक्षपात के रूप में नहीं होगा। मैं एक बहुत अच्छे उदाहरण का दृष्टांत दूंगा जो कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान घटी वह घटना भी बम्बई प्रजिडेन्सी में आयी कांग्रेस की पहली लोकप्रिय सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई। उस बम्बई सरकार

[प्रो० मधु दंडवते]

में प्रो० रंगा को याद होगा डा० के० एम० मुन्शी गृह मन्त्री थे। लोकप्रिय कांग्रेस मंत्रालय से पहले ब्रिटिश शासन में बम्बई शहर में जब कभी साम्प्रदायिक दंगे होते थे तो वे सप्ताहों तक, कभी-कभी महीनों तक चलते थे और सरकार कहा करती थी "क्या किया जाये, असमाजिक तत्व स्थिति पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं।" जब श्री खेर की मंत्री परिषद में डा० के० एम० मुन्शी को गृह मंत्रालय का कार्य भार सौंपा गया तो बम्बई में दंगे शुरू हो गये। डा० के० एम० मुन्शी ने उस सुबह ब्रिटिश पुलिस आयुक्त को पुलिस मुख्यालय में बुलाया और कहा, "आयुक्त महोदय, मुझे 12 घंटों के अन्दर इस संवेदनशील क्षेत्र के असमाजिक तत्वों के नामों की सूची चाहिए। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वे हिन्दू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं।" उस अंग्रेज ने कहा था, "मैं 12 घंटों के दौरान नामों की सूची कैसे दे सकता हूं ?" इस पर हंसते हुए डा० मुन्शी ने कहा, "यदि आयुक्त सूची प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं है तो फिर आप कल से बम्बई के पुलिस आयुक्त न रहेंगे।" महोदय, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दोपहर तक सूची मिल गयी और सांयकाल तक असमाजिक तत्व गिरफ्तार कर लिए गये। अब लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपने सम्पादकीय में लिखा है कि लोक-प्रिय कांग्रेस के श्री मुन्शी ने साम्प्रदायिक दंगों को रोकने का रास्ता दिखाया। समस्याओं को सुलझाने का यही तरीका है। मुझे यह मत बताइये कि कौन हिन्दू हैं और कौन मुसलमान हैं और इसी संदर्भ में कि कौन असमाजिक तत्व हैं तथा किसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए ? यह हो सकता है कि इससे आपका तात्पर्य नागरिक स्वतन्त्रता पर पूरी तरह से पर्दा डालना हो परन्तु यह सुनिश्चित करने के लिए कि समस्त जनसंख्या की नागरिक स्वतन्त्रता बनी रहे, कभी कभी असमाजिक तत्वों की नागरिक स्वतन्त्रता, उन्हें गिरफ्तार करके छीन ली जाती है। जैसे ही यह किया जाता है, एक दिन के अन्दर साम्प्रदायिक दंगे तथा सभी कुछ पूर्णतः रोका जा सकता है।

अतः मैं सुझाव दूंगा कि जब कभी इस प्रकार के संकेत मिलें कि साम्प्रदायिक दंगों की संभावना है तो मैं समझता हूं कि शिक्षित लोग, वे सभी जो श्रमिक संघों से सम्बन्धित हैं जो अच्छे कार्य के लिए समर्पित हैं कभी भी इस तरह की गुण्डागर्दी में भाग नहीं लेंगे क्योंकि व्यवहारिक रूप में, श्रमिक संघों का, किसान संगठनों का तथा राजनैतिक दलों की अपनी विचारधारा होती है और यह केवल असमाजिक तत्व ही होते हैं जिन्हें माध्यम के बतौर प्रयोग किया जाता है। अतः, यदि वे गिरफ्तार किए जायें तो आप स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं और यह हमेशा शुरू में ही कर लिया जाना चाहिए।

उसके बाद न्यायिक जांच होती है। कभी-कभी न्यायिक जांच के मामले आते हैं और पुनः यहां मैं अहमदाबाद का एक मामला लूंगा। मुख्य मन्त्री ने कहा है कि दो धारणायें हो सकती हैं, परन्तु इसका बाद में ही पता चल सकेगा।

12 ता० को बन्द का आह्वान किया गया। हम इससे पूरी तरह असहमत थे। कांग्रेस सहित सभी राजनैतिक दलों ने लोगों से बन्द में भाग न लेने का अनुरोध किया क्योंकि इससे और कठिनाइयां उत्पन्न होती थी। इसके बावजूद बन्द हुआ। मैंने गुजरात के मुख्य मन्त्री महोदय से कल बात की

और मैंने उन्हें कहा कि व्यवहारिक रूप से उन्होंने कोई एक विशेष तरीका अपनाया होता। इन घटनाओं की न्यायिक जांच की मांग की गयी और यह सब न्यायिक जांच के द्वारा ही पता लगेगा कि क्या हिन्दुओं के साथ अन्याय किया गया या मुसलमानों के साथ। जो घर और दुकानें लूटी गयीं उनका पता चलेगा और यदि इसके पीछे किसी संगठन का हाथ है तो वह भी सामने आएगा। इस प्रकार के विध्वंस के बाद न्यायिक जांच का बैठाया जाना मेरे लिए कतई आपत्तिजनक नहीं था और अन्ततः मुख्य मन्त्री ने केवल अगले दिन न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार किया।

12 ता० को बन्द था। हिंसा पर पुरस्कार देने के बजाय और मांगों को स्वीकार करने के बजाय यदि 12 ता० के बन्द के पिछले रोज ही न्यायिक जांच की घोषणा कर दी जाती तो शायद बन्द की हवा का रुख बदला जा सकता था और स्थिति कुछ और ही होती। मुख्य मन्त्री महोदय ने स्वयं ही हमें बताया कि हत्या और लूट-पाट का ग्राफ 12 ता० के दिन अचानक बढ़ गया, अतः कभी-कभी सही रुख अपनाने पड़ते हैं। आप बाद में शायद गलत साबित हों परन्तु पर्याप्त सावधानी के तौर पर इस प्रकार के रुख अपनाये जाने चाहिए थे और वे ही नहीं अपनाये गये।

मेरे पास संवेदनशील क्षेत्रों में सम्पत्ति के बिक्री के बारे में एक ठोस सुझाव है।

मैं कई मुसलमानों से मिला हूं, हिन्दुओं से मिला हूं, बुद्धिजीवियों और अखबार वालों से मिला हूं, कांग्रेस दल के सदस्यों से मिला हूं और साथ ही कुछ मन्त्रियों से मिला हूं। उन्होंने कहा है कि अहमदाबाद के संवेदनशील क्षेत्रों के दंगे वास्तव में सम्पत्ति के बेचने से बढ़े हैं क्योंकि यही वास्तव में समस्या का मूल कारण बना तथा राजनीति को इससे जोड़ा गया। मैं समझता हूं कि अहमदाबाद में अधिकांशतः यह सर्वमत है कि उन संवेदनशील इलाकों में जिनमें विस्फोटक स्थिति हो गयी थी सम्पत्ति प्रमुख मुद्दा बनी और इसीलिए इन संवेदनशील क्षेत्रों में सम्पत्ति का बेचना रोका जाना चाहिए।

देश के एक कोने से दूसरे कोने में लगभग सभी साम्प्रदायिक गड़बड़ियों में समस्या के कतिपय आर्थिक कारण होते हैं।

एक बार जब बादशाह खान भारत में आए तो उस समय अहमदाबाद भी जल रहा था। खान अब्दुल गफ्फार खान ने एक सभा में, जिसमें मैं भी उपस्थित था, कहा था —

[हिन्दी]

"अमीर लोग अपने महलों में बैठते हैं। रास्ते पर गरीब हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे का कत्ल करते हैं। महलों में बैठकर अमीर मुसलमान और अमीर हिन्दू कहते हैं कि कैसे पागल हिन्दू और मुसलमान यहाँ पर हैं कि एक दूसरे को काटते हैं लेकिन हमें तो कोई तकलीफ नहीं, हम आसानी से महलों में रह सकते हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने [illegible] कि इन साम्प्रदायिक दंगों [illegible] पर

[प्रो० मधु दंडवते]

कभी असर नहीं पड़ता। यदि आप यह देखें कि इन दंगों में कौन व्यक्ति मारे जाते हैं तो आप क्या पायेंगे ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लड़ाने वाले तो कभी नहीं मरते।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान जी आप ठीक कहते हैं। आप यह पायेंगे कि गरीब हिन्दू और गरीब मुसलमान गलियों में मारे जाते हैं। इसीलिए इसको पीछे अवश्य ही कुछ होना चाहिए। इसके पीछे कुछ आर्थिक कारण होने चाहिए। अमीर लोग सन्तोष जाहिर करते हैं कि गरीब लोग मारे गए हैं मैं आपको एक ठोस उदाहरण दूगां कि कैसे इन दंगों से गरीब व्यक्ति प्रभावित होते हैं। उदाहरणतया, बम्बई के निकट भिवन्डी में दंगों की समस्या है जहां कि मैं रहता हूं। मैंने उस स्थान का दौरा किया। वहां एक जगह बहुत सी गरीब व्यक्तियों की झोपड़ियां थीं। कुछ व्यक्ति जमीन में दिलचस्पी रखते थे और अपने लोगों के द्वारा उन्होंने पूरी झोपड़ी कालोनी को जला दिया और यह आधी रात को किया गया। वृद्ध व्यक्ति, औरतें और बच्चे सहायता के लिए चिल्ला रहे थे परन्तु वहां कोई नहीं आया और वे आग के अंगारों में जलकर मर गए। और जब वे मर गए तो सरकार ने सही कदम उठाया। उसने उसी स्थान पर मारे गए व्यक्तियों के रिश्तेदारों की झोपड़ी बनवाकर उन्हें पुनर्वास करने का निर्णय लिया। आपको हैरानी होगी कि निहित स्वार्थ और उस भूमि का मालिक न्यायालय में चले गए। और वे इतने गिर गए कि उन्होंने स्थगन आदेश की मांग की। उन्होंने कहा कि बचे हुए व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए झोपड़ी न बनाने दी जाएं। उन्हें बहुत दुख था कि उन्हें भी आग में जलाकर नहीं मारा गया। उन्होंने कहा "महाराज इन बचे हुए व्यक्तियों को यहां झोपड़ियां बनाने की अनुमति मत दीजिए।" वे चाहते थे कि सरकार को रोक आदेश दिया जाना चाहिए। सौभाग्यवश, रोक आदेश नहीं दिया गया। इससे उनका इरादा साफ जाहिर होता है। इस प्रकार साम्प्रदायिक समस्याओं के आर्थिक आधार का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में, प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में हमें पता चलता है कि कभी-कभी भूमिहीन मजदूरों की बेदखली भी अप्रत्यक्ष रूप से साम्प्रदायिकता का रूप ग्रहण कर लेती है। इसलिए इस समस्या को भी कारगर ढंग से हल किया जाना चाहिए।

मुझे सांस्कृतिक पहचान के बारे में कुछ कहने दीजिए। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। मैं 25 साल से अध्यापक हूं। और हममें से प्रत्येक ने अपने स्कूल के दिनों में अपने अपने ढंग से इतिहास सीखा है। जिस प्रकार वर्षों से इस देश में इतिहास पढ़ाया जा रहा है, विशेषकर ब्रिटिश शासन काल के दौरान से उससे न तो हमे अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है न ही व्यक्तिगत पहचान, न ही धार्मिक पहचान और न ही राष्ट्रीय पहचान होती है। हमें इतिहास एक विशेष पक्षपात के दृष्टिकोण से पढ़ाई जाती है। और इसीलिए आपको पता चलेगा कि स्कूलों में इतिहास पढ़ते समय मुसलमानों के नायकों का एक

दल होता है और हिन्दुओं के नायकों का दूसरा दल। यदि मेरा एक नायकों का दल है तो मैं उनके व्यक्तित्व के उज्ज्वल पहलू को देखूंगा न कि उनके अन्धकारमय पहलू को। यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसी को बुराई समझता है तो वह उस व्यक्तित्व में कोई पवित्र भाव नहीं देखता। इसी प्रकार हमें पढ़ाया गया था। मेरे अपने दिनों में हमारे अध्यापक ने हमें इतिहास इस ढंग से पढ़ाया मानो हम एक धर्म के हिमायती थे और इतिहास की पढ़ाई का उद्देश्य, इतिहास के एक विशेष दृष्टिकोण को हमारे मस्तिष्क में स्थापित करना था। इतिहास की विषय निष्ठता को बिल्कुल भुला दिया गया था। इतिहास कैसे प्रभाव डालता है, कैसे आर्थिक कारण जिम्मेवार होते हैं, सांस्कृतिक व धार्मिक झगड़े कैसे होते है इन सभी पहलुओं को कभी नहीं पढ़ाया जाता और इतिहास को पक्षपात पूर्ण ढंग से पढ़ाया जाता है। मैं समझता हूं कि हमें इसे बदलना होगा। मैं यह नहीं कहता कि हमें इतिहास को दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं इतिहास को नष्ट करने के पक्ष में नहीं हूं और मैं इतिहास को तोड़ने मरोड़ने के पक्ष में नहीं हूं परन्तु इतिहास को एक सही और सन्तुलित ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए है। यह अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थियों को धर्म की एकता लाने की भूमिका भी पढ़ानी चाहिए। हमें न तो विद्यार्थियों को नास्तिक बनाने के लिए पढ़ाना चाहिए और न ही उन्हें धर्मान्ध बनाने केलिए पढ़ाना चाहिए। हमें उन्हें सभी धर्मों की सार्वभौमिक विशेषताओं को बताने की कोशिश करनी चाहिए। बाद में वे धर्म को छोड़ भी सकते है। यदि कोई व्यक्ति आस्था से धर्म को छोड़ता है और नास्तिक बन जाता है तो भी मैं उसका आदर करूंगा। परन्तु उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में कोई आदर नहीं होगा जो अन्धाधुन्ध धर्म का विरोध करता है अथवा धर्म का अन्धानुकरण करता हैं। इस प्रकार उस पहलू को विद्यार्थियों के मस्तिष्क में बिठाना है। और इतिहास और धर्म की शिक्षा देने के ये सभी पहलू हैं। एक मिली-जुली संस्कृति को प्रोत्साहन देना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए समुदाय गृह योजनाएं, पड़ोस की योजनाएं और पड़ोस के स्कूल जुटाने होंगे। आज भी जब मैं अहमदाबाद जाता हूं या बम्बई की गलियों में जाता हूं तो मुझे मालूम होता है कि ब्रिटिश दिनों से ही लोगों को विभिन्न समूहों में रहने की शिक्षा दी गई है। यहां मुस्लिम होगें, यहां पारसी होंगे और यहां हरिजन होंगे इत्यादि। इस प्रकार अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ती है। और मेरे विचार में जब लोगों को उत्तेजित कर दिया जाता है तो यह अलगाव भी इसी के कारण होता है। इसीलिए सामुदायिक विद्यालय, पड़ोस आवास योजनाएं और इन सभी योजनाओं का निर्माण बड़ी सतर्कता से करना है और मुझे यकीन है कि इससे अवश्य कुछ न कुछ होगा।

कुछ राजनैतिक एवं प्रशासनिक कदम भी उठाने हैं। सतर्कता रहनी चाहिए और इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयत्न किए जाने चाहिए। राजनैतिक शक्तियों को साम्प्रदायिक और असामाजिक तत्वों को कुचलने की कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यहां बैठे हुए हम सभी पर यह एक कलंक है कि साम्प्रदायिक आग जब भड़कती है तो कांग्रेसी परम्परा के सौ सालों के बावजूद सामाजिक आन्दोलन के 50 वर्षों के बावजूद, साम्यवाद आन्दोलन के लम्बे इतिहास के बावजूद, हम सभी असफल रहे हैं। क्षेत्रीय दल के लिए आंध्र प्रदेश में एक बहुत मजबूत आधार बनाया गया है। इन सभी मजबूत आधारों के साथ जब साम्प्रदायिकता का ज्वालामुखी फटता है तो हम सभी अव्यवस्थित हो जाते हैं और साम्प्रदायिकता के दानव को नियन्त्रित करने की हमारी क्षमता समाप्त हो जाती है।

आज मैं नोआखाली के स्वर्णिम काल को याद करता हूं जबकि हिन्दू धर्म के हिमायती लोगों ने नोआखाली के हिन्दुओं की रक्षा की बात की थी और जब वयोवृद्ध महात्मा गांधी नोआखाली गए

[प्रो॰ मधु दंडवते]

और शांति कायम करने की कोशिश की तब भारत के वायसराय लार्ड माउन्टबैटन ने भी 26 अगस्त, 1947को एक पत्र में लिखा था "पंजाब में 50,000 सिपाही हैं और दंगों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है और हमारी शक्ति एक आदमी महात्मा गांधी हैं और नोआखाली में शांति है।" इस देश के सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा भारत के नग्न फकीर कहलाए जाने वाले व्यक्ति को यह बड़ी उपहार है। मैं एक दूसरे गांधी के आने का इंतजार कर रहा हूं। यह मैं एक प्रजानायक के तरीके से नहीं कह रहा हूं। वास्तव में मैं उस समय का इन्तजार करता हूं जबकि भारतीयों की विश्वसनीयता इस हद तक बढ़ आएगी कि लोग कहेंगे" यह एक नेता हैं। यदि वह हमारे लिए जीवित नहीं रह सकता तो हमारे लिए मरने को तैयार हो जाएगा।

उन्हें एक गांधी की तलाश है। उन्हें वह नहीं मिला है। परन्तु यदि हम एक गांधी को जानते हैं तो सामूहिक रूप से हम दूसरे गांधी का निर्माण कर सकते हैं और मैं समझता हूं कि यही प्रजातन्त्र का सौन्दर्य है।

अध्यक्ष महोदय : किसी समय वह आएगा।

प्रो॰ मधु दंडवते : आओ इस देश में एक नई भावना और एक नया परिवर्तन लायें जिसमें धर्म निरपेक्षता का समर्थन करने वाले हम सभी एक ऐसी शक्ति बनायेगें कि जो भी साम्प्रदायिक संगठन साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने की कोशिश करता है उसे अलग-थलग कर दिया जाएगा। इस शक्ति को उत्पन्न करने की हम कोशिश कर रहे हैं। और यह नितान्त आवश्यक है।

और किसी जिला प्राधिकारी पर दंगों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के बारे में महोदय आप को अपनी घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी घड़ी देखूंगा।

दंगों की जिम्मेदारी किसी जिला प्राधिकारी पर निर्धारित करने के बारे में जिला प्राधिकारी को यह बता देना चाहिए कि यदि उस जिले में दंगे हुए तो चाहे वह वरिष्ठता सूची में सबसे ऊपर हो उसकी पदोन्नति नहीं होगी। वह उस स्थान को छोड़ देगा। उसे उत्तरदायित्व लेना चाहिए। इस प्रकार की भावना का विकास करना होगा।

संक्षिप्त विचारण के लिए विशेष अदालतें होनी चाहिए। चाहे हम विभिन्न प्रकार की विशेष अदालतों का विरोध करते हों परन्तु मुझे विश्वास है कि पूरा सदन एक साथ कहेगा कि उन सभी लोगों का, जो लोगों की साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काते हैं और दंगे उत्पन्न करते हैं। संक्षिप्त विचारण विशेष अदालतों में होना चाहिए। संक्षिप्त विचारण होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : तुरन्त उसी स्थान पर।

प्रो॰ मधु दंडवते : इसके बाद अल्प संख्यकों के लिए व्यापार और आर्थिक अवसरों की बात आती है। मैं एक फैशन के तौर पर यह यह नहीं कह रहा हूं। परन्तु बहुत बार कुछ वर्गों के अल्प-

संख्यकों की वास्तविक समस्याएं होती हैं। चाहे वे मुस्लिम, सिख, नव-बौद्ध, हरिजन या आदिवासी हों। परन्तु यदि एक वर्ग की यह भावना है कि उन्हें विशेष सुविधाओं से वंचित रखा गया है तो यह बहुत घातक होगा।

जगमोहन आयोग ने 1969 में अहमदाबाद में हुए दंगों के बारे में रिपोर्ट दी थी। मेरे मित्र को यह याद होगा। एक सिफारिश गुजरात में संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाने और पुलिस का पुनर्गठन करने व इसकी शक्ति बढ़ाने के बारे में थी। ऐसा करना ही पड़ेगा। अल्पसंख्यक आयोग पहले ही वहां है। मैं यह जानकर खुश हूं। इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए और इसकी सिफारिशों को बिना किसी झिझक के आवश्यक रूप से लागू किये जाने पर जोर दिया जाये।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि हममें से कुछ कल ही अहमदाबाद गये थे। मैं कुछ सैकंड कुछ मिनटों में ही बहुत संक्षिप्त रूप से कहूंगा। अहमदाबाद के प्रत्येक कोने में दंगों की अफवाहें थीं। इसके बावजूद दुर्भाग्य से मुझे वहां पर्याप्त पुलिस दिखाई नहीं दी। सेना का भी प्रयोग किया जाना चाहिए। यह कोई बात नहीं है कि इसकी शक्ति व्यर्थ जाती है। परन्तु अधिक सचेत रहना अधिक अच्छा है। पुलिस का प्रबन्ध वहां सन्तोषजनक नहीं था।

बहुत कुछ सीमा तक 12 तारीख के बन्द को वास्तव में कमजोर किया जा सकता था, यदि वहां उसकी संख्या बढ़ा दी जाती और न्यायिक जांच की घोषणा कर दी जाती।

मुझे अब समाप्त करना है। यदि आप मुझसे यह पूछते हैं कि क्या भारत में सभी धार्मिक जलूसों पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाए? तो मैं कहूंगा कि मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। कुछ मित्र 'हां' भी कह सकते हैं। परन्तु मैंने भारतीय लोगों को समझ लिया है। यद्यपि मैं इन मामलों में अपनी राय पर बहुत जोर नहीं डालता। परन्तु मैं जानता हूं। उदाहरणतया यदि बम्बई में तिलक द्वारा आरम्भ किए गए गणपति उत्सव और जलूस को बन्द किया जाता है तो लोग इसे पसन्द नहीं करेंगे। यदि मुहर्रम पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है तो लोग इसे पसन्द नहीं करेंगे। मैं अहमद नगर के उस स्थान से आया हूं जहां मुहर्रम पर एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है। हिन्दू औरतें उस दिन आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। हिन्दू और मुस्लिम जलूस में शामिल होते हैं। ये परम्पराएं हैं। क्योंकि कुछ गुंडे दंगा करते हैं इसी कारण यदि आप अचानक उन पर प्रतिबन्ध लगाते हैं तो यह बुरी बात होगी।

एक बीच का रास्ता होना चाहिए। रथ, यात्रा, गणपति, उत्सव, मुहर्रम—ये सभी अपवाद है। आपको संवेदनशील क्षेत्रों से बचने की कोशिश करनी चाहिए वहां कुछ समस्या उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं जिनका धर्म में अधिक विश्वास नहीं होता परन्तु निहित स्वार्थ होते हैं। वे चाहते हैं कि जलूस आवश्यक रूप से कुछ संवेदनशील क्षेत्रों से होकर जाए। उस बात का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि इस प्रकार वे आक्रमण को बुलावा देते हैं परन्तु यदि कोई संकट आता है तो वे सन्तुष्ट होते हैं। उपद्रवियों का शान्ति में कोई निहित स्वार्थ नहीं होता; उनका निहित स्वार्थ दंगों में होता है और इसलिए मेरे विचार में सभी दल, सभी संस्थाएं, हिन्दू तथा मुस्लिम इकट्ठे बैठ सकते हैं और किसी विशेष जलूस के प्रारम्भ होने से पहले वे निर्णय ले सकते हैं कि कौन सा रास्ता इसके लिए इन दंगों को टालने के लिए उचित होगा। इस प्रकार, लोगों की धार्मिक भावनाओं और उसके साथ ही नगर

[प्रो० मधु दंडवते]

में शान्ति बनाये रखने की आवश्यकता, इन दोनों के बीच यदि सन्तुलन कायम हो जाये तो मेरे विचार में एक रास्ता निकाला जा सकता है ।

इसके बाद, पुलिस बल को इस कार्य के लिए लगाया जाना हमेशा टाला जाना चाहिए । दंगों का सामना करने के लिए संयुक्त इरादे का निर्माण किया जाना चाहिए । सामाजिक चेतना का निर्माण होना चाहिए; और अगर ये सभी कदम उचित ढंग से उठाए जायें तो मुझे जरा सा भी संदेह नहीं है कि हमारे देश में धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए चाहे हमारे आपके बीच कितने भी मतभेद क्यों न हों, यह संभव होगा । यह स्मरण रहे कि हम सभी चाहते हैं इस देश में गांधी जी से विरासत में मिला संदेश सदियों तक बना रहे और यही संदेश है जिसको हम साथ लिए रहे हैं इसके लिए हमें एक राजनैतिक आन्दोलन चलाना पड़ा है, और इस प्रकार, अगर हम धर्मनिरपेक्षता की इस विरासत को देश में बनाये रख सकें तो शेष बहुत कम करने को कुछ रह जायेगा ।

एशिया और अफ्रीका के विभिन्न भागों में, संसदीय लोकतंत्र धराशायी हो गये हैं । इस छोटे से भारतीय द्वीप में, हमने लोकतंत्र को बनाये रखा है । हम धर्मनिरपेक्षता को बनाये रखें और सदन में दोनों तरफ विराजमान सभी सदस्यों के सद्विवेक से हम वास्तविक रूप में धर्मनिरपेक्ष भारत बनाने में सक्षम हैं जहां किसी भी तरह के दंगे नहीं होंगे ।

हमने महात्मा गांधी को चाहे मार दिया, किन्तु कम से कम महात्मा गांधी की भावनाओं को न मिटायें । हमें अपने आपको इस आदर्श कार्य में लगाना चाहिए ।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं माननीय साथी प्रो० मधु दण्डवते के किसी विचार से मतभेद न रखने की सुखद स्थिति में हूं । मैंने सोचा था कि विशेषकर अहमदाबाद और गुजरात के दूसरे भागों में हुए दंगों के बारे में वह एक विश्लेषण चर्चा के दौरान प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि कल ही उन्होंने उस स्थान का दौरा किया था । लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया । दूसरी तरफ, देश में बार-बार होने वाले दंगों से निपटने के लिए उन्होंने हमारे सामने कई ठोस सुझाव दिए हैं । इनमें प्रत्येक विषय पर चर्चा हो सकती है । किंतु जैसा कि मैं आपके साथ सहमत हूंगा वैसे ही उनसे भी सहमत हूंगा कि इस देश मे हमें महात्मा गांधी से विरासत में यह संदेश मिला है जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया, इस देश में विभाजन के पागलपन के बाद हमें तथा विभिन्न समुदायों को यह सद्विवेक देने के लिए उन्होंने प्राणोत्सर्ग किया कि इस देश की अविच्छिन्नता और मुक्ति इसी में है कि विभिन्न समुदाय एक-दूसरे से मिल जुलकर शांति और परस्पर सहयोग से रहें ।

मैं उनसे इस बात पर भी सहमत हूं कि भारत के पास अन्य राष्ट्रों से कहने के लिए काफी बातें हैं । समस्त एशिया में जापान को छोड़कर, यह ही सिर्फ एक ऐसा देश है जिसने लोकतन्त्र को विकसित किया है तथा इसे बनाए रखा है; और विश्व के दर्जन-आधा दर्जन देशों में यही एक ऐसा देश है जहां असली लोकतन्त्र रहा है । अगर आप भारत में विद्यमान ऐतिहासिक विरासत, धार्मिक मतभेदों,

भाषायी मतभेदों, आर्थिक विषमताओं और हर बात के सम्बन्ध में इसकी विशालता, विभिन्नता, अन्दरूनी अन्तर्विरोध को निष्पक्षता से देखें तो पायेंगे कि यहां पर प्रत्येक बात ऐसी है जो इस देश के टुकड़े-टुकड़े कर देने वाली है। लेकिन फिर भी स्वतन्त्रता के बाद हमारा अस्तित्व बना रहा है और लोकतंत्र में हम और अधिक ताकतवर हो गये हैं। हमें बहुत कुछ कहना है और उसके बारे में गर्व करना है। अगर हम इसका विश्लेषण करें तो देखेंगे कि ऐसा करने में हम कैसे सक्षम हुए। हम यह करने के योग्य इसलिए रहे क्योंकि, विश्व में हर जगह व्याप्त मतभेदों और काफी संघर्षों के बावजूद हम इकट्ठे रहने में कामयाब रहे। इस देश के विभिन्न समुदायों हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई तथा सिक्खों ने इस बात को समझ लिया है कि इकट्ठे रहने और कार्य करने में सिर्फ इस देश की हो मुक्ति नहीं है वरन इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की मुक्ति तथा उन्नति है। यह वह बन्धन है जिसने हमें इकट्ठा रखा है। और यदि किसी चीज ने इस देश का नाश करना है तो वह बाहरी आक्रमण नहीं होगा -भूतकाल में भी हमारे ऊपर बाहरी हमले हुए हैं और प्रत्येक बाहरी आक्रमण के समय इस देश ने संयुक्त रूप से एक आदमी की तरह सामना किया है; यदि किसी बात ने इस देश का नाश करना है तो वह महा-शक्तियों तथा इस देश के शत्रु देशों का षड्यंत्र नहीं, और न ही यह सामरिक लाभों के लिए अंतर्राष्ट्रीय छलयोजनाएं बल्कि वह तो देश में अन्दरूनी संघर्ष होंगे, और यदि हमने इन संघर्षों को होने दिया और अगर हम इनको नियंत्रित और रोकने में सक्षम नहीं हुए तो ये एक दानव का रूप ले लेंगे और इस देश का नाश कर देंगे। हमने इस बात को समझना है।

और मैं बड़ा प्रसन्न हूं कि श्री दंडवते ने इस विषय को सदन के सामने लाकर उस उद्देश्य को पूरा किया है। मैं उनको इस निष्पक्षता की भावना लाने और अपने सुझावों में रचनात्मक होने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। जब वह भिन्न-भिन्न धर्मों की आचरण की स्वतन्त्रता के बारे में बोलते हैं तो मैं इस विषय पर मुश्किल से उनसे असहमत होता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को आजादी दी गयी है, निस्संदेह हमें एक सीमा निर्धारित करनी होगी। हालांकि प्रत्येक धर्म के पास संयुक्त रूप से अन्दर और बाहर आचरण, अभिव्यक्ति, शोभायात्रा निकालने के अधिकार हैं किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी धर्म के पास दूसरे धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने तथा निरादर करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार हमें एक उपाय ढूंढना चाहिए कि कैसे इस कार्य को किया जाये।

मैं यह अहमदाबाद के दंगों के संदर्भ में कह रहा हूं। इनकी शुरूआत एक धार्मिक जलूस जगन्नाथ रथ यात्रा से हुयी थी। इनके बारे में कई कहानियां सुनी गयी हैं। हमारे पास भी कहानियां हैं कि कैसे क्या हुआ। स्पष्ट रूप से वहां नारे-बाजी हुयी थी, इश्तहार बांटे गये और कई दूसरी हरकतें की गयीं। धार्मिक शोभा-यात्रा के अवसर का उपयोग इतना अधिक लोगों की अभिव्यक्ति के लिए नहीं किया जाता किन्तु दूसरे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए किया जाता है। मैं किसी भी पक्ष पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं तो यह बता रहा हूं कि यह कैसे हुआ। हमने वहां भी स्थिति का विश्लेषण करना है कि यह कैसे हुआ। ऐसा नहीं है कि यह अचानक हुआ हो। रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद में दंगे सन् 1969 से होते आये हैं—किन्तु सभी दंगे धार्मिक नहीं हैं। वर्ष 1970 तथा 1980 के बीच सांप्रदायिक घटनाएं प्रति वर्ष 20 और 40 के बीच हुयी हैं। और 1980 से अहमदाबाद में प्रति वर्ष सांप्रदायिक घटनाओं की संख्या 70 और 80 के बीच रही है। सिर्फ गत वर्ष, नगर में वैसा ही साम्प्र-दायिक दंगा हुआ है। हमें इसके बारे में बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए था। यह एक विश्लेषण का

[श्री जी० जी० स्वैल]

मामला है कि यह सब क्यों हुआ है; हम पूर्वोपाय क्यों नहीं कर पाये, कहां पर कमी थी। मेरे विचार में इस बात पर मैं श्री दंडवते से सहमत हूंगा। इस तरह की प्रत्येक स्थिति में—यह किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बनायी जाती है; यह किसी व्यक्ति का कसूर नहीं है। जब हमें चेतावनी मिल जाती है तो हमें स्थिति से निपटने के लिए पहले ही तैयार रहना चाहिए।

श्री दंडवते ने कुछ दंगों के आर्थिक कारणों के बारे में बताया है। गुजरात एक तटीय राज्य है। गुजरात में भारी तस्करी होने की खबरें आती रही हैं। तस्कर लोग ही ऐसी असामाजिक गतिविधियों में लगे हुए होते हैं जिनको जब कानून और व्यवस्था भंग होती है तो फायदा होता है। जब भी कानून और व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ाती है तो इस प्रकार के असामाजिक तत्वों को अपना व्यापार चलाने की छूट मिल जाती है। इसलिए इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा।

4.52 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

तस्करों के पास धन शक्ति है। तस्कर अपने पास ताकतवर आदमी रखते हैं। जब भी, कहीं भी कोई छोटी सी घटना होती है यह आग की तरह फैल जाती है। इसको करने वाले कौन लोग हैं? मुझे पक्का विश्वास है कि सरकार के पास इन लोगों की सूची है, उसके पास नगर के इन सभी बदमाश लोगों की सूची है। हमारी आजादी से थोड़ा पहले स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर बम्बई के भूतपूर्व गृह मन्त्री श्री के० एम० मुन्शी की भूमिका के बारे में श्री दंडवते ने बताया है, जिसमें उन्होंने नगर में जब भी दंगा होने का अंदेशा होता, पहला कार्य सभी बदमाश लोगों को घेरने तथा पकड़ने का करते थे। मेरे विचार में, पूर्व चेतावनी मिलने पर हम भी गुजरात में ऐसा ही कर सकते थे। ठीक है, मैं उनसे सहमत हूं कि हमने साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक दंगों के इस प्रश्न को उस गम्भीरता से नहीं लिया जितना हमें इससे निपटने के लिए लेना चाहिए। मैं यह सिर्फ सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं जनता के नेताओं के बारे में कह रहा हूं, मैं इस सदन में खुद हमारे बारे में कह रहा हूं। यह हो सकता है, क्योंकि हमारे सामने कई समस्याएं हैं, हो सकता है, क्योंकि प्रतिदिन हमें सभी प्रकार की समस्याओं की चोटों को सहना पड़ता है। जब भी कुछ होता है, यह हमारा ध्यान आकर्षित करता है। और जब वह घटना आगे नहीं होती है, तो हमारा ध्यान कहीं दूसरी तरफ लग जाता है। इस प्रकार, कई दूसरे क्षेत्रों में, जैसा कि प्रो० मधु दंडवते ने कहा है हम दमकल वाला दृष्किोण अपनाते हुए लगते हैं।

अहमदाबाद में गत वर्ष दंगे हुए। वे रुक गये। उनको नियन्त्रण में कर लिया गया था। हम उसके बारे में सब कुछ भूल गये। वे दंगे प्राचीन इतिहास बन गये। ऐसे दंगे 9 जुलाई को फिर हुए और 12 जुलाई को चरमसीमा पर पहुंच गये। हमारा सारा ध्यान अहमदाबाद पर था। इन पर नियंत्रण पा लेने के बाद हम इनके बारे में भूल जायेंगे। हम इस समस्या की तरफ तब ही भागते हैं और

ध्यान देते हैं जब वह घटित हो जाती है।

जो प्रो० मधु दंडवते ने कहा है उसका मैं न सिर्फ सुझाव देता हूं बल्कि उस पर जोर देता हूं कि हमें साम्प्रदायिकता की इस समस्या से निपटना चाहिए और जितना अधिकतम ध्यान हम इस समस्या पर लगा सकते हैं वह लगाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : प्राथमिकता देनी चाहिए।

श्री जी० जी० स्वैल : हां, बहुत अधिक ध्यान जो हम दिन-प्रतिदिन के आधार पर दे सकते हैं। यह एक विशाल देश है। देश के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो सकता है। किसी भी बात को भड़काया जा सकता है। दिन-प्रतिदिन के आधार पर इस समस्या का सामना करने के लिए और यह देखने देखने के लिए कि धार्मिक या साम्प्रदायिक झगड़े न हों, इसकी निगरानी रखने वाला कोई संगठन होना चाहिए। इसका पूर्व अनुमान लगाना चाहिए और दंगा होने से पहले उससे निपटना चाहिए। यह कैसे किया जाये। इस बारे में कई विचार दिये जा सकते हैं। प्रो० दंडवते ने पुलिस और सुरक्षा बल के पुनर्गठन के बारे में कहा है। निस्संदेह, जब दंगा हो जाता है, तो हमारा पहला कार्य पुलिस और सुरक्षा बल को तैनात करने का होता है। यह उनका प्राथमिक कर्तव्य है और उनके स्थिति से निपटने के ढंग पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर पुलिस और सुरक्षा बल साम्प्रदायिक आधार पर हों तो यह स्थिति को और बिगाड़ेंगे। किन्तु अगर पुलिस और सुरक्षा बल असाम्प्रदायिक हों और व्यावसायिक आधार पर हों, वह स्थिति से निपटने की स्थिति में सक्षम होते हैं। इस देश में इस तरह का उदाहरण है सशस्त्र सेनाओं का। हमारी थल सेना, नौ सेना और वायु सेना में किसी साम्प्रदायिकता का सुझाव नहीं है। वहां व्यावसायिकता सर्वोच्च है। जब वहां किसी काम को करना हो तो उसे किया हो जाएगा। हम इस देश में उसी तरह की पुलिस, उसी तरह की सुरक्षा चाहते हैं। यद्यपि यह लोगों के दृष्टिकोण पर बहुत अधिक निर्भर करता है, परन्तु हमें इस पर भी निर्भर करना है कि इसे करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था हो और इसलिए, यदि इस देश में लोगों के विभिन्न वर्गों से पुलिस या सुरक्षा बल में अधिक प्रतिनिधित्व हो, यदि पुलिस और सुरक्षा बल में विशेषरूप से अल्पसंख्यकों का अधिक प्रतिनिधित्व हो हमें इस पर विचार करना होगा कि किसी भी स्थिति में अल्पसंख्यक अपने आप को कुछ अधिक सुरक्षित महसूस करें -- तभी हमारे पास साम्प्रदायिक समस्याओं को देखने के लिए अधिक बल हो सकेगा। हम इस देश में ऐसे समाज की रचना नहीं कर सके हैं जहां बहुसंख्यक समुदाय के लोग अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। हम ऐसा नहीं कर सके हैं।

प्रो० दंडवते महात्मा गांधी के बारे में बोले हैं। वह महात्मा गांधी को परम्परा के बारे में बोले हैं और वह हमसे अपील करते हैं कि हमें अपने ढंग में गांधी जी की कुछ परम्परा को अपनाने के लिए प्रयास करना चाहिए और यदि सम्भव हो तो इस देश में गांधी जी के दूसरी सामूहिक आदर्शों को बनाना चाहिए। महात्मा गांधी ने हमेशा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए जोर दिया है और उन्होंने इनके लिए अपना जीवन दिया है। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि केवल अल्पसंख्यकों को ही संरक्षण दिया जाए, बहुसंख्यकों को नहीं, बल्कि क्योंकि उन्होंने सोचा कि इस देश के बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यकों के संरक्षण से साम्प्रदायिक शांति और सामंजस्य बनता है। महात्मा गांधी लोगों के विश्वास-

[श्री जी० जी० स्वेल]

पात्र होने के बारे में कहते हैं सरकार को लोगों का विश्वासपात्र होना चाहिए। इसलिए सरकार बहुसंख्यकों की है और बहुसंख्यकों को इस तरह से काम करना चाहिए जैसे कि वे अल्पसंख्यकों के विश्वासपात्री हों।

5.00 म०प०

हालांकि मैं यह नहीं कहता हूं कि उसके कारण अल्पसंख्यकों को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए जिस तरह से वे चाहते हैं। यह सम्भव नहीं है। परिवार में पिता को प्रत्येक चीज का विश्वास-पात्र होना पड़ता है। और बच्चों से उस स्थिति को स्वीकार करने की आशा होती है। उन्हें पिता की वह स्थिति स्वीकार करनी होगी। इसका यह मतलब नहीं है कि यदि बच्चे पिता की नुक्ताचीनी और प्रश्न करते रहें तो पिता उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इसका यह मतलब नहीं है। यह उप-युक्त वातावरण बनाने का प्रश्न है। मैं सहमत हूं कि प्रो० दंडवते ने जिन सभी चीजों का उल्लेख किया है उन सभी पर चर्चा होनी चाहिए। हम यहां उस पर कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। हमारा यहां केवल यही कर्तव्य है कि यहां हम इस बारे में अपने विचारों को व्यक्त करें। उन्हें इसका ध्यान रखना चाहिए। मुझे भी विश्वास है कि सरकार किसी दिन इस सदन के सदस्यों के साथ, विरोधी सदस्यों के साथ, एक साथ बैठेगी और इस स्थिति पर किस प्रकार से विचार किया जाये उस बारे में एक उपाय करेगी।

महोदय, बैठने से पहले मैं आपका ध्यान साम्प्रदायिकता के खतरे के दूसरे पहलू पर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे पास पंजाब की समस्या बनी हुई है। मैं समझौते के कार्यान्वियन की समस्या के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मैं निरंतर आतंकवाद के बारे में नहीं बोल रहा हूं। सौभाग्यवश अब ऐसा लगता है कि आतंकवाद की कमर टूट गई है। परन्तु मैं आतंकवादियों, राष्ट्रविरोधी तत्वों और उग्र-वादियों द्वारा अल्पसंख्यकों पर वार करके और उन्हें पंजाब से बाहर निकालने की कोशिश द्वारा पंजाब में साम्प्रदायिकता की स्थिति के बिगाड़ने के बारे में बताना चाहता हूं। यह पंजाब में साम्प्रदायिकता की स्थिति को भड़काने का प्रयास है। यदि हिन्दू और सिखों के बीच साम्प्रदायिक दंगे फैल जाते हैं तो उग्रवादी सफल हो जाएंगे। राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के झगड़े के फलस्वरूप हमारे पास उत्तर प्रदेश में कई तरह की समस्याएं सौभाग्यवश इन सभी मामलों में सरकार स्थिति को संभाल सकी है और स्थिति को उलट दिया है परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि खतरा टल गया है। और इसलिए मैं प्रो० दंडवते के साथ पूरी तरह से सहमत हूं। जो कुछ उन्होंने कहा है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। जिस भावना से उन्होंने इसे कहा है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं। इस मामले को हमें गम्भीरता से लेना चाहिए। हमें ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे इससे निपटा जा सके, स्थिति का पूर्वा-नुमान लगाया जा सके, तथा स्थिति पैदा होने से पहले ही निवारक उपाय किये जा सकें।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : मेरे पास कहने को अधिक कुछ नहीं है सिवाए इसको दोहराने के जो कुछ मेरे विद्वान दोस्त श्री दंडवते ने अभी सदन के सामने बताया है। मैंने भी 19 तारीख को अहमदाबाद का दौरा किया था। घटना केवल अहमदाबाद में ही नहीं हुई थी बल्कि

अधिक धर्मनिरपेक्ष हैं परन्तु कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अपने निजी लाभ के लिए स्थिति का फायदा उठाते हैं।

मैं दूसरा महत्वपूर्ण पहलू भी बताना चाहता हूं जिसको मैंने इस विशेष स्थान से निष्कर्ष रूप में पाया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने पहले से ही 15 मिनट ले लिए हैं।

श्री एच० ए० डोरा : मैंने 5 मिनट लिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं। आपने 15 मिनट लिए हैं। संक्षेप में बोलने की कोशिश करें क्योंकि अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं। कुछ सदस्य दबाव डाल रहे हैं कि वे आज ही बोलना चाहते हैं।

श्री एच० ए० डोरा : इन दुःख भरी घटनाओं के माध्यम से जो कुछ निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने अपने लाभ के लिए ऐसा कार्य किया है।

यह एक ऐसा दंगा नहीं है जो एकदम हो गया है। यह अच्छी तरह से नियोजित दंगा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा नियोजित दंगा है जिसके पीछे कुछ ऐसे तत्त्व हैं जिनका समर्थन उस विशेष क्षेत्र के राजनीतिज्ञ कर रहे थे। नहीं तो यह दंगा जारी नहीं रहता। यह मेरी स्पष्ट राय है जो मैंने अनेक लोगों से साक्षात्कार के बाद बनाई है।

इसके अतिरिक्त मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि वहां कानून और व्यवस्था पूर्ण रूप से असफल रही है। वहां हिन्दू और मुसलमान दोनों शिकायत कर रहे थे कि पुलिस भी असफल रही है। वास्तव में यह दंगा मेघानी (ग) नगर में दिन-दहाड़े 11 से 11.30 म०पू० के बीच हुआ है। पुलिस वहां मौजूद थी। स्टेनगन लेकर विशेष सशस्त्र बल उस विशेष समय के लिए नियुक्त किया गया था, उन्हें इस विशेष दंगे की सूचना दी गई थी परन्तु वे यह विशेष दंगा देखते रहे, उन्होंने इस स्थिति में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वे उस स्थान से गायब हो गए। अतः किसी यथार्थपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए किसी कानूनी निपुणता की आवश्यकता नहीं है। इसमें पुलिस की असफलता है। अतः इन दंगों को 9, या 11 या 12 को नहीं रोका जा सका। अतः मेरा निवेदन यह है कि राज्य सरकार को पुलिस की असफलता के सम्बन्ध में निदेश दिए जाएं और उस विशेष कस्बे में पुलिस की निगरानी और कड़ी की जानी चाहिए। धन्यवाद।

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : मैं न्यायिक क्षमता को दर्शाने के लिए भाषण देने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मेरा दिल टूटा हुआ है। मेरा नगर दंगाग्रस्त है। महोदय यह अहमदाबाद में पांचवां साम्प्रदायिक दंगा है। स्वतन्त्रता से पूर्व यहां दो दंगे हुए थे एक 1941 में और दूसरा 1946 में। तत्पश्चात् 1969 में बहुत बड़े पैमाने पर दंगे हुए। फिर 1985 में और अब 1986 में हम सांप्रदायिक दंगों के बीच हैं।

[श्री हरूभाई मेहता]

मुझे इस नगर पर गर्व है क्योंकि यह केवल सांप्रदायिक दंगों का नगर नहीं है। जैसे प्रो० मधु दंडवते ने कहा है यह एक ऐसा नगर है जिसे सीधे महात्मा गांधी के चरणों में शिक्षा मिली है। यह ऐसा नगर है जहां साम्प्रदायिक सौहार्द पैदा करने वाले शहीद उत्पन्न हुए हैं। 1946 के दंगों में हिन्दू और मुसलमान भीड़ में एक हिन्दू वसन्त हेगिस्ते और एक मुसलमान रजब लखानी ने हस्तक्षेप किया और भीड़ पर जोर दिया कि एक दूसरे के विरुद्ध हिंसा न करें। दुर्भाग्य से भीड़ ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया और दोनों को हिंसक भीड़ ने उसी समय मार डाला। आज वसन्त तथा रजब का बलिदान अहमदाबाद को संकेत दे रहा है और मैं लोगों को उनकी याद को उनसे अपील करने के लिए दिला रहा हूं।

वर्तमान दंगे 9 जुलाई को 5.45 म०प० पर करियानाखा में दरियापुर क्षेत्र में हुए। दंगे कैसे आरम्भ हुए और उस समय क्या हुआ यह सब जांच मामला है। इस सम्बन्ध में अलग-अलग राय है। कुछ लोगों की राय यह है कि कुछ लड़के जो जुलूस में शामिल थे और एक ट्रक में बैठे हुए थे, अपमान-जनक तथा उत्तेजक नारे लगा रहे थे। नारे थे — मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नारे भी बताने पड़ेंगे। नारे थे "मुस्लिम चोर और बीवी चोर।" मुसलमान महिलाएं चोर हैं। यह गाली एक विशेष सम्प्रदाय के विरुद्ध थी। यह उस समय और तेज हो गया जब जुलूस एक विशेष स्थान पर पहुंच गया। यहां एक सदस्य ने कहा है कि जुलूस मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र से गुजर रहा था। जिस क्षेत्र में दंगा आरम्भ हुआ, वह मुसलमान बहुसंख्यक क्षेत्र नहीं है। वह क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां तीन ओर हिन्दू रहते हैं। इस क्षेत्र में केवल दस मुसलमान परिवार रहते थे और उनमें से लगभग पांच परिवार 1985 के दंगों के कारण अन्य स्थानों को चले गए और इस समय वहां केवल पांच परिवार रह रहे हैं। इनकी यह भी राय है कि रथ यात्रा के जुलूस में एक ट्रक में पत्थर थे। एक और राय के अनुसार कुछ लड़कों ने जो जुलूस में नहीं थे किसी भी उत्तेजना के बिना पत्थर फैंके। मुख्य मन्त्री ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। अत: मैं विस्तार से यह नहीं कह सकता हूं कि कौन-सी बात सही है। मैं केवल यह बात कहना चाहता हू कि वास्तव में किसी विशेष समुदाय ने धार्मिक जुलूस पर आक्रमण नहीं किया, और इस कारण दंगे नहीं हुए। किन्तु दुर्भाग्यवश रथ-यात्रा जुलूस में बाधा पड़ी कारण चाहे कोई भी रहा हो, इसकी जांच की जानी है। जब दंगा हुआ, वे लोग जो जुलूस में थे इधर-उधर भागने लगे। उनमें से कुछ लोग अपने हाथों में भाले तथा घातक सशस्त्र लेकर भागे और निर्दोष नागरिकों को अपना शिकार बनाया। दंगों के कारण शाहीपुर क्षेत्र, और दिल्ली चकला क्षेत्र में बहुत-सी दुकानों, स्टालों, मकानों को उन लोगों ने आग लगा दी जो जुलूस से अलग थे। किन्तु स्थिति को नियन्त्रित किया जा सकता था। यहां समाचारपत्रों की भूमिका आती है। अगले दिन समाचार पत्रों में इस घटना की बात ऐसे आई जैसे यह जनता के किसी वर्ग ने धार्मिक जुलूस पर आक्रमण किया था। मैं समाचार पत्रों से विस्तार से उदाहरण नहीं देना चाहता हूं। किन्तु वह इस घटना को रथ-यात्रा जुलुस पर एक प्रकार का आक्रमण बताते है। "रथ" सुरक्षित था; वास्तव में, पता चला है कि वे लोग जो जुलूस में थे रथ को छोड़कर भाग गए थे।··· (व्यवधान)

बड़ौदा, भड़ोच, बेरावल, थाडी और आनन्द में भी हुए थे। ये सभी स्थान गुजरात में हैं। यह वह स्थान है जहां गांधी जी काम करते थे। गांधी जी ने धर्मनिरपेक्षवाद के आदर्शों का वहां प्रचार किया। अब यह वह स्थान है जहां हम प्रायः साम्प्रदायिक दंगे देखते हैं। 1985 की अवधि में भी यह साम्प्रदायिक दंगे हुए थे। अब यहां साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। मैं मुख्य शहर अहमदाबाद की स्थिति के बारे में बताना चाहता हूं।

5.01 म०प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

महोदय, 1981 की जनगणना के अनुसार इस शहर की कुल जनसंख्या लगभग 25,07,410 है··· जिसमें से अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 1.91 लाख अर्थात लगभग 3 लाख है। जनजातियों की संख्या केवल 20,000 के लगभग है। मुसलमान जनसंख्या लगभग 5 लाख है। मैं जो कुछ बताना चाहता हूं वह यह है कि मेरे विद्वान दोस्त ने देश के इस भाग में साम्प्रदायिक सौहार्द्र को प्राप्त करने के साधनों का सुझाव दिया है। परन्तु मुख्य कारण क्या है? (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : यह महत्वपूर्ण विषय है। क्या हो रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय : हर चीज महत्वपूर्ण है। संसद में जिस किसी की भी चर्चा होती है वह महत्वपूर्ण है। मैं सभी माननीय सदस्यों से सभी मामलों पर बराबर ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

श्री एच० ए० डोरा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि इस देश में इस साम्प्रदायिक अशांति का मुख्य कारण क्या है। हमारे देश में सभी दल चाहे वे राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल। धर्मनिरपेक्षवाद को फैलाने, बढ़ाने और उसकी चर्चा करते हैं। परन्तु अभी भी इस देश में यह उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया है। इसके क्या कारण हैं। उनका पता लगाना चाहिए। मैं इस भव्य सभा को इसके वास्तविक पहलू को बताने के लिए तैयार हूं जिससे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

पहली घटना इस महीने की 9 तारीख को लगभग शाम के 4.45 बजे हुई थी। एक जबरदस्त जुलूस जिसमें 1½ लाख से कम लोग नहीं थे, निकाला गया था। इसका मैंने उस विशेष स्थान पर उपस्थित लोगों से अंदाजा लगाया था। यह जुलूस लार्ड जगन्नाथ टेम्पल से उन सड़कों से होता हुआ निकाला गया था। जहां प्रमुख रूप से मुसलमान लोग रहते हैं। मुझे कुछ निष्पक्ष लोगों ने बताया था जिनका नाम पता बताना अपेक्षित नहीं है, कि मुसलमानों ने देवता को माला पहनाई, उन्होंने उसका स्वागत किया और पुरोहित द्वारा दिए गए प्रसाद को ग्रहण किया जो रथ में थे। यह ठीक उसी स्थान के पास था जो थाड़िया नाका के नाम से जाना जाता है जो दरियापुर क्षेत्र में है। मुझे पूर्णरूप से विश्वास दिलाया गया कि लोग चाहे वे मुसलमान सम्प्रदाय के हैं या हिन्दू सम्प्रदाय के, वे बहुत धर्मनिरपेक्ष हैं। फिर भी, घटना क्यों घटी? थाड़िया नाका से 2 फर्लांग दूर के स्थान पर जबकि जुलूस जा रहा था, पत्थर फेंके गए थे जो इस विशेष दंगे को चरम बिंदु पर ले गया और यह शाहपुर जगह तक फैल गया

[श्री एच० ए० डोरा]

जो थाड़िया नाखा से एक किलमीटर की दूर पर स्थित है जहां हिन्दू और मुसलमान एक साथ रहते हैं तथा वे वहां एक समान हैं। मेरी जांच के अनुसार जिसे किया गया था वहां पर पुलिस और निजी दलों द्वारा गोलीबारी की गई थी। उस गोलीबारी में, उसी समय लगभग 10 व्यक्ति मारे गए थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अहमदाबाद में 9 से 13 जुलाई तक 39 लोग मारे गए थे और 163 लोग घायल हुए थे। यह सरकारी आंकड़े पुलिस आयुक्त, अहमदाबाद ने दिये थे जो कानून और व्यवस्था को देखता है। कानून और व्यवस्था की गड़बड़ी से निपटने के लिए वहां कलेक्टर के पास कोई शक्ति नहीं है। आयुक्त के पास शक्ति होती है और वह कहते हैं कि 39 लोग मारे गए थे और 163 लोग घायल हुए तथा जो लोग स्थायी रूप से असमर्थ हो गए थे उन्हें सरकार ने 5000 रुपये की राशि दी थी। अस्थायी रूप से असमर्थ लोगों को केवल 1000 रुपये और दिवंगत परिवारों अर्थात नजदीकी रिश्तेदारों को 20,000 रुपये दिए जाएंगे। मेरे दोस्त श्री मधु दंडवते ने एक भयंकर दुर्घटना के बारे में बताया है और मैं इसके विशेष पहलू के बारे में सोच रहा था। वह मामले का प्रसंग भी बताना चाहते थे परन्तु मेरे दोस्त ने उस विशेष पहलू का उल्लेख नहीं किया। यह मखानी नगर के बारे में था और उस मखानी नगर में हमने उस विशेष स्थान का दौरा किया जहां अपराध हुए, जहां 6 लोगों को जिन्दा जला दिया गया था। मैंने एक घर में कुछ व्यक्तियों से फिर से इन्टरव्यू लिया। दो व्यक्ति अभी भी जीवित हैं। मैंने उस विशेष परिवार के जीवित सदस्यों का इन्टरव्यू लिया था। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हूं। इस युवा व्यक्ति की 26 वर्ष की आयु है और उसने रोते हुए बताया कि उसकी पत्नी को जिन्दा जला दिया गया था, उसके $2\frac{1}{2}$ वर्ष के बच्चे को जिन्दा जला दिया गया था। उसकी मां को भी जिन्दा जला दिया गया था और उस व्यक्ति को भी इसी घर में जिन्दा जला दिया गया था जो अन्य परिवार का सदस्य था जिसे वे चाचा कहते थे जो उनके परिवार से सम्बन्धित नहीं था। इसका क्या कारण है? मैंने उस विशेष व्यक्ति से स्पष्ट रूप से इन्टरव्यू लिया है। मैं उसे कुछ दूर स्थान पर ले गया था और मैंने उससे वास्तविक रूप से क्या हुआ उसके बारे में पूछा। उसने मुझे बताया कि 3 व्यक्ति केसरिया कपड़े पहने 300 लोगों की भीड़ के साथ आए थे।

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : इस सूचना को देने का क्या फायदा है?

श्री एच० ए० डोरा० : आप कृपया सुने। मैं आपको इसका फायदा बताऊंगा। वे 300 व्यक्तियों की भीड़ का नेतृत्व र रहे थे। देरिया सहित भाला, पत्थर, लाठियां और अन्य हथियारों से लैस हुए कुछ मंत्रम् वे गा रहे थे जो यह व्यक्ति समझ नहीं पाया और उसके बाद नारे लगाए गए थे।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : वह मंत्रम् नहीं जानता था।

श्री एच० ए० डोरा : जो व्यक्ति मंत्रम् गा रहे थे, वे भी यह नहीं जानते होंगे कि वे क्या गा रहे हैं। मैंने रास्ता देखा है। यह व्यक्ति उस स्थान से भागा था और उस विशेष मकान में आगजनी हुई थी तथा 6 व्यक्तियों को जिन्दा जला दिया गया था। ये दुःखद दृश्य हैं जिसको कई लोगों ने इस विशेष शहर में चित्रित किया है। मैं जो कुछ जोर देकर कहना चाहता हूं वह यह है कि लोग बहुत

ठीक करने के लिए अस्पताल में सुरक्षित हैं। वे दूसरे तल पर थे। उन्हें एक समूह ने द्वितीय तल से भूमि पर फेंक दिया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह नहीं जिएंगे, उन पर मिट्टी का तेल छिड़क कर उन्हें भस्म कर दिया गया। यहां समाचार पत्रों की क्या भूमिका थी ? जो मैं कह रहा हूं अधिक दहलाने वाला है। अगले दिन समाचार पत्रों में आया कि दो व्यक्ति जिन पर छुरे से प्रहार करने का संदेह है भीड़ द्वारा पकड़े गए और मौके पर ही उनकी हत्या की गई।

इसी प्रकार नारायणपुर क्षेत्र में जहां मैं रहता हूं एक व्यक्ति को पकड़ा गया और कानूनी कार्यवाही किए बिना उसे मृत्यु दण्ड सुनाया गया। वहां भी अल्पसंख्यक समुदाय के एक व्यक्ति को कानूनी कार्यवाही के बिना मृत्यु दण्ड दिया गया; धन्य हो पुलिस कि यह बच गया। किन्तु समाचार पत्रों में आया कि एक व्यक्ति भीड़ द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में पकड़ा गया और उसकी पिटाई की गई और इसके परिणामस्वरूप, उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया।

ऐसी निर्दयी तथा घिनौनी हत्यायें —नागरिकों को जिन्दा जलाना या मारना —को उचित ठहराने की कोशिश की जा रही हैं अथवा समाचार पत्रों की खबरों में उन्हें ऐसा व्यक्ति बताया जाता है जैसे कि वे कत्ल में संलग्न थे। सर्वप्रथम, अगर कोई व्यक्ति···

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या आप मेरी बात सुनेंगे···

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह गुजरात समाचार था जिसने यह समस्या पैदा की। सभी पत्रों ने नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज, कृपया आप बैठ जाइये।

श्री हरुभाई मेहता : मुझे सभा के नियमों की कुछ समझ है; अतः मैं किसी समाचार पत्र का नाम नहीं ले रहा हूं। (व्यवधान)

मैं कह रहा था कि ऐसी घिनौनी घटनाओं तथा भयानक हिंसा को ऐसे बताया जाता है जैसे कि वे किसी हत्यारें से निपट रहे हैं। सर्वप्रथम, मान लो कोई व्यक्ति है जिस पर हत्यारा होने के संदेह है तो उसे पुलिस को सौंपना होगा; उसकी बिना कानूनी कार्यवाही के हत्या नहीं की जा सकती।

दुर्भाग्य से, श्रमिक भी सांप्रदायिक हिंसा से मुक्त नहीं हैं। अहमदाबाद के एक कारखाने में, किसी व्यक्ति को, जिस पर बाहरी व्यक्ति होने का संदेह था, उस कारखाने के श्रमिकों ने पकड़ लिया था। पुलिस ने उस व्यक्ति को अपने अधिकार में ले लिया और श्रमिकों ने मांग की कि उस व्यक्ति को उन्हें सौंपा जाये। यह साम्प्रदायिक हिंसा है जो लोगों के मन की उपज होती है।

मेघानी नगर दुर्घटना में भी जहां पांच लोगों को जिन्दा जला दिया गया था दुर्भाग्य से

[श्री हरूभाई मेहता]

अहमदाबाद के किसी भी भाषायी समाचार पत्र में सख्त आलोचना का विषय नहीं बना।

महोदय, अत: मेरा यह कहना है कि अहमदाबाद के इस साम्प्रदायिक दंगे को एक अलग प्रकार की घटना नहीं कहा जाये। यह घृणा के साम्प्रदायिक वातावरण की उपज थीं जिसे भारत की कतिपय धार्मिक शक्तियों ने तैयार किया था। वे भारत में अस्थिरता लाकर भारत में ऐसी परिस्थितियां पैदा करना चाहते थे जिसमें अल्प संख्यक समुदाय के लोग अपने को सुरक्षित न समझे। हम ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए वचनबद्ध हैं जिसमें अल्प संख्यकों सहित सभी नागरिक अपने को जान-माल की तरफ से पूर्ण रूप से सुरक्षित महसूस करें।

महोदय, मेरे मित्र ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की महिमा गायी है। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का इस प्रकार से दुरुपयोग नहीं किया जा सकता जिससे किसी मासूम व्यक्ति को जीने के अधिकार से वंचित करता हो। इस देश में हम कई बार ऐसी घटनाएं देखते हैं जब धार्मिक उत्सवों के अवसरों पर धार्मिक जुलूसों का साम्प्रदायिक हिंसा उत्पन्न करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है। इस संबंध में, मैं यह बताऊं कि स्वयं केन्द्रीय सरकार ने धार्मिक जुलूसों के संबंध में कतिपय मार्ग निर्देश जारी किये हैं। जुलूसों के बारे में राज्य सरकारों को उत्सवों तथा साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील अवधियों के दौरान धार्मिक जुलूसों पर सीमा या नियंत्रण करने संबंधी एक सामान्य नीति बनाने की सलाह दी गयी थी। यह सुझाव दिया गया था कि आपसी सहमति से जुलूसों का मार्ग निर्धारित किया जाये तथा ऐसे प्रतिबंध जो जरूरी समझे जायें लगाये जायें। जो इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करे उन पर शीघ्रता से कठोर कार्यवाही की जाये। गुजरात सरकार ने 1985 में इस पर अमल करने का प्रयास किया था लेकिन प्रतिबंध आदेशों का बलात उल्लंघन किया गया था। जोडंन रोड क्षेत्र की स्थिति इस बार भी नाजुक थी। यह दबाव नहीं डाला जाना चाहिए था कि रथ यात्रा जुलूस इसी सड़क से गुजरे। हिन्दू धर्म, जिससे मेरा संबंध है, सहित सभी धर्मों के प्रति मेरी पूरी आस्था है और इसलिए मैं अपने धर्मावलम्बियों की आलोचना करने की स्थिति में हूं। धर्म के नाम पर ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए जो किसी भी वर्ग के लोगों के प्रति हिंसा भड़काता हो। केन्द्रीय सरकार ने भी 15-सूत्री मार्ग निर्देश जारी किये हैं, अर्थात्, साम्प्रदायिक स्थिति से कैसे निपटा जाये तथा यह सुनिश्चित करना कि साम्प्रदायिक दंगें न हों। स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये मार्ग निर्देश जारी किए थे और अनुभव के आधार पर 1985 में उनमें सुधार किया गया है। अगर सभी राज्य सरकारें इन मार्ग निर्देशों का निष्ठा से पालन करें तो वे साम्प्रदायिक सौहार्द कायम करने तथा साम्प्रदायिक दंगों को रोकने में बेहतर रूप से कार्य कर सकेंगे।

महोदय, 1969 में दंगे हुए थे और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री जगमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग दंगें के कारणों को जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। रेड्डी आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिये थे। इसके सुझावों में एक सुझाव है कि शिक्षा पाठ्यक्रम को इस तरह से पुनः तैयार किया जाये जिससे छात्रों में धर्म निरपेक्षता के मूल्यों, विस्तृत दृष्टिकोण तथा सहनशीलता का स्वतः ही विकास हो। इसपर भी अमल करना होगा। सौभाग्य से मेरे राज्य ने कुछ

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : न्यूजपेपर का नाम क्यों नहीं लेते। "गुजरात समाचार" में क्या लिखा है। हमारे पास उसकी कापी है।

پروفیسر سیف الدین سوز : نیوز پیپر کا نام کیوں نہیں لیتے گجرات سماچار
میں کیا لکھا ہے. ہمارے پاس اسکی کاپی ہے -

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज, व्यवधान मत डालिए। उन्हें बोलने दीजिए। जब आप की बारी आए तो आप बोल सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : देश को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है। मैं केवल उन्हें याद दिला रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैं यहां हूं।

श्री हरूभाई मेहता : 10 जुलाई के सवेरे के समाचार पत्रों में इस घटना के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट आई उससे यह लगता था कि मानो रथयात्रा जुलूस पर आक्रमण किया गया हो। मैं इस बात का साक्षी हूं कि रथ सुरक्षित था, इसे खराब नहीं किया गया। इसके विपरीत मुसलमान लोगों की सहायता से पुलिस ने रथ को सुरक्षित रखा। किन्तु समाचार-पत्रों में कुछ इस प्रकार प्रकाशित हुआ है : जिस समय रथयात्रा में सम्मिलित ट्रक पर पथराव हुआ, उस समय उपद्रव हुआ। शीर्षक था "रथयात्रा पर पथराव"। समाचारपत्रों में रिपोर्टों और विवरणों में "रथयात्रा पर घृणित आक्रमण" आया। इन रिपोर्टों का यह प्रभाव पड़ेगा जनता के एक वर्ग की भावनाओं को उत्तेजित करने के अलावा और क्या प्रभाव पड़ सकता है? अतः दंगों को रोका जा सकता था किन्तु समाचार पत्रों में प्रकाशित अति-उत्तेजक समाचार पत्र रिपोर्टों और अफवाह उड़ाने वालों के कारण इसमें और वृद्धि हुई। कुछ लोग जो समझते हैं कि अफवाह फैलाना इस देश में हिन्दू अन्धविश्वास को भड़काने का एक माध्यम है उन्होंने अफवाहें फैलाई; वे लोग इस देश को एक धर्म सापेक्ष राष्ट्र, एक धार्मिक राष्ट्र में परिवर्तित करना चाहते हैं। किन्तु जैसे महात्मा गांधी ने कहा, यह देश केवल हिन्दुओं अथवा किसी विशेष सम्प्रदाय का नहीं है। उन्होंने कहा, यदि किसी का विश्वास है कि यह देश हिन्दुओं का है, तो वे स्वप्न देख रहे हैं। किन्तु ऐसी कुछ शक्तियां हैं जो गत कुछ महीनों में बहुत सक्रिय रही हैं; वे चाहते हैं कि हमारा देश धार्मिक देश हो, वे चाहते हैं कि इस देश में मुसलमानों की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है; वे ये नारे लगा रहे हैं; इस समय ये नारे अहमदाबाद में लगाए गए :

[श्री हरूभाई मेहता]

[हिन्दी]

गद्दार है मुसलमान, इसको भेजो पाकिस्तान।

[अनुवाद]

मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। अहमदाबाद में बहुत से मुसलमानों ने यह उत्तर दिया :

[हिन्दी]

हब्बुलमतीन मुसलमान, नही जाएंगे पाकिस्तान,
वतन है उसका हिन्दुस्तान, भेजना है तो भेजो कब्रिस्तान ॥

[अनुवाद]

इस प्रकार ये शक्तियां काम कर रही हैं। वे इस रथ यात्रा मामले को इस आधार पर इसे एक ऐसा धार्मिक मामला बनाना चाहते थे जिससे वे जनता के एक वर्ग की धार्मिक भावनाओं को भड़का सके और जनता के एक और वर्ग अर्थात अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हिंसा बढ़ा सकें।

इसीलिए आग्रह किया गया कि रथयात्रा जोर्डन रोड से भी होकर जाए। गत वर्ष सरकार ने रथयात्रा का पथ निर्धारित किया था और कहा था कि यह संवेदनशील क्षेत्रों से होकर न जाए। इस समय भी यह इलाका संवेदनशील था। इस पर आग्रह किया गया कि यह जोर्डन रोड से भी होता हुआ जाए। वही हुआ जो निश्चय ही होना था। हिंसा भड़क उठी।

मैं समाचार पत्रों की भूमिका की बात कर रहा था। फिर भी सारे मामले को नियन्त्रित करने के लिए सभी कदम उठाए गए। इस सम्बन्ध में मैं प्रधान मन्त्री को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मिजोरम में होते हुए अहमदाबाद की स्थिति के प्रति चिन्ता व्यक्त की। मैं अपने अच्छे मित्र श्री पी० चिदम्बरम को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अहमदाबाद का दौरा किया और जिनकी पहल से कानून और व्यवस्था सक्रिय हो गई और जो स्वयं शिविर पर दौरे पर गए थे और वहां रहने वालों से स्वयं बातचीत की और अल्पसंख्यकों को आश्वासन तथा सांत्वना दी। मैं विपक्ष के उन अच्छे मित्रों के प्रति भी आभारी हूं जिन्होंने अहमदाबाद को सामान्य स्थिति में लाने में प्रशंसनीय काम किया।

समाचार पत्रों के रिपोर्टों तथा अफवाह फैलाने के अतिरिक्त, उन्होंने गुजरात बन्द का आह्वान किया। गुजरात बन्द का आह्वान उस समय किया गया जब अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य भागों में हिंसा तथा साम्प्रदायिक घृणा जोरों पर थी। जो शक्तियां उस समय कार्य कर रही थीं उन्होंने पूरे अहमदाबाद तथा इसके बाहर साम्प्रदायिक घृणा फैलाने के लिए कोई भी माध्यम नहीं छोड़ा।

सिविल अस्पतालों में दो व्यक्तियों को जीवित जलाया गया। सिविल अस्पताल एक ऐसा स्थान समझा जाता है जहां घाव ठीक हो जाते हैं। किन्तु वहां दो मुसलमान जिन्होंने समझा कि वे घाव

कार्य किया है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। गुजरात स्कूल पाठ्य पुस्तक बोर्ड ने कई पाठ्य पुस्तकों की परीक्षा इस दृष्टिकोण से उन्हें पुनः तैयार करने के लिए की है ताकि बच्चों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा और धारणा पैदा हो बजाय साम्प्रदायिक नफरत और अविश्वास के। जिस प्रकार से इतिहास पढ़ाया जाता है उससे साम्प्रदायिक घृणा पैदा होती है। इसपर उचित ध्यान देना होगा। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि जिन बस्तियों में साम्प्रदायिक हिंसा होती है उनके खिलाफ आर्थिक दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसे बस्ती के लोगों की जिम्मेदारी समझना चाहिए और इसलिए उन पर आर्थिक दंड लगाया जाना चाहिए। रेड्डी आयोग ने यह भी बात नोट की है कि आधारशिला रखने तथा उद्घाटन करने जैसे राज्य समारोहों को अक्सर हिन्दू धार्मिक रीतियों के अनुसार मनाया जाता है। कुछ वर्ग के लोग ऐसा महसूस करेंगे कि वे किसी धर्मनिरपेक्ष समाज में रह रहें अथवा नहीं। अतः आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी विशेष धर्म की धार्मिक रीतियों का अनुसरण करने की बजाय धर्मनिरपेक्ष प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। इसी तरह से समाचारपत्रों को भी अधिक आत्मसंयम बरतना चाहिए। वास्तव में, रेड्डी आयोग ने सुझाव दिया है कि कम से कम साम्प्रदायिक दंगों के दौरान 'प्री-सेंसरशिप' होनी चाहिए। कई अन्य बातें बताने की जरूरत है लेकिन समय की कमी मेरे भाषण की सीमा बांध रही हैं। महोदय, मुझे अपना भाषण समाप्त करना है लेकिन मैं और क्या कह सकता हूं —मेरा दिल किस लिए दुःखी है—वह यह है कि, जबकि पुलिस द्वारा हिंसात्मक घटनाओं को रोका जा सकता है। हम ऐसी घटनाओं को पुनः घटित होने से रोक सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र का संबंध हैं, जब मैं चुना गया था, मैं एक शहर अहमदाबाद का प्रतिनिधित्व करता था। दुर्भाग्य से, वर्तमान स्थिति यह है कि ऐसा लगता है जैसे शहर दो हिस्सों में बंटा हुआ है, अर्थात् हिन्दू अहमदाबाद और मुस्लिम अहमदाबाद। इस शहर में साम्प्रदायिक दंगों से एक दीवार खड़ी कर दी गई हैं और यह दीवार उन लोगों द्वारा तैयार की गयी हैं जो दोनों समुदायों के लोगों के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। इस नुकसान को आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। अतः मैं इस माननीय सभा से अपील करता हूं कि कृपया अहमदाबाद और गुजरात को संकट से बचाये। हमें ऐसे समाज की स्थापना के लिए कार्य करना है जहां धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का बोलबाला हो और साम्प्रदायिक प्रचार सदा असफल रहे। महात्मा गांधी की शारीरिक तौर पर 30 जनवरी, 1948 को हत्या की गयी थी लेकिन उनके विचारों की अब भी रोजाना हत्या जारी है। यह वो लोग कर रहे हैं जो धर्म की दुहाई देते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन श्रोवेसी (हैदराबाद) : डिप्टी स्पीकर साहेब, इस वक्त बड़े अहम मसले के ऊपर बहस हो रही है। सबसे पहले मैं आपकी तवज्जुह इस बात के ऊपर दिलाना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद से आज तक तकरीबन बीस हजार से ज्यादा फसादात हो चुके हैं और इन बीस हजार फसादात के अन्दर कौन लोग मरे हैं, किसको नुकसान हुआ है, इन चीजों के ऊपर गौर करना है और यह ऐसा अहम मसला है जिसके ऊपर बहस के समय मैं समझता हूं कि कम से कम मिनिस्टर साहेब को और दीगर जिम्मेदार आदमियों को मौजूद होना चाहिए, लेकिन यहां पर कोई मिनिस्टर साहेब ही मौजूद नहीं, हैं।

[अनुवाद]

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : महोदय, गृह मंत्री राज्य सभा की चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं जो प्रातः शुरू हुई थी। उन्हें आशा थी कि यह चर्चा समाप्त हो जायेगी। लेकिन चर्चा जारी है। वह किसी भी क्षण यहां पहुंच सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी : खैर आप लोगों को तो ऐसा ही बोलना चाहिए, लेकिन मसले की अहमियत का अंदाजा करते हुए आप को इस बात पर गौर करना चाहिए था कि यह मसला इतना अहम है कि आज सारा हिन्दुस्तान इसकी लपेट में आ चुका है। इसलिए यहां पर कोई कैबिनेट मिनिस्टर को मौजूद रहना चाहिए। इस बात को मद्दे-नजर रखते हुए मैं आप से यह बात कहूंगा कि जब मर्ज हद से ज्यादा बढ़ जाता है और बात हद से ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस वक्त हम किसी चीज के लिए जमा होते हैं और कई किस्म की तकरीरें होती हैं और ऐसी ही बातें होती हैं तथा ठोस तजावीज पेश की जाती हैं, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं होता।

मैं किसी के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए नहीं कह रहा हूं, किन्तु यह कहना कि यह देश ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म के फूल हैं, यह बात सही है, लेकिन यह गुलदस्ता कई मर्तबा खत्म हुआ, कई दफा इस गुलदस्ते के फूलों को मसला गया। सवाल यह है कि क्या ठोस तजावीज पेश की गई और क्या उनके ऊपर अमल हुआ। मुझे मालूम है जब जबलपुर के अंदर दंगा हुआ और हमारे प्रधान मन्त्री पं० जवाहरलाल नेहरू की सदारत में एक कौमी कमेटी बनाई गई और उसने ठोस तजावीज पेश कीं, लेकिन आज तक उनमें से एक तजवीज के ऊपर भी अमल नहीं हुआ है। अगर वे तजवीजें ठीक नहीं हैं, तो आप यों क्यों नहीं कह देते कि हम उन तजावीज को खत्म करते हैं। अगर वे तजावीज ठीक हैं, तो आप उनके ऊपर अमल क्यों नहीं करते और क्यों न कोई ऐसा ठोस काम करते जिससे ये दंगे न हों। उन तजावीज में एक तजवीज यह भी कही गई थी कि अगर आठ दिन तक ये फसादात न रुकें, तो वहां के चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रकार की तमाम तजावीज थीं, लेकिन वे धरी की धरी रह गईं।

आज अहमदाबाद में गड़बड़ी हुई है तो हममें कोई जान आई, हरकत पैदा हुई और बात हो रही है, लेकिन इसके बाद फिर हम खामोश हो जाएंगे। इसका नतीजा यह होगा कि यह सिलसिला चलता जाएगा। इसके सम्बन्ध में मेरे जहन में जो ठोस तजवीज हैं, उनमें सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो किताबें हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें जहर भरा जाता है। उनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए।

आप देखिए कि यह कहा जाता है कि औरंगजेब ने हिन्दुओं पर जुल्म किया, फलां राजा के ऊपर हमला किया। लेकिन यह क्यों नहीं बताया जाता कि औरंगजेब ने दक्खिन पर भी हमला किया, कुतुब-शाही को खत्म किया और बीजापुर की मुसलमान हुकुमत को भी खत्म किया। आप यह चीज

क्यों नहीं बताते। आप केवल यह पहलू बताते हैं कि औरंजेब ने ऐसा किया है। हर हुकुमत अपनी वफा के लिए कोई न कोई काम करती है। हम उसको एक अजीबो-गरीब तरीके से पेश करते हैं जिसकी वजह से बच्चों के जहन में जहर भर जाता है। जब यह जहर भरता जाता है तो उनके जहनों में हिन्दू और मुसलमानों के प्रति तनाव पैदा होता जाता है। यहां पर हमको ऐसी तमाम चीजें देखनी चाहिए।

आज हम सेकुलरिज्म का नाम लेते हैं। हम यह कहते हैं कि हुकुमत का कोई मजहब नहीं है, लेकिन आवाम का यकीनन मजहब है। लेकिन हम देखते हैं कि जब कोई सरकारी तकरीर होती है तो वहां नारियल फोड़ा जाता है और पूजा-पाठ होता है। यह सेकुलरिज्म नहीं बल्कि हुकुमत का मजहब नहीं बल्कि आवाम का मजहब है। आज यह जो तमाम चीजें होती हैं तो इसके बाद आप कहते हैं कि सेकुलर-सेकुलर। सवाल यह है कि सेकुलरिज्म को गवाही कौन देगा। अगर सेकुलरिज्म की गवाही माइनॉरिटी देगी तो दुनियां मानेगी कि यह सेकुलरिज्म है। आप खाली सेकुलर बोलते जायें तो कोई भी उसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है।

आज इंसान को जिन्दा जलाया जाता है। जनूबी अफ्रीका में अगर कुछ होता है तो हम तड़प जाते हैं। कहीं दुनियां में कुछ होता है तो भी तड़पते हैं। यह एक अजीबो-गरीब हाल है। इस मुल्क के इस हिन्दुस्तान में नाग-सांप को तो दूध पिलाया जाता है और इंसान को जलाया जाता है। यह एक अजीबों-गरीब चीज देखने में आती है। मैं चाहता हूं कि हम ठोस तजवीज के साथ आए।

मैं किसी फसाद का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन जो चीज है, उसको हमेशा के लिए खत्म किया जाना चाहिए। जैसे की बड़ी अच्छी तकरीर हमारे स्पीकर साहब ने पेश की कि हमेशा के लिए इन तमाम चीजों को खत्म किया जाना चाहिए। इस कारण आप इन चीजों पर गौर करिए। आज हालत यह है कि एक तरफ यह प्रोपेगेंडा हो रहा है और दूसरी तरफ हमारे जजबात को मुश्तइल किया जा रहा है। इसके बाद हर फसाद के बाद आप देखेंगे तो पायेंगे कि एक तरफ तो फसाद होता है, अकलियतें पीटती हैं और दूसरी तरफ पिटाई उनकी होती है जो बेकसूर होते हैं। पी०ए०सी०भी आकर अलग से गडबड़ करती है। घरों को लूटती है, औरतों की इस्मतदरी करती है, इतना मारा जाता है कि उनके हाथ पैर तमाम तोड़ दिए जाते हैं। आखिर यह किस लिए है? जब कोई बात होती है तो कहा जाता है कि पुलिस का मोरल नहीं गिरना चाहिए। यह एक अजीबो-गरीब चीज है। हमारी समझ में नहीं आता कि आखिर यह सब क्या है। पी०ए०सी०वाले कहते हैं कि पुलिस वालों को तो खूब रिश्वत मिलती है, लेकिन हमें तो फसाद के जमाने में कभी-कभार ही इसका मौका मिलता है।

आप इलाहाबाद में जाकर देखिए। मैं किसी फसाद का जिक्र नहीं करना चाहता हूं। लेकिन हमने देखा है कि आई०ए०एस०अफसर गुंडा एक्ट में गिरफ्तार, इंजीनियर गुंडा ऐक्ट में गिरफ्तार और वकील भी इसी प्रकार गिरफ्तार। अब आप ही बताइए कि हम किस तरफ जा रहे हैं? यह सब क्या हो रहा है? ···(व्यवधान)···

डा० गौरी शंकर राजहंस : आप किसी एक आई०ए०एस० अफसर का नाम बताइए जो कि गुंडा ऐक्ट में गिरफ्तार हुआ हो। ···(व्यवधान)···

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : मेरे पास इसकी पूरी लिस्ट है। मैं एक एक के नाम गिना सकता हूं। मेरठ के अन्दर एडवोकेट सबजबारी कौन हैं ? इससे पहले जो फसाद हुए थे तो इन्होंने अदालतों में मुकदमा लड़ा था। मैं तो आपके सामने किसी खास चीज की तजवीज रख रहा हूं और बता रहा हूं कि क्या जुल्म हो रहा है। लेकिन यहां ऐसा मालूम होता है—उर्दू की मसल है कि एक जगह बहुत सा माल चोरी हो गया तो काजी ने कहा कि मैं माल बरामद करता हूं और कहा कि देखिए जो चोर होगा उसकी दाढ़ी में तिनका होगा। तो जिसकी दाढ़ी में तिनका था वह अपनी दाढ़ी खीचने लगा। मैं बहरहाल कुछ कहना नहीं चाहता—मगर आप परेशान क्यों होते हैं ?···(व्यवधान)···क्या इसीलिए आप सिर मुंडा दिए हैं कि अब हम पर कोई असर होने वाला ही नहीं है ?

इसलिए मैं आपके सामने यह रख रहा हूं कि तारीख में ऐसी तमाम जो बाते लिखी गई है अंग्रेजों के जमाने में हिन्दू मुस्लिम फसाद कराने के लिए, ऐसी तारीख को दोबारा लिखा जाय और मैं यह चाहूंगा कि आप गौर और फिक्र करें कि हमको एक साथ होना चाहिए। इंसान मर रहा है। हम यह न देखें कि अहमदाबाद में मरने वाला कौन है, गुजरात में मरने वाला कौन है या पंजाब में मरने वाला कौन है। हिन्दुस्तान का आदमी मर रहा है। अगर हम सिर्फ यह देखते हैं कि अहमदाबाद में मरेगा तो उसको पांच हजार देंगे, पंजाब में मरेगा तो 20 हजार तो आखिर यह क्या मरने की जमीन की कीमत है ? अरे, आज इंसान मर रहा है। आप बताइए कि ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं ? मैं यह चाहूंगा कि इन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए आप बाकायदा कवानीन लाइए। ये जुलूस जितने निकलते हैं, इन तमाम जुलूसों को बन्द किया जाय। क्या इंसान की जान से बढ़कर जुलूस की कीमत है ? क्यों आखिर ये तमाम जुलूस निकाले जाते हैं ? मैं चाहूंगा कि हमेशा के लिए तमाम जुलूसों को बन्द किया जाय ताकि इन फसादात का सिलसिला खत्म हो।

मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मेरे पास भी अहमदाबाद से लोग आए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि जहां पथराव की बात हो रही है वहा सिर्फ पन्द्रह मकान मुसलमानों के थे। दस चले गए थे। सिर्फ पांच लोग मकानों के अन्दर मौजूद थे। पांच मकानों में थे। लाख पचास हजार का जुलूस है, पांच दस आदमियों का मकान है, क्या वे पत्थर मार सकते हैं ? क्या कोई अक्ल इसको मान सकती है ? आखिर ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं ? मैं चाहूंगा कि फसादात होने के बाद आज आप मुझे बताइए कि इतने हिन्दुस्तान में फसाद हुए, क्या किसी आदमी को हिन्दुस्तान के कानून ने फांसी के ऊपर चढ़ाया ? कोई फांसी के तख्ते पर गया ? हजारों आदमी मरे लेकिन आज तक हमारी अदालतों के अन्दर किसी को फांसी की सजा नहीं हुई। आखिर यह क्यों ? क्यों यह होता है, क्योंकि पुलिस मिली हुई होती है और जब तक कि हुकूमत सख्ती न करे फसादात का सिलसिला चलता रहेगा। आज दिल्ली के लोग होम मिनिस्टर साहब की कोठी के पास धरना देकर बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा कि इन फसादों की जड़ जो है, आज आप देखिए कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर जो फसाद फैल रहा है उसकी वजह है बाबरी मस्जिद का मसला। हुकूमत को चाहिए कि वह फौरन इस मस्जिद के ताल्लुक से कदम उठाए और इस मसले को हल करे ताकि इस तरीके से तमाम जो ये चीजें फैलती चली जा रही हैं, वह न फैलें। हुकूमत इस मसले पर क्या कर रही है ? आखिर वह क्या करना चाहती है ? हमारे सामने ये तमाम चीजें नहीं आती हैं। तो मैं चाहूंगा कि इन तमाम चीजों को, इन तमाम मसलों को हल किया जाय।

[अनुवाद]

श्री एच० एम० पटेल (साबरकंठा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं साम्प्रदायिक दंगों पर कुछ नहीं बोलना चाहता। इस बारे में जो कुछ कहा जाना था मुझसे पूर्व दो वक्ता कह चुके हैं। प्रो० मधु दण्डवते तथा श्री स्वैल इस पर बोल चुके हैं तथा जो कुछ उन्होंने कहा मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। परन्तु मैं एक बात समझना चाहता हूं। क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि उन्होंने जो विभिन्न सुझाव दिए हैं उन पर अमल कौन करेगा ? जब हम पुलिस के पुनर्गठन की बात करते हैं तो इस कार्य को करेगा कौन कब इसे किया जाएगा ? यह तो सभी को मालूम है कि प्रशासन में अत्यधिक गिरावट आई है, बल्कि आप कह सकते हैं कि यह एकदम ठप्प हो गया है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने आठ प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। उसमें बताया गया है कि हमारे पुलिस बल को किस तरह सक्षम बनायें, देश में हो रही विभिन्न घटनाओं से किस तरह से निपटा जा सकता है पुलिस आयोग के इन प्रतिवेदनों का क्या किया गया है ? हम इस विषय को अधिक गम्भीरता से, ज्यादा जल्द क्यों नहीं लेते ?

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आपने अपने शासन काल में क्या किया ?

श्री एच० एम० पटेल : मैं इस प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहता ... (व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : श्री पटेल, आपने कुछ नहीं किया था।

श्री एच० एम० पटेल : मैं सिर्फ कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरे विचार से यहां उपस्थित माननीय मन्त्री जी भी इस बात से पूरी तरह सन्तुष्ट हैं कि इस विषय में कुछ किये जाने की आवश्यकता है। देश को किसी भी मुश्किल समस्या का सामना करने के लिए हमें प्रशासनिक तन्त्र को सुदृढ़ बनाना चाहिए। मैं महसूस करता हूं कि इस तरह प्रशासनिक तन्त्र को रातोंरात सुदृढ़ नहीं बनाया जा सकता।

ये सिफारिशें विवेकपूर्ण एवं आधारभूत हैं। उदाहरण के लिए हमारी पुलिस के पास पर्याप्त आवास सुविधा नहीं है। पहले पुलिस वालों को पुलिस लाइन में रहने की व्यवस्था कर दी जाती थी। आजकल इनके आवास की क्या व्यवस्था की जाती है ? इनकी संख्या में वृद्धि हो गई है। इन्हें जहां कहीं भी आवास उपलब्ध होता है ये लोग वहीं रहते हैं कभी-कभी ऐसी जगह पर भी रहते हैं जो उनके रहने लायक नहीं होती। कभी-कभी इन लोगों को उपद्रवी व्यक्तियों के साथ रहना पड़ता है। इसलिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस ओर गम्भीरता से एवं तुरन्त ध्यान दिया जाए। न सिर्फ पुलिस बल की पुर्नसंरचना करने के लिए अपितु यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि पुलिस वाले सक्षम तरीके से कार्य कर सकें। उनकी सेवा शर्तें इस प्रकार की हों कि वे अच्छी तरह रह सकें और सन्तोषजनक ढंग से अपना कार्य कर सकें। उन्हें ढंग के मकान मिलने चाहिएं। उनकी भर्ती करते समय यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि उनका शैक्षणिक ज्ञान इतना अवश्य हो जितना उन समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक है जिनका उन्हें सामना करना पड़ता है।

यह इसका एक पहलू है। दूसरे इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुलिस कर्मियों की सिर्फ संख्या बढ़ा देने से उनकी कुशलता में वृद्धि नहीं की जा सकती। मुझे नहीं मालूम स्वतंत्रता के

[श्री एच० एम० पटेल]

पश्चात इनकी संख्या में कितनी वृद्धि की गई है। निसंदेह, थोड़ी बहुत वृद्धि करना तो आवश्यक था परन्तु जो वृद्धि की गई है वह बहुत अधिक है। इस समय हमारे यहां भांति-भांति के पुलिस बल हैं उदाहरण के लिए केन्द्रीय पुलिस बल, सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र पुलिस आदि। इनकी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है।

पुलिस वालों की सेवा शर्तों में सुधार लाने, उनको सक्षम बनाने के लिए धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आघात अनुशासन को लगा है। आजकल सभी जगह अनुशासन-हीनता का स्वराज है। हरेक जगह अनुशासनहीनता है।

प्रो० मधु दण्डवते का सुझाव है कि इतिहास को एक खास तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए, इसकी किताबों को दुबारा से तैयार किया जाना चाहिए। इन्हें इतिहास अध्यापक ही पढ़ाते हैं। वर्तमान में अध्यापकों की स्थिति पर विचार करिये। वे जब चाहे हड़ताल कर देते हैं। नई शिक्षा नीति में अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए तीन महत्वपूर्ण तत्व बताए गये हैं और वे हैं अध्यापकगण, माता-पिता तथा विद्यार्थी। आज के युग में सबसे अधिक अनुशासनहीन अध्यापकगण हैं। ऐसा क्यों है। इसके पीछे कोई उचित कारण भी हो सकता है। परन्तु मुद्दा यह है कि क्या उन्हें अनुशासनहीन होना चाहिए? क्या उनमें अनुशासन नहीं होना चाहिए? ये ही वे व्यक्ति हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी को पढ़ायेंगे, उनको सही सभ्यता, मान्यताओं आदि की शिक्षा देंगे। इतिहास की शिक्षा दी जानी चाहिए। क्या उन्हें स्वयं इतिहास की जानकारी है। क्या वे हमारे सम्पूर्ण इतिहास को पढ़ने की जरूरत समझते हैं। मेरे विचार से प्रो० मधु दण्डवते तथा श्री जी० जी० स्वैल द्वारा बताये गये इन सभी अच्छे सुझावों को क्रियान्वित करना उतना आसान कार्य नहीं है। परन्तु मैं भी यह सुझाव दूंगा कि इस कार्य को हाथ में लिया जाना चाहिए हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि इस कार्य को क्रियान्वित किया जाए। यह कहना तो ठीक है कि इन समस्याओं की ओर अपना रवैया बदल दो। आप इसके प्रति रवैया कैसे बदल सकते हैं? इसको कौन लागू करने जा रहा है? नई शिक्षा नीति का कार्य क्या है? इसको किस मकसद की प्राप्ति के लिए बनाया गया है? आपको इसमें एक दिलचस्प अध्याय मिलेगा कि आपको रवैये में किस तरह परिवर्तन करना चाहिए। परन्तु इस संबंध में आप किस तरह कार्यवाही करेंगे?

नई शिक्षा नीति को प्रभावी बनाने के लिए जब धन का प्रश्न आता है तो यह कहा जाता है कि धन पर्याप्त नहीं है, शिक्षा के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 6 प्रतिशत प्रदान किया जाना चाहिए। हमें यह देखने की कोशिश करनी चाहिए कि एक निश्चित अवधि में कितने धन की आवश्यकता होती है। पुलिस बल के साथ भी यही बात है। उसके लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। परन्तु इन्हें सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जानी चाहिए और किसी मद से पहले इन्हें धन मुहैय्या कराया जाना

चाहिए । विकासशील योजनाओं, औद्योगिकीकरण आदि के लिए भी धन की मांग की जाएगी परन्तु शिक्षा, कानून एवं व्यवस्था मूल-भूत चीज हैं तथा इनके लिए धन देने में किसी प्रकार की मनाही नहीं होनी चाहिए । इसमें कमी नहीं की जानी चाहिए, जितने धन की इन्हें आवश्यकता है उसी के अनुरूप इन्हें दिया जाना चाहिए । मैं शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने के संबंध में कहूंगा कि इसके लिए जो भी आवश्यक हो हमें करना चाहिए तथा इसके लिए धन की कमी नहीं होनी चाहिए तथा ऐसा ही पुलिस बल के बारे में भी होना चाहिए । आपको इन आधारभूत बातों पर पहले ध्यान देना चाहिए यद्यपि ये लम्बी अवधि की बातें हैं, परन्तु जब तक आप इस ओर कार्य करने की शुरूआत नहीं करते तो आप इसे आवश्यक समय के अन्दर लागू नहीं कर सकते । हमें प्रयास करना चाहिए ।

चूंकि सदन इस समय इन गम्भीर समस्याओं पर विचार करने के मूड में है, मैं भी एक और सुझाव देना चाहूंगा शिक्षा, पुलिस, कानून एवं व्यवस्था तथा प्रशासन के मामले में कम-से-कम राजनैतिक दखल नहीं होना चाहिए । यह आवश्यक है; आजकल सभी स्तर पर राजनैतिक हस्तक्षेप है । आपको एक इलाके में रहकर यह देखना होगा कि वहां पर राजनैतिक हस्तक्षेप कितना ज्यादा है । अगर आप सत्तापक्ष से सम्बन्धित है, किसी पद पर आसीन हैं तो आप पूरी सुरक्षा के साथ कोई भी गलत काम कर सकते हैं । मेरे विचार से यह समय है जब हमें इन बातों पर गम्भीरता से विचार करना है, यदि हम गम्भीर मुश्किलों से बचना चाहते हैं ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं । कि इस गम्भीर मसले पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । पचास साल से ज्यादा साल पहले अल्लामा इकबाल ने लिखा था - "मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिन्दी हैं हम वतन है हिन्दुस्तान हमारा ।" उसके बाद देश में आजादी आई । आज पड़ोस के सदन में मेरे भाई एक कवि बैठे हैं, उनकी चार पंक्तियां इस संदर्भ में शायद बहुत काम आयेंगी ।

6.00 म०प०

पूरब को मैंने पूजा, मैंने आरती सजाई
पश्चिम को किया सजदा जब जब अजान आई ।
कभी बन गया मैं हिन्दू कभी बन गया मुसलमां
मैं न बन सका हूं इन्सां मुझे मौत क्यों न आई ।।

आज देश मनुष्य बनने की प्रक्रिया में से निकल रहा है । इस सदन ने इस विषय को हाथ में लिया है और गंभीर क्षणों में हम लोग इसका चिन्तन कर रहे हैं । डा० बलराम जाखड़, जैसे एक प्रसिद्ध विचारक ने इस विषय को की नींव रखी और हमारे बड़े भाई प्रो० मधु दंडवते ने इस विषय को यहां पर उठाया । इसमें असहमति का कोई मुद्दा नहीं है । साम्प्रदायिकता चाहे किसी किस्म की हो, उसका उन्मूलन होना चाहिए, उसका अनादर होना चाहिए, कभी उसका सिंचन नहीं होना चाहिए और उसको नष्ट करना चाहिए । इस देश ने बड़े-बड़े मूल्य इसके लिए चुकाए हैं । इस विद्वान सदन को मैं

[श्री बालकवि बैरागी]

याद दिलाना चाहूंगा कि सन् 52 में यहां पर पहली बार क्रिश्चियन आये और हमारे पुरखों ने उनको यहां आने दिया और उनकी जो पूजा पद्धति थी, उसको कभी मना नहीं किया और सवा और डेढ़ हजार वर्ष पहले यहां पर इस्लाम आया। तब भी हमने उसका स्वागत किया, हमने उसको रोका नहीं। इस देश में हमारे पुरखे हमसे ज्यादा समझदार थे और हमारे पुरखे हमसे ज्यादा ऊंची शखसियत वाले थे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रख सकते हैं। चर्चा कल शाम 4 बजे शुरू की जायेगी।

सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित होता है।

6.02 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 22 जुलाई, 1986/31 आषाढ़, 1908 (शक)
के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग्स, सीलमपुर, दिल्ली-53